सप्तम माला, खण्ड 26, अंक 21, शुक्रवार, 19 मार्च, 1982/28 फाल्गुन, 1903 (शक)

(5)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(आठवां सत्र)



(खण्ड 26 में अंक 21 से 30 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : बारह रुपये

विषय-सूची

अंक 21, शुक्रवार, 19 मार्च, 1982/28 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या 375, 379 से 381, 383 और 386	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—228
*तारांकित प्रश्न संख्या 377, 378, 382, 384, 385 और 387 से 394	20—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 4184 से 4211, 4214 से 4228, 4230 से 4308 और 4310 से 4418	32—228
दिनांक 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8532 के उत्तर वृद्धि करने वाला वक्तव्य	228
सभा पटल पर रखे गये पत्र	239—277
राज्य सभा से संदेश	241
प्राक्कलन समिति	242
बीसवां प्रतिवेदन	
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	242
ग्यारहवां प्रतिवेदन	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लेवी की चीनी के कोटे में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य	242
राव वीरेन्द्र सिंह	
आवलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	243
दिल्ली में राशन कार्डधारियों के गेहूं के कोटे को कम करने का कथित निर्णय	
श्री नारायण चौबे	243

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
सर्व श्री बीरेन्द्र सिंह	246
श्रीसूरज भान	252
श्री कृष्ण कुमार गोयल	255
श्री रामावतार शास्त्री	249
श्री राम विलास पासवान	259
सभा का कार्य	268
गैर-सरकारी सदस्य के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	278
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
विधेयक-पुर: स्थापित	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक	279
(अनुच्छेद 335 का संशोधन)	
श्री कुसुम कृष्णमूर्ति	
(दो) वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक	279
(धारा 2 आदि का संशोधन)	
श्री हरीश रावत	
निशुल्क विधिक सेवा विधेयक	280
श्री एडुआर्डो फैलीरो	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल व्यास	280
श्री टी० नागरत्नम	282
श्री जगन्नाथ राव	285
श्री चित्त बसु	288
आचार्य जे० बी० कृपालानी का निधन	292

लोक सभा

शुक्रवार, 19 मार्च, 1982/-28 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री नीरेन घोष : श्रीमान आज आप प्रसन्न मुद्रा में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप यहां होते है तब मैं प्रसन्न रहता हूं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सोवियत संघ के अधुनातन बचाव वाहन की खरीद

*375. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सोवियत विशेषज्ञों द्वारा हवाई अड्डा बचाव वाहन एम० पी० एस०-70 विकसित किये जाने की ओर दिलाया गया है जो विमान के उतरने और उड़ान भरने के समय लगने वाली आग का मुकाबला करने का विश्व मे नवीनतम वाहन है,

(ख) क्या सरकार ने हवाई अड्डों पर अधिकतम सुरक्षा के लिये इस अधुनातन बचाव की खरीद के लिये बातचीत की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा दिसम्बर, 1981 में सोवियत दूतावास से हासिल की गयी जानकारी के अनुसार एयरोड्रोम रेस्क्यू ब्यीकल ए० पी० एस० 70 विकास की प्रारम्भिक दशा में है, तथा फिलहाल इसके तकनीकी ब्यौरे उपलब्ध करा सकना संभव नहीं

हैं। इसलिए इसकी खरीद के लिये किसी प्रकार की बातचीत प्रारम्भ करने की अभी स्थिति नहीं आयी है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : ए० पी० एस० 70 वाहन के कार्य के बारे में कुछ आकड़े मेरे पास है। मुझे आश्चर्य हुआ हैं कि सरकार को यह तकनीकी विवरण कैसे नहीं मिल सका या तो नागर विमानन के महानिदेशक अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ठीक ढंग से जानकारी एकत्र नहीं की गई। यह अत्यन्त आवश्यक है कि अधुनातन विकसित वाहन न केवल आग बुझाने वाला उपकरण है अपितु मेरे पास आकड़े हैं जिनसे प्रकट होता है कि ए० पी० एस 70 में एक 'स्लाडिंग गैंगवे' है जो कि ठीक जलते हुए विमान तक पहुंच जाता है तथा यदि द्वार बन्द होते हैं तो एक चक्राकार स्वचालित आरा होता है जो कि किनारों को काट देता है तथा यात्रियों को बचा लेता है। इसके साथ एक टैंक जुडा होता है जिसमें 8 टन पानी होता है तथा एक टन 'फोम' होता है। जिसे आग बुझाने के लिए आग में डाला जा सकता है। पानी प्रति सैकेंड लगभग 70 लीटर है तथा इस पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। क्या मंत्री महोदय ए० पी० एस० 70 का ब्यौरा प्राप्त करने का यत्न करेंगे, जोकि पूरी तरह विकसित है तथा रुस के कुछ हवाई अड्डों में कार्यरत है। यह मेरा पहला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपसे अधिक तेज लगते हैं।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मित्र डा० वसंत कुमार पंडित के पास इस आग बुझाने वाले वाहन की बहुत सी जानकारी है। जहां तक हमारा संबध है भारत सरकार के नागर विमानन के महानिदेशक के प्रश्न के उत्तर में निम्न जानकारी सोवियत दूतावास द्वारा हमें दी गई थी :

> "मास्को से प्राप्त जानकारी के अनुसार हवाई अड्डा बचाव वाहन ए० पी० एस० 70 विकास के प्रारम्भिक चरण में है तथा अभी आपको कोई तकनीकी विवरण भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। जब यह वाहन विकसित हो जायेगा तो हम आपके साथ अवश्य सम्पर्क स्थापित करेंगे।"

हमें यह उत्तर प्राप्त हुआ है अपनी ओर से जिस स्रोत से हम पूछताछ कर सकते थे वह हमने की है तथा हमें यह प्राप्त हुआ जैसा कि मैंने पहले बताया है। कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मित्र के पास अधिक जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जानकारी का उपयोग करें।

डा० वसत कुमार पंडित : क्या मन्त्री महोदय अनुभव करते हैं कि इस समय जो आग बुझाने के उपकरण हमारे मुख्य हवाई अड्डों पर है क्या वे उडान भरते हुए विमानों की आग बुझाने के लिए पर्याप्त है तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डों पर विद्यमान पुराने उपकरणों में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयत्न किये उये है। बम्बई हवाई अड्डों में उच्च आवृत्ति राडार के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर इतना अस्पष्ट दिया गया कि जब बम्बई हवाई अड्डों मे वी० ओ० सी० उपकरण लगवाया गया था। यह पर्याप्त था तथा ठीक

ढंग से काम कर रहा था। परन्तु हाल ही में गगन चुम्बी इमारतें बन गई है, इसलिए यह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। इससे प्रकट होता है कि सरकार कम रुचि ले रही है इसलिए जहाँ तक अग्नि शमन का प्रश्न है मैं समझता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी तथा उपकरणों को अन्य विदेशी हवाई अड्डों के मुकाबले में आधुनिक या पूर्ण बनाएगी।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मुख्य हवाई अड्डों पर और विशेषज्ञ: सभी हवाई अड्डों पर भिन्न प्रकार के अग्नि शमन वाहन हैं तथा ये वाहन आई० सी० ए० ओ० के अनुरूप है, अत: या पर्याप्त हैं। मैं अपने मित्र तथा सभा को यही बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री निहाल सिंह,

श्री हरीश रावत···

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया···

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की वृद्धि दर

*379. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ष 1980-81 में जमा राशि की वृद्धि दर क्या थी ;

(ख) वर्ष 1979-80 में प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में यह दर कम थी या अधिक ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1982 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं : और

(घ) क्या समाज के वर्गों से पैसा जमा कराने के लिए बेहतर प्रोत्साहन देने के उपायों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ)

नीचे दी गई सारणी में, वर्ष 1980 और 1981 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं की वृद्धि के आंकड़े दिए गए हैं।

बैंकों की श्रेणी	जमा (करोड़ रुपए)			जमा घट-बट (करोड़ रुपए की वृद्धि		जमा वृद्धि (प्रतिशत)	
	1979	1980	1981	1980	1981	1980	1981
भारतीय स्टेट बैंक समूह*	28574	33532	39474	4958	5942	17.4	17.7
20 राष्ट्रीयकृत बैंक							
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	2889	3368	3958	479	590	16.6	17.5
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	31463	36900	43432	5437	6532	17.3	17.7

पादटिप्पणी : (1) 1981 के आंकड़े अन्तिम हैं।

(2) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य भारतीय वाणिज्यिक बैंक और विदेशी बैंक शामिल हैं।

सभी बैंक अधिकतम जमा राशियां इकट्ठी करने का प्रयास करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक, सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उनके सामने प्रस्तुत नीतिलक्ष्यों के अनुसरण में जमा राशियां जुटाने के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किन्तु सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में बैंकों के लिए कोई विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

बैंक विभिन्न प्रकार के बचतकर्त्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरुप योजनाएं तैयार करके जमा राशियां जुटाने के प्रयास करते हैं और उन्हें बचत को जमा खातों में रखने के वास्ते प्रचार और शिक्षण द्वारा प्रेरणा देते हैं। अपनी बचतों को बैंकों के पास जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विभिन्न प्रकार की पयिक्वता वाली जमाओं के दर ढांके, तथा इन जमाओं पर, तथा उनमें निवेशित राशियों से अर्जित आय पर विशिष्ट करों से छूट देने की योजना उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में छोटी और मध्यम अवधि की परिपक्वताओं वाली मीयादी जमाओं पर ब्याज की दरों में संशोधन किया है। सरकार ने, बैंक जमाओं समेत विशिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर आयकर से छूट प्राप्त आय की सीमा को 3,000 रुपये प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति वर्ष कर देने का प्रस्ताव किया है। इन उपायों से, अल्प आय के व्यक्तियों से भी बैंकों को जमा राशियों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : विवरण से पता चलता है कि बैंकिंग प्रणाली में 1981 के दौरान की गई राशियां जनता शासन के दौरानजमा राशियों से 17 प्रतिशत अधिक हैं मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में पूर्वानुमानित विकास को देखते हुए क्या बैंकिंग प्रणाली अनुमानित भारी मागों को पूरा कर सकेगी। हमें अपने निर्यात के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा अनाज के लिए अधिक ऋणों की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि अनाज की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। स्वभावत: अनाज के लिए ऋणों की आवश्यकता अधिक होगी मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह मौसम के दौरान इन क्षेत्रों की मागों को कैसे पूरा करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमान, इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 379 से सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न का सम्बन्ध ऋणनीति से है। ऋण नीति के बारे में एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव भी था जिसको हमने उत्तर दिया था। इस हालात में इस प्रश्न से यह उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अपने प्रश्न के भाग 3 में मैंने पूछा कि क्या सरकार ने 1982 के दौरान उपलब्धियों का लक्ष्य निर्धारित किया है ? फिर ये लक्ष्य किस लिए हैं ? ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उपयोग तथा उपभोग के लिए हैं। आप हमें स्पष्ट रूप से बताएं कि आपकी उम्मीदें क्या हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक जमा राशियों की स्थिति है अथवा जहां तक लक्ष्य निर्धारित करने की स्थिति है। पैरा (1) में यह स्पष्ट बताया गया है कि सरकार ने तथा रिजर्व बैंक कोर्ट लक्ष्य निर्धारित नही किए हैं।

परन्तु जहां तक बैंकों का प्रश्न है लक्ष्य निर्धारित करने की उनकी अपनी भीतरी व्यवस्था है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से इसके पास अतिरिक्त नकद रिजर्व रखन में परिवर्तन करने के लिए सम्पर्क स्थापित करेगी ताकि व्यस्ततम वाले मौसम की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमान, यह नीति का मामला है। आप इस बात को समझेंगे कि बारे में मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता।

श्री मधु दंडवते : श्रीमान, प्रश्न का सम्बन्ध जमा राशियों से है। चूकि ऋण की आवश्यकता तभी पूरी की जा सकेगी जब जमा राशियों बढ़ाई जा सके आप मुझे उनसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे।

ऋणों के बारे में कुछ समय पूर्व मैंने भूतपूर्व वित्त मन्त्री से प्रश्न पूछा था कि जहां तक रियायती ऋण सुविधाओं का सम्बन्ध है, जैसे ये कृषकों को सहकारी संस्थायें बनाने के लिए उपलब्ध है, तो सहकारी बनाने की दिशा में मछूए भी स्वभावत: वैसी ही रियायती दरों की मांग करेंगे, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि मामला विचाराधीन है। क्या उक्त मामला अभी भी विचाराधीन है, अथवा से विचाराधीन है अथवा सक्रिय रुप से भी आगे की स्थिति में है। मैं उनसे सकरात्मक उत्तर चाहता हूं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं जानकारी एकत्र कर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री के० मापातेवर खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में और क्या बात है।

श्री के० मापातेवर : अध्यक्ष महोदय हम किसानों तथा जनता के गरीब वर्गों को अधिक ऋण देने के लिए अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि करना चाहता हूं जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में व्यय की दर का प्रश्न है जमाकर्त्ताओं को दिया जाने वाला व्यय बहुत कम बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जमा कर्त्ताओं की जमा राशियों पर किस दर पर ब्याज देते हैं। मैं समझता हूं कि दर आकर्षक नहीं है।

"मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीकृत बैंकों में जमा-कर्त्ताओं को अधिक ब्याज दिये जाने की नीति बनायेगी ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि वह ऋण लेने वालों को रियायती दर पर ऋण दिलाना और साथ ही जमाकर्त्ताओं की अधिक ब्याज दिलाना चाहते हैं, तो परस्पर विरोधी व्यवस्था है।

जहां तक बैंकों में जमा राशियों का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को पता होगा कि मेरे पूर्ववर्त्ती मन्त्री ने मध्यावधि जमा के लिए पांच वर्ष के लिए भी अधिकतम दर निर्धारित की थी और अब यह 3 वर्ष की जमा पर है—ताकि उस ब्याज दर पर उससे अधिक राशियों को आकृष्ट किया जा सके। जहां तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रियायती दरों पर ऋण दिये जाने का प्रश्न है हमें इस बारे में सन्तुलन बनाये रखना चाहिए ? माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि बैंकों द्वारा प्रत्येक 100 रुपए में से लगभग 43 रुपए उस ब्याज से भी कम दर पर दिये जाते हैं जिस दर पर कि हम जमाकर्त्ताओं से धन लेते हैं। शेष कमी हमें 57 रुपया में से पूरी करनी है। अत: हम संतुलन बनाये रखते हैं तथा इस बारे में जो भी उचित समझा गया है वह किया गया है।

राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के 'ओवरड्राफ्ट'

*380. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और पश्चिम बंगाल के ओवरड्राफ्टों को आगामी दो वर्षों में किश्तों में वसूल किया जाएगा ; और

(ख) क्या ये राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से आशा है कि वे 1981-82 के अन्त में उत्पन्न होने वाले घाटों को पूरा करें। इस मामले पर उनके साथ चर्चा करने का विचार है।

श्री चित्त बसु : महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए संचित ओवर ड्राफ्टों की राशि पर कुछ शंका व्यक्त की है तथा उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि भारतीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा पश्चिमी बंगाल सरकार की इस उपयुक्त मांग को मानने में भारतीय सरकार को क्या आपत्ति है ? क्या इससे इन दोनों में टकराव नहीं होगा, क्योंकि वे समझते है कि राज्य सरकार का बदनाम करने को यह एक प्रयास है ?

श्री प्रणव मुकर्जी : महोदय, मैं इसके गुण-दोष की विवेचना नहीं करुंगा कि यह न्यायोचित है अथवा नहीं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा वह यह कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़े राज्य सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार ने अपने रिकार्ड को ठीक नहीं रखा था तथा उन्हें जांच कर। में कठिनाई हुई। लेकिन मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से कहा है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड की जाँच करें तथा जहां सन्देह हो बताएं। समिति बनाने की क्या आवश्यकता है ? वे भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड की जाच कर सकते है। जांच करने के बाद यदि उन्हें कहीं सन्देह हो, तब हम उनके साथ चर्चा करेंगे। केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त वे कुछ करेंगे, मैं उनसे सहमत हूं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्डों की जांच कर

सकते हैं। जाँच करने के बाद भी यदि वे सन्तुष्ट नहीं होते तो वे खोज करके बता सकते हैं कि इस वजह से वे सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री चित्त वसु : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय ने अब तक राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की राज्य योजना के आकार को इन राज्यों के ओवड्राफ्टस की सीमा तक कम करने का निर्णय लिया है। यह सरकार की महत्वपूर्ण वित्तीय नीति है। यदि ऐसा ही हुआ तो राज्यों के सम्पूर्ण विकास कार्य को धक्का पहुंचेगा क्योंकि केंद्रीय सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेती है। तथा उस विशेष स्थिति में राज्य सरकारें भी भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों का आश्रय लेती है ओवरड्राफ्ट और घाटे की अर्थव्यवस्था का मूल कारण तथा प्रभाव लगभग एक समान होता है जो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों पर लागू होता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर गहराई से सोचने की बजाय, सरकार ने, जहां तक मुझे जानकारी है, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की योजना के आकार को कम करने का निर्णय लिया है। क्या सरकार इस मामले पर नए सिरे से विचार करेगी ? महदय, जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्रीय सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था 2000 करोड़ रुपए की है। यदि मानदंड वही रहा तब तो केन्द्रीय सरकार की वार्षिक योजना में एक नगण्य राशि की ही व्यवस्था की जाऐगी। यदि राज्यों की योजना के आकार के सम्बन्ध में इसी नीति को अपनाया गया तो संपूर्ण विकास प्रक्रिया रुक जायेगी। इसलिए क्या सरकार इस मामले में, विशेषकर राज्यों की घाटे की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में, अपने मौलिक रुख में परिवर्तन करेगी ?

श्री प्रणव मुकर्जी : माननीय सदस्य ने कुछ समय लिया है। अत: मैं भी विस्तार में इसका उत्तर देने के लिए कुछ समय लूंगा। पहला भाग यह है। प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद में उठाया गया था। पश्चिम बंगाल के सुझावों पर मेरी प्रतिक्रिया एकदम स्पष्ट है। मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और में इसे दोहरा रहा हूं। रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट को योजना का संसाधन नहीं माना जा सकता। यह पश्चिमी बंगाल अथवा राजस्थान अथवा किसी राज्य सरकार का प्रश्न नहीं हैं। यदि वे वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं कर सकते, तो मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। लेकिन संसाधनों के जुटाने के स्रोत को बन्द करना (व्यवधान) क्यों नहीं ?— मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आप पश्चिम बगाल की योजना के आकार में कमी करने की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमने राजस्थान को इस वर्ष की योजना को बचाया है। जहाँ तक वर्ष 1982-83 का सम्बन्ध है' हमने उसी हद तक राजस्थान की योजना के आकार को बनाए रखा है। मैंने मुख्य उत्तर में इसका उल्लेख करते हुए बताया है कि किस तरह से घाटे को समायोजित किया जायेगा। इसका सीधा सूत्र है। मैं उस सूत्र से हट नहीं रहा हूं। घाटे को तीन वर्षों में समायोजित किया जायेगा। यह सूत्र प्रत्येक राज्य सरकार पर लागू होता है। जहां तक पश्चिमी बंगाल राजस्थान तथा केरल तीनों राज्यों का सम्बन्ध है, हमने देखा कि यदि हम यह सूत्र लागू करना चाहते हैं, तो इन तीनों राज्यों की योजना का आकार सही अर्थों में 1881-82 के स्तर से ही कत हो जाएगा। अत: मैंने उन्हें बताया "जहां तक 1982-83 का सम्बन्ध है, मैं आपकी योजना के आकार को 1981-

82 के स्तर तक बनाए रखना चाहता हूं। लेकिन जहां तक समायोजना का संबंध है, मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूं। आपको अपना प्रस्ताव सामने लाना होगा। चूंकि आपने रिजर्व बैंक से ऋण लिया है, आप इसे किस तरह से वापिस करने जा रहे हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप इस सम्बन्ध में सूत्र अपनायें। मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं।" मैंने इस प्रश्न को बहुत स्पष्ट कर दिया है। आप इस योजना के आकार को कम करने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि पश्चिमी बंगाल की योजना का आकार क्या है। मैं समझता हूं, पिछले वर्ष पश्चिमी बंगाल की योजना का आकार 638 करोड़ रुपए था। वह 1981-82 की योजना का आकार था। यह हमारे योजना के दस्तावेज में भी है। आज तक, कुछ पूर्वानुमान लगाने के बाद भी उन्होंने 502 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं किया। फिर योजना के आकार को कम करने का प्रश्न ही कहां उठता है? कितना भी आवंटन किया गया, वे उसे खर्च नहीं कर पाए। जहां तक 1981-82 के खर्च का सम्बन्ध है, वह 502 करोड़ रुपए का ही है। अन्यथा भी, आप अपने आंकड़े मुझे दीजिए और मुझे यह दिखाइए। आज भी, 11 मार्च तक का, उनका ओवर-ड्राफ्ट 281.02 करोड़ रुपए का है। राजस्थान और केरल की स्थिति भिन्न है। करल की योजना का आकार 275 करोड़ रुपए का है। वह भी साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की सरकार थी। उनका वास्तविक व्यय 295 करोड़ रुपये था। लेकिन जहां तक पश्चिमी बंगाल का संबंध है, उनकी योजना का आकार 638 करोड़ रुपए का था तथा उन्होंने 502 करोड़ रुपए खर्च किये हैं। और आप कह रहे हैं कि योजना का आकार कम किया गया है। यहां, उनकी अजीब स्थिति इस तरह है : आप पहले मुझे बताइए कि आप हमें कितना धन दे रहे है और तब मैं अपनी योजना का आकार निश्चित करुंगा। महोदय, यह बहुत ही अजीब स्थिति है तथा भारतीय सरकार इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री नवल किशोर शर्मा : योजना के संसाधनों में ओवरड्राफ्ट को समायोजन करने के प्रश्न पर वह सही हैं। राजस्थान में पिछले चार वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। छठे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्राकृतिक प्रकोप होने पर उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजस्थान के ओवरड्राफ्ट बढ़ाने पर विचार करेगी तथा राजस्थान के ओवरड्राफ्टस के प्रश्न पर सदभावना का रुख अपनाएगी ?

श्री प्रणव मुकर्जी : मैं स्थिति के बारे में पहले ही बता चुका हूं। ये तीनों राज्य एक ही श्रेणी के हैं। जहां तक चालू वर्ष में समायोजन करने का संबंध है, मैं पहले भी यह बता चुका हूं कि समायोजन नहीं किया गया है सूखा राहत के लिए प्रावधान के संबंध में, वित्त आयोग का एक निश्चित सूत्र है तथा उस सूत्र का उल्लंघन करना और बड़ी मात्रा में इसका समायोजन करना मेरे लिए संभव नहीं है। जब भी अगला वित्त आयोग बनाया जाएगा, तो यह प्राकृतिक प्रकोपों में सहायता देने के पहलू पर विचार कर सकता है उसके लिए अलग से आवंटन किया गया है लेकिन मात्रा अथवा इसे किस तरह समायोजित किया जाऐगा, के संबन्ध में हम वित्त आयोग की सिफारिशों के सुझावों का अनुसरण कर रहे हैं तथा आवश्यक समायोजन कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : इसमें इन राज्यों के बारे में विशेष उल्लेख हुआ है। क्या आप उसके लिए निवेदन करेंगे ?

श्री प्रणव मुकर्जी : किसी राज्य का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि राजस्थान में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और अन्य बहुत से राज्यों में ऐसी बात नहीं है।

पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में मैं पहले ही इसका उल्लेख कर चुका हूं कि उन्होंने तो अपने योजना व्यय के आंकड़े भी हमें नहीं दिए हैं। लेकिन 1980-81 के दौरान की प्रवृत्ति से हमने अनुमान लगा लिया है कि सम्भवतः वे 502 करोड़ रुपए तक खर्च करेंगे। यदि स्थिति ही ऐसी है, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री नीरेन घोष : मंत्री महोदय ने उन पर अजीब-सा दोषारोपण करना पसन्द किया है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन की बात की है, जिसे वह केन्द्रीय सरकार पर लागू नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने बात की है। वह यह भी जानते हैं कि कई वर्षों से पश्चिमी बंगाल राज्य के योजना आवंटन केन्द्रों ने कम कर दिया है। वह यह भी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों मे ओवरड्राफ्ट 4-5 महीनों में ही अचानक 100 से 150 करोड़ रुपए की हद तक बढ़ गया। लेकिन रिजर्व बैंक में आन्दोलन हुआ था, इसलिए कलकत्ता कार्यालय से पश्चिम बंगाल सरकार को इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं मिले। अब रिजर्व बैंक केन्द्र अपने आंकड़े दे रहा है, जोकि संदेहास्पद हैं। यही कारण है कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस पर विचार करने के लिए समिति बनाई जाए क्योंकि इस मामले में रिजर्व बैंक भी संदेह से परे नहीं है। केवल इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि वे 502 करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते। क्या उन्होंने पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछा है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ? समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित नहीं हुआ। अब उन्होंने यह दोषारोपण किया है। यह भेदभावपूर्ण बर्ताव है कि मैंने··· सरकार पर दोषारोपण करता हूं।···(**व्यवधान**)। उन्हें उत्तर देने दीजिए। क्या यह सच नहीं कि उन्होंने पश्चिमी बंगाल की योजना के आवंटन में लगातार कमी की है ?·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे उसी राज्य से हैं, वे एक दूसरे को समझते हैं।

श्री प्रणव मुकर्जी : अब मैं गुजरात से हूं। जहां तक दोषारोपण का सम्बन्ध है यह मेरा काम नहीं है, मैंने विपक्ष में बैठे अपने सहयोगियों को यह काम सौंपा है। यह उनका काम है, प्रतिदिन वे ऐसा कर रहे हैं। इस मामले में मैं उनका मुकाबला नहीं करना चाहता।

जहां तक पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री से मेरे मिलने का सम्बन्ध है, मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है, क्योंकि वे मुझ से मिले ही नहीं। यदि वे मुझसे मिलते ही नहीं हैं तो मैं उनसे पूछ क्या सकता हूं ? लेकिन इस प्रश्न पर अधिकारों के साथ चर्चा हुई है तथा हम जानना चाहते थे, जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है उनकी योजना का खर्च क्या था तथा उन्होंने क्या किया है। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितना खर्च किया है। संसाधनों के संभावित क्षेत्र क्या थे जिसका वे पता लगाने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये

आंकड़े तथा जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। परन्तु यदि आप इस स्थिति को लेते हैं। "आप पहले मुझे यह बताएं कि आप मुझे कितनी धनराशि दे रहे हैं और तब मैं तदनुसार करूंगा।" भारत सरकार इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मंत्री जी सभा को जान-बूझकर गुमराह कर रहे हैं। यह बड़े महत्व का विषय है। हमारा योजना आवंटन कम कर दिया गया है और वित्त मंत्री जी आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। महोदय, मुझे अपनी बात सिद्ध करने का अवसर दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यदि मैं श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती की उपस्थिति में सभा को गुमराह करने का साहस करता हूं तो मैं आधा दर्जन विशेषाधिकार प्रस्तावों का सामना करने का बड़ा भारी जोखिम उठा रहा हूं। **(व्यवधान)**

महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं 1981-82 से 1980-81 की स्थिति पर पीछे आता हूं। 1980-81 में उनका वास्तविक हिस्सा 575 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय 375 करोड़ रुपये था। यह सही बात है। इसलिए इस पर योजना आयोग में चर्चा की गई थी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, इस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होना चाहिए। हम ईमानदारी से उसका सामना करने को तैयार हैं। इस पर वाद-विवाद होना चाहिए। इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होना चाहिए। 1980-81 में आपकी केन्द्रीय सहायता 119 करोड़ रुपये थी और 1981-92 में आपने इसे घटाकर 109 करोड़ रुपये कर दिया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप छुई-मुई क्यों बन गए हैं? **(व्यवधान)**

श्री मगन भाई बरोट : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक ने इस बारे में सही आंकड़े दिए हैं कि उनका ओवरड्राफ्ट कितना है, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार चुनौती दे रही है और यदि उनके आंकड़े सही नहीं हैं तो रिजर्व बैंक को कब कहा गया और पश्चिम बंगाल सरकार को अपने आंकड़े देने के लिए कब कहा गया था, जिसके लिए उसने इन्कार कर दिया था। महोदय, क्या यह सच है?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने इसी बात का उल्लेख किया है और मैं इससे एक कदम आगे आ गया हूं। मैंने उनसे अनुरोध किया है "यदि आपके पास अपने आंकड़े नहीं हैं तो आप रिजर्व बैंक के आंकड़ों की जांच करें।"

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सरकार को ज्ञापन

*381. †**श्री अर्जुन सेठी** :

श्री एन. रामगोपाल रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के नये तफा पुराने पेन्शनधारियों की पेन्शन दरों में विषताओं

को दूर करने, पेन्शन की दरों को पुनरीक्षण करने आदि के लिये हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) आल इण्डिया एक्स सर्विसमैन वैलफेयर एसोसिएशन, हरियाणा स्टेट द्वारा राष्ट्रपति को सम्बोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिससे निम्नलिखित मांगें हैं :—

(1) पेंशन में विषमता को दूर करना;

(2) जनवरी, 1964 से पहले सेवावृत्ति कार्मिकों की विधवाओं को परिवार पेंशन मंजूर करना;

(3) सामान्य जीवन रेखा के बाद जीवित रहने वाले सेवा पेंशनरों को संराशिकृत पेंशन अंश को फिर चालू करना ;

(4) भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय संविधान के अन्तर्गत पुनः रोजगार देने की गारण्टी देना;

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों में संशोधन करना कि सेवानिवृत्त के बाद हर भूतपूर्व सैनिक को उसके मकान तथा कृषि भूमि का कब्जा वापिस दिया जाए।

2. भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता को सरकार पूरी तरह से जानती है और इस बारे कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(एक) सेना कार्मिकों की पेंशन की दरों में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इन्हें पिछली बार 1-4-1979 से संशोधित किया गया था। अस्थायी/तदर्थ वृद्धि, तदर्थ राहत और आवधिक राहत में समय-समय पर वृद्धि करके पुराने पेंशनरों को पेंशन परिलब्धियों में वृद्धि की गई है। अब एक वह सिपाही जो जून, 1953 में 5 रुपये प्रतिमास की पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ था, राहत सहित 130 रुपये प्रति मास का कुल पेंशन पाने का हकदार है। एक नायब सूबेदार जो उस समय 40 रुपये प्रतिमास की पेंशन पर सेवानिवृत हुआ था अब कुल 157.50 रुपये प्रति मास (राहत सहित) की पेंशन पाने का हकदार है।

(दो) 15 मार्च, 1982 को संसद में वित्त मंत्री ने घोषणा की/कि :—

(क) पेंशननरों को चार आवधिक राहतें मंजूर की गई जो कि 1-8-1981, 1-10-1981, 1-11-1981 और 1-1-1982 से देय थी।

(ख) 320 स्तर तक के औसत सूचकांक पर महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 31-1-1982 से वेतन में मिलाया जाना ; और

(ग) केन्द्रीय मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यूनतम सेवानिवृत्ति होने पर मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान की उच्चतम सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रपये कर दिया गया है।

(तीन) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यूनतम सेवानिवृत्ति पेंशन को और परिवार पेंशन को राहत समेत बढाकर क्रमशः 150/-रुपये प्रति मास और 140/-रुपये प्रति बढ़ाकर क्रमशः 150/- रुपये प्रति मास करने का प्रस्ताव किया है।

(चार) आयकर की संगणना के लिए मानव कटौती की सुविधा पेंशनरों पर भी लागू की गई है।

(पांच) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इनमें केन्द्रीय सरकार के विभागों और बैंकों में क्रमशः समूह "ग" के पदों पर 10 प्रतिशत और समूह "घ" के पदों पर 20 प्रतिशत तथा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों पर 14/1/2 प्रतिशत और 24/1/2 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। इसके अलावा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को आयु की और शैक्षणिक अर्हताओं में भी छूट दी गई है। सरकार भूतपूर्व सैनिक को अपना कारोबार करने और विभिन्न व्यवसायों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने में भी सहायता देती है।

(छः) भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके मकान और कृषि भूमि वापिस दिलाने के लिए उपयुक्त कानून बनाना राज्य सरकार का काम है। उनसे अनुरोध किया है कि वे इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई करें। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ राज्य सरकारों ने सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके मकान तथा कृषि भूमि वापिस दिखाने के लिए आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर दी हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं सरकार के साथ-2 माननीय मन्त्री को यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद देता हूंकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने मातृभूमि के लिए बहुत कुछ किया है, सेवानिवृत्ति के बाद पुर्नवास किया जाएगा। परन्तु महोदय मानवीय मन्त्री ने विवरण में उनकी मांगों, विशेषकर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में विषमताओं को दूर करने के विषय में कुछ नहीं कहा है। मैं माननीय मन्त्री से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्होंने समय-समय पर कुछ वित्तीय लाभ और सहायता दी हैं, परन्तु जहां तक इन मांगों का संबन्ध है, मुख्यतः पेंशन और पारिवारिक पेंशन में विषमताओं को दूर करने के विषय में माननीय मन्त्री ने कुछ नहीं कहा है अतः इन मांगों पर माननीय मन्त्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, विवरण में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1953 से

पेंशन की दर में चल रही विषमता धीरे-धीरे कम हो गई है। और बजट में वित्त मन्त्री के अद्यतन विवरण के बाद विषमता वर्तमान आंकड़े कम होकर केवल 24 रूपये तक रह गए हैं। न्यूनतम 174 रुपये की तुलना में एक जवान को न्यूनतम 150 रूपये मिलते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, विवरण में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कानुनों में संशोधन किया जाये कि सेवा निवृत्ति के बाद हर भूतपूर्व सैनिक को उसके मकान तथा कृषि भूमि का कब्जा वापिस दिया जाए। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि भूतपूर्व सैनिकों को उनके मकान और कृषि भूमि का कब्जा वापस दिलाने के लिए उपयुक्त कानून बनाना राज्य सरकार का काम है मैं चाहता हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं ताकि भूतपूर्व सैनिक अपनी कृषि भूमि तथा मकान को वापस ले सकें। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने वाली राज्य सरकारें कौन सी हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : मकान और कृषि भूमि खाली कराने के सम्बन्ध में गोवा-दमन-दीव, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल' मध्यप्रदेश और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने कदम उठाए हैं सेवारत सैनिक कर्मचारियों की संरक्षण के लिए कानून बनाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और उत्तर प्रदेश हैं। सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के सरक्षण के लिए कानून बनाने वाले राज्य आन्ध्रप्रदेश, असम विहार, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र हैं। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में किसी संसोधन को अधिनियम करने की आवश्यकता न अनुभव करने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हैं।

श्री अर्जुन सेठी : इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सच है कि सरकार समय-समय पर भूतपूर्व सैनिकों के इस प्रश्न पर विचार करती रही है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परन्तु सरकार द्वारा की गई इस नवीनतम घोषणा के बावजूद, न केवल जवान अपितु सेवा निवृत्त अधिकारी भी प्रभावित हुए हैं वे अधिकारी जो काफी समय पूर्व अर्थात 30 या 40 वर्ष पहले सेवा निवृत हो चुके हैं और वे ही पेंशन पा रहे हैं जितनी उस समय पाते थे। हमें जीवन निर्वाह के बढ़ते हुए और मूल्यों में वृद्धि तथा अन्य कारकों को भी देखना चाहिए। क्या वित्त मन्त्री को यह पता है कि उनको एशोएिशनों के कई बार प्रधान मन्त्री को भी चण्डीगढ़ और पंजाब के विभिन्न भागों के दौरों के दौरान और अन्य मंत्रियों को उस आशय के अभ्यावेदन दिए हैं कि मूल्यों में वृद्धि और जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को देखते हुए उनको दी जाने वाली पेंशन बहुत कम है ? उनमें बहुत असन्तोष है और अनेक राज्यों में, इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि उनकी भूमि आबंटन और अन्य समस्याओं पर विचार किया जाए कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या वित्त मन्त्री सेना के भूतपूर्व सैनिकों की मांगों पर पुनर्विचार करेंगे, क्या वह देखेंगे कि उनकी मुख्य मांगे क्या है और वे आज क्या चाहते हैं ? सरकार उनकी मांगों को वास्तव में किस हद तक मानेगी ?

वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन : वित्तमन्त्री उत्तर कैसे दे सकते हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : चर्चाधीन प्रश्न रक्षा मन्त्री से पूछा गया है, आप उसे वित्त मन्त्री से पूछ रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं रक्षा मन्त्री से पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न दो स्ट्रलों के बीच फंस गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : जैसा कि मैंने पहले बताया था, सरकार स्थिति के प्रति सजग है। भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया है ; और 1953 से ठोस कदम उठाए गए हैं फिर पुनः 1964, 1973, 1977 और 1979 में और हाल ही में 1982 में वित्तमन्त्री के बजट भाषण में जिसके द्वारा न केवल सेवारत सैनिक अधिकारी ही, बल्कि अधिकारी के पद से नीचे के लोग भी लाभन्वित होंगे, और कतिपय उपाय किए गए हैं। यदि आप प्रश्नकाल के दौरान इसका अध्ययन करना चाहते हैं प्रत्येक बात···

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिए···

श्री के० पी० सिंह देव : मैं इसे माननीय सदस्य के सूचनार्थ सभापटल पर रख सकता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं जानना चाहता हूं क्या यह सच हैं कि रक्षा मन्त्री के हाल के अण्डमान निकोबार और ग्रेट निकोबार के दौरे के दौरान, भूतपूर्व सैनिकों ने एकज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने विशेष रूप से दो बातों के लिए कहा था अर्थात अण्डमान में कैन्टीन स्टोर खोलना और उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं देना और सेना के लिए एक भर्त्ती कार्यालय खोलना ताकि उनके बच्चों को एक अवसर मिल सकें। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आर० वेंकटरामन : ये ज्ञापन और अभ्यावेदन मुझे केवल चार-पांच दिन पूर्व ही मिले हैं। हम मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में भूतपूर्व सैनिक पेंशन के विषय में मूल्य वृद्धि के अनुसार कहा था और उल्लेख किया है कि यह कम हो गया है अभी भी 24 रुपयों का अन्तर है। उन्होंने माननीय वित्त मन्त्री की घोषणा जो उन्होंने अपने बजट भाषण में की थी, के विषय में भी उल्लेख किया था आज 19 मार्च है माननीय रक्षा मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सभा में यह स्पष्ट घोषणा करेंगे कि 24 रुपए के इस अन्तर को पूरा कर दिया जाएगा। कोई अन्तर नहीं होगा।

श्री आर० वेंकटरामन : सभा में जो कहा गया था वह यह था कि काफी समय से चले आ रहे पेंशनों के बीच के अन्तर को कम कर दिया गया है और आज यह अन्तर केवल 24 रुपए का है जबकि पहले यह अन्तर लगभग 60-70 रुपये का था। इसीलिए हमने कहा था कि नई पेंशन दरों और पुरानी पेंशन दरों के बीच अन्तर को कम करने के लिए हमने हर सम्भव प्रयास किए हैं।

पश्चिमी बंगाल में मोहिनी मिल्स का कार्य-करण

383. **श्री रामस्वरुप राम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मोहनी मिल्स का राष्ट्रीयकरण किया है ;

(ख) क्या उन्हें इन समाचारों की जानकारी है कि राष्ट्रीयकरण के बाद मिल के कार्यकरण का तरीका संतोषजनक नहीं है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

श्री रामस्वरुप राम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का जो जवाब मिल रहा है हमसे ऐसा लग रहा है कि मन्त्री जी अपने विभाग से काफी इलइनफार्म्ड है, इनको सूचना नहीं ही कि इनके विभाग में क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अनभिज्ञ हैं ।

श्री रामस्वरुप राम : मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में मोहिनी मिल्स को टेक्सटाइल्स कारपोरेशन ने सितम्बर 1981 में लिया था, उस समय के तत्काल मन्त्री श्री प्रणब मुखर्जी ने टेक ओवर किया था, और उस मिल के मौडर्नाइजेशन के नाम पर 98 लाख रु० की राशि आबंटित की गई और मन्त्री जी कहते हैं कि हमें कोइ जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : दरअस्ल बात यह है कि मोहिनी मिल्स ने मिनिस्टर सहाब को मोहित किया है ।

श्री रामस्वरुप राम : तो मैं पुनः मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न को गम्भीरता को समझते हुए अपने जवाब को पहले इन्हें वापस लेना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछे कि वापस लेंगे कि नहीं,

श्री रामस्वरुप राम : आप जानते हैं कि भारत सरकार को नीति है कि सिक यूनिट्स या बन्द मिलों नेशनलाइज करके रोजगार की गारन्टी देती है। एन० टी० सी० में 111 मिल्स हैं और इनको टेक आवर कर लिया गया है और इसी नीति के तहत मोहिनी मिल्स को भी इन्होंने सितम्बर 1981 में टेक ओवर किया जो कि वेस्ट बंगाल की सब् सिडियरी मिल है जिसमें 28 मिले हैं जिनमें गया में गया काटन मिल, मुकामा में स्पिनिंग मिल और पश्चिम बंगाल में और कई मिलें हैं जिनमें से यह मोहिनी मिल्स भी है, और वहां पर इन्होंने ऐरजी

क्यूटिव डायरेक्टर,** को रखा है जो एक डिसमिस्ड पदाधिकारी है जिसको भारत सरकार ने गम्भीर आरोप में डिसमिस किया है।

अध्यक्ष महोदय : नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे पदाधिकारियों को ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए हुए हैं और उनके हाथ में 98 लाख रुपये की राशि दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल तो नहीं कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं।

श्री रामस्वरुप राम : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि 250 करोड़ रुपये के घाटे में एन० टी० सी० चल रही है इसलिये भूमिका तो बांधना होगा।

अध्यक्ष महोदय : भूमिका बांधने के लिए प्रश्न-काल नहीं होता।

श्री रामस्वरुप राम : प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछ लीजिये, वरना उससे भी छुट्टी हो जायेगी।

श्री रामस्वरुप राम : में मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि पुनः अपने विभाग को देखें, उनके विभाग के पदाधिकारियों ने उनको मिस-लीड किया है।

क्या सरकार की जानकारी में यह है कि सिक मिल में माडर्नाइज करने के लिए अहमदाबाद की ऐसी कम्पनी से मशीनें खरीदी जाती हैं जो मशीन सब-स्टैंडर्ड हैं और मार्डानजेशन के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है ? कहीं से मशीने खरीदी जाती हैं, इसी की बात बता दी जाए ?

श्री शिवलाल वी० पाटिल : माननीय सदस्य को थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, वह मुझे सबसे पहले दूर करनी पड़ेगी। जब किसी मिल को हम नेशनलाइज करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। हम ऐसा तय कर लेते हैं कि 6 महीने के अन्दर वह नेशनलाइज हो सकती है तो इन्सपेक्सन करके उसको ले लें। यह देखने के बाद अगर नेशनलाइज करनी है तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। मोहिनी मिल में ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का नियम होने के पश्चात भी सोशल औबलीगेशन लेने की दृष्टि से ऐसा तय कर लिया गया कि हम इस मिल को लेंगे और देखेंगे कि अच्छी तरह से चल सकती है और 6 महीने के बाद अगर लेना और नेशनलाइज करना जरूरी नहीं हुआ तो उसको वापिस करने के लिए कैबिनेट में तय करके इस मिल के सम्बन्ध में कदम उठाया गया। यह मिल नेशनलाइज हुआ है, यह समझना गलत है। यही उत्तर में हमने बताया भी है और यह मालूमात माननीय सदस्य के दृष्टि में न होने से शायद वह ऐसा समझ रहे हैं कि हम गलत जवाब दे रहे हैं : असल में यह गलत जवाब नहीं है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरा जो प्रश्न उन्होंने उठाया है कि किसी और से माडर्नाइजेशन के और दूसरे तरीके से लेने के लिये मुझे नोटिस चाहिये। उसमें झुकने के बजाय मैं जवाब दे दूं तो यह गलत हो जायेगा।

श्री राम स्वरुप राम : माननीय मंत्री जी टेक-ओवर और नेशनलाइजेशन में हमको फर्क बतला रहे थे। इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक चीज वह यह बतायें कि अभी उन्होंने कहा कि कुछ ओबलीगेशन या टैक्नीकल टर्म, मुझे ता नहीं वह क्या है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अपने विद्वान मन्त्री जी से कि आपने जो देखने के लिये लिया कि टेक-ओवर किया जायेगा या नही, तो किन पदाधिकारियों के हाथों में आपने मिल का जिम्मा दिया है ? क्या ऐसा नियम रखा गया है कि वेस्ट बंगाल सब्सीडियरी के अन्तर्गत जो मिल पड़ते है। उनका एक चेयरमैन होता है, और इसके चेयरमैन कलकत्ते में बैठते हैं, क्योंकि मोहिनी मिल भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसलिए उस चेयरमैन की देखरेख में सारी बातें होनी चाहियें थीं। आपने मिल की स्थिति को देखने के लिये, टेक-ओवर करें या न करें, यह आपकी पालिसी है, लेकिन 98 लाख रुपया वैसे पदाधिकारियों को, जो चेयरमैन के अधिकारों को एन्फ्रोच करके आया हैं, उसे दिया है। यह तो एन्क्रोचमैंट आफ राइट्स है जो कि नियम और प्रोसीजर में बने हुए हैं। आप उसके बारे में बतावें।

दूसरी चीज यह बतावें कि होल्डिंग कंपनी में 250 करोड़ का घाटा हैं, यह कम घाटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि होल्डिंग कंपनी में ऊपर से लेकर नीचे तक मैल-प्रैक्टिस है, जो मशीन माडरनाइजेशन के नाम पर पैसे लिये जाते हैं ···

अध्यक्ष महोदय : सवाल कर लीजिये, आप तो हरेक बात पर लैक्चर कर लेते हैं।

श्री रामस्वरुप राम : सुन लीजिये अध्यक्ष महोदय, आपके बोलने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने 98 लाख रुपया किस पदाधिकारी की देख-रेख में मोहिनी मिल की स्टडी के लिए दिया है। दूसरे, एन० टी० सी० जो 250 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, उसको देखते हुए क्या सरकार मैनजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही करेगी ; अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमान, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न किए हैं और उनके बारे में मेरे पास कागज में पूरी मालूमात आने के बगैर मेरे लिए उनका उत्तर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर कल प्रिविलेज मोशन आ सकता है।

जहां तक एन० टी० सी० के कार्य का सवाल है, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि एन० टी० सी० के पास जो भी मिलें हैं, वे ऐसी मिलें हैं, जो बन्द थीं- बन्द ही नहीं, बल्कि कुछ मिलों में मशीनों पर मिट्टी गिरी हुई थी और उसमें झाड़ उगे हुए थे। वहां के लोगों को काम

देने के लिए और प्रोडक्शन चालू रखने के लिए एन० टी० सी० ने वे मिलें लीं और हम उन्हें चला रहे हैं। मेरा निवेदन यह नहीं है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं होगा, परन्तु यह बात हमेशा ध्यान में रखना जरुरी होगा कि जो मिलें चल सकती थीं, जो बन्द पड़ी हुई थी, ऐसी मिलों को लेकर हम काम चला रहे हैं।

इसके अलावा हम एन० टी० सी० की तरफ कट्रोल्ड क्लाथ बनाने की कोशिश कर रहे है, जो दूसरी मिलें बनाने के लिए तैयार नहीं थीं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किसी 98 लाख रुपये और किसी अफसर के बारे में पूछा है, उसके बारे में पूरी मालूमात किए बैगर कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री रामस्वरुप राम : जांच तो करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा भूमिका देकर मस्तिष्क पर बोझ नहीं डालना चाहती। मैं दो बातें पूछना चाहती हूं। क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी हैं कि उस मिल के चीफ एक्सीक्यूटिव ऑफिसर डिसमिस्ड हैं और फिर भी वह कार्यरत हैं; यदि वह कार्यरत है, तो वह किस प्रकार और किस परिस्थिति में कार्यरत है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे इस सम्बन्ध में अभी कोई जानकारी नहीं है लेकिन में उनकी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री समर मुखर्जी : मोहिनी मिल के बारे में हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि यह उनके पास में थी। मुझे खेद है मेरा मतलब श्री प्रणव मुखर्जी, जो पहले हमारे वाणिज्य मन्त्री थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा वह श्री वेंकटरामन का जिक्र कर रहे हैं।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी: उन्होंने मुझ पर प्रहार करते हुए पहले ही भूतपूर्व वित्त मन्त्री कहा है।

श्री समर मुखर्जी : किसी दिन आप पर प्रहार हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं हैं

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने मोहिनी के विषय में कहा है इसका अधिग्रहण सितम्बर में किया गया था मन्त्री द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार वे इसके विकास की छह माह तक निगरानी करेंगे और वे निर्णय करेंगे कि क्या इसका राष्ट्रीकरण किया जाए या नहीं। परन्तु छह महीने तो बीत गए हैं। मैं स्वयं जानता हूं क्योंकि मैंने श्री प्रणव मुखर्जी को अभ्यावेदन दिया था कि काम आरम्भ होने के बाद, कई महीने तक बिल्कुल बन्द हो गया था, क्योंकि बैंकों से वित्तीय भुगतान नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा था। उन्होंने कहा "मैं सहायता करुंगा" परन्तु अभी हाल ही में, तीन सप्ताह पहले, उन्होंने मुझे बताया, "मैंने स्वीकृति दे दी है।" इन परिस्थितियों में, राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय छह महीने तक इसके कार्य को देखने के बाद

शर्त के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए । मेरा मतलब यह है एक बार जब आप अधिग्रहण कर लेते हैं । तो अगला कदम राष्ट्रीयकरण करना होना चाहिए । इसमें कोई मध्यवर्ती अवधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना धन व्यय करने के बाद, यदि आप निर्णय लेते हैं कि इसे पुनः पुराने मालिक को वापस दे दिया जाएगा, तो यह गलत नीति हैं इसका अर्थ यह हुआ कि आप उन पुराने मालिकों को पुरस्कार दे रहे हैं जो इस मिल के बन्द होन के लिए जिम्मेदार है । यूनियन प्रबन्ध मंडल से सहयोग कर रही है । इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की कार्यक्षता के विषय में भी कुछ विपरीत विचार हैं । मैं उनके उससे पूरी तरह से सहमत हूं इन परिस्थितियों में, विभिन्न अभ्यावेदेनों के बाद जब आपने मोहिनी मिल का अधिग्रहण कर लिया था तो क्या आप सभी आवश्यक कदन उठाएंगे, ताकि यह मिल पूरी तरह से कार्य करने की स्थिति में आ सके और यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम बन सके, ताकि अगला औचित्य पूर्ण कार्य इसका राष्ट्रीयकरण हो सके और कोई वैकल्पिक निर्णय नहीं लिया जाए ? क्या उन्हें सभी तथ्य पता हैं या नहीं ? मैं श्री प्रणव मुखर्जी से इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उन्हें सारे ब्यौरे पता हैं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने इस इस सम्मानित सभा को बता दिया है कि यह मिल सरकार के पास है । सरकार ने इसे चालू करने के लिए कदम उठाए हैं । कुछ राशि भी व्यय कर दी है । इस मिल के साथ समस्या यह है कि कामगारों की संख्या काफी अधिक है और इस कारण ऊपरी खर्च अधिक हो जाते हैं । इसका युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है । एक बार हम वहाँ पर काम कर रहे कामगारों की संख्या को युक्तिसगत बना सके तो इस मिल को चलाना चलाना और वहां के अधिकांश कामगारों को रोजगार देना संभव हो सकेगा । इस मिल का का अधिग्रहण करना फिर घाटा उठाना और कुछ समय बाद मिल को बद कर देना सरकार के लिए उचित न होगा और वह कामगारों को भी रोजगार नहीं दे सकेगी । इस दृष्टि से हम मिल को इस ढग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सरकार को इस मिल को चलाने में मदद मिल सके, वह रोजगार दे सके और यदि संभव हुआ तो लाभ भी कमा सके । अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खिलाफ घाटा उठाने की शिकायतें की गई हैं । घाटा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें युक्तिकरण नही हुआ है और हम रुग्ण मिलों का अधिग्रहण कर रहे हैं ।

प्याज का गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा निर्यात

*386. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्यक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज के निर्यात का सरणीकरण समाप्त करने और यह गैर-सरकारी व्यापारियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चित्त बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य की गारन्टी देने का है, क्योंकि हाल ही में, महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों के प्याज उत्पादकों को प्याज के लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हुए हैं ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिले ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलें, सरकार ने 'नफेड' के माध्यम से अन्य देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस उद्देश्य के लिए एक विनिर्दिष्ट मात्रा अलग रख दी जाती है। अब सरकार यह सोचती है कि इससे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलने में सहायता मिलेगी और इससे एक विशिष्ट स्तर पर मूल्यों को स्थिर करने में भी सहायता मिलेगी ताकि उपभोक्ताओं को परेशान न होना पड़े।

श्री चित्त बसु : प्याज की वह मात्रा क्या है जिसको सरकार निर्यात करने का विचार रखती है ? फिर क्या यह आन्तरिक और घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की कीमत पर नहीं होगा ? आपने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं कि इस निर्यात के कारण प्याज के मूल्य घरेलू उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति से बाहर नहीं हों ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम उत्पादन की जाने वाली मात्रा पर विचार करते हैं और तभी यह निर्णय करते हैं कि कितनी मात्रा का निर्यात किया जा सकता है। 1981-82 में 2.25 लाख टन का कोटा निर्धारित किया गया था।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नाफेड के जरिए आप एक्सपोर्ट करते है। नाफेड गुजरात और महाराष्ट्र में अलग-अलग भावों से चीजों को खरीदता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र में अलग-अलग किस रेट और कितनी क्वांटिटी में वह खरीदता है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हवाई अड्डों पर विमानों की मरम्मत

*377. **श्री निहाल सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन हवाई अड्डों पर सभी प्रकार के विमानों और एयरबसों की मरम्मत करने की व्यवस्था की गई है,

(ख) सभी हवाईअड्डों पर मरम्मत करने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है,और

(ग) 1981-82 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि का उपलब्ध किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : **इण्डियन एयर-लाइन्स** : इंडियन एयरलाइन्स को सभी हवाई अड्डों पर अनुसूचित सेवाएं परिचालित करने वाले सभी विमानों के लिए साधारण व्यवस्था, यहाँ तक कि "थ्रू फ्लाइग इन्स्पेक्शन" की सुविधा भी उपलब्ध है ।

बड़े 'बेस' स्टेशनों, अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद में सभी प्रकार के विमानों के लिए नाइट स्टॉप रोटीन इन्स्पेक्शन तथा छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों के लिए संधारण सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

हर प्रकार के विमान के लिए उसये संबधित "बेस" स्टेशन पर बड़ी संधारण सुविधाएं उपलब्ध हैं, अर्थात एयरबस के लिए बम्बई, फॉकर के लिए कलकत्ता, बोइंग के लिये दिल्ली, और एच.एस-748, के लिये हैदराबाद में ।

एयर इंडिया : एयर इन्डिया का मुख्य बेस बम्बई में है, तथा बम्बई में एयर इन्डिया के विमान बेड़े की, जिसमें इन्जिन ओर कल- पुर्जे दोनों सम्मिलित हैं, मरम्मत/ओवर हॉल के लिये सभी सुविधाएं विद्यमान हैं ।

(ख) : इन्डियन एयरल इन्स : फिलहाल सभी हवाई अड्डों पर सब प्रकार के विमानों के लिए बड़ी संधारण सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं हैं क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है ।

एयर इन्डिया : एयर इन्डिया के मार्ग-तंत्र मे अन्य हवाई अड्डों पर इन्डिया की अपनी मरम्मत सुविधाएं नहीं हैं, यह कार्य स्थानीय एयरलाइन्स की इन्जीनियरी व्यवस्था के सुपुर्द किया जाता है । तथापि छोटे मोटे मरम्मत कार्य के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं ।

(ग) : इण्डियन एयरलाइन्स : भाग (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इन्डिया : एयर इन्डिया का दिल्ली में एक सब-इन्जीनियरी बेस स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसकी परियोजनागत लागत 37 लाख रुपये है जिसमें से 5 लाख रुपए के लगभग का व्यय 1981-82 में कि जाने की संभावना है ।

378

वर्जीनिया तम्बाकू के न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि

*4378. **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्जीनिया तम्बाकू के न्यूनतम निर्यात मूल्य को बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष निर्यात किये गये न्यूनतम निर्यात मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ; और

(ग) क्या उसके न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि का तम्बाकू की निर्यात होने वाली मात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) तथा (ख) : 1982 की फसल के लिए वर्जीनिया फ्लू-क्योर्ड तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमतें 1981 फसल की न्यूनतम निर्यात कीमतों की तुलना में सर्वोच्च ग्रेडों के लिए 12.5 प्रतिशत तथा मध्यम और निम्न ग्रेडों के लिए 15 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। 1 82 की फसल के लिये वर्जीनिया सन-क्योर्ड तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमत भी 1981 को फसल की न्यूनतम निर्यात कीमत की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

(ग) न्यूनतम निर्यात कीमतों में वृद्धि से निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

रुई की खरीद में अनियमितताएं

*382. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के करेंट के अंक की ओर दिया गया है जिसमें भारतीय रुई निगम की अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गुजरात और कर्नाटक में खरीददारी मे अनेक अनियमितताओं का पता चला है ;

(ग) क्या यह सच है कि गैर-बिक्री योग्य रुई के लिए ऊंचे मूल्य का भुगतान किया गया है और इसकी बड़ी मात्रा में खरीद की गई है यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) इन खरीददारियों के लिए, जिसके कारण भारतीय रुई निगम को भारी क्षति हुई है, उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी हां।

(ख) से (घ) : भारतीय रुई निगम की अहमदाबाद शाखा में खरीदारी में कुछ अनियमितताओं का पता चला है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, कतिपय पूछताछों के बाद, इस शाखा के तत्कालीन प्रबंधक के विरुद्ध दो मामले दर्ज किये हैं।

कर्नाटक में निगम के ध्यान में कोई अनियमितता नहीं आई है।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में देश के भीतर पर्यटन

*384 **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पर्यटन और देश के भीतर पर्यटन के विकास के लिये सरकार के प्रयासों तथा वित्तीय आवंटनों में बहुत असमानतायें तथा असंतुलन है ;

(ख) विदेशी पर्यटकों तथा देशीय पर्यटकों दोनों के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बड़े तथा ऐश्वर्यपूर्ण होटलों में बुकिंग की दर घटती जा रही है जबकि यात्री-निवासों और सस्ते जनता होटलों में आवास की कमी जारी है; और

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है क्योंकि देशीय पर्यटन से राष्ट्रीय एकात्मकता तथा रोजगर के बढ़ने की अत्याधिक क्षमता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अन्नत कुमार शर्मा) : (क) से (घ) : देश में पर्यटन का विकास केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में किया जाता है । जबकि केन्द्रीय सेक्टर का प्रधान दायित्व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास करना है, आन्तिरक पर्यटन का विकास करना प्रमुख रुप से राज्य सेक्टर की जिम्मेदारी है जिसके लिए जहां कहीं भी जरूरी होता है । इसे केन्द्र से उचित समर्थन मिलता है । छठी पंजवर्षीय योजना में पर्यटन संबंधी परिव्यय के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 72 करोड़ रुपए और राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 116 करोड़ रुपए हैं । अतः यह देखा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय और आंतरिक पर्यटन का विकास करने के लिए प्रयासों तथा वित्तीय आबंटनों में कोई असंतुलन नहीं है ।

चूंकि देश में समग्र तौर पर पर्यटक आवास की कमी है, 3से 5 स्टार श्रेणी के होटलों के ओकूपैंसी रेट्स में शायद ही कोई गिरावट आयी हैं ।

आंतरिक पर्यटन का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) देश के विभिन्न भागों में 16 यूथ होस्टलों का निर्माण और परिचालन किया गया है दो यूथ होस्टल निर्माणाधीन हैं । यह प्रस्ताव है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पटना, नामची (सिक्किम), गौहाटी, शिलांग और इम्फाल में कम से कम पांच और यूथ होस्टलों का निर्माण किया जाए ।

(2) विभिन्न योजना अवधियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में पर्यटक बंगलों का निर्माण किया गया है जो कि सस्ता आवास उपलब्ध कराते हैं । इनका प्रबन्ध और रख-रखाव अब संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

(3) बड़ी संख्या में जो तीर्थ यात्री देश के प्रमुख तीर्थ केन्द्रों की यात्रा करते हैं उसके लिए, विशेष रूप से उनके लिए जो समाज के कमजोर वर्ग से संबन्धी सुविधाएं जुटाने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति स्थापित की है । ऐसा आवास नई धर्मशालाओं/सरायों/ मुसाफिरखानों के विभाग के रूप में अथवा ऐसी ही मौजूदा संस्थापनाओं के विस्तार/सुधार के रुप में होगा । शुरुआत के तौर पर समिति चित्रकूट और

वृंदावन में एक-एक धर्मशाला (यात्रिका का निर्माण करेगी। ऐसी यात्रिकाओं का निर्माण अन्य प्रमुख तीर्थ केन्द्रों पर भी किया जाएगा जो भूमि और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(4) एक संयुक्त उद्यम के रूप में मीडियम-प्राइस्ड होटलों का निर्माण करने और प्रबन्ध संचालन करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का राज्य पर्यटन विकास निगमों के साथ करार रहन का प्रस्ताव है।

(5) भारत पर्यटन विकास निगम उचित दरों पर संचालित कोच दौरे भी अर्पित करता है।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण

*385. **श्री नरसिंह मकवाणा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ये शिकायतें कहां तक सच हैं कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के लिये बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि बैंकों द्वारा ऋण दिये जाते हैं तो पिछले वर्ष कितने लोगों को ऋण दिये गये

(ग) समाज के कमजोर वर्गों के लिये शुरू किये जा रहे नये आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये बैंकों द्वारा जारी किये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है और क्या इन आदेशों का पालन किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं होगा कि बैंक 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन आरम्भ किये गये विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के लिये ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और साथ ही अपने संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंक, 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभ पाने वालों समेत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर प्रगामी रूप से अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं। गत वर्ष के दौरान इस प्रकार के लाभ पाने वालों की संख्या और दिये गये ऋणों की मात्रा के संबंध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार उक्त कार्यक्रम के अधीन लाभान्वितों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की बकाया राशि 1718 करोड़ रुपये थी और ऋणकर्त्ता खातों की संख्या 52.43 लाख।

2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की 15 फरवरी, 1982 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल नये 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन और अन्य सम्बद्ध मामलों के विषय में बैंकिंग प्रणाली द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा तैयार करेगा। यह दल कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के भीतर वर्तमान लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की, तथा साथ ही, इस प्रकार के लाभ पाने वालों को मिलने वाले ऋण के सम्बन्ध में वर्तमान सूचना

और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को ओर समनुरूप बनाया जाएगा ।

चार प्रमुख हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि/कमी

*387. **श्री नीरेन घोष** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार प्रमुख हवाई अड्डों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास से पिछले दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है।

(ख) इन हवाई अड्डों के बारे में प्रत्येक के संबंध में आंकड़े क्या हैं, और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी। प्रत्येक हवाई अड्डे के सम्बन्ध में आंकड़े देने वाला विवरण नीचे दिया गया है:—

वर्ष	प्रत्येक पर प्रति सप्ताह सेवाओं की संख्या			
	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास
1979	149	45	80	17
1980	165	44	91	24
1981	166	62	116	26

(ग) यह बढ़ोत्तरी यातायात में हुई सामान्य वृद्धि के कारण हुई।

झींगा मछली के "प्राइमरी" उत्पादकों को सहायता

*388. **श्री डी० पी० जदेजा :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झींगा मछली, जो निर्यात हेतु मत्स्य उत्पादकों की मुख्य मद है, के "प्राइमरी" उत्पादकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) घटते मूल्य और बढ़ती हुई ईंधन की लागत को ध्यान में रखते हुए मूलभूत उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : श्रिम्प के निर्यातों पर औसत इकाई मूल्य प्राप्ति 1980 के दौरान 38.40 रुपये की तुलना में 1981 के दौरानब ढ़कर 45.60 रु० प्रति किग्रा० हो गई है। ऐसे मत्स्य-

ग्रहण पोतों के लिए जो लम्बाई में 13.7 मीटर से कम नहीं हैं, हाई स्पीड डीजल आयल परकेन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर रिबेट प्रदान करने वाली योजना पहले ही अस्तित्व में है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार तथागोवा सरकार भी यन्त्रीकृत नोका मालिकों को कुछ राहत प्रदान करती हैं। श्रिम्प की वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, इन्स्यूलेटेड फिश बाक्स वितरित किए जा रहे है। सरकार फिश लैंडिंग प्लेटफार्म स्थापित करने में राज्य सरकारों की भी मदद कर रही है।

तेल उत्पादक देशों में कार्य कर रहे भारतियों द्वारा धन भेजा जाना

*389. **श्री राजेश पाइलेट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में खासतौर पर तेल उत्पादक देशों में कार्य कर रहे भारतीय श्रमिक विदेशी मुद्रा अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत है ;

(ख) इन देशों के नियमों के अनुसार, इन श्रमिकों को अपने वेतन का कितना प्रतिशत धन भेजने की अनुमति है ; उनकी संविधाओं में क्या प्रतिशत किया जाता है और इसकी कितनी प्रतिशत राशि धन भेजने में खर्च हो जाती है ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इस प्रकार भेजे जाने वाले धन पर भेजने की लागत कम हो और कोई एजेंसी इसमें बाधा न डाले है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा सुझाव प्राप्त हुए है यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां

(ख) भारतीय श्रमिकों की प्रेषणीय आय का प्रतिशत संबन्धित देश के नियमों तथा विनियमों पर निर्भर करता है और यदि अनुमत सीमा के अन्दर हो तो एक श्रमिक की प्रेषणीय आय का प्रतिशत दूसरे श्रमिक से अलग होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को यह सुझाव देता रहा है कि वे अपने भारतीय श्रमिकों की ओर से समन्वित प्रेषणाएं भेजें ताकि भारतीय प्राप्तकर्ता बैंक (बैंकों) द्वारा उनका सवितरण किया जा सकें। भारतीय रिजर्व बेंक के अनुसार इन समन्वित प्रेषणाओं से एक विशेष सीमा तक प्रेषणाएं भेजने पर कम प्रभार तो लगते ही हैं साथ में समय भी कम लगता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों का बन्द होना

*390. **श्री ईरा मोहन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर में कितनी और कौन-सी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हुई हैं ;

(ख) उनके क्या कारण हैं और कितने श्रमिकों को अपनी आजीविका जवानी पड़ी ; और

(ग) इन कपड़ा मिलों को दोबारा खोलने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ताकि श्रमिकों को अपना रोजगार फिर से मिल सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) फरवरी, 1982 के अन्त तक कोयम्बटूर में निम्नलिखित वस्त्र मिलों के बन्द होन की खबर मिली है

(1) जोति मिल्स, कोम्कटूर, जिसमें 709 श्रमिक थे, प्रबन्ध-मंडल द्वारा जबरी छुट्टी किये जान के कारण बन्द पड़ी थी । मालूम हुआ है कि मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा लम्बित है और बताया गया है कि आधकारिक परिसमापक इस मिल को कोशिश कर रहे हैं ।

(2) जय लक्ष्मी मिल्स, कोयम्बटूर वित्तीय कठिनाइयों के कारण 8-11-1981 से बन्द की गई है । बताया गया है कि इस मिल के रजिस्टरों में दर्ज 612 श्रमिक हैं । मालूम हुआ है कि मिल का प्रबन्ध-मन्डल इस मिल को पुनः खोलने की दृष्टि से निधियों की व्यवस्था के लिए बैंक आफ तमिलनाडु के साथ बातचीत कर रहा है । इसके अलावा, पदमा मिल्स, कोयम्बटूर जो एक बहुत छोटी मिल है और जिसकी तकुओं की क्षमता 4676 हैं, वह भी एक वर्ष से अधिक समय से बन्द कर दी गई है । यह मिल आकार की दृष्टि से पूर्णतः अलाभप्रद है ।

वियतनाम के साथ व्यापार समझौता

*391. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम सरकार के साथ कोई व्यापार समझौता किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे दोनों देशों को क्या लाभ होने की संभ वना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) : भारत गणराज्य तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच एक व्यापार तथा आर्थिक सहयोग करार पर 26 फरवरी,1978 को हस्ताक्षर किए गए । करार के अन्तर्गत व्यवस्था है कि दोनों देश आयात तथा निर्यात लाइसेंसों, वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के संबन्ध में लागू होने वाले सीमाशुल्क तथा अन्य प्रभारों के करों के सम्बन्ध में परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करेंगे । करोर के अन्तर्गत हुनर प्राप्त कार्मिक तथा तकनीकी प्रशिक्षार्थियों के आदान प्रदान सहित तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान को सुकर बनाने की

व्यवस्था है जिन वस्तुओं का भारत तथा वियतनाम के बीच आदान प्रदान किया जा सकता है उनकी संकेतात्मक सूचियां करार के साथ अनुबन्ध रुप में संलग्न है। इन सूचियों में जिस माल तथा वस्तुओं का उल्लेख नहीं है वे भी उनसे अलग नहीं हैं। करार के अन्तर्गत भुगतान मुक्त रुप परिवर्तनीय मुद्राओं में हैं। करार 26 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुआ और यह अभी चल रहा है।

सिविल लेखा कर्मचारियों की मांगें

*392 : श्री सुनील मित्रा

श्री सुबोध सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आफ इन्डिया फिविल अकाउन्ट्स एम्प्लाइज एसोसियशन के झन्डे के नीचे देश भर के सिविल लेखा कर्मचारियों द्वारा लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली स्थित महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के समक्ष अपनी लम्बे समय से चली आ रही मांगों पर जोर डालने हेतु, 23 और 24 फरवरी, 1982 को 31 घन्टे के धरने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) उनकी मांगों को पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो उसके क्या कारण है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय सिविल लेखा कर्मचारी संगठन से दिनांक 19-2-1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उनकी मांगों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

सिविल लेखा कर्मचारियों की मांगों और उन पर की गई कार्यवाही को दिखाने वाला विवरण-पत्र।

प्रथम मांग : एकलों/शाखाओं को मान्यता सुविधाओं की तत्काल मंजूरी :

की गई कार्यवाही : सिविल लेखा कर्मचारियों की दो अखिल भारतीय संघ अर्थात अखिल भारतीय सिविल लेखा कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय सिविल लेखा कर्मचारी महासंघ को, संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र योजना के अन्तर्गत, जहां सभी लेखा कर्मचारियों की सामान्य हित की समस्याओं पर विचार किया जाता है, वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण

के अधीन कार्य कर रहे लेखा कर्मचारियों के सामने आ रही दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कार्यालय परिषद के प्रयोजनों के लिए लेखा कर्मचारियों के स्थानीय संघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में, जहां वे मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी शर्तों को पूरा करते हैं, पहले ही अनुरोध किया गया है। बहुत से मामलों में इस प्रकार की मान्यता पहले ही प्रदान कर दी गई है दोनों संघ स्वरुप में एकात्मक हैं और इसलिए वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद के प्रयोजनों के लिए उनको प्रदान की गई मान्यता, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वेतन और लेखा कार्यालयों में उनके एककों अथवा शाखाओं को कार्यालय परिषदों में स्वत: प्रतिनिधित्व की सुविधा का हकदार नहीं बनाती।

दूसरी मांग ; महालेखा नियंत्रक को जो कि सिविल लेखा सेवा के प्रभारी हैं, सिविल लेखा कर्मचारियों से संबन्धित सभी समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक शक्तियों का अधिकार दिया जाए ;

की गई कार्यवाही : यह मांग लेखाओं के विभागीयकरण की योजना की एक मिथ्या धारणा से उत्पन्न हुई है, इस योजना के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों के सचिव, मुख्य लेखाकरण ढांचा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। महालेखा नियन्त्रक का संगठन इस प्रकार के लेखाकार्यालयों के सम्बन्ध में केवल तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान करता है। इसलिए महालेखा नियंत्रक को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने सम्बन्धी कोई भी सुझाव जैसा कि संघ द्वारा मांग की गई है, लेखाओं के विभागीयकरण की योजना की मूल धारणा के बिल्कुल प्रतिकूल होगा।

तीसरी मांग : विभागीय पुष्टिकरण परीक्षा पास करने पर पात्रता विशेष वेतन की मंजूरी

चौथी मांग : राजस्व लेखा-परीक्षा के सदृश एक परीक्षा को लागू करना।

पांचवी मांग : ऐसे ग्रुप "घ" कर्मचारियों को, जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली है, टाईप परीक्षा पास करने पर आग्रह किए बिना ही लिपिकों के रुप में तुरन्त पदान्नति देना।

छठी मांग : नए नियुक्त हुए लिपिकों/टंककों को सिविल लेखा सेवा के भाग के रुप में घोषणा करना :

की गई कार्यवाही : उपर्युक्त क्रम संख्या 3 से 6 तक की मांगे वित मंत्रालय की विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा पहले ही उठायी जा चुकी है और परिषद में विचाराधीन हैं।

सातवीं मांग : सभी तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किया जाना :

की गई कार्यवाही : लेखाओं के विभागीयकरण के समय भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से पर्याप्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण नए निर्मित वेतन और लेखा कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी का पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों को कनिष्ठ लेखाकार के रुप में तदर्भ आधार पर नियुक्त किया गया था। इन तदर्भ कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई विशेष प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर, कुछ मामलों, को छोड़कर जहां व्यक्ति अनुगामी परीक्षाएं पास नहीं कर सकें हैं, उनमें से अधिकतर व्यक्तियों की नियुक्ति को नियमित करना संभव हो पाया है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सेवा में बने रहने के पात्र होने के लिए उन्हें एक और अवसर प्रदान करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करके यह निर्णय किया गया है कि उनके मामले में एक बार आयु की छूट दे दी जाए और कनिष्ठ लेखाकारों आदि की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिसम्बर, 1982 से पहले ली जाने वाली सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए।

आंठवीं मांग : कनिष्ठ लेखाकारों के 10 प्रतिशत पदों को वरिष्ठ लेखाकारी की पदोन्नति के लिए आरक्षित करना :

की गई कार्यवाही : इस मामले पर 10 और 11 सितम्बर को हुई विभागीय परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया गया कि इस मामले को समाप्त हुआ समझा जाए।

नौवीं मांग : अन्य संवर्गों में वेतन-मान के ऊर्ध्वमुखी उचित संशोधन करके कनिष्ठ लेखाकारों को 425-800 रुपए के वेतनमान की मंजूरी :

की गई कार्यवाही : इस मांग से ऐसे मामले उत्पन्न होते हैं जिनसे अन्य लेखा विभागों में प्रतिक्रिया होगी और इस पर सिविल लेखा कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए अलग से विचार नहीं किया जा सकता।

दसवीं मांग : संघ के क्रियाकलापों के लिए उत्पीड़न के सभी तरीकों को छोड़ना :

की गई कार्यवाही : यहां उत्पीड़न नहीं है और इसलिए कोई भी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

'द मेकिंग आफ माडर्न आर्मी' शीर्षक समाचार

*393. **श्री एस॰एम॰कृष्ण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 फरवरी, 1982 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" "द मेकिंग आफ माडर्न आर्मी" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अच्छी योग्यता गुणों वाले नवयुवक सशस्त्र सेनाओं में भर्ती नहीं हो रहे हैं और इसके स्थान पर व्यापार अथवा अन्य लाभप्रद व्यवसाओ की ओर आकर्षित हो रहे हैं ;

(ग) यदि हा, तो क्या यह भी सच है कि अन्य व्यवसायों से बचे कुचे लोगों से ही उचित योग्यता प्राप्त अधिकारियों की कमी पड़ती जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सेना में नौकरी करने को अधिक आकर्षित बनाए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेना में ऐसे सर्वश्रेष्ठ युवक आए जो ऐसे नेतृत्व के गुणों में सर्वोत्कृष्ठ हों, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही कीजाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 17 जनवरी, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में उल्लिखित शीर्षक के अन्तगंत एक एक लेख छपा है ।

(ख) और (ग) हालांकि इस समय सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी है लेकिन कुल मिलाकर अफसरों की कार्य क्षमता ऊंची बनी हुई है ।

(घ) सशस्त्र सेनाओं में सेवा की शर्तों को आकर्षक बनाने की दृष्टि से इनके काड़र का व्यापक आधार पर पुनरीक्षण किया गया है जिससे सेनाओं के सभी रैंकों में पदोन्नति के अवसर बढ़ गए हैं । विभिन्न स्तरों पर बहुत सी नियुक्तियों का दर्जा बढ़ा दिया गया है । मेजर/लेफ्टि, कर्नल और नौ सेना तथा वायुसेना में समकक्ष रैंकों में अफसरों के लिए कुछ प्रतिशत में चयन ग्रेड शुरु किए गए हैं । पेंशन लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और इन अवसरों को छुट्टी नकदीकरण की सुविधा भी दे दी गई है । इनके अलावा सरकार ने हाल में एक व्यापक प्रचार अभियान शुरु किया है ताकि सशस्त्र सेनाओं में सेवा के आकर्षक पहलूओं को विशेष रुप से उभारा जा सके । आशा है इन सभी उपायों से युवकों को सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

ऋण पर ब्याज प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरुप ट्रैक्टर उद्योग में संकट

*394. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टर उद्योग, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ऋण प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण गम्भीर संकट में है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ट्रैक्टर तथा सहायक उद्योग गम्भीर संकट में हैं जो आने वाले मौसम में बढ़ने वाला है ; और

(ग) कृषि ऋण उदारता पूर्वक दिये जाने को बहाल करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों को यदि कोई अनुदेश दिये जाने हैं तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम 8 महीनों के त्वरित आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि सकल ऋण में

2812 करोड़ रुपये वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1540 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दबावों को काबू में रखने की आवश्यकता के सन्दर्भ में ऋण प्रसार की मात्रा पर नियंत्रण रखते और अर्थव्यवस्था में नकदी निधि में कमी लाने के लिए रिजर्व बैंक को कई उपाय करने पड़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण विषयक नीति के इन उपायों के संस्थावार और क्षेत्रावार प्रभाव का लगातार जायजा लेता है ताकि अपेक्षाकृत अधिक अच्छी आयोजना बनाई जा सके और खासकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में छोटे ऋणकर्ताओं और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभन्वित होने वालों को ऋण प्रदान करने की गति को बनाए रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। आशा है कि अधिकतर उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की गति तेज हो जाएगी क्योंकि बैंकों से कहा गया है कि वे मार्च 1985 तक कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के अंश को बढ़ाकर अपने कुल ऋण के 16 प्रतिशत तक पहुंचा दें। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रास्फीति के दबावों पर नियन्त्रण रखने, उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करने तथा पहले ही निवेशित राशियों का अधिक गहन उपयोग करके निवेशों की उत्पादकता अधिक से अधिक बढ़ाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण नीति विषयक उपायों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों के उपलब्ध आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में, जिसमें ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ऋण शामिल है, 866 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के 8 महीनों की इसी अवधि में 529 करोड़ रुपये की और पिछले समूचे वित्तीय वर्ष में 806 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

दमन में तटरक्षकों के लिये उड्डयन केन्द्र

4184. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन में तटरक्षकों के लिए उड्डयन केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के क्या कृत्य होंगे ; और

(ग) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए इसका किस प्रकार उपयोग किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) तटरक्षक संगठन के विमान तथा हैलीकोप्टरों की उड़ान के लिए दमन में तटरक्षक संगठन एयर स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस एयरफील्ड का धीरे-धीरे और इस संगठन के विमान बेड़े में वृद्धि के अनुरुप विकास किया जाता रहेगा। इस स्टेशन पर रखे गये विमान पश्चिमी समुद्र तट पर समुद्र में निगरानी देखेंगे। इसमें तस्करी विरोधी गश्त भी शामिल होगी।

पड़ोसी देशों के साथ मुठभेड़

4185. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पड़ौसी देशों के साथ सीमा मुठभेड़ की कोई घटनाएं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, साथ ही, उन सम्बद्ध देशों की प्रतिक्रिया क्या कर रही, जिनके साथ इस मामले पर चर्चा की गई और भविष्य में इस तरह की मुठभेड़ों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में सीमा रेखा के पास हुई गोलाबारी की कुछ घटनाओं को छोड़कर मौजूदा वित्तीस वर्ष में पड़ौसी देशों के साथ सीमा पर कोई झड़प नहीं हुई ।

जम्मू और कश्मीर में सीमा रेखा के पार गोलाबारी की छुट-पुट घटनाओं से सम्बन्धित मामलों को स्थानीय कमांडरों की फ्लैग बैठकों में निपटा लिया जाता है । गम्भीर घटनाओं के मामलों के बारे में सम्बन्धित सरकार को लिखा जाता और इसका उद्देश्य भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना है ।

नेशनल इन्स्योरेंक कम्पनी लिमिटेट की शाखा को दूसरे स्थान पर ले जाना

4186. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की लखनऊ स्थित एक शाखा को नवम्बर, 1981 के आस पास 1[illegible]/ए, अशोक मार्ग, लखनऊ के परिसर में ले जाया गया, जहां मरम्मत कराने व नवीकरण के खाते में 0.5 लाख रुपए खर्च किए गए यद्यपि इसी शाखा को केवल मई, 1981 में ऊंचे मूल्यों पर लखनऊ में अन्य किसी स्थान पर स्थापित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और इस प्रकार की कम अवधि में उपर्युक्त कार्यालय को बार बार बदलने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नए कार्यालय/शाखा को, सम्बद्ध अधिकारियों की समय पर कार्य करने में असफलता के कारण नवम्बर, 1983 में खाली किया जाना था; और

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और ड्यूटी और कार्य निष्पादन में लापरबाही के लिए कम्पनी के लखनऊ स्थित वर्तमान ढांचे के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह शाखा हल्वासिया बाजार में कम्पनी के कब्जे के अधीन कई भवन खंड (प्रेमिसेस) में से एक भवन खंड (प्रेमिसेस) में मई 1981 में खोली गयी थी जिसमें शाखा खोलने से पहले 29,833,79 रुपए की लागत पर आवश्यक परिवर्तन किए गए थे । लेकिन कंपनी के ग्राहकों, दावेदारों, एजेंटों आदि से इस कंपनी के हल्वासिया बाजार के भीड़-भाड़ वाले इलाके की एक इमारत की दूसरी मंजिल में स्थित होने के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर कंपनी ने इस शाखा को 1घ/क अशोक मार्ग

लखनऊ में अपने कब्जे के अधीन एक अन्य भवन खंड में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया। इस भवन खंड में शाखा को स्थानान्तरित करने से पहले उसमें 11,464,50 रुपए की लागत पर आवश्यक परिवर्तन किए गये। हल्वासिया स्थित भवन खंडों की कंपनी अब प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

(ग) और (घ) : 22 नवम्बर, 1981 को अशोक मार्ग वाली शाखा के भवन खंडों के मालिक ने जबर्दस्ती ताला तोड़ कर उक्त भवन खंड पर कब्जा कर लिया। कंपनी ने पुलिस के पास इस संबन्ध में एक रिपर्ट दर्ज करवाई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई आरम्भ कर दी तथा यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। अशोक मार्ग में शाखा के कार्य को 23-11-81 से बन्द कर दिया गया था और तब से शाखा की अस्थाई रूप से कंपनी के डिवीजनल कार्यालय तथा हजरत गंज में इन्यूवमेंट ट्रस्ट की इमारत में काम कर रही एक अन्य शाखा के साथ मिला दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पालसोधारकों तथा ग्राहकों को बराबर सेवा प्राप्त होती रहे।

लाल मिर्च का निर्यात

4187. **श्रीमती माधूरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों में लाल मिर्च का कितना निर्यात हुआ ;

(ख) क्या चालू वर्ष में भी मिर्च का निर्यात करने का सुझाव है ; और

(ग) यदि हां, तो आयातक देशों के नाम क्या हैं और कितने मूल्य की एवं कितनी मात्रा में मिर्चों का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क) से (ग) 1979-80 के बाद भारत से मिर्च के निर्यात निम्न प्रकार रहे हैं :

	मात्रा (मे०टन)	मूल्य (लाख रु०)
1979-80	10263	773.02
1980-81	7629	500.79
1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)	652	63.72

आयातक देश हैं संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी का संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, जापान, मलयेशिया, सिंगापुर, कनाडा, सोवियत रुस आदि। मिर्च के निर्यात के लिये मुक्त रूप से अनुमति है।

सोवियत रुस को चावल का निर्यात

4188. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रुस को बासमती चावल की सप्लाई में सरकार द्वारा दी गई छूट के कारण भारत को लगभग 3.54 करोड़ रु० की हानि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने 29 अक्तूबर को न्यूनतम नियन्त्रण मूल्य में वृद्धि की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सोवियत प्राधिकारियों ने इस लोजना का कड़ा विरोध किया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या बाद में यह निर्णय लिया गया था कि सोवियत रुस को बढ़ाये हुए मूल्य की बजाय पुराने मूल्य पर ही चावल सप्लाई किया किया जाना चाहिए ; और

(ङ) यदि हाँ, तो मूल्य न बढ़ाने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सोवियत संघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत में इस बात की पुष्टि चाहता था कि संशोधित न्यूनतम निर्यात कीमत 29-10-1981 से पहले उनके द्वारा निर्यात के लिए की गई संविदा मात्राओं पर लागू नहीं होगी ।

(घ) तथा (ङ.) : सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि सोवियत सघ की बासमती चावल का निर्यात करने सम्बन्धी संविदाओं को जिन पर एक्सपोर्ट खलेव, मास्को द्वारा 20-10-1981 से पहले हस्ताक्षर किये गये, अधिसूचना जारी होने से पहले की न्यूनतम निर्यात कीमत द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

इन्जीनियरिंग उद्योग का निर्यात-लक्ष्य

4189. श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के लिये भारतीय इन्जीनियरिंग उद्योग के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) चालू योजना अवधि में इन्जीनियरिंग उद्योग में अब तक क्या उपलब्धि हुई है ;

(ग) छठी योजनावधि के लिये रखे गये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : सरकार ने भारतीय इन्जीनियरी उद्योग के लिए 1980-81 के लिये 900 करोड़ रु० तथा 1981-82 के लिये 1150 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य किया था । उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1980-81 के दौरान 900 करोड़ रु० के वास्तविक अनुमति निर्यात हुए और 1981-8 के प्रथम 9

महीनों में 740 रु० के निर्यात हुए। इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिये निम्नलिखित निर्यात अनुपात लगाये हैं :

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में
1982-83	1550
1983-84	1950
1984-85	2450

(ग) तथा (घ) : छठी पंचवर्षीय अवधि के दौरान निर्यातों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने इन्जीनियरी उद्योग को सहायता करने हेतु अनेक उपाय किये हैं। इनमें से मुख्य कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

1. इन्जीनियरी निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात और कच्चे लोहे की सप्लाई करने की योजना चल रही है। 1981-82 में निर्यात आर्डर रखने वाले इन्जीनियरी निर्यातकों को सप्लाई करने के लिये 330,000 मे० टन इस्पात और 140,000 मे० टन कच्चे लोहे की मात्रा निर्धारित की गई है।

2. फरवरी, 1981 में घरेलू इस्पात कीमतें बढ़ाई गई। यह निश्चय किया गया कि प्रचलित संविदाओं के सम्बन्ध में इस्पात और कच्चे लोहे की वृद्धि पूर्व कीमत और वृद्धि पश्चात कीमत के बीच के अन्तर की राशि निर्यातकों को वापस कर दी जायेगी। अन्य संविदाओं के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि निर्यातकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्पात अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर मिलेगा। घरेलू कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच की राशि निर्यातकों को निर्यात कर दिये जाने के बाद वापस की जायेगी।

3. अधिक उत्पादन को सुकर बनाने के लिए यह निश्चय किया गया है कि निर्यात के लिए उत्पादन की औद्योगिक एककों की लाइसंसशुदा क्षमता के बाहर रखा जाएगा।

4. आयात शुल्क छूट सहित अग्रिम आयात लाइसेंस देने की योजना चल रही है जिससे निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल के आयात में सुविधा हो जाती है। इन्जीनियरी माल के लिए अपेक्षित बड़ी संख्या में मदों को इस योजना में शामिल किया जाता है।

5. जब कभी आवश्यक समझा जाता है, प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है।

6. जो एकक अपने समस्त उत्पादन का आयात करने का वचन देते हैं, उनको आकर्षक सुविधाएं देने के लिए हाल ही में शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना आरम्भ की गई है।

भारतीय सेना में कम्प्यूटर प्रणाली अपनाना

4190 **श्री अनादि चरण दास :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में कम्प्यूटर प्रणाली अपनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में विदेशों की प्रौद्योगिकों पर विचार किया है;

(ग) क्या फील्ड में कार्य करने वाले सैनिकों के लिए चल कम्प्यूटरों की मांग की जायेगी;

(घ) उपर्युक्त कार्यक्रम के लागू होने के पश्चात भारतीय सेना के अन्य किन क्षेत्रों में इस तरह के कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ड.) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ड.) 1979-84 के लिए मंजूर की गई है। इन कम्प्यूटरों का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए होगा, वे चल होंगे या स्थैतिक, इस बारे में ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

एपरेल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल की कार्यकारिणी समिति में अधिकारियों का मनोनयन

4191. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एपरेल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल की कार्यकारिणी समिति, 1978 में इसके स्थापित करने के समय से लेकर अब तक कुछ अधिकारियों को मनोनीत किया है :

(ख) क्या उक्त कार्यकारिणी समिति की बैठक नियमित रूप से होती रही और आम बैठकें भी हुई थी ; यदि हां, तो आरम्भ से लेकर अब तक उक्त बैठकें किन-किन तारीख को हुई ;

(ग) क्या सरकार की ओर से मनोनीत व्यक्तियों (अधिकारियों) ने नियमित रूप से बैठकों में भाग लिया था, यदि हां, तो कितनी बार ;

(घ) क्या सरकारी अधिकारियों ने कार्यकारिणी समिति की तथा आम बैठकों की कार्यवाहियों के सारांश स्वीकार कर लिये थे, यदि नहीं, तो उन पर विमतियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या कार्यकारिणी समिति की उन बैठकों के कार्यवाही सारांश स्वीकार करने के पश्चात जिनमें उन्होंने भाग नहीं लिया था, उन निर्णयों पर आपत्ति की थी जो कार्यकारिणी समिति के नाम में उनकी अनुपस्थिति में किये गये थे और उनकी विमतियों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्यक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वस्त्र निर्यात संवर्धन

परिषद की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सरकारी अधिकारी सरकार की ओर से नामजद हैं :

1. वस्त्र आयुक्त

2. निर्यात आयुक्त

3. वाणिज्य मंत्रालय में वस्त्र प्रभाग के कार्य प्रभारी निदेशक । उप-सचिव ।

4. विकास आयुक्त (हथकरघा) अथवा उनका नामजद व्यक्ति ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) से (ङ.) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की कार्यकारिणी समिति में सरकारी नामजद व्यक्ति यथासंभव और विशेष रूप से तब जब यह अनुभव किया जाता है कि समिति द्वारा विचार किये जाने वाले किसी मामले में सरकार की ओर से कुछ सलाह हस्तक्षेप आवश्यक होता है तो कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेते हैं । कार्यकारिणी समिति के कार्यवृत की समिति की अगली बैठक में पुष्टि की जाती है । इसी प्रकार पहले की बैठक में लिये गये निर्णयों से उत्पन्न मामलों पर अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है । दोनो मामलों में बैठक का पुष्ट कार्यवृत विभिन्न मामलों पर कार्यकारिणी समिति द्वारा अन्तिम रूप से लिये गये निर्णय के रूप में रिकार्ड किये जाते हैं, अत: विभिन्न बैठकों में सरकारी नामजद व्यक्तियों द्वारा उठाये गये मुद्दों का सही ब्यौरा देना सम्भव नहीं है ।

विवरण

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की उसकी स्थापना से वार्षिक साधारण बैठकों तथा कार्यकारिणी बैठकों की तारीखें दर्शाने वाली सूची ।

	कार्यकारिणी समिति की बैठकें		कार्यकारिणी समिति की बैठकें
सं०	तारीख	सं०	तारीख
1.	21.31.1978	तत्काल	23.8.1979
2.	20.4.1978	19	8.9.1979
3.	29.5.1978	20	27:11.1979
4.	23.6.1978	21.	29.1.1989
5.	24.7.1978	22	4.3.1980
6.	23.9.78	2[illegible]	20.5.1980
7.	20.9.1978	तत्काल	27.5.1980 (स्थगित)

8.	14.10.1978	24		14.6.1980
तत्काल	7.11 1978	25		17.7.1980
9.	16.11.1978	26		16.8.1980
10.	18.12.1978	तत्काल		9.10.1980
तत्काल	8.1.1979	27		11.11.1980
11.	3.2.1979	28		10.12.1980
तत्काल	3.4.1979	29	7.4.1981	
12.	17.4.1979	30	4.6.1981	
13.	11.5.1979	31	23.6.1981	
14.	17.5.1979	32	7.8.1981	
15.	6.6.1979	33	4.9.1981	
16.	18.6.1979	34 (तत्काल)	26.9.1981	
17.	12.7.1979	35	16.11.1981	
18.	10.8.1979	36	25.1.1982	
		37	15.2.1982	
		*34	30.10.1981	

वार्षिक साधारण बैठकें

सं०	तारीख
1	17.5.1979
2	27.8.1980
3	28.9.1981

राजस्थान के झालरापाटन में सूर्य मन्दिर को सुन्दर बनाना

4192. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान में झालरा-पाटन में सूर्य मन्दिर, जो अपनी प्राचीनता और वस्तुकला के लिये सुविख्यात है, के आस-पास के क्षेत्र के विकास करने और इसे सुन्दर बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोमानिया को औषधियों और रसायनों का निर्यात

4193. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोमानिया इस देश से औषधियों का आयात करने में उत्सुक है ;

(ख) यदि हां, तो रोमानिया द्वारा खरीदी जाने वाली प्रस्तावित मुख्य औषधियां और रसायन कौन कौन से हैं : और

(ग) रोमानिया को इन औषधियों का निर्यात कब तक किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) रुमानिया ने भारत से औषधियां तथा रासायनिक पदार्थ खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में रंजकों, सल्फा औषधियां, विटामिन, हार्ड जिलेटीन केपशूल की अनेक किस्मों का पता लगाया गया है ।

(ख) भारतीय निर्यातकों और रुमानिया केम इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के महानिदेशक, जिन्होंने जनवरी, 1982 मे भारत का दौरा किया था, के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हुआ था । इन वार्ताओं देखते हुए, ऐसी आशा है कि जिन मदों का पता लगाया गया है उनके शीघ्र ही निर्यात होंगे ।

इण्डोनेशिया में मोटर गाड़ियों के पुर्जों की मांग

4194. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्डोनेशिया के बाजार में मोटर गाड़ियों के भारतीय पुर्जों की बढ़ती हुई मांग की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उस देश में मोटर गाड़ियों के पुर्जों के व्यापार में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वणिज्यक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्डोनेशिया को मोटर-गाड़ियों के पुर्जों के निर्यात निम्नवत प्रकार हैं :

मद	1977- 8	1978-79	1979-80
	(लाख रु० में)		
मोटर गाड़ियों के पुर्जे	137.68	42.45	1329
मोटर साइकिल तथा स्कूटर के पुर्जे	43.62	नगण्य	7.08
	योग 181.30	42.45	20.37

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इन्डोनेशिया को इन मदों के निर्यातों में कमी की की प्रवृति देखी गई है।

(ख) तथा (ग) इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, जो इन्जीनियरी माल के लिये सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात संवर्धन संगठन है, उनने मार्च, 1979 में इन्डोनेशिया में पूर्णतः भारतीय इन्जीनियरी प्रदर्शनी आयोजित की थी, जहा मुख्य रूप से मोटर-गाड़ी तथा अनुषांगी उत्पादन ग्रुप प्रदर्शित किये थे। परिषद ने जकार्ता में एक कार्यालय खोला है। इस कार्यालय से आशा है कि इन्डोनेशिया को मोटर-गाड़ी के पुर्जों सहित इन्जीनियरी माल के निर्यातों में वृद्धि करने में सहायक होगा। परिषद ने इन्डोनेशिया को इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष बल देने के वास्ते अपने लक्ष्य बाजारों में से एक बाजार के रूप में भी चुना है

स्विटजरलैंड की वस्तुओं का निर्यात

4195. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विटजरलैंड ने भारत से और माल खरीदने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या इस देश की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों सहित आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये मार्गोपायों का पता लगाने के लिये भारत-स्विटजरलैंड संयुक्त आयोग समय-समय पर बैठक करता रहा है। विगत बैठक 18-21 सितम्बर, 1980 को हुई थी जबकि स्विटजरलैंड ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग तथा दुतरफा व्यापार बढ़ाने के लिये अपनी उत्सुकता व्यक्त की, भारत से और अधिक माल खरीदने के लिये उन्होंने कोई विशेष इच्छा व्यक्त नहीं की।

(ख) तथा (ग) स्विटजरलैंड को निर्यात की जा रही मुख्य भारतीय वस्तुएं ये है: हाथ से गांठ लगे कालीन, सिले-सिलाए परिधान, मूल्यवान रत्न, कच्ची काफी, चाय, पटसन वस्त्र, घरेलू लिनन, सूती तथा रेशमी वस्त्र, कयर धागा, जूते, मसाले आदि। इस बाजार के लिए अभिज्ञात अन्य उत्पाद दें, दस्ती औजार तथा उपकरण, बढ़िया किस्म से सजावटी वस्त्र, चमड़े का सामान, बेंत का फर्नीचर, खेलकूद का सामान आदि।

दिल्ली की विभिन्न बैंक शाखाओं का हुआ नुकसान

4196. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 2981 के दौरान लूट-पाट/डकैती/धोखाधड़ी के कारण दिल्ली में सिण्डीकेट बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सहकारी बैंक और विजय बैंक की शाखाओं को कितने धन का नुकसान हुआ है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में बैंक कर्मचारियों का हाथ है और धोखाधड़ी में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जांच के बाद निर्दोष पाये गए कर्मचारियों के कितने मामलों में 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक की राशि बट्टे खाते डाली गई है और धोखाधड़ी के कितने मामलों की रिपोर्ट पुलिस में की गई तथा कितने मामलों में विभागीय जांच की गई है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1880 और 1981 के दौरान दिल्ली में सिंडीकेट बैंक, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, कारपोरेशन बैंक तथा विजया बैंक की शाखाओं में कोई डकैती/लूटमार नहीं हुई। उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान उक्त शाखाओं में जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त कुल राशि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इन जालसाजियों में शामिल पाये गए बैंक कर्मचारियों के मामलों की संख्या तथा इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यथा सम्भव सूचना एकत्र की जा रही है तथा सांविधिक दायित्वों के अध्यधीन यह सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का लूटा जाना

4197. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों पर हमाला करने और उनको लूटने की घटनायें निरन्तर हो रही हैं;

(ख) वर्ष 1880 और 1981 के दौरान विभिन्न राज्यों में लूटे गए बैंकों का ब्यौरा क्या है और कितना धन लूटा गया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों के वित्त मंत्रियों से ऐसे उपायों के बारे में चर्चा करने का है जो स्थिति का सामना करने के लिये काम में लाये जा सके; और

(घ) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गए और धना की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : वर्ष 1980 और 1981 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में हुई लूटमार/डकैतियों से सम्बन्धित सूचना बैंकों के नामों और अंतर्ग्रस्त राशियों के साथ विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सुरक्षा प्रबन्धों की स्वयं बैंकों और सरकार द्वारा भी लगातार समीक्षा की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के वास्ते सरकार ने बहुत से अनुदेश भी जारी किए है। सरकार ने सभी राज्य

सरकारों से अनुरोध किया है कि वे बैंकों में डकैतियों और लूटमारों की घटनाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करे और जहां आवश्यक समझा जाए, मामलों पर सम्बन्धित राज्य सरकार से भी चर्चा की जाए।

(घ) बैंकों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 3 मामलों में पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है/पकड़ा है और उनसे 11.59 लाख रुपये की रकम और 2.5 किलोग्राम सोना बरामद किया है।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	1980		1981	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	—	—	1	16,160
2.	बैंक आफ इण्डिया	2	3,64,615	2	3,69,196
3.	पंजाब नेशनल बैंक	1	2,36,760	4	5,08,498
4.	बैंक आफ बड़ौदा	1	2,62,076	—	—
5.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1	1,93,758	—	—
6.	केनरा बैंक	1	66,668	3	7,64,803
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	5	5,48,476	4	7,99,01**
8.	देना बैंक	—	—	1	1,92,000
9.	सिंडीकेट बैंक	1	8,787	—	—
10.	इलाहाबाद बैंक	2	86,869	1	83,966
11.	बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	1	2,48,000
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	—	—	2	6,39,295
13.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	1	4,30,700	—	—
14.	कारपोरेशन बैंक	—	—	1	1,00,000
15.	विजया बैंक	1	20,000	—	—

**इसके अतिरिक्त 15 लाख रुपये के सोने के आभूषण भी खो गए।

1	2	3	4	5	6
16.	भारतीय स्टेट बैंक	4	5,73,777	11	26,35,062*
17.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	—	—	1	12,11,225
18.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	1	1,217	—	—
		24		32	

दिल्ली में भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों के लिये कर्मचारी

4198. श्री विजय कुमार यादव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय निर्माणाधीन भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों में विभिन्न श्रेणियों में कितने लोगों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन और विकास निगम के इन होटलों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई उपाय किये गए ?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन भर्ती किये गए और भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) दिल्ली में निर्माणाधीन भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किए जाने वाले अपेक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है :

यूनिट	एक्जिक्यूटिव्ज	स्टाफ	जोड़
1. होटल कनिष्क	41	602	643
2. अशोक यात्री निवास	20	290	310
3. होटल कौटिल्य	40	500	540
जोड़	101	1392	1393

*इसके अतिरिक्त 953.80 ग्राम वजन के सोने के आभूषण भी खो गए।

(ख) और (ग) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस समय जिन तीन होटलों का निर्माण किया जा रहा है उनमें से कनिष्क और अशोक यात्री निवास में अपेक्षित स्टाफ की भर्ती के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने कदम उठाए हैं और वहां क्रमश: 56 प्रतिशत और 19 प्रतिशत भर्तियां कर ली गई हैं। होटल कौटिल्य (सम्राट) के लिए अभी तक किसी भी स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है। प्रारम्भिक कार्य शुरू करने के लिए वर्तमान क्षमता में से केवल 7 अधिकारियों को तैनात किया गया है।

(घ) और (ङ) दो होटलों (होटल कनिष्क और अशोक यात्री निवास) के लिए जिन व्यक्तियों की पहले ही भर्ती कर ली गई है उन्हें दिल्ली में विभिन्न आई० टी० डी० सी० होटलों में प्रशिक्षण (थ्योरी सम्बन्धी) और साथ ही सेवाकालीन गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वर्ष 1979 से 1981 तक की अवधि के दौरान तमिलनाडु में आय छिपाने संबंधी मामलों में जारी किये गए जुर्माने संबंधी आदेश

4199. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1979 से 1981 तक की अवधि के दौरान तमिलनाडु में आय छिपाने सम्बन्धी मामलों में कितने जुर्माने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे तथा संबन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) किसी व्यक्ति अथवा संस्थान पर अधिक से अधिक कितना जुर्माना किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वित्तीय वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान तमिलनाडु के आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में, आय छिपाने से सम्बन्धित मामलों में, अर्थदण्ड सम्बन्धी 1629 आदेश पारित किये गए थे। यह संख्या चूंकि बहुत अधिक है, इसलिए सभी कर निर्धारण अधिकारियों से उन व्यक्तियों और संस्थाओं के नामों के सम्बन्ध में, जिनके मामलों में ये आदेश पारित किये गए थे, सूचना एकत्र करने में काफी समय और श्रम लगेगा। तथापि यदि माननीय सदस्य किसी निर्धारित विशेष के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना चाहते हों तो वह प्रस्तुत जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान आय छिपाने से संबंधित मामले में लगाए गए अधिकतम अर्थव्यवस्था की रकम में बारे में सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

कोयले का निर्यात

4200. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कोयला का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रीलंका को कोयले का निर्यात करने के लिये हाल ही में एक करार किया है ;

(ग) यदि हां, तो श्रीलंका को प्रति वर्ष कितना कोयला निर्यात किया जायेगा ; और

(घ) कोयले का निर्यात कब आरम्भ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस समय श्रीलंका तथा, बंगलादेश भारत से कोयले का आयात करते हैं।

(ख) से (घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने श्रीलंका के साथ, मार्च 1982 तक एस० एन० वी० कोयले की 15,000 मे० टन मात्रा के निर्यात के लिये संविदा की है। निर्यात शुरू हो गये हैं।

रक्षा सेवाओं के अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग

4201. श्री चतुर्भुज : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व को देखते हुए रक्षा सेवाओं के अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के बारे में जुलाई 1981 में तासगांव, जिला सांगली (महाराष्ट्र) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में किसी संसद सदस्यों से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी नहीं। ऐसा कोई अभ्यावेदन या पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक सरकार का पर्यटन गांव बनाने का प्रस्ताव

4202. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के सुझाव के अनुसरण में पर्यटन गांव बनाने के लिये स्थानों के नाम भेजे थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने हेलीनिद के पास पर्यटन गांव के लिए 7.32 एकड़ का स्थल प्रस्तावित किया है। यह उचित दरों पर आवास और अन्य सुविधाएं, जिनमें एक स्विमिंग पूल शामिल है, उपलब्ध कराएगा। कुल अनुमानित लागत 58 लाख रुपए बताई गई है।

जीवन बीमा निगम के प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित एजेंट

4203. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद शाखा 1 और 2, बोकारो, कटरासगढ़, सिंधरी और धनबाद जिले के चिरयुंड में कार्य प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित एजेंन्टों का क्या नाम है ;

(ख) सरकारी विभाग अथवा सरकारी उद्यमों में नियुक्त कर्मचारियों से उनका क्या रिश्ता है ;

(ग) शाखा प्रबंधकों द्वारा उन एजेंटों का साक्षात्कार, अर्हता परीक्षा और नियुक्ति किन तारीखों में की गई है ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम के एजेन्टों को नियुक्ति में शाखा प्रबंधकों ने नियमों और विनियमों का भली-भांति पालन किया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख), (ग) से (घ) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों में धन का दुर्विनियोग

4204. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से (बैंकवार) विधि, पद्धति अथवा कानूनी उपबंधों की बात को छोड़कर कितना-कितना धन (एक) दुर्विनियोजित हुआ, (दो) चुराया गया, (तीन) अन्यथा गायब हुआ : और

(ख) ऐसे नुकसानों की रोकथाम के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं और उनके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) : 1977 से 1981 (31 मार्च, 1981 तक) के वर्षों में हुए बैंक धोखाधड़ियों के मामलों को उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि के आंकड़ों के साथ बैंक समूवहार विवरण में दर्शाया गया है भारतीय रिजर्व बैंकों ने सूचना दी है कि राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) सभी बैंकों की अपनी अनुदेश पुस्तकें हैं जिनमें धोखाधड़ियों से सुरक्षा के लिए अनुदेश दिए गए होते है और जिनकी समीक्षा अवधिक रुप से की जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक भी धोखाधड़ियों के मामलों का विश्लेषण करता है और बैंकों को समय-समय पर, अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और उपचारात्मक कदमों के बारे में सलाह देता है।

विवरण

1977, 1978, 1979, 980 और 1981 (31 मार्च, 1981 तक) की अवधि के दौराद भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुए बैंक धोखाधड़ियों के मामलों के सांख्यिकीय आंकड़े

(31 मार्च 1981 तक)

बैंक समूह	1977		1979		1980		1081			
	मामलों की संख्या कुल	अन्तर्ग्रस्त राशि करोड़ रुपयों में	मामलों की कुल संख्या	अन्तग्रस्त राशि करोड़ रुपयों में	मामलों की कुल मंख्या	अन्तर्ग्रत राशि करोड़ रुपयों में	मामलों की कुल सं०	अन्तर्ग्रत राशि करोड़ रुपयों में	मामलों की कुल सं०	अन्तर्ग्रत राशि करोड़ रुपयों में
1. भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी	243	1.99	243	0.84	273	6.60	439	1.38	127	0.63
2. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक	701	2.44	1072	6.18	1031	7.78	1024	6.24	333	1.55
3. 6 नये राष्ट्रीयकृत बैंक	74	0.33	107	0·35	95	0.75	131	0.78	28	0.05
जोड़	1018	4.74	1422	7.37	1400	15.41	1594	8.40	488	2.24

पाद टिप्पणी (1) "बैंक धोखाधड़ियो" में सामान्यत: गलत बयानी के मामलों, विश्वास भग, लेखा पुस्तकों की हेराफेरी, चेकोंडाफ्टों तथा विनिमय बिलों जैसे पत्रों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनाधिकृत रुप से संचालन, अकपरण, गबन, चोरी, रकमों की हेराफेरी, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, रकम की कमी, अनियमितताएं

(2) बैंकों द्वारासूचित किए गए धोखाधड़ी के सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है, चाहे उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी भी हो। इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि आवश्यक रुप से बैंकों की हुई हानि की द्योतक नहीं है।

गुजरात सरकार का पर्यटन गांव बनाने का प्रस्ताव

4205. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के सुझाव के अनुसरण में पर्यटन गांव बनाने के लिए स्थानों के नाम भेजे थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हमारे वीर सैनिकों की याद

4206 **श्री एन० ई० होरो** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन वीर सैनिकों को याद करने की स्थिति में है जिन्होंने 16 दिसम्बर 1971 को शानदार जीत प्राप्त की जब ढाका में मौजूद पाकिस्तान न सैनिकों ने बिना शर्त आत्म समर्पण कर दिया :

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम है जब किसी विदेशी सेना ने हमारी सेना के सामने हथियार डाल दिये हों ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, भारत के उन हजारों वीर पुत्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है जिन्होंने देश के गौरव की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और एक नया राष्ट्र बनाने में सहायता की जो इस दिवस को अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का दिवस मानेगा ;

रक्षा मन्त्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंकों, अन्य सिविलियनों तथा परा-सैनिक दलों के जिन कार्मिकों ने 1971 के युद्ध में भाग लिया उन्हें सरकार और पूरा राष्ट्र कृतज्ञता तथा गर्व के साथ स्मरण करता है ।

(ख) और (ग) हर साल 26 जनवरी, को अमर जवान की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है । इस समारोह को किसी अन्य दिन मनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विभिन्न भाषाओं में सैनिक समाचार का प्रकाशन

4207. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भाषाओं में सैनिक समाचार नियमित रुप से प्रकाशित नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन भाषाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें सैनिक समाचार प्रकाशित किये जा रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, भाषावार और अंकवार इनको रिलीज करने की वास्तविक तारीख क्या है ;

(ग) सैनिक समाचार का श्रेणीवार वर्तमान स्टाफ की पद्धति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विभिन्न भाषाओं में समय पर इस सैनिक समाचार को मुद्रित करने और स्टाफ पद्धति में सुधार लाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) "सैनिक समाचार" रक्षा सेनाओं के लाभ के लिए रक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका है। यह दस भाषाओं में छपती है अर्थात हिन्दी अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गोरखाली, मलयालम, उर्दू, तमिल, बंगाली, और तेलगू। पत्रिका की छपाई, निर्माण तथा आवास मंत्रालय के, माध्यम से प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा की जाती है। अनेक कारणों से पिछले कई सालों से नियमित रुप से पत्रिका के अंक निकालना संभव नहीं हो पाया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले 3 सालों में वर्ष, भाषा और अंक के अनुसार निकाले गए पत्रिका के अंकों के ब्यौरे दिए गए हैं।

2. सैनिक समाचार में एक मुख्य संपादक, एक संपादक, एक सहायक संपादक, एक सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर, एक ले-आउट-आर्टिस्ट, 25 उप संपादक; एक सहायक पत्राचार लेखा सहायक, 12 लिपिक, एक आशुलिपिक, 2 दफ्तरी और 5 चपरासी/डाक वाहक हैं।

3. पत्रिका में कार्मिक गठन को दुरुस्त बनाने के लिए, कार्य प्रणाली में सुधार लाने और छपाई संबंधी ठेके की रक्षा करने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

सैनिक समाचार के विभिन्न अंकों के प्रकाशन की तारीख

क्रम सं०	प्रकाशन की तारीख	प्रेषण की तारीख									
		अंग्रेजी	हिन्दी	मराठी	गोरखाली	पंजाबी	मलयालम	उर्दू	बंगाली	तमिल	तेलगू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1979	सभी भाषाओं के इस तारीख को भेजे गए ।									
1.	7 जनवरी,79	7 और 8 फरवरी, 1979									
2.	14 जनवरी,	15 और 16 फरवरी									
3.	21 और 28 जनवरी	1 और 2 मार्च									
4.	4 फरवरी	8 और 9 मार्च									
5.	11 फरवरी	16 और 17 मार्च									
6.	18 फरवरी	23 और 24 मार्च									
7.	25 फरवरी	30 और 31 मार्च									
8.	4 मार्च	6 और 7 अप्रैल									
9.	11 मार्च	18 और 19 अप्रैल									
10.	18 मार्च	25 और 26 अप्रैल									
11.	25 मार्च	2 और 3 मई									
12.	1 अप्रैल	9 और 10 मई									

1	2	कालम 3 से 12
		सभी भाषाओं के अंक इस तारीख को भेजे गए
13.	8 अप्रैल	18 और 19 मई
14.	15 अप्रैल	25 और 26 मई
15.	22 अप्रैल	1 और 2 जून
16.	6 मई, 1981	13 और 14 जून
17.	13 और 20 मई	22 और 23 जून
18.	27 मई और 3 जून	3 और 4 जुलाई
19.	10 और 17 जून	12 और 13 जुलाई
20	24 जून	27 और 28 जुलाई
21.	1 जुलाई और 8 जुलाई	9 और 10 अगस्त
22.	15 जुलाई	23 अगस्त
23.	22 और 29 जुलाई	30 अगस्त
24.	12 अगस्त	21 और 22 दिसम्बर
25.	19 अगस्त	5 और 6 अक्तूबर
26.	26 अगस्त	18 और 19 अक्तूबर
27.	2 सितम्बर, 1979	26 और 27 अक्तूबर

1	2	कालम 3 से 12
28.	9 और 16 सितम्बर	2 और 3 नवम्बर
29.	23 और 30 सितम्बर	8 और 9 नबम्बर
30.	7 और 14 अक्तूबर	14 और 15 नवम्बर
31.	21 और 28 अक्तूबर	21 और 22 नवम्बर
32.	4 ओर 11 नवम्बर	27 और 28 नवम्बर
33.	18 नवम्बर	5 और 6 दिसम्बर
34.	25 नवम्बर	14 और 14 दिसम्बर, 1979
35.	2 दिसम्बर	1 और 2 जनवरी, 1980
36.	9 दिसम्बर	22 और 23 जनवरी, 1980
37.	16 दिसम्बर	22 और 23 फरवरी
38.	23 दिसम्बर	27 और 28 फरवरी
	1980	सभी भाषाओं के अंक इस तारीख को भेजे गए
1.	सेना दिवस अंक-80	6 और 7 मार्च 80
2.	20 जनवरी 80	13 और 14 मार्च 89
3.	27 जनवरी 80	15 और 16 अप्रैल
4.	3 फरवरी 80	24 और 25 अप्रैल

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सभी भाषाओं के अंक इस तारीख को भेजे गए

5. 10 फरवरी 80
6. 17 फरवरी 80
7. 24 फरवरी 80
8. 2 मार्च 80
9. 9 मार्च
10. 16 मार्च
11. 23 मार्च
12. 30 मार्च
13. 6 अप्रैल
14. 13 अप्रैल
15. 20 अप्रैल
16. 27 अप्रैल
17. 4 मई
18. 1 मई
19. 18 मई

2 मई
8 और 9 मई
15 और 16 मई
23 और 24 मई
2 और 3 जून
10 और 11 जून
24 और 25 जून
3 और 4 जुलाई
10 और 11 जुलाई
17 जुलाई
18 जुलाई
24 और 25 जुलाई
30 और 31 जुलाई

1 अगस्त
7 और 8 अगस्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	25 मई						21 और 22 अगस्त				
21.	1 जून 80						4 और 5 सितम्बर				
22.	8 जून 80						17 और 18 सितम्बर	उर्दू का अंक नही		निकला	
23.	15 जून 80						19 सितम्बर 80				
24.	22 जून 80						29 सितम्बर				
25.	29 जून 80						7 अक्तूबर 80				
टिप्पणी : 1.7.80 से ठेका बदल जाने के कारण 1 जुलाई 1980 से 10 अगस्त, तक कोई अंक नहीं छपा ।											
26.	17 अगस्त	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	12.5.81	12.5.81	17.12
27.	24 अगस्त	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	17.12	10.2.81	4.5.81
28.	31 अगस्त	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	15.12	17.3.81	20.5.81	22.2.81	—
29	7 सितम्बर	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	19.12	25.3.81	4.6.81	3.9.81	3.9.81
30	14 सितम्बर	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	20.5.81	वही	20.5.81	—	—
31.	21 सितम्बर	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	9.4	4.6	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	28 सितम्बर	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	9.4	3.9	—	—
33.	5 अक्तूबर	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	9.4	25.9	19.9	9.9
34.	12 अक्तूबर	22.1	22.1	22	22.1	22.1	22.1	9.4	19.9	—	11.12
35.	19 अक्तूबर	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	30.1	9.4	—	—	—
36.	26. अक्तूबर	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	12.5	—	—	—
37.	2. नवम्बर	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	17.2	12.5	—	—	—
38.	9. नवम्बर	26.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.3	12.5	—	—	28.11
39.	16. नवम्बर	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	12.5	12.5	—	—	—
40.	23 नवम्बर	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	20.5	12.5	9.9	22.12	—
41.	30 नवम्बर	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	4.6	20.5	—	—	—
42.	7 दिसम्बर	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	23.6	20.5	25.9	21.10	28.11

टिप्पणी : 14.12.80 से 4.1.81 तक के अंक सेना दिवस अंक 1981 में शामिल कर दिए गए ।

	1981										
1.	11 जनवरी 81	27.1	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	20.5	21.10	11.12	28.12
2.	18 जनवरी	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	23.6	3.9	—	—	—
3.	25 जनवरी	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	17.7	9.7	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1. फरवरी	12.5	12.5	12·5	12.5	12.5	17.7	17.7			
5.	8. फरवरी	20.5	20.5	20.5	20.5	10.5	21.8	17.7			
6.	15 फरवरी	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	21·8	17.7	16.12	5.1.82	11.12
7.	25 फरवरी	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	19.9	17.7			
8.	1 मार्च	23.6	23.6	23.6	23·6	23.6	17.9	22.9			
9.	8 मार्च	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	6.10	22.9	—	28.12	
10.	15 मार्च	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	21.10	3.9	11.12	—	28.12
11.	22 मार्च	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	16.2.82	22.9	—	—	—
12.	29 मार्च	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	17.9	22.9			
13.	5 अप्रैल	27.8	27.8	27.8	27.8	28.8	6.10	22.9			
14.	12 अप्रैल	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	6.10	22.9			
15.	19 अप्रैल	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	21.10	22.9	16.12	16.2.82	5.1.82
16.	26 अप्रैल	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	11.12	21.10	—	—	—
17.	3 मई	22.9	22.9	22.9	22.9	11.1.82	—	16.12		22.2.82	
18.	10 मई	25.9	25.9	25.9	25.9	27.11	16.12	16.12	28.12	19·2	
19.	17 मई	6.10.81	6.10	6.10	6.10	12.12	28 12	5.1.82	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	24 मई	21.10	21.10	21.10	21.10	22.12	22.12	16.12	—	—	—
21.	31 मई	21.10	21.10	21.10	21.10	22.12	22.12	28.12	—	—	—
22.	7 जून	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
23.	14 जून	27.11	27.11	27.11	27.11	5.1.82	18.1.82	16.12.81	—	—	—
24.	21 जून	27.11	27.11	27.11	27.11	18.1.82	5.1.82	16.12.81	—	—	—
25.	28 जून	11.12	11.12	11.12	11.12	18.1.82	1.2.82	16.12.81	22.12.82	—	—
26.	5 जुलाई	16.11	16.12	16.12	16.12	18.1 82	11.1.82	28.12	22.12	1.3.82	—
27.	27 सितम्बर	22.12	22.12	22.12	22.12	18.1.82	11.8.82	5.1	5.1	1.3	—
28.	4 अक्तूबर	28.12	28.12	28.12	28.12	18.1.82	18.1	5.1	16.2	11.3	—
29.	11 अक्तूबर	5.1.82	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1.82	16.2	11.3	—
30.	18 अक्तूबर	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	16.2	11.1	1.3	—	—
31.	25 अक्तूबर	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	61.2	1.2	1.3	—	—
32	1 नवम्बर	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	22.3	1.2	1.3	—	—
33.	8 नवम्बर	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	22.2	16.2	11.3	—	—
34.	15 नवम्बर	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	22 नवम्बर	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	1.3	25.2		
36.	29 नवम्बर	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
37.	6 दिसम्बर	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	—	6.3		
38.	13 दिसम्बर	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3		
39.	20 दिसम्बर										
40.	27 दिसम्बर										

पूंजीगत माल का आयात

4208 . **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन प्रयोजनों के लिये किसी वास्तविक उद्योगपति द्वारा पूंजीगत माल का आयात करने के लिए ओ. जी. एल. टी. डी. एफ. ए० यू० आर ई० पी० योजनाओं के अन्तर्गत जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके अतिरिक्त क्या अन्य सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) क्या ओ० जी० एल० को छोड़कर किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा उसके प्रायोजक प्राधिकारी की जानकारी स्वीकृति के बिना किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बतायी गई योजनाओं के के अलावा औद्योगिक वास्तविक प्रयोक्ता भारत में औद्योगिक उद्यम में निवेश के लिये गैर आवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात भी कर सकते हैं। औद्योगिक वास्तविक प्रयोक्ता रुपया भुगतान क्षेत्र से परियोजना तथा उपस्कर निगम द्वारा किये गये आयात के माध्यम से तथा आयात के माध्यम से तथा आयात नीति, 1881-82 के पैरा 103 के माध्यम से भी पूंजीगत माल प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) तथा (ग) गैर आवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर्गत आयातों के लिये प्रायोजित प्राधिकरण की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे विनिर्माता-निर्यातकों के लिये भी, जिनके लिये रोक लगी मदों के अलावा आर०ई० पी० लाइसेंसके आधार पर एक वर्ष में 50,000 रु० तक अपनी फैक्टरियों तथा उपस्करों की आवश्यकता है, प्रायोजक प्राधिकरण की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है ।

पाकिस्तान द्वारा शस्त्रास्त्र ग्रेड को परमाणु सामग्री का निर्माण

4209. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान शस्त्रास्त्र ग्रेड के परमाणु सामग्री का निर्माण करने हेतु पूर्णत: तैयार है :

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि क्या पाकिस्तान ने पहले ही इस तरह के हथियारों का निर्माण कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ग) सरकार ने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है सरकार अपने इस आश्वासन के प्रति वचनबद्ध रहेगी कि उनकी आणविक कार्यक्रम शान्ति पूर्ण कार्यों के लिए है । देश की सुरक्षा को

प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर सरकार लगातार नजर रखती है ताकि पूर रक्षा तैयारियों को बनाये रखने के लिए उचित उपाय आरंभ किए जा सकें।

स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर द्वारा भूमि रहित ऋणदाताओं को ब्याज मूल राशि का भुगतान न किया जाना

4210. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर के प्रबन्ध अधिग्रहण के बारे में दिनांक 27 फरवरी, 198 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये प्रबन्ध ने, पिछले तीन वर्ष से अधिक समय पूर्व मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था, ने प्रतिभूति रहित ऋणदाताओं को विशेषकर निर्धन छोटे ऋणदाताओं को, जिन्होंने 3000 रु० से कम का निवेश किया था, कुछ भी यहां तक कि ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि उपर्युक्त का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इन छोटे ऋणदाताओं को ब्याज तथा मूल राशि कब तक भुगतान होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०ए० संगमा : (क) जी हां।

(ख) स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर के अधिकरण के पहले के दायित्व उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18 च ख के अधीन अभी भी निलिम्बत है और पुनर्भुगतान की संभावित तारीख नहीं बताई जा सकती।

अन्तरिम राहत में कमी और बोनस का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय

4211 **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मन्त्री अन्तरिम में कमी और बोनस का भुगतान न किए जाने के संबंध में निर्णय के बारे में 25 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1215, 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 और 25 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 587 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय डी० एम० टी० एस०ओ० एम० टी० आई० अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) को नियमित भुगतान से अन्तरिम सहायता में कमी और उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस का भुगतान न किए जाने के इस मसले के सम्बद्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि अब तक कोई निर्णय लिया गया है तो इसके विशेष कारण क्या है ; और

(ग) इस निर्णय के कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री० आर० वेंकटरामन) : (क) उत्पादकता पर आधारित बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) अन्तरिम सहायता में कमी के सिलसिले में आवश्यक आदेश जारी करने के प्रश्न पर सक्रिय रुप से किया जा रहा है।

इन्डियन टोबेको कम्पनी और मेटल बाक्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा लेवल प्रिंटिड कार्डबोर्ड मैचबाक्स आउटरस का उत्पादन

4214. श्री एस० ए० दोराई सेकस्तियन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डिया टोबेको कम्पनी और मैटल बाक्स इन्डिया लिमिटेड जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम वाली कम्पनियां हैं, वर्तमान मैटल लाइसेंस के अन्तर्गत लेवल प्रिंटेड कार्ड बोर्ड मैचबास आउट्रस, जिसके दोनों ओर रसायन घर्षण हैं, का उत्पादन करती है।

(ख) क्या ऐसा मैचबाक्स आउटर को पैकेजिंग मद समझा जाता है ; और

(ग) क्या मशीन द्वारा उत्पादित कार्डबोर्ड मैचबाक्स आउटर बड़ी मात्रा में बनाया जाता है तथा क्या क्रेता को उस दर पर उत्पादन शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर पंजीकृत क्षेत्र के दियासलाई उद्योग को उत्पादन शुल्क देना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना क्षेत्र कार्यालयों से एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

4215. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का एशियाई विकास बैंक से दो बिलियन डालर का ऋण प्राप्त करने का इरादा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापान भारत को एशियाई विकास बैंक से मिलने वाली सहायता के मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहा है तथा भारत पर बड़े पैमाने पर जापानी और गैर-सरकारी ऋण लेने के लिये दबाव डाल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एशियाई विकास बैंक की अब तक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) सरकार ने एशियाई विकास बैंक को वर्ष 1983 और उसके बाद से इस बैंक से ऋण लेने के अपने इरादे से अवगत कर दिया है। ऋण की राशि का अनुमान, बैंक की तीसरी सामान्य पूंजीगत वृद्धि, जिसके सम्बन्ध में आजकल बातचीत चल रही है, निर्धारित हो जाने के बाद, लगाया जाएगा।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) एशियाई विकास बैंक तीसरी सामान्य पूंजीगत वृद्धि के सन्दर्भ में इस मामले पर विचार कर रहा है।

भारत पाकिस्तान युद्धों के गुमशुदा सैनिक

4216. **श्री दौलत राम :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान पाकिस्तान द्वारा कितने भारतीय सुरक्षा कार्मिक मारे गये, बन्दी बनाए गए और कितने कार्मिकों गुमशुदा दर्ज किया गया ;

(ख) क्या किसी गुमशुदा सैनिक को मृतक समझ लिया गया था और उसे वीरचक्र प्रदान कर दिया गया ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने ऐसे युद्धबन्दियों को वापिस किया है, जिन्हें पाकिस्तान जेलों में इतना प्रताड़ित किया गया कि वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और अपने पते बताने की स्थिति में नहीं हैं ;

(घ) क्या भारत सरकार से ऐसे युद्धबन्दियों को वापिस लेने से इन्कार कर दिया है, जो अभी पाकिस्तान में की जेलों में हैं ;

(ङ.) क्या सरकार का विचार मानसिक रूप से असंतुलित ऐसे युद्धबन्दियों की फोटों सभी राज्यों के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने का और उन्हें दूरदर्शन पर भी प्रसारित करने का हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को जेलों से कुछ युद्ध-बन्दियों ने भारत में अपने घरों के पते पर अनुरोध करते हुये पत्र भेजे हैं कि वे उन्हें वहां से छुड़वाने का प्रयास करें, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क)

	मारे गए	जेल में बन्द किए गए	लापता/अनुमानत:मारे गए
थल सेना	3624	532	218
नौ सेना	202	शून्य	2
वायुसेना	26	21	21

(ख) थलसेना के ऐसे किसी सिपाही को बीरचक्र नहीं दिया गया जिसे मृत घोषित किया गया हो लेकिन ऐसे एक नौसेना अफसर को यह पुरस्कार दिया गया था जिसके मारे जाने की सूचना थी। वायुसेना के 6 अफसरों को भी, जिन्हें सरकारी तौर पर अनुमानत: मृत मान लिया गया था, वीरचक्र प्रदान किया गया।

(ग) जी नहीं। मानसिक रुप से असंतुलित किसी भी युद्धबन्दी को वापस करने की पाकिस्तान ने कोई पेशकश नहीं की है।

(घ) और (ङ.) जी नहीं।

(च) 40 रक्षा कार्मिकों के बारे में (35 अफसर और 5 अन्य रैंक) जिनके 1973 के भारत पाक युद्ध से लापता होने की सूचना थी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये पाकिस्तानी जेलों में हैं इन 40 में से केवल 3 के बारे में सरकार के पास सूचना है, जिसे विश्वासनीय माना जा सकता है, और यह सूचना हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार को दे दी है।

पिगमेलियन स्थल में नौसेना और नौ सेना और वायुसेना के अड्डों की स्थापना हेतु इन्डोनेशिया के साथ समझौता

4217. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेट निकोबार द्वीप का पिगमेलियन स्थल हिन्द महासागर में नौमेनिक और "सं फेयरिंग की दृष्टि से अत्याधिक सामरिक महत्व के स्थलों में एक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में समुद्र में गश्त लगाने हेतु नौसेना और वायुसेना के अड्डों की स्थापना करने की क्या योजनाएं है ; और

(ग) इन्डोनेशिया के साथ, भारत-इन्डोनेशिया के बीच आर्थिक जोन की प्रभावशाली ढंग से व्यवस्था के लिये क्या समझौता किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) ग्रेट निकोबार द्वीप की एकदम दक्षिणी ओर पर पिगमेलियन स्थल सामरिक महत्व की जगह है। इस क्षेत्र की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए आवश्यक आधार कायम करने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

भारत और इण्डोनेशिया के बीच समुद्री सतह की सीमाओं के बारे में 1977 में समझौता हो गया। भारत, इण्डोनेशिया और थाईलैंड की समुद्री सतह की सीमाओं से संबंधित समझौता करार पर 1978 में हस्ताक्षर किया गया था।

भारत से चीनी का आयात करने वाले देश

4218. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1981 से फरवरी, 1982 (प्रतिमाह) के बीच भारत से प्रत्येक देश को कितनी एवं कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : अक्तूबर 1971 से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान प्रत्येक देश को निर्यात की गई चीनी की महीने-वार मात्रा और मूल्य निम्नांकित प्रकार है :

मास	देश	मात्रा (लाख मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
दिसम्बर, 1981	इन्डोनेशिया	0.38	11.93
जनवरी, 1982	इन्डोनेशिया	0.22	6.38
फरवरी, 1982	इन्डोनेशिया	0.54	15.70

4219

सार्वजनिक जमा धनराशियों पर ब्याज की दर में वृद्धि

4216. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का सार्वजनिक जमा-धनराशियों पर अनुमत ब्याज की अधिकतम दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज-दर ढांचे की बराबर समीक्षा की जाती है और विद्यमान आर्थिक स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त ब्याज दर ढांचे में परिवर्तन किया जाता है । अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटी अवधि की सावधि जमा रकमों पर पहली मार्च, 1982 से ब्याज बढ़ा दिया है । जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशियों पर ब्याज की दरें

	प्रभावी	प्रभावी
(क) बचत बैंक जमा राशियां	5.0	5.0
(ख) मीयादी जमाएं		
1. 15 दिन से 45 दिन तक	2.5	3.0
2. 46 दिन से 90 दिन तक	3.0	4.0
3. 19 दिन तथा उससे अधिक किन्तु 9 महीने से कम	4.0	5.0
4. 6 महीने तथा उससे अधिक किन्तु 9 महीने से कम	4.5	6.0
5. 9 महीन तथा उससे अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम	5.5	7.0
6. 1 वर्ष तथा उससे अधिक किन्तु 2 2 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	7.5	8.0
7. 2 वर्ष तथा उससे अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	8.5	90.0
8. 3 वर्ष तथा उससे अधिक की जमाओं के लिए	10.0	10.0

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद :—

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्वेच्छा से 3 वर्षों से कम की सावधि जमाओं पर 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं ; तथा

(2) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिनकी कुल मांग तथा समय देयताएं 25 करोड़ रुपये से कम हैं 3 वर्ष से कम की सभी सावधि जमाओं पर स्वेच्छा से 1/4 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ब्याज की अनुमति दे सकते है ।

ओ० जी० एल० के अन्तर्गत तांबे की छड़ों का आयात

4220. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) ओ० जी० एल० के अन्तर्गत तांबे की छड़ों का आयात किया गया है;

(ख) क्या इसका आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो ओ० जी० एल० के अन्तर्गत इसका आयात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) तांबे की छड़ों का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध है । तांबे की ढली हुई छड़ों, तांबे की अविच्छिन्न ढली हुई छड़ों के कुछ सीधे आयातों की जानकारी मिली है । इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि आयात नीति में सरणीबद्ध सूची में "तांबे की छड़ें" में ये मदें शामिल हैं ।

वस्त्रों की मांग में मन्दी

4221. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों की मांग में वस्तुत: मन्दी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण इसकी बहुत अधिक बढ़ी हुई कीमतें हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कपड़ा मिलों पर कोई दबाव डाला है कि वे अपने उत्पादों का मूल्य कम करें ताकि मांग में वृद्धि की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सूती वस्त्र मिलें अन्तर्निवेश लागतों में वृद्धि के कारण कठिनाई का अनुभव कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि तथा मांग में कमी हुई है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विमानों के उत्पादन में लगे हुए उद्योग

4222. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने उद्योग हैं जो विमानों में उत्पादन में लगे हुए है और उनमें से कितने उद्योग राष्ट्रीयकृत हुए है और उनकी वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ख) राज्यवार कितने व्यक्तियों को इन उद्योगों की एजेंसियां दी गई हैं और इनके लिये क्या मानदंड अपनाये गए हैं; और

(ग) चैसिस के माडल को बनाये रखने रखने के लिए निर्धारित की गई नीति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री वेंकट रामन) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हिन्दुस्तान एयरोनाटिका लिमिटेड (एच० ए० एल०) ही एक ऐसा उद्योग है जो विमानों के उत्पादन में लगा हुआ है। इसकी उत्पादन क्षमता के ब्यौरों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) एच० ए० एल० के उत्पादन मुख्यतया रक्षा सेवाओं को बिक्री के लिए हैं और इनके उत्पादों की देश में बिक्री करने के लिए कोई एजेंट नियुक्त नहीं किया गया है।

(ग) लागू नहीं होता।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4223. **श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें केवल केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों पर ही लागू थी उन्हें सशस्त्र सेना मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों सहित भारत सरकार के समस्त कर्मचारियों पर भी लागू किया गया था ;

(ख) क्या ऐसे उदाहरण ध्यान में आये हैं जहां तीसरे वेतन आयोग के निष्कर्षों/सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये आदेशों के बाद सशस्त्र सेना मुख्यालय द्वारा उन्हें कार्यान्वित न किया गया हो; और

(ग) यदि हाँ, तो किस हद तक उसका ब्यौरा क्या है जो उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

रक्षा मंत्रा (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) तीसरे वेतन आयोग की केन्द्रीय सरकार के आम कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित सिफारिशें सभी वर्गों के कर्मचारियों पर लागू होती है बशर्ते कि ऐसी सिफारिशें किसी खास वर्ग के कर्मचारियों से विशेष रूप से सम्बन्धित न हों।

(ख) जी नहीं। तीसरे वेतन आयोग की जो सिफारिशें आय कर्मचारियों पर लागू थी उनके आधार पर सशस्त्र सेना मुख्यालय के कर्मचारियों पर भी उन्हें लागू के आदेश जारी किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया तट रक्षकों द्वारा गिरफ्तार किया गया थाई मछुआरा

4224. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 105 थाई मछुआरों को जिन्हें हल्दिया तट रक्षकों द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश तथा बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ते हुए 17 नवम्बर को पकड़ा गया था, उन पर अभियोग चलाने हेतु केन्द्र से अभी तक कोई आदेश न मिलने के कारण उनका भाग्य अधर में लटका हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री वेंकट रामन) : (क) और (ख) भारत के समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयान द्वारा मछली पकड़ने का विनियम) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मजूरी आवश्यक नहीं है। तथापि मानवता के आधार पम सरकार ने थाई के इन मछुओं को छोड़ देने का निश्चय किया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आवश्यक अनुदेश भेज दिये गए हैं।

आर्थिक सुधार आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट

4225. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "रुल्स फार इंडियन्स अब्रोड आउटडेटेड, सेज झा" (विदेशों में भारतीय के लिए बने नियम पुराने पड़ गए– झा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्री एल० के० झा ने, जोकि आर्थिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं, हाल ही में "अरब टाइम्स" को बताया था कि (एक) सम्बद्ध प्रवासियों के लिए विद्यमान नियम वे है जो ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाये गए वे और पुराने पड़ गये है और (दो) कि इनमें, सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जाने से पूर्व सुधार किए जाने हैं; और

(ग) क्या आर्थिक सुधार आयोग ने सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञात हुआ है कि श्री झा ने "अरब टाइम्स" के सम्पादक से भेंटवार्ता करते हुए कुछ ऐसी प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के अस्तित्व को मान लिया है जिनका सामना अनिवासी भारतीय को भारत में पूंजी निवेश करते समय करना पड़ता है।

(ग) आयोग ने इस विषय पर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी है। विदेशस्थ भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश के कुछ निश्चित पहलुओं के सम्बन्ध में आयोग अपने विचार, कर सम्बन्धी कानूनों, कर-भिन्न साधनों तथा सरकारी प्रक्रियाओं की जांच करने के कार्य के दौरान व्यक्त करेगा क्योंकि आयोग के समक्ष यही तीनों विचारणीय विषय उपस्थित है।

प्रत्येक राज्य में तीन चार पर्यटक स्थलों का विकास

4226. **श्री एम० एम० कृष्ण :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कहा गया है कि वे प्रत्येक राज्य में तीन चार स्थलों का सुझाव दें जिन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इन स्थलों का विकास करने के लिये उनके पास किस प्रकार की योजनायें है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है जिसमें केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध ससाधनों को एकत्र करते हुए 61 यात्रा परिपथों के, जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं, एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है ।

(ग) पहले से विद्यान सुविधानों तथा धनराशि की उपलब्ध और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए आवास, स्थल परिवहन, मनोरंजनात्मक सुविधाएं, मनोरंजन आदि के रूप में विकास का कार्य किया जाएगा ।

वाणिज्य मंत्रालय में हरिजन और आदिवासी कर्मचारियों का कोटा पूरा करना

4227. **श्री राम विलास पासवान :** क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संत्रालय में विभिन्न वर्गों में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें कितने हरिजन और आदिवासी कर्मचारी है ; और

(ग) यह कोटा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्रालय (सचिवालय मुख्य) में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
(1) वर्ग "क"	92	6	1
(2) वर्ग "ख"	291	20	3
(3) वर्ग "ग"	348	32	3
(4) वर्ग "घ"	141	43	14

(ग) जहां तक वाणिज्य मंत्रालय में वर्ग "घ" के पदों का सम्बन्ध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा में कोई कमी नहीं हुई है। जहां तक वर्ग 'क', "ख" तथा "ग" पदों का सम्बन्ध है, मंत्रालय में इन अधिकांश पदों की भर्ती, कुछ असंवर्ग पदों को छोड़कर, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की मार्फत की जाती है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर उचित उम्मीदवारों को नामित करने का ध्यान रखता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित पदों को इन समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवारों द्वारा भरने का प्रयास किया जा रहा है।

लेखा महानियन्त्रक की प्रशासकीय शक्तियां

4228. **श्री ई० बाला नन्दन :**

श्री अजित बाग :

श्री अजय बिश्वास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए लेखा महानियंत्रक को प्रशासकीय शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1-4-1976 से चरणों में आरम्भ की गई लेखाओं के विभागीयकरण की स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों के सचिव मुख्य लेखाकरण प्राधिकारी हैं और मन्त्रालयों/विभागों में समस्त लेखाकरण कर्मचारी उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस प्रकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन और लेखा एककों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का महालेखा नियंत्रक को कोई प्रशासकीय शक्तियां प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कनिष्क और वरिष्ठ अनुपादकों के पदों के लिए तदर्थ तथा स्थायी रिक्त पद

4230. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अनुवादकों के लिए कितने तदर्थ और स्थायी रिक्त पद बने हुए हैं;

(ख) क्या ये पद डी० पी० ए० आर० के निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर बनाये गये हैं या मंत्रालय के अपने स्तर पर मनमाने ढंग से बनाये और भरे जा रहे हैं;

(ग) यदि डी० पी० ए० आर० के निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर नहीं बनाये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त पद अन्य मंत्रालयों/विभागों में व्यापक प्रचार किये बिना भरे गए है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इस समय इस मंत्रालय (मुख्य) के सचिवालय में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं है ।

(ख) से (घ) इस मन्त्रालय ने मन्त्रालय (मुख्य) के सचिवालय में हिन्दी कार्य के लिए वित्त मन्त्रालय के अनुमोदन से, हिन्दी अनुवादक ग्रेड एक के दो पदों तथा हिन्दी अनुवादक ग्रेड दो के दो पदों का सृजन किया था । हिन्दी अनुवादक ग्रेड एक के दो पद इन पदों के लिए इस मन्त्रालय के भर्ती नियमों के अनुसार इस मन्त्रालय के दो पात्र ग्रेड दो हिन्दी अनुवादकों की पदोन्नति करके, क्रमश: 20-1-81 तथा 10-7-81 से नियमित आधार पर भरे गए हैं । राज-भाषा विभाग द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार इस मन्त्रालय के एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड एक को तदर्थ आधार पर हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए जाने पर, हिन्दी अनुवादक ग्रेड एक का एक रिक्त पद हिन्दी अनुवादक, ग्रेड दो को पदोन्नति करके तदर्थ आधार पर भर लिया गया है । हिन्दी अनुवादक ग्रेड दो को परिणामी-रिक्तियां, राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा (ग्रुप ''ग'' पद) नियम, 1981 के अन्तर्गत इन पदों के लिए दी गई शर्तों के अनुसार नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक, तदर्थ आधार पर भर ली गई हैं ।

नौसेना अकादमी का स्थान निर्धारण

4231. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अकादमी के स्थान पर निर्धारण हेतु अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है :

(ख) यदि हां, तो वह स्थान कौन सा है और उसकी जगह (साइट) कब चुनी जायेगी तथा कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि रखी गई ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं, इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता

',नेवी बैंड कन्सर्ट फेल्स टू इम्प्रेस'' शीर्षक समाचार

4232. **श्री ए० यू० आजामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में " नेवी

बैंड कम्पटे फेल्स टू इम्प्रेस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें संगीतज्ञों के अपर्याप्त प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) संगीत कला को सुधारने तथा समाचार पत्र की रिपोर्ट में इन्गित कमियों को दूर करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस संगीत की कुछ अन्य समाचार पत्रों के संगीत समालोचकों द्वारा भी समीक्षा की गई थी उन्होंने नौसेना बैंड के उच्च कोटि के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा की है ।

2. भारतीय नौसेना बैंड वादकों के प्रदर्शन और सुधार लाने की दृष्टि से उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

आर्डिनेंस डिपो, कलकत्ता को बन्द करने संबन्धी प्रस्ताव

4223. **श्री बयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डिनेंस डिपो, कलकत्ता को बन्द करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचार धीन है ;

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों की वरीयता आदि में व्यवधान डाले बिना ही इन्हें कलकत्ता अथवा आसपास के स्थानों में नौकरियां देने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) इसे बन्द करने के विशेष कारण क्या है ?

रक्षा मन्त्री श्री आर० वेंकटरामन :(क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । जिसे अन्य बातों के साथ-साथ थल सेना के लिए वांछित सम्भारिकी सहायता जुटाने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था । इस समिति ने अनेक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आर्डिनेंस डिपो, कलकत्ता को बन्द कर देने की सिफारिश की थी । बहरहाल, इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

इस मामले में कोई अन्तिम फैसला करने से पूर्व सरकार सभी संबन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी ।

भारत और श्रीलंका के बीच तस्करी

4234. **डा० कृपा सिंधु भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीलंका और भारत के बीच 1981 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में तस्करी बढ़ी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि श्रीलका और भारत के बीच तस्करी पर सतत नियंत्रण बना हुआ है। तो भी श्रीलंका और भारत के बीच तस्करी किए जाते समय सीमाशुल्क अधिकारियों ने 1980 लाख रुपये मूल्य का माल पकड़ा तथा 1981 मे लगभग 291 लाख रुपये मूल्य का माल पकड़ा।

सेना अधिनियम और नियमों द्वारा संचालित किये गए विभाग

4235. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जहां सेना अधिनियम और सेना नियमों को लागू किया गया है ;

(ख) इन अधिनियमों और नियमो को लागू करने की आवश्यकता का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में उपबन्धों का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सेना अधिनियम 1950 के प्रावधान कुछ संशोधनों के साथ निम्नलिखित पर लागू किए गए हैं :

(1) सिविल जनरल ट्रांसपोर्ट कम्पनियां और इन्डीपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्लाटूनस (सिविल जी० टी०)

(2) असम राइफल्स यूनिटें जब वे नियमित सेना के किसी संगठन के साथ सम्बद्ध की गई हो या उनके साथ काम करती हो।

(3) जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स

(ख) सेना अधिनियम और सेना नियमों की कुछ धाराओं को उपर्युक्त पर लागू करने की आवश्यकता है ताकि जबसे सेना की सक्रियात्मक कमान के अधीन काम करते हैं तो इन पर सेना द्वारा कारगरता से कमान तथा नियन्त्रण किया जा सके।

(ग) सेना अधिनियम, कुछ संशोधनों के साथ निम्न प्रकार से लागू किया गया है :-

(1) सिविल जी० टी० कम्पनियां और इन्डीपेंडेंट ट्रांसपोर्ट प्लाटूनस	दिनांक 22 जुलाई, 1950 के का० नि० आ० 122 के द्वारा
(2) असस राइफल्स-दिनांक 6 दिसम्बर 1962 के का० नि० आ०318 के द्वारा	
(3) जनरल रिजर्व इन्जीनियर- दिनांक 23 जुलाई, 1960 के का० नि० आ० सं० 329 के द्वारा	

हवाई अड्डों पर "एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम" की स्थापना

4136. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के हवाई अड्डों पर "एक्स-रे बैगेज-इनस्पेक्शन सिस्टम" स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकरण का निर्माण देश में ही किया जा रहा है या इसे विदेश से आयात किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह उपकरण सभी हवाई अड्डों पर स्थापित किया जाएगा या केवल कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर ही ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, हां ।

(ख) 32 एक्स-रे बैगेज निरीक्षण की प्राप्ति के लिए महानिदेशक, आपूर्ति तथा निपटान के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया, हैदराबाद को, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, आदेश दिये जा चुके हैं । पहली चार यूनिट आयात की गयी हैं और बाकी की 28 यूनिटें उक्त उद्यम द्वारा क्रमशः भारत में ही तैयार की जा रही हैं ।

(ग) आरम्भ में इन उपकरणों को देश के चारों अन्तरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा 11 अन्य बड़े अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर लगाया जाना है । ये उपकरण 12 और अन्तरर्देशीय हवाई अड्डों पर लगाने की भी योजनाएं हैं ।

दिल्ली छावनी में गैर सैनिकों को खराब स्वास्थ के आधार पर बिजली के अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना

4377. **श्री हरीश कुमार गगवार :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी में गैर-सैनिक लोगों को खराब स्वास्थ्य तथा बच्चों को पढ़ाई के आधार पर बिजली के अस्थायी कनेक्शनों की मंजूरी देने के सम्बन्ध में एम० ई० एस० रेगुलेशन्स में कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत छः महीने के दौरान कितने लोगों ने अस्थाती कनेक्शनों के लिए आवेदन भेजे हैं तथा उन पर की गई कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) एम० ई० एस० विनियमों में यह प्रावधान है कि एम ०ई० एस० सिविल लोगों की चिकित्सा के आधार पर, बिजली के अस्थायी कनेक्शन मंजूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) चार व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण 'ख' में दिया गया है ।

विवरण 'क'

एम० ई० एस० विनियम (1968) पैरा 844 परिशिष्ट 'एय' पैरा 6 और 7

बिजली और पानी के अस्थायी कनैक्शन

6. स्टेशन कमाण्डरों द्वारा विशेष मामलों, अर्थात धार्मिक, सामाजिक और चिकित्सा के आधार पर, अधिक से अधिक 15 दिन की अवधि के लिए, बिजली और पानी के अस्थायी कनैक्शन मंजूर किये जा सकते हैं ।

7. ऐसे अस्थायी कनैक्शनों को मंजूर करने और उसके प्रभारों की वसूली की पद्धति निम्न प्रकार से होगी :

(क) उपभोक्ता द्वारा सबसे पहले आवेदन पत्र गैरीजन इन्जीनियर को भेजना होगा, जो इस आश्रय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा कि सामान्य आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली/ पानी उपलब्ध किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र को स्टेशन कमाण्डर को मंजूरी के लिए असेकति करेगा ।

(ख) उपभोक्ता इस बात के लिए जिमेम्दार होगा की सर्विस लाइनों सहित लगाये कार्य गैरीजन इन्जीनियर की सन्तुष्टि के सुताबक लाइसेन्स शुदा दार से कराया जाए ।

(ग) एम० ई० एस० द्वारा कनैक्शन दिया जायेगा और मीटर लगाया जाएगा ।

(घ) प्रत्येक कनैक्शन के लिए 3 रुपये शुल्क वसूल किया जाएगा । मीटर का किराया प्रतिदिन 50 पैसे होगा ।

(ड.) अनुमानित खपत, कनैक्शन शुल्क: मीटर किराया आदि के प्रभावों के लिए धरोहर अग्रिम वसूल की जायेगी ।

(च) बिजली/पानी की खपत के प्रभावों का हिसाब, अखिल भारतीय दर या सम्पूर्ण लागत (आल-इन-फर्स्ट) दर पर, जो भी अधिक हो, लगाया जाएगा ।

(छ) गैरीजन इन्जीनियर द्वारा आई० ए० एफ० डब्यू-251 पर उपभोक्ता के साथ एक करार किया जाएगा ।

विवरण 'ख'

प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही का ब्योरा

क्रम सं	आवेदक का नाम	की गई कार्यवाही
1.	श्री मोती राय	चिकित्सा के आधार पर 11 फरवरी से 24 फरवरी 1982 तक अस्थायी कनैक्शन दिया गया ।

2.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	आवेदन पत्र की विधिवत जाँच करके गैरीजन इन्जीनियर (ई/एम) द्वारा 11 मार्च, 1982 को इसे स्टेशन मुख्यालय दिल्ली छावनी को अग्रेसित कर दिया गया। आवेदन पत्र पर अब स्टेशन मुख्यालय द्वारा कार्यवाई की जा रही है।
3.	श्री मंगत राम	संबंधित व्यक्ति ने कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए बिजली की सप्लाई के लिए आवेदन किया था। चूंकि एम. ई. एस. विनियमों के 15 दिन से अधिक के लिए बिजली का अस्थायी कनैक्शन मजूर करने का प्रावधान नहीं है इसलिए इसे मंजूर नहीं किया जा सकता।
4.	श्रीमती रमा कपूर	चिकित्सा के आधार पर 1 मार्च से 15 मार्च, 190 तक 2 कि० वा० लोड मंजूर किया गया था लेकिन कनैक्शन नहीं दिया जा सका क्योंकि संबंधित व्यक्ति ने सर्विस कनैक्शन प्रभार, मीटर किराया आदि की रकम जमा नहीं कराई थी।

अन्तराष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता से होकर उड़ानें

4238. **प्रो० रुप चन्द्र पाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी अन्तरराष्ट्रीय विमान कम्पनियां इस समय कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर विमान सेवाएं चलाती हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : आठ अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइने अर्थात एयर इन्डिया, एयरोफ्लोट ब्रिटिश एयरवेज, बंगलादेश विमान, स्कैंडिनेवियन एयरवेज, याई एयरवेज, रायल नेपाल तथा बर्मा एयरवेज कलकत्ता से होकर परिचालन करती हैं। इनके अतिरिक्त इन्डियन एयरलाइन्स कलकत्ता से होते हुए नेपाल और बंगलादेश के लिए परिचालन करती है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी

4239. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इनका पूरा ब्यौरा अर्थात उनकी संख्या और उनके अलग-अलग संवर्ग क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के एककों में गैर-व्यावसायिक व्यक्तियों के स्थान पर व्यावसायिक प्रबंधक रखने की आवश्यकता को दृष्टि से इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों में शीर्ष स्तरीय एवं इससे निम्न स्तरीय एवं इससे निम्न स्तरीय पदों पर नियुक्तियां, उन पदों की विशिष्ट कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार की जाती हैं। अत: इन पदों के लिये केवल व्यवसायिक अनुभव सम्पन्न व्यक्तियों के बारे में ही विचार किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक प्रबन्ध समूह के सेवारित अधिकारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के फिलहाल 69 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन अधिकारियों का सेवा सम्बन्धी ब्यौरा इस प्रकार है :—

आई० ए० एस०	=	34
आई० ए० एण्ड ए० एस०	=	8
आई० आर० ए० एस०	=	5
आई० आर० एस० ई०	=	1
सी० ई० एस०	=	1
आई० ओ० एफ० एस०	=	1
आई० सी० ए० एस०	=	1
आई० आर० एस०	=	2
आई० डी० ए० एस०	=	2
आई० पी० एस०	=	10 (भारतीय पुलिस सेवा)
आई० पी० एस०	=	1 (भारतीय डाक सेवा)
आई० आर० टी० एस०	=	2
आई० एफ० ए० एस०	=	1

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों को बिना किराया रसीदें दिखाये मकान किराये भत्ते की अदायगी

4240. **श्री चन्द्र देव प्रकाश वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 750 रुपये हो जाने तक, बिना किराया रसीद दिखाये मकान किराया भत्ता अदा कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह सीमा कब तक निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या दिल्ली तथा अन्य महानगरों में मकानों के किराया मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने और कतिपय श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार का विचार उक्त सीमा को बढ़ाने का है ताकि वे मकान किराये भत्ते का पूरा लाभ उठा सकें ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 750/-रुपये प्रतिमास तक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किराये की रसीद प्रस्तुत किए बिना यथा स्वीकार्य मकान किराया भत्ता दिया जाता है। 750/-रुपये प्रतिमास से अधिक मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी किराये की रसीद प्रस्तुत किए बिना मकान किराए भत्ते की उतनी ही राशि का दावा करने का विकल्प दिया गया है जो कि उसी स्थान पर सेवा-रत 750/-रुपये का मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य है।

(ख) : 1-11-1973 से 1

(ग) और (घ) : किराये की रसीद प्रस्तुत किये बिना मकान किराया भत्ता लेना एक महत्वपूर्ण रियायत है। इस रियायत में और आगे छूट देने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लेखा परीक्षा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4241. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**
श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लेखा परीक्षा विभाग के हजारों कर्मचारियों को इस आश्वासन के साथ सिविल लेखे विभाग में स्थानान्तरित किया गया था कि लेखा परीक्षा विभाग में कर्मचारियों को दिये जा रहे अथवा दिये जाने वाले लाभ तथा परिलब्धियां लेखा कर्मचारियों को भी दी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यहा सच है कि लेखा परीक्षा विभाग में दिये जा रहे अथवा दिये जाने वाले लाभों अथवा परिलब्धियों से लेखा विभाग के कर्मचारियों को वंचित रखा जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधाओं का ब्योरा क्या है जो लेखा विभाग तथा लेखा परीक्षा विभाग में पुनः आरम्भ की गई हैं अथवा आरम्भ की जा रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सघ लेखाओं के विभागीय (कार्मिकों का स्थानातरण) विधेयक के सम्बन्ध में 25 मार्च 1976 को लोक सभा में हुए विचार-विमर्श के दौरान सिविल लेखा पक्ष में स्थानान्तरित किए जाने वाले लेखा-परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को दिया गया आश्वासन यह था कि ऐसे कर्मचारी उन पर नियुक्ति किए जाने के हकदार होंगे जिनका वेतनमान उन पदों के वेतनमानों से कम न हो जिन पर वे ऐसे स्थानान्तरण से तुरन्त पहले नियुक्त थे। यह आश्वासन, संघीय लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 मे शामिल किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि स्थानान्तरित किया गया प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसे पद पम जिसका वेतनमान उस पद के वेतनमान से, जो वह ऐसे स्थानान्तरण की तारीख से तुरन्त पहले धारण कि हुए

था, कम अनुकूल न हो और उसी हैसियत में (स्थायी अथवा स्थानापन्न तौर पर) जिसमें वह लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में पद धारण किए हुए था नियुक्त किए जाने के लिए हकदार होगा। स्थानान्तरित कर्मचारियों को किसी भी समय ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि लेखा पक्ष की सेवा शर्तें भविष्य में हमेशा के लिए लेखा-परीक्षा पक्ष की सेवा शर्तों के अनुरूप होंगी।

सिविल लेखा कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (ग्रुप 'ग') भर्ती नियमावली, 1978 के उपलब्धों के अन्तर्गत विनियमित की जा रही हैं और ऐसे अन्य सेवा लाभ उनको दिये जा रहे हैं जो सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। लेखाओं के विभागीकरण, और उपर्युक्त भर्ती नियमों के पश्चात् परिवर्तन स्थिति को देखते हुए लेखा पक्ष की सेवा शर्तों की लेखा-परीक्षा पक्ष की सेवा शर्तों के साथ तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) : ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय और अमरीकी व्यापारियों को किसी तीसरे देश में निर्माण कार्यों के लिए सहयोग

4242. **श्री मगन भाई बरोट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और अमेरिकी व्यापारियों के बीच किसी तीसरे देश में बड़े निर्माण कार्यों में सहयोग करने के बारे में अभी हाल ही में सहमति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विशेष समझौतों की सरकार द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) भारत में कौन सी परियोजनाओं का निर्माण किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पो० ए० सगमा) : (क) भारत-संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार परिषद की 7वीं बैठक फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में हुई जिसमें दोनों देशों व्यापारियों ने भाग लिया। इस परिषद ने सिफारिश की है कि एक दूसरे की क्षमता के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए तथा तीसरे देशों में परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए उनके बीच सहयोग के क्षेत्र का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में भारतीय तथा अमरीकी कम्पनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

(ख) परियोजना निर्यातों के लिए व्यापक बाजार, अलग अलग परियोजनाओं के आकार विभिन्न देशों से प्रतियोगिता तथा अनेक क्षेत्रों मे भारतीय इन्जीनियरी विशेषज्ञता के तुलनात्मक लाभ को देखते हुए तीसरे देश की परियोजनाओं में संयुक्त राज्य अमरीका सहित अन्य देशों की फर्मों के साथ लाभकारी सहयोग की गुन्जाइश है।

(ग) यह सिफारिश एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में जानकारी के आदान प्रदान के लिए तथा सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों पर संयुक्त बैठकों की व्यवस्था

करने के लिए है। विशिष्ठ करारों के लिए सरकार द्वारा जांच की आवश्यकता ऐसे मामलों में होगी जहां सरकार की क्लीयरेन्स जरूरी हैं। बोली देते समय परियोजना निर्यातकों को वित्तीय संस्थानों के कार्यकारी दल द्वारा अपनी बोलियों को क्लीयर करवाना होगा।

(घ) इस प्रस्ताव में भारत में परियोजना निर्माण करना शामिल नहीं है।

अप्रत्यक्ष करों का उत्पादन शुल्क पर राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की राय तथा अन्य करों का राजस्व पर प्रभाव

4243. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अप्रत्यक्ष करों पर झा समिति ने और राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने राय व्यक्त की है कि उत्पादन एवं अन्य अप्रत्यक्ष करों की वर्तमान अत्याधिक दरों का विपरित प्रभाव पड़ रहा है और उनसे राजस्व की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया गया था कि शुल्क की उच्च दरें चयनात्मक आधार पर लागू की जानी चाहिए। इन दरों को लागू करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या इन दरों से उत्पादन शुल्क लगाने योग्य माल की खपत में सापेक्ष की कमी से अधिक कमी तो नहीं होगी और उसके परिणामत: राजस्व की हानि होने की संभावना तो नहीं है। राष्ट्राय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की "मूल्य नियन्त्रण और चुनिंदा उद्योगों पर उत्पाअन शुल्क के प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन" नामक 1978 में प्रकाशित रिपोर्ट में इसी प्रकार का ही मत व्यक्त किया गया था कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उच्च दरों के परिणामत: किन्हीं वस्तुओं विशेष के उन्पादन में कमी आ सकती है जिसका अभिप्राय यह है कि उनसे कम राजस्व प्राप्त होगा।

(ख) सरकार ने ऊपर उल्लिखित मतों को नोट कर लिया है।

जैसलमेर के लिए 'वायुदूत' सेवा

4244. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसलमेर जो कि सामरिक तथा पर्यटन की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण नगर है और जहां हजारों विदेशी पर्यटक जाते हैं के लिए विमान सेवा "वायुदूत" कब आरम्भ की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जैसलमेर वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम के प्रथम चरण में इसकी सेवाओं से जोड़ने वाले स्टेशनों की सूची में शामिल है। तथापि, जैसलमेर के लिये सेवा का परिचालन विमान एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर है।

कपड़े की निर्यात होने वाली किस्मों का उत्पादन शुरू करना

4245. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कपड़ों का निर्यात होने वाली किस्मों के उत्पादन को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन में किस प्रकार विविधीकरण लाने और उसे बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०ए० सगमा) : (क) से (ग) आयातक देशों में मांग, दी गई कीमतें और घरेलू बाजार में परिस्थितियें आदि जैसे संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं एककों द्वारा निर्यात प्रयोजनार्थ कपड़े की विभिन्न किस्मों का उत्पादन किया जाता है। सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना पहले ही घोषित कर दी है जिसके अन्तर्गत कुल उत्पादन (अनुमेय स्तर तक अस्वीकार की गई मात्रा को छोड़ कर) का निर्यात किया जाएगा।

गुजरात में और अधिक स्थानों पर इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं :

4246 **श्री नवीन रवाणी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब गुजरात में राज्य पर्यटन मन्त्री से उनकी भेंट थी तब उन्होंने गुजरात राज्य में तीसरी एयरलाइन्स सेवा शीघ्र आरम्भ करने का वचन दिया था;

(ख) इस विशन सेवा के अन्तर्गत किन नगरों को लाया जायेगा ; और

(ग) गुजरात में यह सेवा कब तक आरम्भ होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) से (ग) विमान क्षेत्रों के परिचालनों के लिए उपयुक्त होने पर, वायुदूत सेवाओं के भावी विस्तार कार्यक्रम में, अमरेली, कांडलों सूरत तथा द्वारका को विमान सेवा से जोड़न का प्रस्ताव है। अभी तक सेवाओं को आरम्भ करने की कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई।

भारतीय माल को विदेशी माल के नाम से बिक्री

4247. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1982 के 'सांध्य टाइम्स में 'पटरियों पर खुले आम विदेशी माल बिकता है; कोई पहचानने वाला नहीं कि यह चीजें आती कहां से हैं "शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि :

(एक) विदेशी लेबल लगाकर/ बोतलों में भारतीय माल भरकर वस्तुओं की बिक्री द्वारा लोगों को धोखा दिया जाना;

(दो) प्रत्येक किस्म के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्ययकता;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई तथा मुद्रा स्फीति, काले धन संग्रह को रोकने तथा सरकारी काम में वृद्धि करने की दृष्टि से पटरियों पर, साप्ताहिक बाजारों, फेरी समाचार पत्र सहितबिक्री किसी भी किस्म का व्यापाप/कारोबार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बनाने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) से (घ) सरकार का ध्यान इस लेख की ओर दिलाया गया है । इस लेख के लेखक ने करोल बाग, नई दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में विदेशी माल के खुले प्रदर्शन, उसकी बिक्री तथा इस प्रकार के माल की नकली किस्म पर जोर दिया है ।

जिन दुकानों, स्टालों, फेरीवालों के बारे में यह जाना जाता है कि वे चोरी छिपे लाये गये माल को बेचते हैं उन पर सीमा शुल्क (तस्करी-विरोधी) विभाग के नगर/शहर के निवारक एककों द्वारा सामुहिक छापे मारे जाते है । प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि शहर के बाजारों में बिक्री के लिए रखे गये विदेशी मर्के के माल में से बहुत सारा माल नकली होता है और स्थानीय तौर पर निर्मित किया गया होता है । दूसरे शब्दों में, ये वस्तुएं विदेशी माल की नकल होती है और विदेशी माल के रुप में बेची जाती हैं ।

जहां तक दिल्ली शाप एक्ट इस्टेब्लिशमेन्ट ए(ट 1954 का संबंध है, प्रत्येक प्रतिष्ठान (जिसमें दुकान आदि भी शामिल हैं) के मालिक को प्रतिष्ठान की पंजीकृत करने के लिए, जिसमें दुकान आदि भी शामिल है, निर्धारित फीस के साथ निर्धारित फार्म में एक विवरण-पत्र (उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त) मुख्य निरीक्षक को भेजना होता है ।

जहां तक दिल्ली में तथा कथित साप्ताहिक बाजारों में माल बेचने वालों का संबंध है, इस सम्बन्ध में की गयी पूछताछ से पता चलता है कि इन विक्रेताओं को नगर-प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती । कोई भी विक्रेता इन बाजारों में स्थान घेर सकता है। परन्तु दिल्ली नगर निगम इन विक्रेताओं से तहबाजारी नाम से एक कर वसूल करता है जो लगभग 4' × 6' स्थान घेरने के लिए 2 रु० से 4 रु० तक की दर से लगाया जाता है और जो उस इलाके पर निर्भर करती है जहां ये बाजार लगते हैं इन बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं सामान्यत: आम इस्तेमाल की होती हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम शुद्ध आय जिस पर आयकर नहीं लगता है, 15000/- रुपये है, वर्ष में ऐसे विक्रेताओं की कुल आय इतनी अधिक नहीं होगी जिससे उन पर कर लगाला जा सके ।

जहां तक जालसाजी करने तथा गलत ट्रेड मार्क लगाने का सम्बन्ध है, व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम 1958 में दण्डात्मक उपलब्ध निहित हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित है .

कालसी-चक्रौता मोटर सड़क को पी०डब्ल्यू०डी० उत्तर प्रदेश को स्थानान्तरित करना

4248. **श्री त्रेपन सिंह नेगी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देहरादून में कालसी-चक्रौता मोटर सड़क रक्षा मंत्रालय के अधीन है और क्या इस सड़क को दुतरफा यातायात हेतु नहीं खोला गया है जबकि कालसी के पीछे वाली सड़क और चक्रौता के आगे वाली सड़क को दुतरफा यातायात के लिए खोला गया है ;

(ख) क्या रक्षा मन्त्रालय इस सड़क को उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को सौंपने को तैयार है क्योंकि इस सड़क का ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) कालसी-चक्रौता सड़क उत्तर प्रदेश सरकार को हस्त करने के आदेश रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी कर दिए गए हैं। यह एक संकरी पहाड़ी सड़क है जिसमें कई जगहों पर खतरनाक मोड़ हैं इसलिए मौजूदा हालत में इस पर दोनों तरफ का यातायात शुरु करने की अनुमति देना खतरनाक है। पहले से ही सावधानी बरतने की दृष्टि से इस सड़क में एक तरफ यातायात की अनुमति दी हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पार्ले एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लि० तथा बिसलेरी इन्डिया (प्राइवेट) लि० के बीच हस्ताक्षर किया गया करार

4249. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या वित्त मन्त्री पार्ले एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० बिसलेरी इन्डिया प्राइवेट लि० के बीच करार के बारे में 8-12-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत ठगी के अपराध और 'फेरा' (1947) के अन्य उपलब्धों के उल्लंघन के जुर्म में सी० बी० आई० के पास 5 अप्रैल 1980 को दर्ज किए गए मामले की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जांच पूरी हो जाने के बाद, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा उपनिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय बम्बई की ओर से मेसर्स बिसलेरी इन्डिया प्रा० लि० तथा उसके दो निदेशकों अर्थात श्री रमेश चोहान तथा श्री एच० एम०,

गोलावाला के विरुद्ध, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित विदेशी मुद्रा विनिमन अधिनियम 1947 की धारा 22/23 (क) तथा 23 ग के अन्तर्गत 16 अप्रैल 1981 को बम्बई के अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट न्यायालय मे एक शिकायत दायर की गई थी। तथापि, ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने के सम्बन्ध में निवेदन करते हुए कम्पनी तथा उसके दोनों निदेशकों ने ने बम्बई उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के सम्बन्ध में 14 जनवरी 1982 को आदेश पारित किए। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

निर्यात निरीक्षण एजेंसी में भर्ती

4250. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात निरीक्षण एजेंसी में पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितनी नई नियुक्तियां हुई है ;

(ख) इन नियुक्तियों का मानदण्ड क्या था ;

(ग) क्या एजेंसी में भर्ती सम्बन्धी कोई स्पष्ट नियम है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ये भर्तियां किन आधारों पर की जाती हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निर्यात निरीक्षण एजेंसी में 1-3-80 से 28-2-1982 तक की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रेडों में 108 नई नियुक्तियां की गई।

(ख) से (घ) : 2 अगस्त, 1980 से पूर्व नियुक्तियां निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों के आधार पर की गई थीं। 2 अगस्त, 1980 के पश्चात, निर्यात निरीक्षण एजेंसी में हुई भर्तियां, भारत के राजपत्र, जी० एस० आर सं० 794 दिनांक 2-8-1980 में प्रकाशित भर्ती नियमों के अनुसार की गई थी।

बिन्नी मिल्स के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

4251. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बंगलौर स्थित बिन्नी मिल के कर्मचारियों से इस मिल के कार्यकरण तथा श्रमिकों की समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में उठाई गई विभिन्न समस्याओं से निबटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विन्नी गार्मेंट फैक्टरी के कामगारों की यूनियन से प्राप्त अभ्यावेदनों के अतिरिक्त सरकार को किसी अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को बांटी गई राशि

4252. **अन्नतरामुलु मल्लु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान गैर- राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण के रुप में कुल दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, राज्यवार, विशेष रुप से आन्ध्र प्रदेश राज्य में दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना देने की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्दर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों की बकाया रकमों के आंकड़े अलग-अलग वर्गों के रुप में दिए जाते हैं । राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गये अग्रिमों और इन वर्गों को अलग से दिए गए ऋणों के राज्य वार आंकड़े सदन के पटल पर रखे जायेंगे ।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

4253. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोलने का बिचार है और इन शाखाओं को किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ;

(ख) उनमें से कितनी बैंक शाखायें गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में खोलने का विचार है और इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1982-83 में कितनी बैंक शाखाएं खोली जायेंगी और इन शाखाओं को किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1982-83 से 1884-85 तक के तीन वर्षों के वास्ते शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है । इस नई नीति में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक कार्यालय

खोलने की व्यवस्था है जिससे कि ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति 17,000 व्यक्तियों पर औसतन एक शाखा की व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में शाखा लाइसेंसिंग नीति केवल एक सीमित सीमा तक ही रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों, छितरी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ऐसे क्षेत्रों में शाखा विस्तार जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार निर्धारित नहीं होगा बल्कि. इसका निर्धारण, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में मौजूद कमी, जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार निर्धारित समूह की बैंकिंग आवश्यकताओं, आर्थिक गतिविधि नीति के विकास को ध्यान में रखते हुए होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, गुजरात की सरकार से अनुरोध किया है कि वह जिला परमर्शदात्री समिति के परामर्श से, राज्य में उन ग्रामीण बैंक विहीन स्थानों का निर्धारण करे जहां बैंक कार्यालय खोले जाने हों। स्थानों के आबंटन को अन्तिम रुप तभी दिया जा सकेगा जबकि बैंक राज्य सरकार की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त हो जाए। इसलिए, गुजरात में 1982-83 के दौरान शाखा विस्तार योजनाओं का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

आयकर आयुक्त के संवर्ग में असंगत वृद्धि

4254. **श्री सामजी भाई डामोर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त के संवर्ग में असंगत वृद्धि हुई है ;

(ख) 1-1-1978 और 1-1-1982 को आयकर आयुक्तों की मंजूरशुदा संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उनको कोई पूरक कर्मचारी सहयोगी कर्मचारी नहीं जुटाए हैं जिसके परिणामस्वरूप वे खाली बैठे रहते हैं ; और

(घ) आयकर प्रशासन में अधिकारियों का बाहुल्य हो जाने से, सरकार का विचार संतुलन बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) से (ग) : 1 जनवरी 197 की स्थिति के अनुसार, आयकर आयुक्तों के स्वीकृत पदों की संख्या (जिनमें निदेशक तथा विशेषकार्थ अधिकारी भी शामिल हैं) 83 थी। वर्ष 1978 के दौरान आयकर आयुक्तों के 80 अतिरिक्त पद (जिनमें निदेशक तथा विशेष कार्य अधिकारी भी शामिल हैं), सहायक आयकर आयुक्तों के इतनी ही संख्या मेंपदों का दर्जा बढ़ाकर, मंजूर किए गए थे। सहायक आयुक्तों से समबद्ध सहायक कर्मचारियों की व्यस्वथा उन पदों के लिए कर दी गई थी जिनका दर्जा बढ़ाकर आयकर आयुक्त कर दिया गया था। सितम्बर, 19 1में, आयकर आयुक्तों के 91 अतिरिक्त पद (जिसमें मुख्य आयुक्त, महानिदेशक निदेशक भी शामिल हैं) मंजूर किए गए थे। इन पदों के लिए सहायक सहयोगी कर्मचारियों के पदों के सृजन पर विचार किया जा रहा हैं। कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन होने तक, नव-सृजित पदों के लिए आवश्यक सहायक सहयोगी, कर्मचारियों की व्यवस्था, विभाग की वर्तमान स्वीकृत कर्मचारी संख्या से ही कर दी गई है। अत. आयुक्त खाली नहीं बैठे हैं। 1 जनवरी, 1982 की स्थिति

के अनुसार, आयकर आयुक्तों की स्वीकृत संख्या (जिसमें निदेशक तथा विशेष कार्य अधिकारी भी शामिल हैं) 224 थी ।

(घ) अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए आयकर प्रशासन में उच्चाधिकारियों की संख्या अधिक नहीं है ।

सामान्य बीमा कम्पनी में इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारियों की भर्ती

4255. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनी मोटर दावों के सर्वेक्षण कार्य और मूल्यांकन के लिए 200 से अधिक इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारियों की भर्ती पर सक्रिय रुप से विचार कर रही है और इस भर्ती के 1978 के दौरान पूरी हो जाने की संभावना थी ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से अब तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गए हैं और कुल कितने डिप्लोमाधारी हैं जो इस समय मोटर दावों के सर्वेक्षक और मूल्यांकन पद पर हैं, और

(ग) क्या बीमा निगम प्राइवेट निरीक्षकों (इंस्पैक्टर) की मोटर दावा का काम देने की बजाय दावा निरीक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी पद्धपति को समाप्त करने पर सक्रिया से विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : साधारण बीमा (पर्यवेशी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और संशोधन) स्कीम 1974 अधिसूचित किए जाने के बाद साधारण बीमा निगम की किसी भी सहायक कम्पनी ने मोटर दावों के सर्वेक्षण और निर्धारण के लिए दावा निरीक्षक के रुप में किसी डिप्लोमाधारी की नियुक्ति नहीं की गई है । इस मामले की स्थिति के अनुसार बिभिन्न बीमा कम्पनियों हानि का निर्धारण करने के लिए स्वतन्त्र निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं ताकि वे शीघ्रता से दावों का निपटारा कर सकें ।

लेकिन इस समय कुछ कम्पनियों में 1974 से पूर्व नियुक्त किए गए 5 इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारी कार्य कर रहे हैं और जहां तक सम्भव हो मोटर दावों के सर्वेक्षण और निर्धारण करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है ।

अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यक विमानन संगठन द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं :

4256. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोई भी हवाई अड्डा जैट विमानों के उतरने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मूल शर्तों को पूरा नहीं करता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कोचीन, त्रिवेन्द्रम और मंगलौर हवाई अड्डे में औसतन प्रतिदिन एक उड़ान कम रह जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : जी, नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में सशस्त्र डकैतियां

4257. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में पिछले एक वर्ष में सशस्त्र डकैतियों के परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि की हानि हुई ;

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जहां पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त नहीं है ;

(ग) क्या रिजर्व बैंक ने सशस्त्र गार्ड नियुक्त करने के बारे में कोई आदेश जारी किए हैं ;

(घ) क्या बैंकों अलार्म प्रणाली लगाने का कोई प्रस्ताव है जिससे निकटस्थ पुलिस स्टेशन को सचेत किया जा सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : वर्ष 1981 और 1982 के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में डकैतियों के तीन मामले हुए जिनमें 18.45 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

(ख), (घ) और (ङ) : बैंकों की जिन शाखाओं में सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं हैं अथवा जिन विभिन्न शाखाओं में अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं/लगाने का प्रस्ताव है उनका ब्योरा देना बैंकों की सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे उन शाखाओं का निर्धारण करें जिनमें सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती की आवश्यकता है और उनकी तैनाती के वास्ते प्रबन्ध करें।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के इच्छुक औद्योगिक घराने

4358. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से औद्योगिक घराने हैं, जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने का निर्णय लिया है तथा उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) भारत सरकार के साथ किए जाने वाले समझौते की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न

है जिसमें उन भारतीय कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है और जिनके आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) वे भारतीय कम्पनियां, जो विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार की स्वीकृति मांगती हैं, भारत सरकार के साथ कोइ करार नहीं करतीं हैं। प्रत्येक एकक को स्वीकृति प्रदान करते समय, सरकार विशेष शर्तें रखती हैं।

विवरण

उन भारतीय कम्पनियों के नाम जिन्होंने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है और जिनके आवेदन पत्र सरकार के पास निर्णय के लिए जाने के लिए लम्बित हैं।

क्रमांक	भारतीय कम्पनी का नाम	अवस्थापना का देश	सहयोग का क्षेत्र
1	2	3	4
1.	मैसर्स स्टिच आर्टस एक्सपोर्टस प्रा० लि०, कलकत्ता।	प० जर्मनी	हाईफैशन गारमेन्टस
2.	मैसर्स कोरिया कंसलटेन्टस प्रा० लि०, बम्बई।	सिंगापुर	वास्तु कला में परामर्शी सेवा
3.	मैसर्स इन्डियन प्रोडक्टस ट्रेडिंग कं० प्रा० लि० बम्बई।	कीनिया	गंधक का तेजाव आदि बनाना।
4.	मैसर्स सविसेज इगलैंड प्रा० लि०, त्रिवेन्द्रम	नाइजीरिया	वाटर टोप्स तथा सम्बद्ध मर्दे।
5	मैसर्स पी० जे० इन्डियन ग्रेनाइटस, सलेम	थाइलैड	ग्रेनाइट सह संगमरमर तराशना तथा उसकी पोलिस करना।
6	मैसर्स रामा फाइवर्स लि० वामली (भिवानी)	थाइलैंड	दावानुकूलित पी० इ० टी० बोतलों का विनिर्माण।
7.	मैसर्स रापटाकोस, ब्रेट एन्ड कं० प्रा० लि०, बम्बई।	नाइजीरिया	भेषजीय उत्पाद
8.	मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमीकल कं० लि०, बम्बई।	श्रीलंका	अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ
9.	मैसर्स चम्पक लाल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेनशियल कंसटेन्टस लि, बम्बई।	ब्रिटेन	वित्तीय परामर्शी सेवा

1	2	3	4
10.	मैसर्स वोल्टास इन्टरनेशनल लि०, बम्बई।	सिंगापुर	वस्त्र मशीनों का व्यापार तथा विपणन।
11.	मैसर्स नरूला उद्योग (इन्डिया) प्रा० लि०, नई दिल्ली।	यू० ए० ई०	डिस्पोजेबल स्रिन्जों तथा नीडल्स का निर्माण।
12.	मैसर्स विजय टेंक्स एण्ड वैसल्स प्रा० लि०, बम्बई।	कुवैत	आद्योपान्त परियोजनाएं।
13.	मैसर्स स्टार मार्केटिंग एण्ड सर्विसेज लि०, बम्बई।	थाइलैंड	वस्त्रों प्रोसेसिंग।
14.	मैसर्स बंगाल वाटर प्रूफ लि०, कलकत्ता।	श्रीलंका	रबड़ आधारित उत्पादकों का निर्माण।
15.	मैसर्स ए० एस० सी० इन्जीनियर्स एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता।	इन्डोनेशिया	स्टील प्रोफाइल का निर्माण।
16.	मैसर्स वेकट सन्स प्रा० लि०. एलप्पी।	श्रीलंका	व्यर धागे का निर्माण।
17.	मैथेलर्जीकल एण्ड इन्जी० कंसल्टेन्टस (इन्डिया) लि० रॉची, विहार।	नाइजीरिया	तकनीकी परामर्शी सेवा डिजाइन, इन्जी० तथा परियोजना प्रबन्ध।
18.	मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि० नई दिल्ली।	इन्डोनेशिया	डिओक्टाइजल पाथलेट (प्लास्टिसाइजर) का निर्माण।
19.	मैसर्स अरविन्दे मिल्स लि० अहमदाबाद।	नाइजीरिया	मिश्रित वस्त्र मिल।

केरल राज्य के लिये पर्यटन हेतु राशि का आवंटन

4259. **श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल** : क्या पर्यटन और नागर विमनन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केरल राज्य के लिए आगामी वर्ष में पर्यटन हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि तुलनात्मक दृष्टि से केरल को गत वर्ष कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी ; और

(ग) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग द्वारा केरल की अपेक्षा की जाती है हांलाकि उस राज्य में अधिक सुविधायें हैं (सुन्दर तट, आकर्षक झील, , शानदार वन तथा अनेक अन्य पशु) ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) सेन्ट्रल सेन्टर में उपलब्ध धनराशि राज्यवार आधार पर आवंटित नही की जाती। पर्यटन के विकास हेतु स्कीमों को विभिन्न केन्द्रों पर उनकी पर्यटकों को आकर्षित करते सम्बन्धी सम्भाव्यता के आधार पर प्रारम्भ किया जाता है। और तदनुसार राशियां स्कीमवार आवंटित की जाती हैं।

(ख) : जी नहीं। पर्यटन के संवर्धन के लिए पिछले वर्ष अर्थात 1980-81 के दौरान केरल में सेन्ट्रल सैक्टर के अन्तर्गत शुरु की गई स्कीमों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

पर्यटन विभाग

क्रम सं०/स्कीम	1980-81 में रिलीज की गई धनराशि
	लाख रूपयों में
(1) कोवलम में योग-व-मालिश केन्द्र (स्पिल ओवर)	(अनुमानित लागत 3.30 रु० 11.20 लाख रु०)
(2) कोवलम में स्टाम क्वाटर्स का निर्माण	(अनुमानित लागत 3.60 लाख रु०) 3.00 रु०
	6.30 रु०
आई० टी० डी० पी०	
(1) कोवलम होटल का नवीकरण	8.25 लाख रु०
(2) कोवलम में ट्रांसपोर्ट यूनिट	2.42 लाख रु०
	10.70 लाख रु०
कुल जोड़ :	17.00 लाख रु०

(ग) जी नहीं; केरल में पर्यटन के सम्वर्धन के लिए पिछली योजना के दौरान सेन्ट्रल सैक्टर में शुरु की गई स्कीमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस प्रकार केन्द्रीय सैक्टर में केरल में पर्यटन के विकास को उचित महत्व दिया जा रहा है।

विवरण

केरल

	दूसरी पंचवर्षीय योजना	किया गया व्यय
क्र० सं०	स्कीम का नाम	
भाग-1	1. थेक्केडी में रेस्ट हाऊस का सुधार	40,000
		40,000
	तीसरी पंचवर्षीय योजना	
भाग-1	1. थेक्कडी में रेस्ट हाऊस का सुधार (स्पिल ओवर)	2,04,608
	2. कोचीन में सोलाघाटी द्वीप पर योल्फ कोर्स का सुधार	15,000
	3. कोचीन में बेक-वाटर पर परिभ्रमण के लिए लांचों का प्रावधान	2,31,953
	4. वन्य जीव पर्यावलोकन के लिए झील में परिभ्रमण के वास्ते लांचों का प्रावधान (पेरिपर झील)	64,983
	5. ओनम फेस्टीवल	25,000
	6. थेक्केडी में स्लेपिंग बेटी	48,000
	7. त्रिवेन्द्रम में मास्कोट होटल का विस्तार (स्पिल ओवर)	47,510
	.8 चेरुथरुचि में रेस्ट हाऊस (स्पिल ओवर)	68,000
	जोड़	7,05,54
	वार्षिक प्लान 1966-67	
	1. कोवलम में पैलेस का नवीकरण वैसे होटल के रूप में चलाया जाना है	5,13,000
	वार्षिक प्लान 1967-78	
	1. केरियर लेक वन्य जीव सेंकचुरी	

के लिए मोटर लांचिस की खरीद	50,000
वार्षिक प्लान–1968-69	
1. थेकड्डी में अरण्य निवास होटल का विस्तार	3,000
2. त्रिवेंद्रम में या मास्कोट होटल का बिस्तार	1,55,743
3. केप कैमोरिन में केप होटल का सुधार	10,000
जोड़	1,68,743
चौथी पंचवर्षीय योजना	**किया गया व्यय**
पर्यटन विभाग	
.1 त्रिवेन्द्रम में यूथ होस्टल	93,965
1. कोवलम में कोवलम बीच रिसॉर्ट का विकास	31,81,000
जोड़ :	32,74,965
भारत पर्यटन विकास निगम	
1. कोवलम ग्रीव	
2. कोमलम होटल	1,11,89,000
2. कोवलम में ट्रांसपोर्ट यूनिट	66,000
जोड़ :	1,12,55,000
पर्यटन विभाग	
.I त्रिवेन्द्रम में यूथ होस्टल	40,000
2. कोवलम बीच रिसॉर्ट का विकास	6,00,000
जोड़ :	6,40,000

1975-76	
1. कोवलम बीच रिसॉर्ट का विकास	4,00,000
2. त्रिवेंद्रम में यूथ होस्टल	1,50,000
जोड़ :	5,50,000
1976-77	
1. कोवलम बीच रिसॉर्ट का विकास	3,00,000
2. थेक्केडी में अरण्य होटल	2,88,000
जोड़ :	5,88,000
1977-78	
1. पेरियार झील पर लोच	2,00,000
2. कोवलम बीच रिसॉर्ट का विकास	2,25,000
जोड़ :	4,25'000
पाँचवी पंचवर्षीय योजना	किया गया व्यय
(1974-75)	
आई० टी० डी० सी०	
1. कोवलम ग्रोव	85,000
2. कोवलम में होटल	34,02,000
जोड़ :	34,87,000
(1975-76)	
1. कोवलम में होटल	4521000
2. कोवलम में काटेज के लिए भूमि	10,00,000
3. कोवलम में ट्रांसपोर्ट यूनिट	97,000
जोड़ :	56,18,000

	(1976-77)	
1. कोवलम में होटल		3,58,000
	(1977-78)	
1. कोवलम होटल		3,82,000
पर्यटन विभाग	1978-79	
1. कोवलम बीच रिसार्ट का विकास (योग-व-मालिश केन्द्र)		
	जोड़ :	5,75,000
आई० टी० डी० सी०		
1. कोवलम होटल का नवीकरण		13,000
	(1979-80)	
पर्यटन विभाग		
1. त्रिवेन्द्रम में यूथ होस्टल		3,28,000
2. कोवलम में बीच सर्विस सेंटर		3,00,000
	जोड़ :	6,28,000
आई० टी० डी० सी०		
1. कोवलम होटल का नवीकरण		3,50,000
2. कोवलम में ट्रांसपोर्ट यूनिट		3,65,000
		7,15,000
	(1980-81)	किया गया व्यय
पर्यटन विभाग		
1. योग-व-मालिश-केन्द्र (स्पिल ओवर)		3,30,000
2. स्टाफ क्वार्टरों को निर्माण		3,00,000
	जोड़ :	6,30,000

आई० टी० डी० सी०

कोवलम होटल का नवीकरण	8,25,000
कोवलम में ट्रांसपोर्ट यूनिट	2,45,000
जोड़ :	10,70,000
कुल जोड़ :	3,16,83,762

अदरक के निर्यात में कमी

4260. श्री भीकू राम जैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदरक के निर्यात में कमी होती जा रही है और विश्व बाजार में इसे चीन से कठिन प्रतियोग्यता का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) मूल्य के रूप में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा चालू वर्ष में अदरक का कितना निर्यात किया गया ;

(ग) भारत से सदरक का आयात कौन से देश कर रहे हैं ; और

(घ) अदरक उत्पादकों के हितों की रक्षा के फिर सरकार का विचार क्या संरक्षण प्रदान करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) 1977-78 के के बाद से अदरक के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1977-78	9762	1368
1978-79	14515	1432
1979-80	11486	727
1980-81	5550	292
1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)	3596	299

चीन अदरक के विश्व बाजारों में हमारा प्रतियोगी है । सऊदी अरब, मोरोक्को, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी का संघीय गणराज्य तथा अन्य अनेक देश भारत से अदरक का आयात कर रहे हैं । अदरक के निर्यात के लिए मुक्त रूप से अनुमति है तथा इसका मूल्य वसूली में सुधार हुआ है ।

बैंक में जमा धन राशियों की वृद्धि

4261. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तिमाही में बैंकों में जमा धनराशियों की वृद्धि दर में बहुत अधिक कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) दिसंबर 1981 के अन्तिम शुक्रवार तक समाप्त हुई प्रतिमाहियों के संबंध में उपलब्ध अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि के अनन्तिम आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि वर्ष 1981 की चारों तिमाहियों में वाणिज्यक बैंकों की जमा रकमों में क्रमश: 947 करोड़ रुपये, 2337 करोड़ रुपये, 1322 करोड़ रुपये और 1936 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । इन चारों तिमाहियों में जमा रकमों में कुल मिलाकर 6532 करोड़ रुपये अथवा 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । बैंकों के जमा-स्तरों में अल्पाधिक घटबढ़ अनिवार्यत दीर्घावधिक प्रवृत्तियों की द्योतक नहीं होती।

राज्य सरकारों पर केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि

4262. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों पर केन्द्रीय ऋणों की बकाया राशि कितनी है ; और

(ख) बकाया ऋणों की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

31 मार्च, 1981 को प्रत्येक राज्य पर बकाया केन्द्रीय ऋणों की जानकारी देने वाला विवरण

राज्य	(करोड़ रुपए)
1. आध्र प्रदेश	13,60,48
2. आसाम	6,01,68
3. बिहार	16,05,72
4. गुजरात	7,67,92
5. हरियाणा	3,94,84
6. हिमाचल प्रदेश	1,10,.7

7. जम्मू और काश्मीर	5,59,00
8. कर्नाटक	8,24,13
9. केरल	5,34,33
10. मध्य प्रदेश	10,17,58
11. महाराष्ट्र	14,99,41
12 मणिपुर	48,66
13. मेघालय	11,92
14. नागालेण्ड	15,88
15. उड़ीसा	8,64,64
16. पंजाब	4,72,64
17. राजस्थान	10,93,80
18. सिक्किम	11,04
19. तमिलनाडु	9,84,94
20. त्रिपुरा	33,99
21. उत्तर प्रदेश	25,05,64
22. पश्चिम बंगाल	16,61,54
जोड़	1,69,80,35

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं ।

अनुचित वाणिज्तिक बैंकों की इकाईयों की ओर बकाया ऋण-राशि

4263. **श्री नवल किशोर वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1980, दिसम्बर जून 1981 और दिसम्बर 1981 के अन्त तक का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उन बड़ी इकाईयों की ओर बकाया ऋण-राशि का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने एक करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि के लिए हुए ऋण हैं ; और

(ख) इतना भारी बकाया होने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : ऋण सीमाओं के आकार के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों के बकाया ऋणों के वर्गीकरण के संबध में सबसे हाल की उपलब्ध सूचना जून,1980 से संबंधित है। जून, 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के

अनुसार एक करोड़ और अधिक की ऋण सीमाओं के साथ बकाया राशि 7451 करोड़ रुपये थी। इन अग्रिमों मा क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्षेत्र	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
कृषि	402
उद्योग	3638
परिवाहन चालक	288
वैयक्तिक और व्यावसायिक सेवाएं	19
व्यापार	2992
अन्य	112
जोड़	7451
जिसमें से :	
छोटे पैमाने के उद्योग	17

(ख) : जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, एक करोड़ रूपये और अधिक की ऋण सीमाओं की बकाया राशि, कुल बकाया ऋणों का 35 प्रतिशत बैठती है और मध्यम और बड़े उद्योगों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों समेत) तथा खाद्य वसूली परिचालनों के आकार को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, सरकार की नीति के अनुसरण में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षा या छोटे ऋणकर्त्ताओं को आवश्यक प्राथमिकता तथा रियायतें दी जा रही हैं।

देश के विमान-मानचित्र में गिर वन अभयारण्य को सम्मिलित करना

4264. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि भारतीय शेर वाले गिर वन अभयारण्य को देश के विमान मानचित्र में सम्मिलित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में तीसरी विमान सेवा (थर्ड एअरलाइन्स सर्विस) आरम्भ करने के प्रश्न पर भी विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब चालू होगी और उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त सेवा उपलब्ध होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार गुजरात में स्थानों को वायुदूत सेवाओं द्वारा जोड़ने पर विचार करेगी।

(घ) वायुदूत के विस्तार के भावी चरण में, सूरत, अमरेली, द्वारिका और काण्डला को वायुदूत सेवाओं द्वारा जोड़ने पर विचार किया जायेगा।

चीन द्वारा पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों और हथियारों आदि की सप्लाई किया जाना

4265. **श्री तारिक अनवर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चीन एक दीर्घकालिक सैनिक समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, बक्तरबंद गाड़ियां और हल्के (लाइट) किस्म के हथियार सप्लाई कर रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : चीन के बारे में यह मालूम है कि वह समय-समय पर किए गए अनेक प्रोटोकाल और करारों के अन्तर्गत पाकिस्तान को विमानों और बख्तर-बन्द गाड़ियों सहित कई किस्म के सैनिक उपस्कर सप्लाई कर रहा है।

मध्य पूर्व देशों के यात्रियों की परेशानी और कठिनाई दूर करने के लिए की गई कार्यवाही

4266 **श्री जेथिपर अराकल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों में मध्य पूर्व देशों के यात्रियों की परेशानी और कठिनाई दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने सीमा शुल्क की जांच पड़ताल करने सहित हवाई अड्डों में कम शिक्षित यात्रियों की समस्याओं पर विचार किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) तथा (ख) पश्चिम एशिया से आने वाले यात्रियों को सहायता तथा मदद देने के लिए पर्यटन विभाग ने बम्बई एयरपोर्ट पर अरबी भाषा के 3 पाठ्यक्रमों का संचालन किया है। इन पाठ्य-क्रमों में भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, कस्टमस, स्वास्थ्य, इन्टरनेशनल अथोरिटी आफ इण्डिया आप्रवास तथा सुरक्षा के अधिकारियों ने भाग लिया। अरबी भाषा जानने वाला एक व्यक्ति राउन्ड दि क्लाक ड्यूटी पर होता है। क्योंकि अधिकांश पर्यटक पश्चिम एशिया से ही आते है। कुछ इन्टरनेशनल एयरलाईन्ज अरबी भाषा में घोषणाएं भी करती हैं।

पश्चिम एशिया देशों से आने वाले पर्यटकों को कस्टम, स्वास्थ्य, आप्रवास तथा मुद्रा विनियमों के बारे में सूचित करने के लिए अरबी भाषा में एक ब्रोशर भी प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तिका विदेश-स्थित पर्यटक कार्यालयों और विदेश-स्थित इंडियन मिशन द्वारा वितरित की जाती है।

केनरा बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति

4267 **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनरा बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिये पात्रता मानदन्ड में छूट वापस ले ली गई है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय केनरा बैंक अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों कर्मचारी संगठन ने उनको एवं बैंक को 15 फरवरी, 1982 को अपनी शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन दिया था और धरना देने का भी नोटिस दिया था ; यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) केनरा बैंक द्वारा अधिकारी काडर ग्रेड 1 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पिछली संख्या को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है ; क्या इसके द्वारा केवल मात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो राज्यों में भी पिछले पदों की संख्या को किस प्रकार पूरा किया जायेगा और ग्रेड 1 अधिकारियों में न भरे गए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि ग्रेड स्केल ii, iii तथा iके अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण के आदेश अभी कार्यान्वित नहीं किये गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) बैंकों में पदोन्नति इनके प्रबन्धक तथा कर्मचारियों की बहुमत वाली यूनियन के बीच समझोतों द्वारा शासित होती है। प्रारम्भ में केनरा बैंक ने पदोन्नति में आरक्षण को एक तरफा तौर पर शुरू किया था तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पात्रता मानदण्ड में कुछ रियायत देने का निर्णय भी किया था। तत्पश्चात सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा रिट-याचिकाएं दायर की गई और इसलिए मौजूदा समझौते में संशोधन करने के लिए बैंक को इस मामले पर कार्रवाई के लिए यूनियन से सम्पर्क करना पड़ा। ताजा समझौते से पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/कर्मचारियों के वास्ते पात्रता-मानदण्ड में कोई रियायत नहीं दी गई है।

(ख) जी, हां। केनरा बैंक से, एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लिखित कठिनाइयों की जांच करने को कहा गया है।

(ग) से (ङ) पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी आदेशों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भी लागू कर दिया गया है तथा इन आदेशों के अधीन अधिकारियों के काडर के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वास्ते कोई आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से खाली पड़ी आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्षों में ले जाने

को कहा गया है। केनरा बैंक ने सूचित किया है कि 1-1-1982 की स्थिति के अनुसार, कनिष्ठ प्रबन्धक ग्रेड में पदोन्नति से सम्बन्धित बकाया रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 31 तथा 56 थी। इन बकाया रिक्तियों पर भविष्य में होने वाली पदोन्नति के समय विचार किया जाएगा।

अपने पालिसी धारियों को मकान देने के लिए जीवन बीमा निगम की योजना

4268. **श्री ओस्कार फर्नाण्डीस :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों में रहने वाले अपने पालिसी धारियों को मकान देने की भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के पालिसी धारियों पर लागू नहीं होती है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों के लिए "अपने मकान के मालिक बनिए" योजना की प्रमुख विशेषताएं ये हैं :-

(1) इस योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण अथवा नव निर्मित मकानों की खरीद अथवा मौजूदा मकानों के विस्तार के लिए ऋण उपलब्ध होते हैं।

(2) इस योजना के अन्तर्गत 7,500 रुपए से लेकर 1,50,000/- रुपए तक अलग अलग राशियों के ऋण मंजूर किए जाते हैं। ऋण स्वीकार करने का प्रतिशत भी अलग-अलग होता है और सम्पत्ति के मूल्य का 66 2/3 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक ऋण मंजूर किया जाता है जो ऋणकर्ता की श्रेणी पर भी निर्भर करता है।

(3) ऋण मंजूर करते समय प्रार्थी की ऋण वापस करने की क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है और इसका निर्धारण उसकी वार्षिक आय तथा व्यय और वित्तीय बचन बद्धताओं (दायित्वों) के आधार पर किया जाता है।

(4) आजकल 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जा रहा है। जिन पालिसियों पर तुल्य जमानत देनी होती है उनके अन्तर्गत मूलधन की किस्त ब्याज अथवा प्रीमियम की अदायगी में चूक होने की स्थिति में 2 1/2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जाता है। यदि ऋण की राशि 50,000 रुपए अथवा उससे कम हो तो सम्पत्ति के मूल्यांकन ऋणकर्ता की आय और बंधक रखी गई सम्पत्ति के उपयोक्ता से सम्बन्धित कुछ शर्तों को पूरा करने पर ब्याज में 2 प्रतिशत छूट देने की अनुमति दे दी जाती है।

(ख) यह योजना जीवन बीमा निगम के उन सभी केन्द्रों में चल रही है जहां उसका

कोई शाखा कार्यालय या सहायक कार्यालय है। इस योजना को कुछ अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण केन्द्रों में भी शुरू किया गया है इस समय जिन केन्द्रों में यह योजना चल रही है उनकी संख्या लगभग 800 है। दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण फिलहाल इस योजना को अन्य केन्द्रों में लागू करना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नही है।

बिहार में बैंकों में जमा धन और अग्रिम ऋण

4269. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेष रूप से जिला-वार बैंकों में कुल कितना जमा धन है और कितने ऋण दिये गये और व्यापक विषमता के क्या कारण हैं ; और

(क) कृषि और औद्योगिक दोनों में उत्पादनकारी उद्देश्यों से मध्यम, लघु और छोटे व कुटीर उद्योगों तथा व्यापार एवं वाणिज्य के लिये प्रत्यक्ष रूप से कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मार्च, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों और अग्रिमों (स्वीकृति के अनुसार) के जिलवार आंकड़े अनुबन्ध I में दिये गये हैं। [**ग्रथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3684/82**] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों और अग्रिमों के बीच असमानतायें, आर्थिक विकास खासकर उद्योग और व्यापार के संगठित क्षेत्रों के विकास में विद्यमान असमानताओं की द्योतक हैं जो प्राकृतिक देन, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, बाजारों की निकटता, स्थानिक उद्यमकर्त्ताओं की क्षमता आदि जैसी विभिन्न बातों के कारण होती हैं।

(ख) बिहार राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के क्षेत्रवार आवंटन के जिलावार उपलब्ध आकड़े जून, 1980 के हैं। ये आंकड़े अनुबन्ध 2 में दिये गये हैं।

कच्चे चमड़े तथा चर्म उत्पादों का निर्यात

4270. **श्री विरदा राम फुलवाड़िया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने कच्चे चमड़े तथा विभिन्न प्रकार के चमड़े से बनी वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया ;

(ख) ये निर्यात किन एजेन्सियों अथवा कम्पनियों के माध्यम से किये गये तथा उनसे सरकार को कितनी आय हुई ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1982-83 के दौरान चमड़े के निर्यात में वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को कितनी अतिरिक्त आय होगी और इस बारे में ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) कच्चे चमड़े के निर्यात की अनुमति नहीं हैं। चमड़े के उत्पादों की उन विभिन्न मदों के निर्यात आंकड़े जो अप्रैल, 1981 जनवरी, 1982 की अवधि के लिए मूल्य-वार उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दिये जाते हैं। सरकार द्वारा अलग अलग निर्यातकों के नाम नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान चरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चमड़े के उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए भ सक प्रयास किये जायेंगे तथापि इस स्थिति में यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस संबंध में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आय कितनी होगी।

विवरण

(आंकड़े मिलियन में)

विवरण	मात्रा	मूल्य रुपये में
ई० आई० विधि से कमाई हुई खालें तथा चमड़ियां	4.93 किग्रा	278.46
वेट नत्यू खालें तथा चमड़ियां	—	204.50
तैयार चमड़ा	एस० क्यू० डी० सी० एम० 1455.37	1282.39
अन्य तैयार चमड़ा		377.17
सोल चमड़ा		12.79
चमड़े का माल		206.45
औद्योगिक चमड़े की वस्तुएं		107.04
चमड़े के जूते आदि		160,07
जूते आदि के संघटक		501.10
बकरी के बाल		6.99
अन्य बाल		0.12
	योग	3144.98

(टिप्पणी : ई० आई० विधि से कमाई गई खालों तथा चमड़ियों और तैयार चमड़े के अलावा अन्य मदों के सम्बन्ध में मात्रा की दृष्टि से निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते)

स्रोत : चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास)

छावनी में अनाधिकृत निर्माण/अनधिकृत बटवारा दीवारों का गिराया जाना

4271. **श्री शिव शरण वर्मा :**

डा० ए० यु० आजमी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में छावनी बोर्ड दुकानों में अनधिकृत निर्माण तथा दुकानों में अनधिकृत बंटवारा दीवारों को गिराया जाना था ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरे क्या हैं और गिराये जाने के काम में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको गिराये जाने के काम को तेजी से करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में छावनी बोर्ड की दुकानों में अनधिकृत निगम और अनधिकृत पार्टीशन और इनमें से प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई क्रमश: अनुबन्ध 1 और 2 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3685/82]।

भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा 39 जनवरी की हड़ताल में सम्मिलित न होना

4272. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय मुख्यालय, नई दिल्ली मुख्य शाखा तथा बैंक के दिल्ली/नई दिल्ली में अन्य शाखा कार्यालयों में कर्मचारी 19 जनवरी की हड़-ताल में सम्मिलित नहीं हुए ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त हड़ताल में सम्मिलित होने के कारण इन कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को अब जबरदस्ती स्थानान्तरण, उनके चिकित्सा/यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी न किया जाना आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है :

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको कोई संरक्षण प्रदान किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक

ने सूचित किया है कि उसके दिल्ली स्थित मंडल कार्यालय के पर्यवेक्षी कर्मचारी-मण्डल के सदस्यों ने 19 जनवरी, 1982 को हड़ताल में भाग नहीं लिया था। कामगारों में से पहरा और निगरानी कर्मचारियों के अलावा दिल्ली स्थित शाखाओं/कार्यालयों में तैनात 190 अन्य कर्मचारियों न भी भाग नहीं लिया था। इनमें से 128 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे।

(ग) से (ङ.) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि हड़ताल में सम्मिलित न होने के कारण इन निष्ठावान कर्मचारियों को जबरदस्ती स्थान्तरण, चिकित्सा/यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी न किया जाना जैसी किन्हीं समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र की रुई एकाधिकार वसूली योजना का पुनरीक्षण

4273. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की रुई एकाधिकार वसूली योजना का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र रा काटन एक्ट, 1971 की अवधि दस साल और बढ़ाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) महाराष्ट्र कपास (अधिप्राप्ति संसाधन तथा विपणन) अधिनियम 1971 30 जून 1982 तक वैध है। इसकी अवधि बढ़ाने के बिए सरकार का अनुमोदन देने के प्रश्न पर महाराष्ट्र सरकार से उस बारे में एक उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

तीसरे स्तर की विमान सेवा से जोड़े जाने वाले गुजरात के शहर

4274- **श्री मोती भाई आ० चौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने हवाई अड्डों पर तीसरे स्तर की विमान सेवा आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यह सेवा आरम्भ करने के लिए किसी शहर को शामिल करने हेतु क्या सिद्धान्त निर्धारित किए गये हैं, और

(ग) क्या यह सेवा चलाने के लिए गुजरात में पूर्ण यायायात तथा इस रनवे की सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो इस सेवा का लाभ वहां कब तक दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) ब्रगेंजा समिति द्वारा सूरत तथा कांडला दो स्टेशनों को विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने की सिफारिश की गयी है।

परन्तु गिडवानी समिति ने अमरेली और मीथापुर को भी तीसरी विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने की सिफारिश की थी।

(ख) सरकार द्वारा नियुक्त दोनों समितियों ने तीसरी विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले स्थानों के चयन के प्रश्न की जांच की थी। इन समितियों ने विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्थानों का चयन करते समय उन स्थानों की सुगम्यता तथा वाणिज्यिक औद्योगिक पर्यटक दृष्टि से महत्व को ध्यान में रखा है।

(ग) आवश्यक धावनपथ तथा एयरपोर्ट सुविधाएं नागर विमान के महानिदेशक द्वारा उपलब्ध करायी जानी हैं। गुजरात में भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए वायुदूत सेवाओं के विस्तार के प्रश्न पर वायुदूत परिचालनों के लिए पर्याप्त संख्या में विमान प्राप्त कर लेने के पश्चात वायुदूत सेवा के विस्तार के अगले चरण में विचार किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में होटल उद्योग का विकास

4275. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में होटल उद्योग का विकास करने के सम्बन्ध में हिमाचल सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग किसी भी राज्य में होटल उद्योग के विकास के लिए ऋण सहायता प्रदान नहीं करता।

जहां तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है इसे हिमाचल प्रदेश सरकार से उस राज्य में होटल उद्योग के विकास के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। आई० एफ० सी० आई० से वित्तीय सहायता लेने के लिए केवल लिमिटेड कम्पनियां अथवा भारत में निगमित तथा पंजीकृत सहकारी समितियां ही पात्र होती हैं।

31.1.1982 तक आई० एफ० सी० आई० ने हिमाचल प्रदेश में स्पान मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक होटल परियोजना को वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है।

1974-75 में 24 कमरों वाले एक होटल की स्थापना के लिए उन्हें 14,00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी तथा उपर्युक्त परियोजना की लागत में हुए अधिक खर्चे के एक भाग को पूरा करने के लिए 1975-76 में 5.50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई। इस समय तक उपर्युक्त कम्पनी को 19,50 लाख रुपए की कुल सहायता संवितरित की जा चुकी है।

हिमाचल प्रदेश में किसी भी होटल परियोजना से वित्तीय सहायता के लिए कोई भी आवेदन इस समय आई० एफ० सी० आई० के पास लंबित नहीं पड़ा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य समयोपरि भत्ते, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते तथा सवारी भत्ते की दरों को पुनरीक्षित करना

4276. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री हरीश कुमार गंगवार :
श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को इस समय ग्राह्य समयोपरि भत्ते यात्रा भत्ते (सड़क लम्बाई सहित), दैनिक भत्ते, सवारी भत्ते की दरों को, जो बहुत पुरानी है, पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनके समतुल्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक भत्ते मिल रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त भत्तों की दरों को बढ़ा कर सरकारी उपक्रमों की दरों के बराबर लाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में समयोपरि भत्ते, यात्रा भत्ते (सड़क मील दूरी भत्ते सहित) और वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव फ़िलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं हैदौरे के सम्बन्ध में दैनिक भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष द्वारा रखा गया है परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में उपर्युक्त भत्तों में कोई एकरूपता नहीं है । यद्यपि कुछ मामलों में दरें वही हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं, परन्तु कुछ अन्य मामलों में वे अपेक्षाकृत अधिक या कम हो सकती है ।

(ग) जी, नहीं । कर्मचारियों के इन दो वर्गों को स्वीकार्य भत्तों में तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा । जबकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में भत्ते सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार स्वीकार्य होते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भत्तों की दरें समय-समय पर कर्मचारी संघ तथा प्रबंधकों में हुए अधि-निर्णयों तथा समझौतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं ।

"ए टैक्स स्टिर्फलिंग टूरीज्म" शीर्षक समाचार

4277. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग का ध्यान दिनांक 25 अप्रैल, 1981 के इण्यिन एक्सप्रेस में "ए टैक्स स्टिफलिंग टूरीज्म" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिखाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि होटल मामिलों पर 15 प्रतिशत कर लगाये जाने के परिणाम स्वरूप 1981 में पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है और कितने विदेशी पर्यटकों ने अपने दौरे/यात्राएं की और उसके परिणाम स्वरूप देश कितने वित्तीय लाभ से वंचित हो गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) से (ग) होटल प्राप्ति कर संबंधी लेवी 27 फरवरी, 1982 के बाद से समाप्त कर दी गई है ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए पर्यटन केन्द्र

4278. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी पर्यटक केन्द्रों के ढांचे पर राज्य के कुछ भागों में नए पर्यटक केन्द्रों का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने केन्द्रीय सहायता के लिये उनको मंजूर कर दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेन्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से विकास करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करके निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं

1, बम्बई-पुणे अहमदनगर-औरंगाबाद (अजंता व एलौरा) नासिक-बम्बई

2, बम्बई—मुरुद/जनजीरा—गणपतिफूले—वेनगुर्ला—बम्बई ।

3, नागपुर—रामटेक—नागपुर—वर्धा (सेवाग्राम) चन्दापुर (तडोवा वेशनल पार्क) नागपुर

(ग) पर्यटन सेक्टर में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कोई स्कीमें नहीं हैं । पर्यटन के विकास के लिए स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में प्रारम्भ की जाती हैं या राज्य सैक्टर में उपर्युक्त यात्रा परिपथों में शामिल पर्यटक केन्द्रों का विकास केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करके और परस्पर प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के बाद शुरू किया जाएगा ।

अफीम का मूल्य

4279. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम उत्पादकों ने अफीम के मूल्यों पर पुनर्विचार करने और इसमें वृद्धि करने के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या देश में उत्पादित अफीम के निर्यात में गिरावट आई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी और गत पांच वर्षों के दौरान निर्यात की गई अफीम का मूल्य क्या है ;

(ङ) देश में उपलब्ध अफीम के स्टाक की मात्रा कितनी है ; और

(च) क्या कुछ अन्य उत्पादों के उत्पादन में इसका उपयोग करने के लिए कोई योजना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि फिलहाल इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है तो भी यह उल्लेखनीय है कि काश्तकारों को देय अफीम का मूल्य उचित है और अन्य नकदी फसलों के मुकाबले लाभकर भी है। स्वापक सम्बन्धी कच्ची सामग्री की विश्व में अधिक आपूर्ति होने और इनके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अधिक गिरावट आने को ध्यान में रखते हुए इनके मूल्यों में वृद्धि करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। गत पांच वर्षों के दौरान अफीम के निर्यात में नीचे दिये अनुसार गिरावट आयी है :-

वर्ष	90 डिग्री गाढ़ता की अफीम की मात्रा (मीटरीटन में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए में)
1976-77	1017	41.10
1977-78	978	53.13
1978-79	852	38.63
1979-80	796	31.96
1980-81	444	23.18

(ङ) 31.1.82 की स्थिति के अनुसार, सरकारी अफीम कारखानों में 90 डिग्री गाढ़ता की 2379 मीटरी टन अफीम का भंडार था।

(च) जी, नहीं। फिर भी, निर्यात को बढ़ाने और अफीम के भंडार को कम करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

भूतपूर्व असैनिक स्कूल मास्टरों का वेतन संरक्षण

4280. **श्री जगपाल सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री भूतपूर्व असैनिक स्कूल मास्टरों के वेतन संरक्षण के बारे में 23 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1968 में गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किए गये अनुदेशों को जून 1981 तक रक्षा मन्त्रालय में लागू न करने के क्या कारण है ;

(ख) क्या जून 1981 से निम्न श्रेणियों में नियुक्त किए गए प्रभावित व्यक्तियों/मामले में इन अनुदेशों के अनुसार वेतन के संरक्षण को स्वीकार्य बनाया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) 31-12-81 को कितने भूतपूर्व असैनिक स्कूल मास्टर अपने पिछले मूल वेतन के संरक्षण के बिना निम्न पदों पर कार्य कर रहे थे ; और

(घ) क्या कोई ऐसा नियम है जिससे किसी कर्मचारी का पिछला मूल वेतन बिना किसी प्रत्यावर्तन अथवा कोई दण्ड दिए बिना कम किया जा सके, यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) रक्षा पक्ष में फालतू सिविलयनों को खपाने की योजना पहले ही 1953 से चल रही है, अत: गृह मन्त्रालय की सिविल रोजगार योजना को जो 1968 से शुरु की गई थी, रक्षा पक्ष पर लागू नहीं किया गया था। तथापि गृह मन्त्रालय की 1968 की योजना के कुछ प्रावधानों को बाद में जून 1981 में रक्षा पक्ष पर लागू कर दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन बिना पदावनीति या दण्ड के कम किया जा सके।

अखिल भारत हस्तशिल्प बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या

4281. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जो कालीन की बुनाई के कार्य में लगे हुए हैं और उनमें स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को बोर्ड के हथकरघा क्षेत्र के कर्मचारियों के समान वेतन, पदोन्नति और अन्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह विषमता दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना (1981-82) में कार्यरत कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 1461 है। योजना की स्वीकृति छठी योजना अवधि के लिए है अत: सभी कर्मचारी अस्थायी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक क्षेत्र में लगी विदेशी पूंजी

4282. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर. 1981 तक औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग-वार कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई हैं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1981 को औद्योगिक क्षेत्र में लगी कुल पूंजी में कितनी प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी हुई थी ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (एक) लाभ और लाभांश और (दो) स्वामित्व के रुप में औसतन कितनी पूंजी दी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सबसे हाल तक की अवधि के उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं ।

(ख) सामूहिक रूप से देश के औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, बड़े, दरमियाने और छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्राइवेट कम्पनियां तथा असंगठित क्षेत्र की कम्पनियां शामिल हैं । इन सभी क्षेत्रों में किए कुल निवेश का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि यह अनुमान है कि औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश कुल निवेश के बहुत ही छोटे भाग के बराबर है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मार्च 1974 के अन्त तक औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश की मात्रा को प्रकट करने वाला विवरण

	(करोड़ रुपए)
1. खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि	64.7
(1) सिगरेट और तम्बाकू	36.3)
(2) अन्य	28.4)
2. वस्त्र उत्पाद	67.5
(1) कपास की वस्तुएं	20.6)
(2) पटसन और नारियल रेशे की वस्तुएं	14.9)
(3) अन्य	32.0)
3. परिवहन उपस्कर	73,3
(1) आटोमोबाइल तथा सहायक उपस्कर	60,8
(2) अन्य	12,5)

4. मशीनरी और मशीनों पुर्जे	62.0
5 धातु और धातु उत्पाद	153.5
(1) लोहा ओर इस्पात उत्पाद,	81.3)
(2) अन्य	72.2)
6. बिजली का सामान और मशीनरी	96.7
7. रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	410.5
(1) रसायन	270.6)
(2) औषध तथा भेषज	75.8
(3) अन्य	64.1)
8. विविध	145.0
(1) इमारती सामान	18.5)
(2) रबड़ की वस्तुएं	50.7
(3) अन्य	75.8)

जोड़ विनिर्माण

क्षेत्र 1073.2

निवेश के आंकड़ों के परिकलन में समय का अपरिहार्य अन्तर रह गया है । ये आंकड़े सबसे हाल की उपलब्ध जानकारी के द्योतक हैं ।

विदेशी कम्पनियां द्वारा की गई प्रषणाओं का विवरण

(करोड़ रूपए

वर्ष	लाभ	लाभांस	रायल्टी
1976-77	19.39	48.47	15.83
1977-78	10.13	68.01	19.50
1978-79	10.24	54.35	12.65

मत्स्य नौकाओं के लिए बीमा

4283. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) : क्या मत्स्य नौकाओं के बीमा के अधिक प्रीमियम के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) : प्रीमियम की वर्तमान अधिक दर को कम कराने के लिए क्या कदम उठा उठाए जा रहे हैं. क्योंकि मत्स्य उद्योग के समक्ष समस्याएं हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) मत्स्य नौकाओं के बीमे के सम्बन्ध में दावों के अनुभव की दृष्टि में रखते हुए प्रीमियम दरों में कमी करना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी व्यक्तियों और या बेड़े के मालिकों के सम्बन्ध में अच्छे दावों के लिए हर बार नवीनीकरण के समय इन दरों में 2/1/2 प्रतिशत तक की कमी करने की व्यवस्था है।

कच्चे रेशम के लिए शुल्क-छूट अधिकार प्रमाण-पत्र देने के बारे में विदेशी आर्डरों की वास्तविकता की जांच करना

4284. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक (शुल्क वापसी) कच्चे रेशम के लिए शुल्क-छूट अधिकार प्रमाण-पत्र देने के बारे में ऋण.पत्र अथवा ई० सी० जी० सी० कवर द्वारा शामिल किए गए विदेशी आर्डरों की वास्तविक जांच करता है ;

(ख) क्या आयात के समय आयात शुल्क के लिए कानूनी वचन लेने के अतिरिक्त बक-कांडों की मांग की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो बक-बांड के लिए लाइसेंस का मूल्य क्या है और आयात शुल्क की प्रतिशतता क्या है तथा रेशम के आयात पर बाजार-प्रीमियम क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) जी नहीं। अग्रिम लाइसेंस तथा शुल्क मुक्त अधिकार प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारणों द्वारा जारी किए जाते हैं। इन दस्तावेजों को जारी करने से पहले, और निर्यात आदेशों द्वारा कवर किए गए मामलों के सम्बन्ध में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यात आदेश, साख पत्र अथवा दर्शानी डाफ्टा डी० ए० जैसे). भुगतान की अन्य पद्धतियों की जांच करते हैं।

(ख) तथा (ग) बैंक गारन्टी द्वारा समर्थित एक कानूनी करार अथवा एक बांड, जैसा भी मामला हो, अग्रिम लाइसेंस के आधार पर निर्यात दायित्व की ओर साथ ही देय सीमा शुल्क को कवर करने के लिए लाइसेंस धारिक से लिया जाता है, बैंक गारन्टी अग्रिम लाइसेंस के मूल्य की प्रतिशतता अथवा लगाये जाने योग्य सीमा शुल्क, जो भी अधिक हो, के रुप में ली जाती है। जहां कानूनी करार लिया जाता है। वहां निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के एफ० ओ० बी० मूल्य को कवर किया जाता है। आयातित कच्चे रेशम पर बाजार प्रीमियम के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में किसानों और छोटे उद्योगपतियों द्वारा ऋण के लिए बैंकों को दिए गए आवेदन-पत्र

4285. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई के लिए डीजल इन्जनों और बिजली की मोटरों के लिए तथा ईंटों के भट्टों के लिए कितने किसानों तथा लघु उद्योगपतियों ने गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में ऋण के लिए (1) यूनियन बैंक (2) बैंक आफ इन्डिया (3) स्टेट बैंक आफ इन्डिया और (4) पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं को आवेदन पत्र दिए ;

(ख) प्रत्येक उपर्युक्त बैंक ने उनमें से कितने व्यक्तियों को वर्षवार पृथक-पृथक ऋण दिया तथा कितने व्यक्तियों को ऋण नही दिया गया ;

(ग) क्या उपर्युक्त क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक भट्टे लगाने के लिए ऋण नहीं देते ;

(घ) यदि हां, तो भट्टे लगाने के लिए ऋण न दिए जाने के क्या कारण है ; और

(ड़) गाजीपुर के बैंकों में भट्टे लगाने के लिए ऋण सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र बाकी पड़े है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ड़) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1979 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, गाजीपुर जिले में, इन उल्लिखित 4 बैंकों सहित वाणिज्यक बैंकों के पास पम्पसैटों के ऋणों के कुल 2645 खाते थे जिनमें इन प्रयोजन के लिए कुल ऋणों की बकाया राशि 113.34 लाख रुपए थी । इसी तारीख को इन बैंकों के पास ईंट बनाने वालों के 60 ऋण खाते थे तथा इन खातों में ऋणों की बकाया राशि 12.87 लाख रुपए थी । 1980-82 के वास्ते जिला ऋण आयोजना में अनुमान लगाया गया था कि 1982 के अन्त तक ईंट निर्माताओं के 125 ऋण खाते हो जायेंगे जिनमें 23.10 लाख रुपए का ऋण- परिव्यय अन्तर्ग्रस्त होगा ।

ईंट-भट्टे की स्थापना के लिए ऋण-आवेदनों से सम्बन्धित संख्या तथा अन्य ब्योरे जो कि गाजीपुर जिले में, उल्लिखित 4 बैंकों के पास विचाराधीन हैं, एकत्र किए जा रहे हैं तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे ।

सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को हुई हानियां

4286. **निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के नाम क्या हैं जिन्हें गत वर्षों से लगातार नुकसान हो रहा है ; और

(ख) नुकसान में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की दशा/ कार्यकरण सुधारने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले पांच वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के लगातार घाटा उठाने वाले उद्यमों के नाम इस प्रकार हैं :

1. इन्डियन आइरन एन्ड स्टील कं० लि०
2. भारत एल्यूमीनियम कं० लि०

3. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
4. इन्डियन फाग्रब्रिक्स एन्ड इन्स्यूलेशन कं० लि०
5. कोकिंग कोल लि०
6. कोल इन्डिया लि०
7. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
8. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०
9. हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लि०
10. बेयर्वेट एन्ड कं० लि०
11. बर्न स्टैन्डर्ड कं० लि०
12. भारत पम्प्स एन्ड कम्प्रेसर्स लि०
13. बोकोलारो लि०
14. सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०
15. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
16. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
17. स्कूटर्स इन्डिया लि०
18. भारत आफ्थैलमिक ग्लास लि०
19. मध्य्या नेशनल पेपर मिल्स लि०
20. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
21. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लि०
22. केला एवं फल विकास निगम लि०
23. मुगल लाइन्स लि०
24. नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन(दिल्ली,पंजाब तथा राजस्थान) लि०
25. नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि०
26. नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन(पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा उड़ीसा) लि०
27. नेशनल टेकसटाइल्स कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०
28. दिल्ली परिवहन निगम

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में कुछ वर्ष तक नकद घाटा उठाया जाता है सरकार ऐसे प्रत्येक उद्यम के मामले में वास्तविक स्थिति की छानबीन करने के बाद ऋण पर ब्याज चुकाने या ऋण की किस्तें अदा करने के लिए आस्थगन द्वारा सहायता प्रदान करती है। कुछ उपयुक्त मामलों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजनेतर कार्यचालन पूंजी ऋण भी दिए गए

हैं। जिन उद्यमों ने सरकार से कार्यचालन पूंजी ऋण प्राप्त किया है उनके नाम 24 फरवरी, 1982 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1980-81 में विवरण की सं० 14.3 (पृष्ठ 219-223) में देखे जा सकते हैं।

जिन स्थानों के लिए वायुदूत सेवा नहीं है उनको इन्डियन एअरलाइन्स की सेवा उपलब्ध कराना

4287. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत सेवा से सम्बद्ध करने के लिए स्थानों का चयन करने में राज्यों के उन स्थानों को कोई प्राथमिकता दी जाती हैं जिनके लिए इन्डियन एयरलाइन्स की लगातार सेवा नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा वायुदूत सेवा के लिए स्थानों की चयन का मानदण्ड है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा नियुक्त की गयी दोनों समितियों ने वैसरी विमान सेवाओं द्वारा जोड़े जाने वाले स्थानों के चयन के प्रश्न पर विचार किया था। इन समितियों ने विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्थानों का चयन करते समय उन स्थानों की सुगम्यता व वाणिज्यक औद्योगिक पर्यटक दृष्टिकोणों से महत्व की दृष्टि में रखा था।

संस्थानों के माध्यम से किसानों को विश्व बैंक ऋण

4288. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ग्रुप ने 24 फरवरी, 1982 को संस्थानों को 3 करोड़ 50 लाख रूपए के ऋण देने की घोषणा की है जो पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हो तो, किन प्रयोजनों के लिए इस ऋण का उपयोग किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री प्रवण मुकर्जी) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के साथ 19 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 16 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर 24 फरवरी, 1982 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) इस परियोजना-कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम Iv -जिसके लिए उधार/ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, का प्राथमिक लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1982 और 1983 की दो वर्ष की अवधि के दौरान लघु सिंचाई भूमि विकास, भू-संरक्षण तथा भूमि-सुधार, बागान और बागवानी, पशुधन, मीन उद्योग, बाजारों और गोदामों की सुविधाओं के संबन्ध में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं के माध्यम से ऋण-

कर्त्ताओं को ऋण देने के लिए कृषि पुनर्वित और विकास निगम का वित्त-पोषण करने के काम में सहायता दी जाएगी । इसके अन्तर्गत कृषि पुनर्वित और विकास निगम द्वारा मुख्य रूप से भाग लेने वाले बैंकों के कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी सहायता की जाएगी ।

टकसाल श्रमिकों के लिए बोनस योजना

4289. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित टकसाल श्रमिक संघ की ओर से वित्त मंत्रालय को बोनस योजना प्रस्तुत की गई थी जो टकसाल में उत्पादकता बढ़ाने के बारे में थी ;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त योजना की जांच कर ली गई है और उस पर स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), से (ग) समूह प्रोत्साहन योजना को लागू करने के सम्बन्ध में भारत सरकार टकसाल, बम्बई के मान्यता प्राप्त औद्योगिक श्रमिक मजदूर संघ के साथ लम्बे विचार-विमर्श के बाद जैसा कि उनके द्वारा सुझाव दिया गया था इस सम्बन्ध में उक्त मजदूर संघ के साथ 19 दिसम्बर, 1981 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए और योजना को 8 सितम्बर, 1981 से कार्यान्वित कर दिया गया ।

इन्जीनियरी सामान के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया और ताइवान की चुनौती

4290. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे छोटे-छोटे देश इन्जीनियरी सामान की भारतीय निर्माताओं को निर्यात बाजार में गम्भीर चुनौती दे रहे हैं ; और

(ख) सरकार ने मुख्य रूप से बिजली की कमी और लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी सप्लाई के अनिश्चित कार्यक्रम के सम्बन्ध के क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) जब भी इन्जीनियरी उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली बिजली की कमी के बारे में, जिससे उसकी निर्यात वचनबद्धता और सप्लाई कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ना हो, सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होती हैं, तब राज्य सरकार राज्य बिजली बोर्ड से ऐसे एकक को बिजली की कटौती से छूट देने का अनुरोध किया जाता है ।

भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों के लिए बाजार

4291. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किये गये हस्तशिल्प तथा हथकरघा के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रमुख मदों के लिये किन-किन देशों में स्थायी बाजार बना लिये गये हैं ;

(ग) विदेशों में आयोजित हुई उन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के नाम क्या हैं जिनमें भारत ने भाग लिया और वर्ष 1980-81 के दौरान हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादकों के लिए क्यादेश प्राप्त किये ; और

(घ) इस संदर्भ में बनाये गये नये बाजारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क)

वर्ष	हथकरघा उत्पाद	हस्तशिल्प की वस्तुएं (कालीन शामिल हैं लेकिन रत्न तथा आभूषण शामिल नहीं हैं)
1979-80	290.41	3 4.26
1980-81	*330.02	*357.10

*अनन्तिम

(ख) हथकरघा उत्पाद विशेष तौर पर पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमरीका और एशिया के देशों, अफ्रीका और ओसीनिया को निर्यात किये जाते हैं। हमारी हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए प्रमुख बाजार हैं पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका, आस्ट्रेलिया, सोवियत संघ और मध्य पूर्व कुछ देश।

(क) तथ (घ) 1980-81 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने जिन मेलों प्रदर्शनियों में भाग लिया, उन्हें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह देखा जा सकता है कि उनमें भाग लेने से पूर्व और पश्चिम यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बाजार कवर किए गए।

विवरण

1980-81 के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने जिन मेलों प्रदर्शनियों मेंभाग लिया उनकी सूची।

1. मिलान इन्टरनेशनल फेयर, मिलान (इटली),अपैल, 1980
2. इण्डियन एग्जीबीशन, दुबई (सं० अ० अमीरात), मई, 1980
3. पोजनान इन्टरनेशनल फेलर, पोजनान (पोलैंड), जून, 1980
4. बार्सेलोना इन्टरनेशनल फेयर, बार्सेलोना (स्पेन), जून,1980
5. दमिश्क इन्टरनेशनल फैयर, डमस्कस (सीरिया), अगस्त 1980.
6. प्लोवदीव इन्टरनशनल फैयर प्लोवदीव (बलगारिया, सितम्बर, 1980
7. जगरेव इन्टरनेशनल फैयर जगरेव (यूगोस्लाविया), अक्तूबर, 1980
8. बगदाद इन्टरनेशल फैयर, बगदाद (ईराक, अक्तूबर, 1980

9. सान्तियागो इन्टरनेशनल फैयर सान्तियागो (चिल्ली), अक्तूबर नम्मबर, 1980

10. इण्डियन एगजीशन, लागोस (नाइजीरिया), जनवरी फरवरी, 1981

11. इण्डियन एगजीबीसन, जैद्दा, सऊदी अरब, मार्च अप्रैल, 1981

12. इण्डियन एग्जीबीशन, सिंगापुर, मार्च अप्रैल, 1981.

13. त्रिपोली इन्टरनेशनल फैयर, त्रिपोली (लीबिया), मार्च, 1981

उचित मूल्यों पर धागे की सप्लाई

4292. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में हथकरघा बुनकरों की उचित मूल्यों पर धागे की अनियमित और अस्थिर सप्लाई की जानकारी है ; और

(ख) इस बारे में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को हथकरघा बुनकरों को समुचित कीमतों पर धागे की अनियमित तथा अस्थायी सप्लाई में बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) तथापि, समुचित कीमतों पर हैंक धागे अपेक्षित मात्राए सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नोक्त उपाय किये गए हैं :

(1) सभी मिलों को कताई धागा बाजार सुपुर्दगियों के लिए धागे के अपने कुल उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत भाग हैंक के रूप में पैक करना होगा । इसमें ये 85 प्रतिशत 40 एस से कम काउन्टों का होना चाहिए ।

(2) हैंक धागे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छठी योजना में 2 मिलियन अतिरिक्त तकुए स्थापित करने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त संगठित सहकारी क्षेत्र के लिए बद्ध क्षमता सृजित करने के लिए हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में 25000-25000 तकुओं वाले 25 कताई मिल स्थापित किए जा रहे हैं । हथकरघा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजना में 32 करोड़ रू० की व्यवस्था की जा चुकी है ।

(3) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी तथा निगम क्षेत्रों द्वारा बद्ध प्रयोग के लिए सहकारी कत ई मिलों, राज्य वस्त्र निगम की मिलों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा उत्पादित हैंक धागे को पूल करें ।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त प्रस्तावित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों के लिए हैंक धागा प्राप्त करने तथा वितरित करने के लिए राज्य अभिकरणों की सहायता भी करेगी ।

कृषि क्षेत्र को ऋण दिया जाना

4293. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 1982-83 के दौरान कृषि क्षेत्र को अधिक मात्रा में ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1982-83 में उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उड़ीसा राज्य को कितना कृषि ऋण देने का प्रस्ताव है ;

(ग) उस ऋण दाता संस्था का क्या नाम है जो उड़ीसा को ऋण स्वीकृत करेगी ; और

(घ) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ख) समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा साथ ही अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि क्षेत्र को प्रगामी रूप से अधिकाधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की 15-2-82 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यकारी दल नये 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन और अन्य सम्बद्ध मामलों के विषय में बैंकिंग प्रणाली द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्योरा तैयार करेगा । इस कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को और समनुरूप बनाया जाएगा ।

लीड बैंकों द्वारा तैयार की गई जिला ऋण आयोजनाएं तथा वार्षिक आयोजना कार्य कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए परिव्यय की व्यवस्था करते हैं। 1982 के लिए उड़ीसा में जिलों के वास्ते तैयार किये गए वार्षिक आयोजना कार्यों के अन्तर्गत कृषि के परिव्ययों के संबंध में आकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सभी वित्तीय संस्थाएं अर्थात् वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक कृषि प्रयोजनों के लिए ऋण स्वीकृत करने में भागीदारी निभाते हैं। उड़ीसा राज्य के सभी जिलों में कृषि तथा इसकी सहायक गतिविधियों में संवितरणों के लिए ऋण परिव्यय 1980 में 27.87 करोड़ रूपये तथा 1981 में 41.95 करोड़ रूपये की सीमा तक के थे। वर्ष 1980 में वास्तविक संवितरण 33.97 करोड़ रूपये के तथा सितम्बर 1981 तक 27.31 करोड़ रूपये के थे।

बैंकों में ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र

4294. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में (31 जून, 1982 तक), राज्यवार, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को कुल कितने ऋण संबंधी आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) ऐसे कितने आवेदकों को ऋण दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के पास कुछ हजार ऋण आवेदन-पत्र लम्बित है ;

(घ) यदि हां, तो इन ऋण आवेदनपत्रों का निपटान करने के क्या कारण है ; और

(ङ) इन ऋण संबंधी आवेदनपत्रों का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ.) हालांकि नई सूचना प्रणाली के अंतर्गत, अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवेदन पत्रो की प्राप्ति और निपटान के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठा करने तथा उसे सारणी बद्ध करने की व्यवस्था की गयी है, पर इस प्रणाली में अभी स्थिरता नहीं आई है इसलिए मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन विलम्ब को कम करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के बैंकों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे 10,000 रूपये और उससे य के ऋणों के आवेदन-पत्रों को 3 से 4 सप्ताहों की अवधि के अन्दर और 10,000 रूपये से अधिक के ऋणों के आवेदन पत्रों को 3 महीनों की अवधि के अन्दर निपटा दें बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को लगभग एक पखवाड़े के अन्दर निपटा दें और उनके बारे में प्रखण्ड में विकास अधिकारियों को भी सूचित कर दें।

उड़ीसा में वैतरिणी ग्राम्य बैंक

4295. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में 1982-83 में खोले जाने के प्रस्तावित वैतरिणी ग्राम्य बैंकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उपर्युक्त दोनों में, किन किन स्थानों पर उपर्युक्त आवादी के दौरान इस प्रकार के वैतरिणी ग्राम्य बैंक खोले जाने का विचार है ; और

(क) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) माननीय सदस्य, संभवत: वैतरिणी ग्राम्य बैंक द्वारा, जिसके परिचालन क्षेत्र में क्योंझर और मयूरभंज जिले शामिल हैं, 1982-83 के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं का उल्लेख कर रहे हैं । दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, इस बैंक ने 34 शाखाएं स्थापित की थीं । इसके अलावा, उपर्युक्त दो जिलों 21 और शाखाएं खोलने के लिए बैंक के निम्नलिखित स्थानों के वास्ते प्राधिकृतियां जारी की गयी है :

क्योंझर जिला	मयूरभंज जिला
1. कांजीपानी	1. राजालोका
2. बलियोंघा	2. जमसोला
3. खालियामोंटा	3. श्यामसुन्दर पुर
4. नन्दीपदा	4. मांडा

1	2
5. सालपदा	5. कुमड़ा
6. बानुमुंडा	6. तंबाखुरी
7. सेनकुल	7. हतबदा
8। बेम्बारी	8. भंजका
	9. मुरुदा
	10. सिंघटिया
	11. जुगपुरा
	12. झारडीह
	13. दलिमा

भारत के विदेशी ऋण

4296. **श्री सुभाष चन्द्र बोष अल्लूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर किन-किन देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ऋण है; और

(ख) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उन देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में से प्रत्येक के ऋण की तुलनात्मक स्थिति क्या रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

विभिन्न देशों/संस्थाओं 1-4-1977, 1-4-1978, 1-4-1989, 1-4-1980 और 1-4-1981 को प्राप्त सरकारी खाते के ऋणों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(वर्तमान दरों पर करोड़ रुपए)

क्र० सं०	देश/संस्था	1-4-1977	1-4-1978	1-4;1979	1-4-1980	1-4-1981
1:	आस्ट्रिया	29.11	31.69	29.67	27.65	25.11
2.	बेल्जियम	43.09	55.21	67.98	72.08	67.00
3.	कनाडा	411.64	386.15	372.58	376.86	392.45
4.	डेनमार्क	20.53	23.59	26.82	24.95	24.36

1	2	3	4	5	6	7
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	1135.24	1290.09	1374.35	1363.78	1327.33
6.	फ्रांस	272.58	308.52	332.17	329.78	343.88
7.	इटली	13.38	27.63	26.13	24.43	16.63
8.	जापान	734.82	922.15	965.20	820.42	982.72
9.	नीदरलैंड	228.23	306.00	372.82	425.68	452.10
10.	स्वीडन	110.65	98.71	—	—	—
11.	स्विटरलैंड	36.62	50.97	22.53	21.71	19.30
12.	ब्रिटेन	833.98	841.21	867.27	881.70	862.68
13.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2960.29	2800.23	2652.53	2633.29	2635.09
14.	चेकोस्लोवाकिया	37.75	37.27	33.51	29.08	24.94
15.	हंगरी	6.49	11.21	11.58	10.51	9.05
16.	पोलैंड	12.30	10.21	8.77	7.48	6.32
17.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	314.84	275.75	196.93	186.21	189.14
18.	यूगोस्लाविया	0.18	0.07	0.02	0.01	—
19.	संयुक्त अरब अमीरात	62.23	59.57	57.33	58.10	58.24
20.	आबूधाबी निधि	—	5.83	5.83	12.31	14.28
21.	कुवैत निधि	20.00	33.26	45.54	45.50	54.23
22.	सऊदी निधि	—	—	3.19	44.25	60.23
23.	कत्तार	1.59	0.83	—	—	—
24.	ईराक	151.11	152.20	131.69	116.22	92.19
25.	ईरान	628.55	765.81	808.26	788.46	742.41

1	2	3	4	5	6	7
26.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और और विकास बैंक	226.95	253.97	285.45	301.00	402.98
27.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	2732.76	2890.70	3040.71	3524.52	4057.04
28.	युरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्यक्रम ऋण)	—	—	—	22.69	43.80
29.	ओपेक	—	18.55	29.32	29.71	23.30
30.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	—	—	—	—	33.30
31.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्याय निधि	—	—	—	—	537.51
	जोड़	11088.93	11657.58	11768.28	12178.42	13479.72

जीवन बीमा निगम द्वारा परिवहन उपक्रमों को वित्तीय सहायता

4227. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि जीवन बीमा निगम माल और यात्री वाहनों की खरीद के लिए परिवहन उपक्रमों को वित्तीय सहायता देता है किन्तु वास्तव में ये उपक्रम इस सुविधा से लाभ उठाने में अक्षमर्थ हैं क्योंकि जीवन बीमा निगम ने 220 प्रतिशत ऋण को गैर-भारग्रस्त वाहनों की की प्रतिभूति के रूप में निर्धारित किया है ;

(ख) क्या राज्य परिवहन निगम ने यह अपील की है कि उपर्युक्त शर्त के बजाये जीवन बीमा निगम सरकारी प्रतिभूति पर ऋण दे सकता है ;

(ग) जीवन बीमा निगम ने 1980 और 1981 में इस प्रकार के ऋण के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम ने उपर्युक्त (ख) के प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि हां तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। हालांकि 220

प्रतिशत ऋण का परिसम्पत्ति कवर जमानत के रूप में मांगा जाना सामान्य रूप से जरूरी है, लेकिन जीवन बीमा निगम आयुक्त मामलों में ढील दे दी है।

(ख) जी, हां। कुछ राज्य सड़क परिवहन निगमों ने सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम परिसम्पत्तियों की जमानत के बजाए सरकारी गारंटी के आधार पर ऋण मंजूर कर सकता है।

(ग) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगमों को आबंटित जीवन बीमा निगम के ऋणों की कुल राशि तथा परिवहन निगमों द्वारा अन्तिम रूप से प्रयुक्त राशि के सम्बन्ध में ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
1979-80	24.00	22.15
1980-81	30.00	26.75

(घ) उक्त प्रस्ताव व वहार्य नहीं पाया गया। सरकार द्वारा गारण्टीशुदा ऋणों पर ब्याज की दर कम होती है जो राज्य सड़क परिवहन निगमों जैसे वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में उपयुक्त नहीं है और इससे जीवन बीमा निगम और पालिसीधारकों के "लाभांश" पर प्रभाव पड़ेगा।

कपड़े का निर्यात

4298. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1981 के दौरान अधिक मात्रा में और अधिक मूल्य का कपड़ा निर्यात किया गया है तथा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कौन से चमड़े का निर्यात अधिक हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० संगमा) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1980 और 1981 के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे।

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	तैयार परिधान		फैब्रिक्स तथा तैयार वस्त्र और यार्न आदि	(अनन्तिम) कुल मूल्य
	मात्रा	मूल्य	मूल्य	
1980	4.25 लाख अदद	1439.82	401.00	840.82
1981	1930 लाख अदद	650.02	334.35 (जनवरी-अक्तूबर,1682)	9894.37

(मात्रा सम्बन्धी आंकड़े केवल परिधानों के लिए उपलब्ध हैं)

(ख) आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि 1981 में हुए निर्यातों की तुलना में 1981 मे सूती कपड़े के निर्यात में कोई सुधार नहीं हुआ है।

"इन्कम टैक्स रेड्स इन सिक्स बिग सिटीज" शीर्षक समाचार

4299. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "आई टी रेड्स इन सिक्स सिटीज" (आयकर विभाग द्वारा छः बड़े नगरों में छापे) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन छापों का ब्यौरा क्या है, किन-किन कम्पनियों के यहां छापे मारे गए और छापों के दौरान किस तरह के सन्देहप्रद दस्तावेज और बिना हिसाब-किताब का धन पकड़ा गया ; और

(ग) छापों के दौरान दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) आय-कर विभाग ने गोयल समूह द्वारा नियंत्रित, कलकत्ता स्थित परि हन संगठनों के मामले में फरवरी, 1982 में तलाशियां ली थीं। कलकत्ता, बम्बई, बंगलोर, बड़ोदा, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, मद्रास, रांची, दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद तथा कोयम्बतूर में की गई इन कार्यवाहियों में इस समूह के सदस्यों, इसकी सम्बद्ध फर्मों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों/पार्टियों के अनेक कार्यालयों और रिहायशी परिसरों की भी तलाशियां ली गई थीं। प्रथम दृष्ट्या लगभग 36.18 लाख रु० मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्ति पकड़ी गई थीं। इसके अतिरिक्त अपराध आरोपणीय दस्तावेज/लेखा बहियां भी पकड़ी गई थीं।

(ग) कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए, पकड़ी गई सामग्री की छानबीन की जा रही है।

तमिलनाडु को ओवरड्राफ्ट निकालने की सुविधाएं

4300. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने ओवरड्राफ्ट निकालने के लिए आवेदन-पत्र दिया है और वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान और 1981-82 से अब तक उसे रिजर्व बैंक से कितना ओवर-ड्राफ्ट निकालने की अनुमति दी गई है ;

(ख) आवेदनकर्ताओं ने इसके लिए कितनी बार आवेदन-पत्र भेजे और प्रत्येक आवेदन-

पत्र में कुल कितनी राशि का अनुरोध किया गया तथा प्रत्येक बार कुल कितनी राशि की स्वीकृति दी गई; और

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार नियमित रूप से ओवरडाफ्ट का भुगतान कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

तमिलनाडु को भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम धनराशि

4301. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार को 1980-81 और 1981-82 के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक से कोई अर्थोपाय ऋण प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार आवेदन किया गया था और धनराशि दिए जाने हुतु मांगी गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस समय तमिलनाडु सरकार पर कोई धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने 1980-81 में एक बार में भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपीय अग्रिम प्राप्य किया था और इसकी अधिकतम राशि 11.48 करोड़ रुपए थी । 1981-82 के दौरान राज्य सरकार ने बैंक से छः बार अग्रिम लिया जिसकी अधिकतम राशि 29.77 करोड़ रुपए थी ।

(ग) 13-3-1982 तक की स्थिति के अनुसार कोई रकम बकाया नहीं थी और यह वह अन्तिम तारीख है जिस तक की सूचना उपलब्ध है ।

तमिलनाडु सरकार की ओर से खजाना-बिलों (ट्रेजरी बिल्स) की बिक्री

4302. **श्री डी. डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु सरकार की ओर से वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 में आज तक खजाना-बिलों (ट्रेजरी बिल्स) की बिक्री की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और कितनी राशि के ट्रेजरी बिल बेचे गए; और

(ग) क्या क्रेताओं को ट्रेजरी बिलों की पुनः अदायगी उचित समय पर कर दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

4303

रेशम का निर्यात

4302. श्री राजेश पाइलट :

श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षबार कितने मूल्य का कितना रेशम निर्यात किया गया है;

(ख) इनमें से कितना निर्यात तैयार माल और कितना कच्चे रेशम के रूप में किया गया है;

(ग) उपरोक्त (ख) की दोनों श्रेणियों में कितनी मात्रा का लघु कुटीर उद्योगों में उत्पादित किया गया है – उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात के लिए रेशम की मात्रा बढ़ाने कौर उसकी किस्म सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रेशम निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित है :

सेशम निर्यात (रेशम वेस्ट को छोड़कर)

वर्ष	मात्रा (सभी आंकड़े लाख वर्ग मीटरों में)	मूल्य (करोड़ रुपए) (लगभग)
1978-79	114.52	40.12
1979-80	106.89	47.26
1980-81	124.13	52.26
1981-82 [अप्रैल-दिसम्बर]	106.32	50.49

इसके अलावा रेशम वेस्ट भी लघु मात्राओं में निर्यात किया जाता है ।

(ख) ऊपर उल्लिखित समस्त निर्यात तैयार उत्पादों के रूप में हैं । कच्चे रेशम का कोई निर्यात नहीं किया जाता । तथापि 1980 तथा 1981 के दौरान ट्विस्टिड् रूप में रेशम की निम्नलिखित मात्राओं का निर्यात किया गया :—

मात्रा	मूल्य
25 कि० ग्राम	10,750 रुपए
280 कि० ग्राम	1,19,000 रुपए

(ग) निर्यातित रेशम माल का अधिकांश उत्पादन हफकरघों पर होता है जो कुटीर उद्योग क्षेत्र में है। रेशम माल के उत्पादन राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे रेशम का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

(मात्रा लाख कि० ग्राम में)

राज्य	1980-81	1979-80	1978-79
आन्ध्र प्रदेश	7.98	5.73	2 0
असम	1.65	1.95	1.46
बिहार	1.77	3.20	2.24
जम्मू तथा काश्मीर	0.76	0.79	0.75
कर्नाटक	28.78	25.31	26.99
मध्य प्रदेश	0.66	0.40	0.18
मणिपुर	0.34	0.21	0.16
उड़ीसा	0.02	0.34	0.30
तमिलनाडु	4.67	3.88	2.61
उत्तर प्रदेश	0.05	0.05	0.01
पश्चिम बंगाल	3.71	5.22	4.69
अन्य	0.02	0.07	0.08
योग	50.41	48.05	41.77

(घ) निर्यातों के लिए रेशम माल की मात्रा बढ़ाने और क्वालिटी में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गए है। उनमें से महत्वपूर्ण ये हैं :—

(1) देश के अन्दर कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि के लिए उठाये जा रहे कदम। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मलवरी तथा टसर अनुसंधान केन्द्रों ने रेशम कीटों की समुन्नत नस्लों तथा उनकी संकर किस्मों का विकास किया है जिससे उत्पादकता बढ़ी है तथा कच्चे रेशम की क्वालिटी में सुधार आये है। खाद्य पौधों की कृषि, रेशम कीट पालन तथा कच्चे रेशम की रीलिंग की प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए अनेक अन्य उपाय भी अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं द्वारा किए गए हैं।

(2) देश के अन्दर कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में अनेक

रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। लगभग 80 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त रेशम उत्पादन परियोजना भी कर्नाटक में 1980-81 से और आगे के लिए शुरू की गई है। 7 राज्यों के लिए एक भारत-स्विटजरलैंड अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना का भी कार्यान्वयन हो रहा है। इन सभी कार्यक्रमों से यह आशा है कि देश में कच्चे रेशम का कुल उत्पादन 5000 मै० टन के अपने वर्तमान स्तर से बढ़कर छठी योजना अवधि के अन्त तक 9000 मै० टन हो जाएगा। साथ ही यह भी आशा है कि वाईवोल्टाइन किस्म, जो कि कच्चे रेशम की बढ़िया किस्म है, का उत्पादन बढ़कर 1984-85 तक लगभग 1700 मै० टन हो जाएगा जिसमें 1100 मै० टन अकेले कर्नाटक से होगा।

(3) एक अस्थायी उपाय के रूप में और 1980-81 के दौरान कच्चे रेशम की कमी पर काबू पाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्रीय रेसम बोर्ड की मूल्य स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत चीनी कच्चे रेशम की 250 मै० टन मात्रा का आयात करने के लिए कार्यवाही की।

(4) केन्द्रीय रेशम बोर्ड कीट पालकों के हितो के संरक्षण के उद्देश्य से तथा सन्तुलित कीमतों पर विनिर्माताओं को टसर कोये उपलब्ध कराने के लिए टसर के लिए कच्चा माल बैंक का भी प्रचालन कर रहा है।

(5) मांग तथा पूर्ति के बीच के अन्तराल को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार अग्रिम लाइसेंसिंग योजना (परिशिष्ट 19, शुल्क मुफ्त आयात और प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दे रही है। इन नीति उपायों से देश के अन्दर कच्चे रेशम की उपलब्धता बढ़ती है और निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी की कच्ची रेशम भी उपलब्ध होती है।

(6) सरकार 1982-83 के दौरान निर्यात प्रयोजनों के लिए रेशम उत्पादों की क्वालिटी सुधारने के लिए एक प्राकृतिक रेशम प्रौद्योगिकीम अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए भी कदम उठा रही है।

पर्यटन-व्यापार को बढ़ावा देने की नई योजनाएं

4104. **श्री वी० वी० देसाई** : **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार पर्यटन-व्यापार को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1982 के दौरान क्या-क्या नई योजनाएं शुरू कर रही है ; और

(ख) क्या नई योजनाएं इसलिए शुरु की जा रही है ताकि वर्ष 1982 में होने वाले एषियाई खेलों के कारण होने वाली पर्यटकों की भीड़ को संभाला जा सके ?

पर्यटन और विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से परामर्श करके पर्यटन के विकास के लिए यात्रा परिपथ संकल्पना

के आधार पर एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है जिसमें केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में संसाधनों को एकत्र करके 441 केन्द्रों को कवर करते हुए 61 यात्रा परिपथों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है स्कीमों का वास्तविक कार्यान्वयन धनराशियों की उपलब्धता और पारसपरिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए शुरु किया जाएगा। स्कीमों में यात्रा परिपथों के साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर आवास और परिवहन, जैसी पर्यटक आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) एशियाई खेलों के दौरान होने वाली भीड़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली में होटलों का निर्माण और एक होटल का विस्तार किया जा रहा है। परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। मई और अक्तूबर, 1982 के बीच अधिक यात्रियों को लाने ले जाने की इन्डियन एयरलाइन्स की क्षमता, 2 एयर बसों और 4 बोइंग 737 एअर-क्राफ्टों की वृद्धि करते हुए, बढ़ाई जाएगी। भारत पर्यटन विकास निगम को एशियाई खेलों पर एक फोल्डर प्रकाशित करने के लिए कहा कहा गया है जिसके मई 1982 तक तैयार हो जाने की आशा है। आधारिक संरचना की स्थापन से एशियाई खेलों के बाद भी पर्यटकों की जरुरतों की पूर्ति होगी। एशियाई खेलों के आने वाले आगन्तुकों द्वारा जिन केन्द्रों की यात्रा की जाने की सम्भावना है उन केन्द्रो पर पर्याप्त पर्यटक सुविधाएं विद्यमान हैं।

फ्रांस को सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

4305. **श्री के० प्रधानी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस को सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस को निर्यात किए जाने वाले प्रस्तावित सिले-सिलाए वस्त्रों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) इन वस्त्रों का निर्यात कब किया जाएगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) भारत से फ्रांस को वस्त्र उत्पादकों के निर्यात वस्त्र उत्पादकों के व्यापार सम्बन्धी यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत के बीच हुए करार द्वारा संचालित किए जाते है। इस करार के अन्तर्गत सिले-सिलाए परिधानों की कुछ किस्में वार्षिक परिणात्मक प्रतिबन्धों के अध्यधीन होती हैं। पंचांग वर्ष, 1982 के लिए ऐसे सिले-सिलाये परिधानों के लिए कुल आधार कोटा स्तिर लगभग 9.325 मिलियन अदद है जिसमें से 1.1.1982 से 31.1.1982 तक 12.58.00 अदद निर्यात किए जा चुके हैं। 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1982 तक कोटा वर्ष है और इस अवधि में निर्यातों पर प्रभाव पड़ेगा।

कोयला खानों के श्रमिकों की व्यनगत पालिसियां

4306. **श्री ए० के० राय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० ने कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना 1965 और वेतन बचत योजना के अन्तर्गत कोयला खानों के श्रमिकों को ऐसी जीवन बीमा पालिसियों की संख्या क्या है जो जीवन बीमा निगम के जमशेदपुर डिविजन में ही व्यपगत हो गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन पालिसियों के व्यपगत होने का मुख्य कारण कोयला खान भविष्य निधि और भारत कोकिंग कोल के प्राधिकारियों द्वारा जीवन बीमा निगत को उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत पालिसीधारियों के प्रीमियस न भेज कर उपेक्षा बरतना है; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिए, गरीब श्रमिकों को जी न बीमा निगम के लाभों से वंचित होने से, जिसमें उनका अपना कोई कसूर नही है, बचान के लिए तथा गरीब लोगों को हुए नुकसान की क्षति पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : फरवरी, 1982 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1965 और वेतन बचत योजना के अन्तर्गत कोयला खानों के श्रमिकों की जीवन बीमा पालिसियों की संख्या 20,000 से भी काफी अधिक थी । इनमें से साधारण जीवन बीन की लगभग 3,600 ऐसी पालिसियों थी जिनके प्रीमियस की अदाएगी हर वर्ष करनी होती है और प्रीमियस की राशि भविष्य निभि से वित्तपोषित होती है और शेष पालिसियां वेतन बचत योजना वाली पालिसियां थीं ।

क्योंकि व्ययगत पालिसियों के अलग-अलग पालिसी डाकेंटों की छानबीन करनी होती है, इसलिए उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत शामिल एक खास अवधि में व्यपगत पालिसियों की ठीक-ठीक संख्या का निर्धारण करना एक भारी काम होगा । फिर भी पालिसियों के व्यपगत होने के संबन्ध में जीवन बीमा ने निम्नलिखित सूचना दी है

(i) भविष्य निधि योजना में शामिल साधारण जीवन बीमा पालिसियों के व्ययगत होने के मामले नगण्य हैं ।

(2) वेतन बचत योजना में शामिल पालिसियों के मामले में वेतन में से प्रीमियम की कटौती करना तभी बन्द किया जाता है जब इस सम्बन्ध में कर्मचारियों में कोई अनुरोध प्राप्त होता है । ऐसे मामलों में पालिसियां, चुकता अथवा बिना चुकता मूल्य की जैसी भी स्थिति हो, व्यपगत हो जाती है । लेकिन जब कटौतियां शुरु कर दी जाती हैं और जीवन बीमा निगम को प्रीमियमों की राशियां भेज दी जाती है तो पालिसियों को फिर से बहाल अथवा फिर से चालू कर कि बशर्ते दिया जाता है इस सम्बन्ध में सामान्य अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हों ।

(ग) इन पालिसियों के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम ने धनवाद में एक विशेष कक्ष की स्थापना की है जो नियोजक द्वारा प्रीमियमों से प्रेषणाओं से सम्बन्धित मामले में बराबर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा ।

स्वर्ण आभूषणों के निर्माण हेतु शिल्पकारों को लाइसेंस

4307: **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण आभूषणों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को इस कार्य के लिए लाइसेंस लेना होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सोने के ऊंचे मूल्य होने के कारण देश भर में बहुत से लाइसेंसधारी स्वर्णकार बेरोजगार हो गए है और वे इस बात की मांग कर रहें हैं कि उन्हें कुछ अन्य व्यापार शुरु करने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए जिसके लिए वे अपने लाइसेंस सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने उन शिल्पकारों को जिन्होंने अपने लाइसेंस सरकार को सौंप दिये हैं ऋण देने की व्यवस्था की है ताकि वे अन्य व्यापार कर सकें;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम के अन्तर्गत शिल्पी वह व्यक्ति है जिसे स्वर्णाभूषणों का निर्माण करने के लिए सोने के लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा नियोजित किया जाता है तथा उसे सोने के लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा एक पहचान-पत्र जारी किया जाता है जिस पर उस स्वर्णनियन्त्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होते है जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह आता है। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी 'प्रमाणित स्वर्णकार' स्वर्णाभूषणों का निर्माण कर सकता हैं वशर्ते उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध प्रमाण-पत्र हो।

(ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं । इसकी विपरीत, प्रमाणित स्वर्णकारों की संख्या जो 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार 2,44,685 थी वह अब 31,12,1980 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 2,63,057 हो गई है।

(ग) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) तथा (ङ.) ऊपर 'ग' में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

बड़ोदा में एक कागज मिल की स्थापना

4308. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक रूपये के नोटों की कमी को दूर करने हेतु बड़ोदा के निकट नोटों के कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस योजना को फार्मान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों छुट्टी यात्रा रिआयत के स्थान पर धनराशि/बोनस देना

4310. **श्री आर० आर० भोले :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री वी० एस० विजयाराघवन :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री जी० नर सिम्हा रेड्डी :

श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छुट्टी यात्रा रिआयत सुविधा को समाप्त करके उसके स्थान पर अपने कर्मचारियों को एक निश्चित धनराशि अथवा बोनस की अदायगी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रिआयत के बदले में एक निश्चित राशि देने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है किन्तु कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है । तथापि, रेल टैरिफ जांच समिति ने रेलों में यात्रियो के आवागमन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रिआयत के बदले में नकद राशि देने के विकल्प की सिफारिश की की है । इसी कारण से, इसी प्रकार का एक सुझाव योजना आयोग द्वारा दिया गया है । सरकार ने इस सम्बन्ध में भी कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है ।

दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर हवाई अड्डों के नाजुक स्थानों पर सुरक्षा

4311. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1982 को अथवा इसके आस पास कोई विक्षिप्त व्यक्ति सफदर-जंग हवाई अड्डे पर एक हेंगर में घुस आया और किसी तरह विमान को चला दिया, जैसा कि ईवनिंग न्यूज तथा अन्य दैनिक पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और क्या इस प्रकार की घुसपैठ के लिए किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी निश्चित की गई , और

(ग) दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर हवाई अड्डों के नाजुक स्थल पर इस तरह की घटनाओं से बचने के लिये सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 10 जनवरी, 1982

को एक अनधिकृत व्यक्ति सफदरजंग हवाई- अड्डे के हैंगर के सामने एप्रन में खड़े एक कृषि विमानन के विमान में प्रविष्ट हुआ और इंजिन चालू कर दिया।

(ख) घटना की जांच की गई। किसी भी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका क्योंकि अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकारियों ने पागल करार दिया और वह सम्भवत: बाड़ को फांदकर अथवा प्रवेश द्वार को छोड़ कर किसी अन्य स्थान से प्रविष्ट हुआ था।

(ग) नाजुक मुकामों पर चार दीवारी तथा चौगिर्दी बाड़ की और मजबूत करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

संकटग्रस्त चाय बागान

4312. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसे संकटग्रस्त चाय बागानों जिनकी निरन्तर तालाबन्दी है, को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए कानूनी पेचेदगियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे संकट ग्रस्त चाय बागानों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिए सम्बन्ध अधिनियम का संशोधन करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन राज्य सरकार ऐसे संकटग्रस्त चाय बागानों का निरन्तर तालाबन्दी पर अधिग्रहण कर सके।

(ख) से (घ) : चाय अधिनियम; 1953 में पहले ही इसकी व्यवस्था है कि यदि चाय उपक्रम या चाय एकक उतनी अवधि तक बन्द रहा हो जो तीन महीने से कम न हो, तो विशेष परिस्थितियों में उसके प्रबन्ध का अधिग्रहण किया जा सकता है। चाय अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार चाय उपक्रम अथवा चाय एकक के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकायों को प्राधिकृत कर सकती है, जिसमें राज्य सरकार का अभिकरण भी शामिल हो सकता है।

रेशम का उत्पादन करने वाले राज्य

4313. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेशम उत्पादन करने वाली राज्य सरकारों के क्या नाम हैं और उनका औसत वार्षिक उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) 1980-81 के दौरान विभिन्न रेशम उत्पादन करने वाले राज्यों में कच्चे रेशम का उत्पादन निम्नांकित प्रकार था :

राज्य	(मात्रा लाख किग्रा० में)
	1980-81
आन्ध्र प्रदेश	7.98
असम	1.65
बिहार	1.77
जम्मू तथा काश्मीर	0.76
कर्नाटक	28.78
मध्य प्रदेश	0.66
मणिपुर	0.34
उड़ीसा	0.02
तमिलनाडु	4.67
उत्तर प्रदेश	0.05
पश्चिम बंगाल	3.71
अन्य	0.02
योग	50.41

चीनी का निर्यात

4314. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी, 1981 के अन्त तक दो लाख टन चीनी निर्यात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे 70 करोड़ रु० से अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ग) अक्तूबर, 1981 से सितम्बर, 1982 तक अधिकृत रूप से कुल कितनी चीनी निर्यात की जायगी ;

(घ) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत 1982 के कलेन्डर वर्ष के लिए भारत की मांग सात टन के कोटे की है ; और

(ड़) यदि हां, तो क्या भारत की मांग मान ली गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 28 फरवरी, 1982 तक 1.29 लाख में टन चीनी का निर्यात किया गया है।

(ख) इस निर्यात से 42.4 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की कुल आय होने का अनुमान है।

(ग) अक्तूबर 1981 से सितम्बर, 1982 के चीनी वर्ष के लिए निर्यात कोटा सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) तथा (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन से अधिक कोटा देने के लिए अनुरोध किया गया हैं अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के आबंटन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्षों के बगैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4315. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सरकारी क्षेत्र के भारतीय उपक्रमों में अध्यक्षों के बिना कार्य हो रहा है और यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं ;

(ख) इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन पदों को कब तक भरा जायगा ; और

(घ) क्या अध्यक्षों के बगैर इस उपक्रमों के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बहु संख्यक पद खाली पड़े हैं । इस समय लगभग 200 में से केवल 10 पद खाली है । जिन उद्यमों में यह पद खाली है उनके नाम इस प्रकार है :

1. राज्य व्यापार निगम ।
2. नागलैंड पल्प एण्ड पेपर कं० ।
3. केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्प संस्थान ।
4. राज्य फार्म्स निगम/राष्ट्रीय बीज निगम ।
5. हिन्दुस्तान साल्टर और सांभर साल्ट्स लि०
6. अण्डमान तथा निकोबार वन एवं बागान विकास निगम ।
7. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि० ।
8. एजुकेशनल कन्सल्टेंट्स (इन्डिया) लि० ।
9. इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन ।
10. बंगाल केमिकल्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० ।

उपर्युक्त में से 8 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन को अन्तिम रुप दिया जा चुका है और उन सभी पर सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है । इन्डियन पेट्रोकेमिकल्स

कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक असामजिक निधन के कारण यह हाल ही में खाली हुआ है। सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को खोजना जिसके लिए कभी-कभी दुबारा चयन करना पड़ता है, उनके लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना, चुने हुए व्यक्तियों द्वारा देर से पद भार ग्रहण करना, चुने हुए व्यक्तियों के तत्काल सुलभ होने में समय लगाना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ये पद खाली पड़े हैं। किन्तु इन सभी मामलों में अन्तरिम व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि काम में कोई बाधा न पड़े। सरकार इसके लिए चिन्तित है कि कि ऐसे पद खाली न रहने दिए जाएं, और वस्तुत: वह ऐसे खाली पदों पर अग्रिम नियुक्ति करने के लिए एक प्रणाली तैयार कर रही है, ताकि पदारोहण को सुगम व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात

4316. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उड़ीसा के लौह अयस्क खानों में धातु और खनिज व्यापार निगम द्वारा अपर्याप्त निर्यात किए जाने के कारण गम्भीर संकट बना हुआ है ;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा से कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया और उसके पूर्व के दो सालों की तुलना में यह कितना हैं ;

(ग) निर्यात करने का प्रस्ताव है, यह कब तक क्रियान्वित हो जाएगा ?

(घ) क्या उड़ीसा की खानों से पाराद्वीप पत्तन होते हुए चीन को बहुत मात्रा में लोह अयस्क का निर्यात करने का प्रस्ताव है, यह कब तक क्रियान्वित हो जायगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : खनिज ब धातु व्यापार निगम ने विगत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन से लौह अयस्क की निम्नोक्त मात्राए निर्यात की :

वर्ष	मात्रा लाख मे० टन में
1978-79	17.25
1979-80	17.52
1980-81	18.16
1981-82 (अनुमानित)	16.30

इस प्रकार निर्यात 16 से 18 लाख मे०टन के बीच घटते बढ़ते रहे जो कि लगभग कार्यक्रम के अनुसार रहे।

(ग) विश्व में इस्पात उद्योग में लगातार मन्दी की वजह से पारद्वीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात बढ़ने के अच्छे आसार नहीं हैं। सरकार ने पारादीप पत्तन पर ढुलाई सुवि-

धाओं में सुधार लाने की योजना को पहले ही अनुमोदित कर दिया है इसमें वैगन टिपलर लगाने, रिक्लेयर आदि को बदलना भी शामिल है। इससे खनिज व धातु व्यापार निगम के निर्यातों के के विद्यमान स्तर पर बनाए रखने के प्रयासों में मदद मिलेगी।

(घ) अपने इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता के लिए भारतीय लौह अयस्क की उपलब्धता तथा उपयुक्तता और भारत में उपलब्ध पत्तन सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक चार सदस्यीय चीनी प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर, 1981 में भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधि-मन्डल ने भारत से लौह अयस्क आयात करने में अपनी इच्छा व्यक्त की लेकिन यह कहा कि वे यथा समय अपनी सही आवश्यकताएं बताएगा।

चौड़े अर्ज के परिधानों का साड़ी के रूप में उत्पादन और विपणन

4317. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलें चौड़े अर्ज के परिधानों का उत्पादन करती हैं और फिर स्थानीय बाजारों में उनका साड़ियों के रूप में नियतन करते हैं जिसके कारण हथकर-घा उद्योग पर प्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के हथकरघा बुनकरों ने इस ओर केन्द्र सरकार का ध्यान दिलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) ; (क) विद्यमान सूती वस्त्र मिलें चौड़े अर्ज वाले उन फैब्रिक्स का उत्पादन कर सकती हैं, जो हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है तथा जिन्हें इस सामग्री तथा साड़ियों के रूप में साधित किया जा सकता है और बेचा जा सकता है।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों के हथकरघा बुनकरों से कोई विशेष शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पश्चिम बंगाल के कुटीर एवं लघु उद्योग मन्त्री ने इस मुद्दे को पुनर्गठित अखिल भारतीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड की प्रथम बैठक में उठाया था। 9 मार्च, 1981 के वस्त्र नीति विवरण में हथकरघों के लिए विशेष रूप से आरक्षित की गयी कतिपय वस्तुओं के सतत तथा कारगर प्रवर्तन की व्यवस्था है। हथकरघों के लिए आरक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने तथा आरक्षण आदेशों को अधिक प्रभावी बनाने वाले उपायों को सुझाने के उद्देश्य से सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। इस अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्वेत श्याम तथा रंगीन टी० वी० सैटों का निर्माण

4318. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्वेत-श्याम टी० वी० शैलों का निर्माण करने के लिए भारत इलेक्टानिक्स लिमिटेड के जरिए सहयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों श्वेतन-श्याम तथा रंगीन टी० वी० शैलों के निर्माण को शामिल करने सम्बन्धी संशोधन का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां ।

(ख) काले, सफेद और रंगीन टीवी शैलों का निर्माण करने के लिए संयंत्र में आवश्यक संशोधन करने की जरुरत पड़ेगी ताकि रंगीन ग्लास पेनेल वोल्ड एण्ड पेसिंग और रंगीन ग्लास पेनेल की पालिस करने की सुविधा स्थापित की जा सके और ऐसे ग्लास को गलाने के लिए अलग ग्लास मेस्टिंग टेंक बनाया जा सके ।

भारत नेपाल तथा भारत बांगला देश सीमापर तस्करी

4319. **श्री एम० रामगोपाल रेडडी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपां करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बांगलादेश सीमा पर लाखों रुपयों के मूल्य के सामान की गैर कानूनी ढंग से अदला-बदली होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिश तथा सीमा सुरक्षा पुलिश के अनेक अधिकारियों तथा कर्मिकों की तस्करी की सांठ गांठ है ; और

(ग) सरकार सीमाओं पर इन गतिविधियों को रोकगे के लिए क्या कदम उठा रही है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : (क) भारत नेपाल तथा भारत- बंगलादेश सीमा पर माल की हुई तस्करी का कोई अधिकाधिक अनुमान प्राप्त नहीं है । फिर भी, वर्ष 1980 और 1981 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए ऐसे माल/मूल्य उपलब्ध है तथा नीचे दिया गया हैं, जिसे इन सीमाओं के पार चोरी-छिपे ले जाये जाने का प्रयास किया जा रहा था :

(लगभग मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	भारत-नेपाल सीमा	भारत- बंगलादेश सीमा)
1980	166	159
1981	224	225

(ख) जी, नहीं । किन्तु तस्करी की गयिविधियों में रेलवे पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के अन्तर्ग्रस्त होने के कुछ मामले विगत कुछ समय में सरकार की जानकारी में आये हैं वर्ष 1981 में रेलवे पुलिस के दो कार्मिक तथा सीमा सुरक्षा बल के तीन कार्मिक तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गए थे । उनके खिलाफ कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही शुरु की गई है ।

(ग) भारत-नेपाल और भारत-बंगलादेश की सीमा के साथ-साथ, सीमाशुल्क विभाग के निवारक एवं गुप्तचर्या तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। इन सीमाओं पर तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए सम्बन्धित प्रवर्तन अभिकरणों, अर्थात सीमाशुल्क विभाग, राज्य पुलिस एव सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को सर्तक कर दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से मुजफ्फरपुर जिले के लोगों द्वारा लिए गए ऋण

4220. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर जिले के ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थानीय शाखाओं से दो लाख रु० से अधिक राशि के ऋण लिए थे और उनका अब तक भुगतान नहीं किया है ;

(ख) इन ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलायी जाने वाली आंकड़े सूचित करने की प्रणाली के अन्तर्गत आंकड़े उस रुप में प्राप्त नहीं होते जिस रुप में वे मांगे गए हैं। परन्तु, जून, 1976, जून, 197 , 1978 जून, 1979 और जून 1980 के अन्त की स्थिति (बिल्कुल हाल के उपलब्ध आंकड़े) के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिहार राज्य में दिए गए कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष वित्त) की वसूली की प्रतिशतता क्रमशः 45.7, 40.6, 35.8 31.7 और 35 5 थी। बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में दिए गए अग्रिमों की वसूली का सुनिश्चय करने के लिए दिए गए उपायों में से कुछ नीचे दिए गए है :

1. फसलों की कटाई के समय वसूली अभियान की व्यवस्था की जाती है।

2. बैंक इधर उधर छिटपुट ऋण देने के बजाय क्षेत्र के आधार पर योजनाबद्ध ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे अन्य बातों के साथ-साथ कारगर पर्यवेक्षण तथा अनुवर्ती उपायों की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाती है।

3. तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी प्रस्तावों की सम्भाव्यता तथा आर्थिक सक्षमता को समुचित रुप से ध्यान में रखते हुए ऋण प्रस्तावों का उचित मूल्यांकन किया जाता है।

4. लगातार तथा कुशल पर्यवेक्षण और वसूली के लिए निकटवर्ती शाखाओं के समूह के वास्ते अलग से वसूली कक्ष का निर्माण किया गया है।

5. जहां सम्भव होता है वहां बैंक सम्बन्धन (टाई अप) व्यवस्था करते हैं जिसके अनुसार विपणन तथा वसूली व्यवस्था के साथ ऋण का तालमेल बैठाया जाता है।

6. राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र की सहायता मांगी जाती है।

7. जानबूझ कर व्यतिक्रम करने वालों के खिलाफ कानूनी/कठोर कार्रवाई।

वित्त मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4321. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में श्रेणीवार कितने कर्मचारी है और उनमें कितन कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के सम्बन्ध में आपेक्षित सूचना का एक विवरण सलग्न है।

(ख) जहां तक ग्रुप 'क' 'ख' और 'ग' पदों का सम्बन्ध है, आरक्षित कोटा लागू करने के पश्चात वित्त मन्त्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचित किए गए रिक्त पदों के आधार पर, वह विभाग संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित, उम्मीदवारों का नामांकन करता है। ग्रुप 'घ' के पद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी प्रारम्भिक भर्ती के समय और पदोन्नति के समय कोटे के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन, उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के खाली पदों को भरना हमेशा सम्भव नहीं होता है। इसके अलावा, स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गये पदों के मामले में आरक्षण लागू नहीं होता।

फिल्म निर्माताओं (वितरकों) फाइनेंसरों से करों की वसूली

4322. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979, 1980 और 981 के वर्षों के दौरान (एक) फिल्म कलाकारों (दो) फिल्म निर्माताओं; (तीन) फिल्म वितरकों और (चार) फिल्म फाइनेंसरों से सभी प्रकार के करों की वास्तविक वसूली के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) 15 सर्वाधिक नकद वसूली के आंकड़े उन व्यक्तियों के नाम सहित क्या हैं ; जिनसे वसूली की गई थी और उपर्युक्त श्रेणी के प्रत्येक मामले में कितनी राशि शेष है ; यदि कोई है तो, और

(ग) उपर्युक्त श्रेणियों के कितने मामलों में कर निर्धारण आयकर अधिकारी, आयकर आयुक्त अथवा बोर्ड के स्तर पर संयोजित किया गया है अथवा निश्चित किया गया है ?

विवरण			
श्रेणी/ग्रुप	1.1.1982 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम 2 में उल्लिखित कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कालम 2 में उल्लिखित कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की सख्या
1	2	3	4
श्रेणी I/ग्रुप क	477	30	7
श्रेणी ii/ग्रुप ख	1310	148	11
श्रेणी iii/ग्रुप ग	1337	144	7
श्रेणी iv/ग्रुप घ	821	241	25
	3945	563	50

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) प्रश्न में मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न के अन्तर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों की बाबत सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा। जिन फिल्मी कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, फिल्म वितरकों तथा फिल्म वित्त दाताओं की, कर-निर्धारण वर्ष 1979-80, 1980-81 अथवा 1981-82 में से किसी एक वर्ष की विवरणी निर्धारित आय एक लाख रुपये तथा इससे अधिक थी, उनके सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना एकत्र करने के बाद एक विवरण पत्र यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतें

4323. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न कार्यालयों और मुख्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी संपर्क अधिकारियों को परामर्श दिया है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की एसोसिएशनों/संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलें और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यवाही करें (वर्ष 1980-81 के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट पैरा 224) ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों से संबंधित उन पत्रों का उत्तर न देने के क्या कारण हैं जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, शेड्यूल्ड कास्ट/ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड बुधीस्ट एम्प्लाईज आरगेनाइजेशन, नागपुर से प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड बुधीस्ट एम्पलाईज आरगेनाइजेशन, नागपुर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के संघ से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच बैंक द्वारा की जा रही है और इस सम्बन्ध में किए गए निर्णयों की सूचना अनौपचारिक रूप से पत्र के हस्ताक्षरकर्त्ता को दे दी गयी है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष के अधिकारियों ने जिन्होंने रोस्टरों के निरीक्षण के सिलसिले में नागपुर कार्यालय का दौरा किया था, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठन के प्रतिनिधियों को, उनके अभ्यावेदनों के सिलसिले में, बैंक के निर्णय से अवगत करा दिया था। अलबत्ता, कर्मचारी संघों के गैर-मान्यता प्राप्त संघों से, बैंक ने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है।

बैंक आफ बड़ौदा वाराणसी की रामकटोरा शाखा द्वारा उद्योगपतियों को मंजूर किये गये ऋण

4324. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई के मुख्यालय द्वारा वाराणसी जिले के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को वाराणसी स्थित अपनी रामकटोरा शाखा के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये ;

(ख) वाराणसी में उन उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के नाम क्या है जिन्हें बैंक आफ बड़ौदा के बम्बई स्थित मुख्यालय ने ऋण मंजूर तो कर दिये है परन्तु वाराणसी शाखा ने ऋण देने से मना कर दिया है ; और

(ग) वाराणसी शाखा कार्यालय ने किन कारणों से उक्त ऋण देने से इन्कार किया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ बड़ौदा द्वारा पिछले 3 वर्षों में वाराणसी में अपनी रामकटोरा शाखा द्वारा लघु उद्योगों और छोटे ऋण कर्ताओं को स्वीकृत ऋणों की राशि इस प्रकार थी :-

(लाख रुपये)

	लघु उद्योग		छोटे ऋणकर्ता	
	खातों की संख्या	31-12-81 को बकाया	खातों की संख्या	31-12-81 को बकाया
		रकम		रकम
1979	1	16.74	51	2.36
1980	—	—	9	1.23
1981	5	55.07*	7	0.53

* जिन मामलों में वृद्धियां आवश्यक समझी गई थी उनमें मौजूदा एकक शामिल हैं ।

बैंक ने सूचित किया है कि उसकी शाखा के माध्यम से किसी उद्योगपति अथवा व्यापारी को ऋण देने के मामले में किसी राशि पर केन्द्रीय कार्यालय में विचार नहीं किया गया था क्योंकि ऋण के प्रस्ताव शाखा प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/अन्चल प्राधिकारी को सौंपी गई विवेकाधिकारों के अन्तर्गत थे । केन्द्रीय कार्यालय ने इस शाखा से सम्बन्धित एक लघु औद्योगिक एकक के पोषण के सम्बन्ध में केवल एक मामले पर विचार किया था क्योंकि इस प्रकार के मामले पर विचार करने का कार्य संबंधित अंचल प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर नहीं आता था । लेकिन, चूंकि एकक ने आवश्यक शर्तों का अनुपालन नहीं किया इस लिए पोषण कार्यक्रम को समाप्त कर देना पड़ा ।

टनकपुर तावाघाट सड़क को चौड़ा करना

4325. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सड़क महानिदेशक को इस आशय के निदेश देने

का है कि टनकपुर-तावाघाट संकरी सड़क, जो खराब स्थिति में है, को चौड़ा किया जाये और इसके दोषयुक्त मार्ग-रेखा निर्धारण ठीक किया जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) टनकपुर-तवाघाट सड़क 20 फुट चौड़ी सड़क है और इसकी वर्तमान विनिर्दिष्टयों जिसमें उसकी सिधाई भी शामिल है, रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है। अतः इस सड़क को और चौड़ा करने या दुबारा इसकी सिधाई ठीक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्मोड़ाघट सड़क को चौड़ा करने के कार्य की धीमी प्रगति

4326. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा किये जा रहे उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ाघाट सड़क को चौड़ा करने और रग-रोगन के कार्य में धीमी प्रगति के कारण क्या है ; और

(ख) इस सड़क को कब तक चौड़ा किया जायेगा और पक्का बनाया जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग को इस सड़क को चौड़ा करने और उसकी सतह बनाने का काम 1964 में सौंपा गया था। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति का कारण दुर्गम भू-भाग और उनके पास साधनों की कमी थी। तदनुसार नवम्बर, 1977 में सीमा सड़क संगठन ने इस सड़क के लोक निर्माण विभाग से ले लिया।

सीधा सड़क संगठन इस भूमि पर तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने की स्थिति में नहीं था और उसके बाद सरजू नदी पर पचेश्वर के पास एक बांध का प्रस्तावित निर्माण के कारण सड़क को जल प्लावित होने का प्रश्न राज्य सरकार से निपटाना पड़ा।

इस मामले को राज्य सरकार के साथ निपटाने के बाद सड़क को चौड़ा करने का काम 1979-80 में शुरू किया गया था। वर्तमान योजना के अनुसार सड़क को चौड़ा करने का कार्य जून, 1982 तक और सतह बनाने का काम 1984-85 तक पूरा किये जाने की आशा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन सेवाओं के विस्तार पर व्यय

4327. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र मे 1982-83 में पर्यटन सेवाओं के विस्तार पर कितना व्यय करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में कुछ स्टार होटलों के निर्माण के लिए कोई निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क)

शुरुआत के तौर पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग का 1982-83 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत गोहाटी, शिलांग और इम्फाल मे पर्यटक होस्टलों का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। प्लानों और अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम का पूर्वोत्तर क्षेत्र में होटलों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव है :-

असम : राज्य सरकार के सहयोग से गोहाटी में एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना स्कीम में 100 कमरों वाले 3-स्टार होटल परियोजना की परिकल्पना की गयी है जिसे विभिन्न अवस्थाओं में पूरा किया जाएगा।

मणिपुर : भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रुप से 25-30 कमरों वाले एक होटल का निर्माण करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मेघालय : बारापानी में लगभग 15-20 कुटीरों के निर्माण द्वारा एक पर्यटक कम्पलैक्स का विकास करने का मेघालय सरकार का एक प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम ने प्लान तैयार करने, डिजाइन तैयार करने निर्माण करने और साथ ही कम्पलैक्स का परिचालन करने के लिए उचित शर्तों पर अपनी सेवाओं की तेशकश की है भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकार की ओर से पाइनवुड होटल का प्रबन्ध पहले ही अपने हाथ में ले लिया है।

त्रिपुरा : भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से त्रिपुरा में 30 कमरों वाले एक होटल का निर्माण करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने के लिए लाइसेंस नीति

4828. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1978 के दौरान सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिये एक लायसेंस नीति तैयार की थी ;

(ख) क्या इस नीति का मूल लक्ष्य कमी वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना और अधिक विकास के क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर-जिला विषमताओं में कमी करना था ;

(ग) क्या यह नीति जून, 1981 तक प्रभावी रही थी ;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार खोली गई शाखाओं की तुलना में उक्त नीति का संपूर्ण मूल्यांकन कर लिया गया है और उपरोक्त लक्ष्यों का किस सीमा तक प्राप्ति हुई है ;

(ङ) किस राज्य में उक्त नीति-निदेशकों का पालन नहीं किया गया ; और

(च) जून 1981 के बाद क्या नये परिवर्तन किये गये हैं ताकि उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में अगर कोई अड़चनें आई हैं तो उनको पुरा किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के सुधार और साथ ही वर्तमान असन्तुलनों के सुधार की दृष्टि से जनवरी 1979 से दिसम्बर, 1981 (बाद में इसे मार्च, 1982 तक बढ़ा दिया गया था) तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का लक्ष्य यह था कि ग्रामीण/अर्ध-शहरी इलाकों में औसतन 20,000 व्यक्तियों पर एक शाखा की व्यवस्था कर दी जाए। इस मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक जिले के मुताबिक सभी राज्यों के लिए 6,513 अतिरिक्त शाखाओं के एक शाखा विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकता थी। किन्तु 1 जनवरी, 1979 से सितम्बर 1981 के अन्त तक की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने, ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों पर 9,458 अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत) को लाइसेंस/ प्राधिकृतियां जारी कीं। इनके अतिरिक्त, बैंकों के पास पिछले वर्षों के, उपयोग में न लाये गए, लाइसेंस भी मौजूद थे इनमें से सितम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 6,149 शाखाएं खोली जा चुकी थीं और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 4,721 और स्थानों पर शाखाएं खोलने के लाइसेंस बैंकों के पास शेष थे।

इस नीति के अधीन (जून 1981 तक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों के कार्यान्वित हो जाने के बाद, ऐसे जिलों की संख्या, जहां ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में व्याप्ति 20,000 व्यक्तियों पर एक बैंकद शाखा के मानदण्ड को पूरा नहीं कर पाई थीं 1978 के 225 से घटकर केवल 71 रह गई और यह जिले मुख्यतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में थे। इस स्थिति में जून, 1981 के बाद रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए लाइसेंसों के कार्यान्वयन से और सुधार आने की आशा है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के बारे में एक नई शाखा-लाइसेंसिंग नीति तैयार की है। यह नीति सुधरी हुई स्थान-गत व्याप्ति के आधार पर शाखा विस्तार की नीति के क्रम को जारी रखेगी और इसका लक्ष्य होगा कि बैंक व्याप्ति में और सुधार किया जाए और खंडवार आधार पर मार्च, 1985 तक यह व्यवस्था हो जाए कि, 1981 की जनगणना के मुताबिक, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति 17000 जनसंख्या पर एक बैंक शाखा उपलब्ध हो जाए।

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जिला परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से नई शाखाएं खोलने के लिए बिना बैंक वाले ग्रामीण स्थानों को निर्धारित करें। राज्य सरकारों की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को आवंटित करने के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर विश्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण

4329. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक का पर्यवेक्षण दल द्वारा हाल ही में प्रस्तुत प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार में स्टेट बैंक की सहायता प्राप्त छः परियोजनाओं की प्रगति की जांच की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रगति को तेज करने हेतु कोई कदम उठाये है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) विश्व बैंक समूह के पर्यवेक्षण मिशन परियोजनाओं का नियमित रूप से दौरा करत हैं जिन्हें विश्व बैंक से सहायता प्राप्त होती है। बैंक द्वारा भारत सरकार रथा सम्बन्धित राज्य सरकार को इन किश्तों की रिपोर्ट उपबन्ध कराई जाती है। इन रिपोर्टों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और परियोजना क्रियान्वयन की सहजरुप से प्रगति के लिए तथा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं जो ध्यान में आई हो।

देश में पूंजीनिवेश को बढ़ावा देते के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

4330. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में कोई ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें देश में पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित दो अध्ययनों का उल्लेख कर रहे हैं। पहला अध्ययन, जिसका शीर्षक 'नए क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन शुल्क में राहत (छूट की योजना' है उसमें यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र के सभी उद्योगों को अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में पर्याप्त राहत दी जानी चाहिए। मुद्रास्फीति और मूल्यह्रास' नामक दूसरे अध्ययन में दिए गए सुझावों में औद्योगिक वृद्धि को तीव्र करने की दृष्टि से, निवेश के लिए अधिक छूट, अथवा सभी उद्योगों को मूल्यह्रास सम्बन्धी अधिक छूट देने का सुझाव शामिल है।

(ग) विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों तथा संस्थानों द्वारा दिए गए सुझावों पर बजट प्रस्ताव बनाते समय विचार किया जाता है। सरकार के प्रस्ताव 1982-83 के बजट में दिये गये हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में पर्यटन के लिये आधार सुविधाओं में सहायता दिया जाना

4331. **श्री अर्जुन सेठी** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा में पर्यटन के मार्गदर्शन तथा सहायता में आधार सुविधाओं के साथ अपना सहयोग प्रदान करती रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का निर्धारण किया है कि ये आधार सुविधाएं उस राज्य में पर्यटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत उड़ीसा में जुटायी गयी सुविधाएँ दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : पर्यटकों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यटक आधारिक संरचना का विकास एक सतत प्रक्रिया है। लम्बी अवधि के उपाय के रूप में, पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उड़ीसा में निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से इन केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक संरचना का विकास किया जाएगा :

(1) भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, धौली, रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, भद्रक, चांदीपुर, किंकिग, जोशीपुर, (सिमली पाल) और वापसी।

(2) भुवनेश्वर, चिल्का झील, गोपालपुर समुद्र, तट पर,तप्तापानी, कोरापुत- बोलनगीर, झारसदा, अंगुल, तिकरपारा, तलचेर, भुवनेश्वर

फिलहाल केन्द्रीय पर्यटन विभाग का सिमलीपाल नेशनल पार्क में एश वन गृह का निर्माण करने और ललितगिरी, उदयगिरी तथा रत्नगिरी के भावी विकास की दृष्टि से इनकी मास्टर प्लाने (भूमि-उपयोग प्लानें) तैयार करने का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम का उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से पुरी में 40-50 कमरों वाले एक होटल का निर्माण करने का और कोणार्क में समुद्र-तट कटीरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर में होटल कलिंग अशोक का, पर्यटकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इसने नन्दन कानुन में एक लायन सफारी पार्क का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए राज्य सरकार को 3 लाख रुपए रिलीज किए हैं।

उपर्युक्त यात्रा परिपथों में शातिल किए गए अन्य पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

गत योजना अवधियों (अप्रैल, 1956 से मार्च 1981 तक) पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में जुटाई गयी सुविधायें।

केन्द्र	सुविधाएं
पर्यटन विभाग	
1. कोणार्क	1. पर्यटक बंगला
	2. मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना)

1	2
2. भुवनेश्वर	3. पर्यटक बंगला
	4. पर्यटक ब्यूरो
3. पुरी	5. पर्यटक बंगला
	6. पर्यटक ब्यूरो
	7. यूथ होस्टल
4. राम्भा	8. पर्यटक बंगला
5. चिल्का झील	9. मोटर लांच
भारत पर्यटन विकास निगम	
1. भुवनेश्वर	10. यात्री गृह (अब) इसे होटल कलिंग अशोक में परिवर्तित कर दिया गया है)।
	11. परिवहन यूनिट
2. कोणार्क	12. यात्री लॉज

प्रवर्तन निदेशालय में रिक्त पड़े स्थानों की संख्या

4332. **श्री रामस्वरुप राम :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय में विभिन्न कार्यवाही ग्रेडों में अनेक स्थान रिक्त पड़े हुए है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ग्रेड में रिक्त पड़े स्थानों की संख्या कितनी है तथा इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री के इस निदेश को कि कोई पद रिक्त नहीं रखा जाना चाहिए, ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सभी पदों पर नियुक्तियां करने का है;

(घ) क्या सलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्तियां करने में हाल ही में योग्यता को उचित महत्व नहीं दिया गया है और चयन हेतु अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विचार करने के लिए वार्षिक तौर पर विभागीय पदोन्नति समितियां नहीं बनाई जाती हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सर्वाधिक योग्यता जिसे हाल ही में अनदेखा कर दिया गया है वे इस तरह के मामलो पर विचार करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : जी हां, विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक निरीक्षी अधिकारी, सीमा शुल्क निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक, आयकर निरक्षक के ग्रेडों में दो-दो पद, में एक एक पद, उप निदेशक और निरीक्षी अधिकारियों के ग्रेडों सहायक निदेशक के ग्रेड में तीन पद, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के ग्रेड में चार पद, प्रवर्तन अधिकारी के ग्रेड में दस पद तथा सहायक प्रवर्तन अधिकारी के ग्रेड में 24 पद फिलहाल रिक्त पड़े है। इन रिक्तपदों को भरने के लिए पहले से ही कार्यवाही की जा की जा रही है जांच अधिकारी, निरीक्षीअधिकारी, सीमा शुल्क निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक तथा आयकर निरीक्षक ग्रेडके पदों को आन्तरिक अध्ययन एकक की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तक आस्थगित रखा गयाहै। इस अध्ययन एकक ने उस कार्यालय का अध्ययन किया था जिसमें ये पद थे। प्रवर्तन अधिकारी ग्रेड के पद, केरल उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण खाली पड़े हुए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठपदों पर अन्य विभागों के अधिकारी

4333 : **श्री रामस्वरूप राम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय प्रवर्तन निदेशालय में अनेक वरिष्ठ पदों पर अन्य विभागों से लिए गए अधिकारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या विभागीय अधिकारियों के हितों के विरूद्ध अनेक अधिकारियों की प्रतिनियुक्तिकी अवधि बार-बार बढ़ाई जा रही है ;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि एक से अधिक बार बढाई गई है तथा इस अवधि को बढ़ाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या प्रतिनियुक्ति पर आये वरिष्ठ अधिकारी किसी तरह अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़वा लेते हैं जिससे वे पदावनत होने के बाद अपने वर्तमान विभागों में में अपनी मनपसन्द की उपयुक्त नियुक्ति पा सकें तथा इससे विभागीय अधिकारियों के मन पर आक्रोश उत्पन्न होता हैं ; और

(ङ) सरकार की इस सम्बन्ध में नीति क्या है और अभी तक कितने पद खाली पड़े हैं तथा ऐसे पदों को न भरने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखजो) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, क्योंकि प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति

के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित किए गए कोटे के अन्तर्गत आने वाले पदों पर तैनात नहीं किए जाते है ।

(ग) वर्ष 1980 से, दो उप निदेशकों, एक सहायक निदेशक, एक सहायक विधि सलाह कार तथा एक निरीक्षी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को लोक हित में, एक से अधिक बार बढ़ाया गया है ।

(घ) जी नहीं । विभागीय अधिकारियों के मन में नाराजगी का कोई कारण नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति कोटे के पदों पर ही नियुक्त किया जाता है । चूंकि फीडर-सेवाओं के अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय में प्रति नियुक्ति पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता , एसलिए जो इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए स्वेच्छा प्रकट करते हैं उनके द्वारा तैनाती के स्थान का चुना जाना संगत हो जाता है ।

(ङ) फिलहाल, प्रवर्तन निदेशालय में भिन्न-भिन्न ग्रेडों में वर्ग 'क' के 2 पद खाली पड़े है। कुछ पदों को आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक की रिपोर्ट को अन्तिम रुप दिए जाने तक आस्थगित रखागया है, इस अध्ययन एकक ने उस कार्यालय का अध्ययन किया था जिसमें ये पद थे । अन्य रिक्तपदों को भरने के लिए पहले से ही कार्यवाही की जा रही है । प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित कोटे वाले पदों पर अधिकारियों का चयन उनकी योग्यताओं तथा उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है और किसी विशेष मामले में प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाना है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर लोक हित में विचार किया जाता है ।

दिल्ली और बम्बई से एयर इन्डिया की उड़ानों में विलम्ब

4334. **श्री डी० पी० जवेजा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई के हवाई अड्डों से एयर इण्डिया की उड़ानों में जा रहे यात्रियों को भेजने में भारी विलम्ब कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या एयर इण्डिया के यात्रियों को इस विलम्ब का सामना करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं शीघ्र ही उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री :(श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इण्डिया द्वारा उड़ानों में विलम्ब को रोकने/कम करने के लिए उड़ानों पर लगातार निगरानी रखी जाती है । देरियों को कम से कम करने के लिए मुख्यालय तथा स्टेशनों पर स्थापित की गई समय पालन समितियां देरियों के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समय-समय पर अपनी बैठकें करती हैं तथा उपचारी उपाय करती हैं । बम्बई हवाई अड्डे के नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स पर तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है । दिल्ली हवाई अड्डे पर तकनीकी देरियों को कम करने की दृष्टि से बड़ी मरम्मतों की समस्या का हल करने के लिए एक इन्जीनियरी सब-बेस की स्थापना की जा रही है ।

(ख) जितना विलम्ब होता है उसके अनुसार यात्रियों को जलपान अथवा भोजन दिया जाता है। अधिक देरी हो जाने की स्थिति में होटल आवास की व्यवस्था की जाती है। यात्रियों को दूसरी कम्पनियों के विमानों से भेजे जाने की भी छूट दी जाती है।

कोइम्बाटोर हवाई अड्डे के उडन पट्टी में फेरबदल

4335. **श्री ईरा मोहन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री कोइम्बाटोर से वापस वहाँ तक बोइंग सेवा के चलाने के बारे में 6 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोइम्बाटोर हवाई अड्डे पर बोइंग विमान के उतारे जाने के लिए वहाँ की उडानपट्टी में फेरबदल करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : कोयम्बतर हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार के लिए, अधिग्रहण करने के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है।

तमिलनाडु के ताड़ी का मिश्रण करने और बोतलों में भरने वाले एककों पर आयकर छापे

4336 **श्री ईरा मोहन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग में फरवरी, 1982 के दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु के ताड़ी मिश्रण करने और उसे बोतलों में भरने वाले 10 एककों पर छापे मारे थे ;

(ख) क्या इसी प्रकार के छापे 'केरल बारोन्स' जिसके कि उपर्युक्त 10 ताड़ी मिश्रण करने और उसे बोतलों में भरने वाले एककों के साथ व्यापार सम्बन्ध मालुम पड़ते हैं ; पर मारे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : आयकर विभाग ने, तमिलनाडु में ऐसे 10 लाइसेंसधारियों के कारखानों तथा आवासों की 5 और 6 फरवरी, 1982 को तलाशियां ली जिन्हें ताड़ी बनाने और थोक विक्रेताओं को उसकी सप्लाई करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गए थे। इन तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्टया, एक लाख रुपये की लेखा-बाह्य नकदी तथा बहुत से अपराध-आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए थे। केरल में, एक लाइसेंसधारी फर्म के एक भागीदार के (और उसकी पत्नी, दोनों के लिए संयुक्त) नाम में, कोचीन में एक बैंक लाकर को आयकर अधिनियम की धारा 132 (1) के अन्तर्गत सील करके प्रतिषेधात्मक आदेश के अधीन रखा गया था। कानून के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करने के लिए आगे जांच पड़ताल की जा रही है।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास विचाराधीन ऋण आवेदन पत्र

4337. **श्रीरामावतार शास्त्री** : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से प्रकाशित दिनांक 14 फरवरी, 1982 के इन्डियन नेशन" के अंक में बिहार के मुख्य मन्त्री को यह वक्तव्य कि बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 90 हजार ऋण के आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं, सच है ;

(ख) यदि हां, तो उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन आवेदन पत्रों के विचाराधीन पड़े रहने के क्या कारण है और ये कितनी अवधि से विचाराधीन पड़े है ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ड़) अन्य राज्यों में यह आवेदन पत्रों के विचाराधीन पड़े रहने की क्या स्थिति है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ड़) : हालांकि नई सूचना प्रणाली के अन्तर्गत अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवेदन पत्रों की प्राप्ति और निपटान के सम्बन्ध में सूचना इकठ्ठा करने तथा उसे सारणीबद्ध करने की व्यवस्था की गई है, पर इस प्रणाली में अभी स्थिरता नहीं आई हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अनिणीत पड़े ऋण आवेदन पत्रों का जायजा लेना सम्भव नहीं है। परन्तु विलम्ब को कम करने के लिए सरकारी तथा गैर- सरकारी दोनों क्षेत्रों के बैंकों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे 10,000 रुपये ओर उससे कम के ऋणों के आवेदन पत्रों को 3 से 4 सप्ताहों की अवधि के अन्दर और 10,000 रुपये से अधिक के ऋणों के आवेदन पत्रों को 3 महीने की अवधि के अन्दर निपटा दें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को लगभग एक पखवाड़े के अन्दर निपटा दें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे एकीकृत इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि उनके एजेंसियां आवेदन पत्रों को इकठ्ठा न करके वर्ष नियमित रुप से भेजती रहें।

विदेशों में बने प्रशिक्षण विमानों/ग्लाईडरों का आयात

4338. **रामावतार शास्त्री** : **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में प्रशिक्षण विमानों/ ग्लाईडरों का आयात करने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या यह सच हैं कि कुछ पलाइंग क्लबों पलाइंग संस्थाओं अथवा द्वारा ग्लाईडिंग क्लबों/ग्लाईडिंग संस्थाओं को नागर विमानन के महानिदेशालय, दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण विमानों अथवा प्रशिक्षण ग्लाईडरों का आयात करने की अनुमति दी गई हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किस मार्के, मॉडल तथा प्रकार के विमान/ग्लाईडर चुने

गये थे और नागर विमानन के महानिदेशालय द्वारा भारत में किन फ्लाइंग क्लबों/फ्लाईग संस्थाओं अथवा ग्लाईडिंग क्लबों संस्थाओं को आयात की अनुमति दी गई तथा प्रत्येक फ्लाईग क्लब/संस्था को कितने विमान तथा ग्लाईडर आयात करने अनुमति दी गई ?

पर्यटन और विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) फ्लाइंग क्लबों/संस्थाओं में प्रशिक्षण देने के लिए एक विदेशी मेक के विमान का (ग्लाइडर का नहीं) चयन किया गया है।

(ख) यह सत्य है कि नागर विमानन के महानिदेशक ने फ्लाइंग क्लबों फ्लाइंग संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षिक विमानों (ट्रेनर एयरक्राफ्ठ) तथा एक मोटरचालित ग्लाइजर के आयात की सरकार को सिफारिश की है।

(ग) : नागर विमानन के महानिदेशक ने निम्नलिखित मामलों की सिफारिश की है :

क्रम संख्या	फ्लाइंग क्लब/संस्था का नाम	विमानों/ग्लाइडरों की संख्या	मेक/माडल
1.	बिहार फ्लाइंग इन्स्टीट्यूट पटना	1 विमान	सेसना 152 एयरोबैट
2.	केरल एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर त्रिवेन्द्रम्	1 विमान	—वही—
3.	पंजाब सरकार	2 विमान	—वही—
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	1 विमान	—वही—
5.	हरियाणा सरकार	1 विमान	—वही—
6.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नई दिल्ली	1 विमान	—वही—
7.	बिहार फ्लाइंग इन्टीट्यूट	1 ग्लाइडर	मोटर * ग्लाइडर

(*यह मोटर ग्लाइडर रोमानिया सरकार भारत अन्तरर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शन के लिए लायी थी।)

अभी तक ट्रेनर एयरक्राफ्ट/ ग्लाइडरों के आयात के लिए कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

बंगलौर में 100 रुपए के नोट बनाने वाले अन्तः राज्यीय गिरोह का पकड़ा जाना

4339. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में 100 रुपए के नोट बनाने वाले एक अन्तः राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है तथा जाली नोटों को बरामद करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यौरा से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर्नाटक में दो मामलों में, ब्लाकों, छपाई मशीन और अन्य अपराध सिद्ध करने वाली वस्तुओं सहित, 100 रुपए के जाली करेंसी नोट प्राप्त हुए हैं। एक मामले में 10 व्यक्ति और अन्य मामले में 11 व्यक्ति पकड़े गए। कर्नाटक पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। अपराधियों के खिलाफ देश के कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक में कम्प्यूटरीकरण

4340. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण के बारे में सुझाव देने हेतु एक चार सदस्यीय ट्रिब्युनल गठित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) कम्प्यूटर निर्माता कम्पनी का नाम क्या है ; और

(ग) इस सौदे में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पेंशन की अदायगी करने में पेंशनधारियों को परेशान किया जाना

4341. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि लेखा परीक्षा विभाग और फिर बाद में राजकोष अधिकारियों द्वारा छोटी छोटी आपत्तियां उठाये जाने के कारण पेंशनधारियों तथा उनकी विधवाओं को पेंशन तथा मृत्यु सेवा निवृत्ति उपदान प्राप्त करने में भारी कठिनाईयों तथा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में पेंशनधारियों के मामले में ऐसी कोई शिकायतों का सरकार को पता चला है ; और

(ग) यदि हां, तो पेंशन की अदायगी में ऐसी बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी दावों पर महालेखाकारों या खजाना अधिकारियों द्वारा उठाई जा रही छोटी मोटी आपत्तियों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। फिर भी, महालेखाकारों आदि द्वारा सभी संगत सूचना/दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण कभी-कभी इक्का-दुक्का मामलों में पेंशन आदि के भुगतान में देरी हो सकती है।

(ख) जी. नहीं।

(ग) पेंशन की स्वीकृति और वितरण से सम्बन्धित कार्यविधि को हाल के वर्षों में सरल बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों को काफी पहले पेंशन सम्बन्धी कागजात तैयार करने के लिय कार्यवाही आरम्भ करना होती है ताकि बिना किसी विलम्ब के पेंशन स्वीकृत की जा सके। यदि किसी प्रकार का विलम्ब होने की आशंका हो तो विभागीय प्राधिकारी अन्तिम पेंशन और उपदान की भी मंजूरी दे सकते हैं। महालेखाकारों आदि से अपेक्षा की जाती है कि पेंशन कागजातों के प्राप्त होने पर उन पर शीघ्र कार्रवाई करें।

केरल में काजू उद्योग का संकट

4342. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में काजू के निर्यात में निरन्तर कमी के कारण इस उद्योग को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) तथा (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योग के पास काजू गिरी के अनबिके भंडार पड़े हैं।

(ग) इस स्थिति में सुधार हो रहा है और निर्यात के लिए हाल ही में पक्की संविदाएं की गई हैं।

समुद्र तट पर मध्यम दर्जे के पर्यटक होटल

4343. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान छोटे तथा मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए समुद्र तट पर भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से पर्यटक होटलों के निर्माण हेतु कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो निम्न तथा मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए वर्ष 1982-83 के

दौरान ऐसे कितने होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है। और उड़ीसा के समुद्र तट पर कितने होटलों का निर्माण कराये जाने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ऐसे होटलों का निर्माण कराये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से मीडियम-प्राइस्ड होटल्स के निर्माण की एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन 1982 1983 के दौरान आई० टी० डी० सी० और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से उड़ीसा में 2 नए होटलों के निर्माण के लिए सहमत हो गए हैं। जिनमें (i) 134 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पुरी में 50 कमरे वाला 3-स्टार होटल और, (ii) कोणार्क में एक बीच काम्पलेक्स (20 कुटीर) है ; स्कीम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

कनिष्ठ/वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के चयन के लिए मानदण्ड

4344. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ/वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर चयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड, अर्थात (एक) हिन्दी या अंग्रेजी विषयों सहित मास्टर्स डिग्री या शिक्षा के माध्यम के रुप में दोनों में से एक तथा अन्य एक मुख्य विषय और (दो) अंग्रेजी से हिन्दी में या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का नो वर्ष का अनुभव या हिन्दी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिप्लोमा, का उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्तियों के लिए अपनाया गया था या अपनाया जा रहा है ;

(ख) क्या 1974 से ऐसे पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के पास ऐसी अर्हता/अनुभव था और क्या केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से व्यापक प्रचार करके ये नियुक्तियां की गई थीं जैसा कि अन्य विभागों द्वारा किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मानदण्ड का पालन करने में क्या कठिनाईयां थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) इस मंत्रालय (मुख्य) के सचिवालय में ग्रेड i के हिन्दी अनुवादकों के दो पदों तथा ग्रेड दो के हिन्दी अनुवादक के एक पद को, इन पदों के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग एवं संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से बनाये गये भर्ती नियमों के अनुसार भरा गया था। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप "ग" पद) नियम, 1981 के जारी होने के बाद, इस मंत्रालय में हिन्दी अनुवादक ग्रेड दो की रिक्त को, राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप "ग" पद) नियम, 1981 के अनुसार हिन्दी अनुवाद ग्रेड दो के पदो के लिए नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने तक तदर्थ आधार पर भरा गया है।

(ख) और (ग) 1974 से इस मंत्रालय (मुख्य) के सचिवालय में हिन्दी अनुवादक ग्रेड i तथा ग्रेड ii के पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों के पास इन पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हताएं थीं।

जूट के खरीद के लिए आधारभूत ढांचा

4345. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के जूट उत्पादकों को जूट की घबराहट पूर्ण बिक्री करनी पड़ रही है, जो पर्याप्त उत्पादकों की कमी के कारण उत्पादन लागत से काफी कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि जूट की खरीद की सरकारी व्यवस्था दोषपूर्ण है, जो बिहार के सभी जिलों में कुल जूट उत्पादन की केवल 26 प्रतिशत ही खरीद करती है ;

(ग) क्या सरकार का विचार जूट की खरीद के लिए अधारभूत ढांचे का निर्माण और विस्तार करने का है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि सरकार जूट की खरीद में वृद्धि करने तथा इसके उत्पादकों की मदद करने के लिए किसी आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है, तो क्या सरकार का विचार जूट उत्पादकों को अन्य नकद फसलों की खेती करने के लिए सलाह देने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पो० ए० संगमा) : (क)बाजार से व्यापार और उद्योग की लगभग पूरी तरह से अनुपस्थिति के कारण 1981-82 सीजन के दौरान कच्चे पटसन की कीमत विशेषतौर पर निम्न ग्रेडों की लगभग सभी पटसन उत्पादक क्षेत्रों में, जिनमें बिहार भी शामिल है, कानूनी न्यूनतम कीमतों से काफी कम रहीं। चूंकि बिहार मुख्य तौर पर निम्न ग्रेड के पटसन का उत्पादन करता है, जिसकी वास्तव में बाजार में कोई मांग नहीं है, अन्य राज्यों के उपजकर्त्ताओं की तुलना में इस राज्य के उपजकर्त्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) से (घ) 1981-82 के दौरान, भारतीय पटसन निगम ने सहकारी समितियों के साथ मिलकर 2.69 लाख गांठों की कुल मात्रा की खरीद की (भारतीय पटसन निगम 1.16 लाख गांठें और सहकारी समितियों 1.53 लाख गांठें) जोकि राज्य में पटसन और मेस्टा के इस समय अनुमानित लगभग 8 लाख गांठों की कुल उत्पादन का लगभग 33 प्रतिशत है। जबकि भारतीय पटसन निगम ने 1980-81 में की गई 0.98 लाख गांठों की अपनी खरीद को 1981-82 में 1.16 लाख गांठों तक बढ़ाया है, बिस्कोमन द्वारा की गई खरीद, मुख्यतौर पर निधि की अपर्याप्तता के कारण 2.27 लाख गांठों से गिरकर 1.53 लाख गांठें रह गई। भारतीय पटसन निगम राज्य सरकार की गारन्टी के आधार पर बिस्कोमन को "खाते मे" 3 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था परन्तु उन्होंने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया।

30.6.1981 को, भारतीय पटसन निगम के पास बिहार में कुल भंडारण व्यवस्था

लगभग 5.67 लाख गांठों के लिए थी जिसमें 4.5 लाख गांठों का स्थान पुराने स्टाक से घिरा हुआ था। भारतीय पटसन निगम ने 1981-82 के दौरान लगभग 0 69 लाख गांठों के लिए अतिरिक्त भंडारण व्यवस्था का प्रबन्ध किया जिससे कुल भंडारण क्षमता लगभग 6.36 लाख गाँठें हो गई। चूंकि बिहार में, किसी अन्य प्रमुख उपजकर्त्ता राज्य में पटसन और मेस्टा के कुल उत्पादन की तुलना में खरीद अधिक जाती है, भारतीय पटसन निगम की बिहार में अपनी अवस्थापनाएं बढ़ाने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं। सरकार की पटसन उपजकर्ताओं को पटसन उगाने के बदले किसी अन्य नकदी फसल उगाने की सलाह देने की कोई योजना नहीं है।

किसानों को ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई

4346. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लोगों को ऋण सुविधायें प्रदान करने के बारे में अधिक ध्यान देने सम्बन्धी सरकार द्वारा तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के बावजूद किसानों को और विशेष रूप से छोटे किसानों को ऋण प्राप्त करने, अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान ब्लाक, क्षेत्रीय और कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा किसानों के राज्यवार, कुल कितने ऋण सम्बन्धी आवेदन स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे गये थे, और उसमें से कितने आवेदनों का निपटारा हो चुका है ; तथा निपटारे के लिए कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हुये हैं और उनके विचाराधीन पड़े रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और साथ ही अपने संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंक, कृषि क्षेत्र और उसके भीतर के कमजोर वर्गों को जिसमें छोटे/सीमान्तिक किसान, भूमिहीन मजदूर आदि शामिल हैं, प्रगामी रूप से अधिक ऋण प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में ध्यान में लाई जाने वाली कठिनाईयों पर भी समुचित स्तरों पर ध्यान दिया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल में ही नई सूचना प्रणाली शुरू की है जिससे उसे प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और बकाया आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना मिल सकेगी। अतः ऐसे ब्यौरों के भविष्य में उपलब्ध होने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह भी दी है कि वे दस हजार रुपये तक के ऋणों के आवेदन पत्रों को, यथासंभव उनके प्राप्त होने के तीन से चार सप्ताहों के भीतर निपटा दें।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को वस्त्रों के निर्यात लाइसेंस जारी करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन

4347. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को वस्त्रों के निर्यात लाइसेंस जारी करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनके कानूनी सलाहकारों द्वारा उपरोक्त परिषद को निर्यात के लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी शक्ति सौंपने का कार्य कथित मुख्य नियन्त्रक के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है ; और

(ग) इस स्थिति से बचने के लिए सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के अनुसार सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिधानों तथा निटवियरों के निर्यातकों को कोटा आबंटन करने का काम तथा परिषद द्वारा उससे संबधित काम सौंपा गया है। परिषद द्वारा कोटा आबंटन सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति की रूपरेखा के अंतर्गत किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"फ्लाइंग कावित्स" शीर्षक पर लेख

4348. **डा० ए० यू० आजमी** :

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 16 जनवरी, 1982 की "करेंट" पत्रिका में "फ्लाइग कावित्स" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है, इण्डियन कमर्शियल पाइलेट्स एसोसिएशन ने यह बताया है कि भारत में कोई भी हवाई अड्डा जैट विमानों के उतरने से लिये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विमानन संगठन द्वारा निर्धारित की गई मूल शर्तों को पूरा नहीं करता है; संचार की व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है जब नागर विमानन अपनी प्रारम्भिक स्थिति में था; इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उतार की प्रकाश व्यवस्था और वी० ए० एस० I विद्यमान नहीं हैं, कुछ ही हवाई अड्डों में वायस हाई फ्रीक्वेंसी लगाई गई है जो अधिक दूर तक नहीं जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। सरकार को 16 जनवरी, 1982 की "करेंट" पत्रिका में "फ्लाइंग कॉफिन्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार रिपोर्ट की जानकारी है।

अंतराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानक तथा सिफारिश की गई परिपाटियाँ सामान्यत: सभी हवाई अड्डों पर लागू की जाती हैं सिवाय उन हवाई अड्डों के जिनका भू-तल उन मानकों एव परिपाटियों की अनुरूपता के लिए उपयुक्त नहीं है।

प्रोपैलर प्रकार के तथा जैट प्रकार के विमानों क हैडल करने के लिए "बैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीफोनी" (वी० एच० एफ० आर० टी०) पर संचार की सामान्य व्यवस्था, हवाई अड्डे तथा निकटवर्ती केन्द्रों के बीच पर्याप्त संचार व्यवस्था तथा विमान क्षेत्र पर विमान के पहुंचने तथा उतरने में सहायता के लिए दिक्चालन सुविधाए नागर विमान विभाग द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। दिक्चालन सुविधाएं एयरलाइन परिचालको के परामर्श से मौसम के हालात तथा क्षेत्र के भू-तल के स्वरूप आदि को दृष्टि मे रखकर प्रदान कराई जाती हैं।

भारतीय वैमानिक स्थिर दूर संचार तंत्र पर सचार प्रणाली को आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक उपकरणों से बदला जा रहा है। भारत न विमान यातायात नियंत्रण के समन्वय तथा संदेशों के आदान-प्रदान के लिए इकाओ योजनाओं के अनुसार अतर्राष्ट्रीय सर्किटों पर "सिंगल साइड बेंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीफोनी" (एच० एफ० आर० टी०) तथा भारत और निकटवर्ती देशों के बीच संचार की उपग्रहीय प्रणाली भी चालू कर दी है। सभी स्टेशनों पर जहां विमान अवतरण करते हैं विमानचालक तथा विमान यातायात नियंत्रण के बीच, बैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीफोनी (वी० एच० एफ० आर० टी०) पर मौखिक वार्ता सुविधा की भी व्यवस्था की जाती है। वी० एच० एफ० आर० टी० पर मौखिक वार्ता का क्षेत्र विमान यातायात नियंत्रण के लिए यथा अपेक्षित लगभग 150 नौटिकल मील अथवा अधिक है। वी० एच० एफ० आर० टी० के दायरे से परे के सदेश विमानचालक और विमान यातायात नियंत्रक के बीच हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वॉएस कम्युनिकेशन द्वारा पहुंचाए जाते हैं।

(ख) हवाई अड्डों के सुधार कार्य अथवा वहां अवतरण, रेडियो, दिक्चालन, सचार तथा सुरक्षा सेवा सुविधाओं का आधुनिकीकरण एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा इसका निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है जो परिचालनात्मक आवश्यकताओं तथा ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान परिवर्धन/परिवर्धन के लिए 1,048.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निम्नलिखित निक्चालन उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :—

1. बैरी हाई फ्रीक्वेंसी आम्नी रेंज (वी० ओ० आर०)	25 अदद
2. डॉपलर वी० ओ० आर०	2
3. दूरी मापक उपस्कर (डी० एम० ई०)	10
4. उपकरण अवतरण प्रणाली	5

5. प्रिसीजन एप्रोच राडार (पी० ए० आर०) 1

6. नॉन डाइरेक्शनल बीकन 36

इसके अतिरिक्त, 1980-85 के दौरान हाई फ्रीक्वेंसी तथा वैरी हाई फ्रीक्वेंसी एयर-टू-ग्राउंड कम्युनिकेशन तथा प्वाइंट-टु-प्वाइंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का 2,000.00 लाख रुपये की कुल लागत से परिवर्धन/प्रतिस्थापन किया जा रहा है। बम्बई में एयरपोर्ट सर्वेलैंस राडार (ए० एस० छार०) को अतिपरिष्कृत आधुनिक उपकरणों से बदल दिया जाएगा तथा बम्बई में विमान मार्ग निगरानी राडार को 600.00 लाख रुपये के कुल अनुमानित लागत से अद्यतन किट से सज्जित किया जाएगा।

अंतर्देशीय विमान क्षेत्रों पर निम्नलिखित सुविधाओं में सुधार करने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान 23 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(क) विमान रक्षा तथा अग्निशमन सुविधाएं,

(ख) दार्ष्टिक अवतरण उपकरण, जैसे तेज रन-वे लाइट्स, एप्रोच लाइटस, वासी आदि,

(ग) अपहरण विरोधी उपाय तथा

(घ) भू-परिवहन यान, इत्यादि।

हाई इंटेंसिटी रन-वे लाइट्स एप्रोच लाइट्स, वासीज जैसे दार्ष्टिक उपकरण अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहले ही उपलब्ध करा दिये गए हैं। इसके अलावा दिल्ली हवाई अड्डे पर श्रेणी II की प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई है तथा बम्बई विमान क्षेत्र पर भी इसे स्थापित किया जा रहा है।

व्यापारिक कम्पनियों में रोजगार शुरू करने के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा मांगी गई समय पूर्व सेवा-निवृत्त

4349. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की अवधि के दौरान कितने सैनिक अधिकारियों ने सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना अथवा दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बिना ही ऐसी व्यापारिक कंपनियों में नौकरी करने के लिए समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति मांगी थी जिनका रक्षा विभागों से काम पड़ता है;

(ख) इन सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि पर खर्च की गई राशि का पूरा और अधिकतम उपयोग करने हेतु समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति बहुत कम मामयों में देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

(ग) निर्धारित "लैण्ड डाउन काण्ट्रेक्टसिस्टम" संविदा प्रणाली सम्बन्धी अधिकारी रैंक से कम सैनिक कर्मचारियों को रिलीज करने पर प्रतिबन्ध लगाने और सिविलियन कर्मचारियों की तरह आयु पद्धति को अपनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) थल सेना में कर्नल और अन्य दोनों सेनाओं के समकक्ष अफसरों को वर्तमान नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने के आदि व्यापारिक रोजगार करने के लिए सरकार को पहले अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके अनुसार कर्नल या उसके ऊपर के रैंक के अवसर ने ऐसी किसी फर्म में रक्षा विभाग के साथ जिनका सम्बन्ध हो, बिना सरकार की पूर्व अनुमति के गत 5 वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त किया हो।

(ख) अफसरों के प्रत्येक मामलों पर औचित्य के आधार पर विचार करने के बाद समय-पूर्व सेवानिवृत्त होने के लिए अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) रक्षा सेनाओं के अफसर रैंकें के नीचे के कार्मिकों के रोजगार से सम्बन्धित नीति, सेनाओं की आवश्यकताओं और सेनाओं का युवा खत्म बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

ठेकेदार द्वारा विशाखापत्तनम में शुष्क डॉक का निर्माण

4350. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम में शुष्क डॉक के निर्माण के लिए अनुभवी श्रमिकों के उपलब्ध होते हुए भी परियोजनाएं ठेकेदारों को निर्माण के लिए दी गई हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि एन० ई० एस० द्वारा किसी परियोजना पर कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व वहां पर पहले निर्माण कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है परन्तु चीफ इंजीनियर शुष्क डॉक विशाखापत्तनम की शुष्क डॉक परियोजना पर क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) विशाखापत्तनम में बनी पिछली शुष्क गोदी का निर्माण कार्य आंशिक रूप से ठेकेदारों से और अंशत: टास्क फोर्स बनाकर विभागीय आधार पर किया गया था। इस अनुभव से पता चला है कि यह दोहरी व्यवस्था न तो किफायती है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक है। इसलिए अब यह फैसला किया गया है कि मिलिट्री इंजीनियरी सेवा की सामान्य परिपाटी के अनुसार विशाखापत्तनम में भी नई शुष्क गोदी का निर्माण प्राइवेट ठेकेदारों से कराया जाये। यहां यह बता दिया जाता है कि पिछली शुष्क गोदी के निर्माण के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके अधिकांश कार्मिकों को इस मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में खपा लिया गया है।

(ख) जब भी किसी बड़ी परियोजना का निर्माण होता है तो उस सम्बन्धित खास काम को देखने वाले कार्मिकों के लिए कुछ प्रतिशत में रहने के मकान बना लिए जाते हैं बशर्ते निर्माण स्थल के पास रहने के मकानों की पहले से ही व्यवस्था मौजूद न हो। पिछली शुष्क गोदी के निर्माण के निर्माण के समय जो स्टाफ क्वार्टर बनाये गए थे, वे अब नई शुष्क गोदी के मुख्य

इंजीनियर को दे दिये गए हैं ताकि वह अपने स्टाफ को उन्हें दे सके। अतः वहाँ नये मकान नहीं बनाये जा रहे हैं।

19 जनवरी 1982 की आम हड़ताल में रक्षा श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना

4351. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रक्षा श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने हड़ताल का उचित नोटिस देकर 19 जनवरी, 1982 की आम हड़ताल में भाग लिया ;

(ख) श्रमिकों की कुल सख्या कितनी है तथा उन प्रतिष्ठा के नाम क्या हैं जहां श्रमिकों ने हड़ताल का उचित नोटिस दिए बिना हड़ताल की ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित श्रमिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) ऐसे मामलों में प्रत्येक के औचित्य के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

आर्डिनेंस और एम० पी० एस० अम्बरनाथ में निर्धारित कार्यविधि से अधिक रहने वाले अधिकारी

4352. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री आर्डिनेंस और एम० पी० एम० अम्बरनाथ में अपनी सामान्य कार्यविधि से अधिक रहने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ० एफ० ए० में अधिकारी और एफ० पी० एफ, अम्बरनाथ में 13 अधिकारी ऐसे है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है परन्तु जिन्हें अभी बाहर नियुक्ति के लिए नहीं भेजा गया है ; और

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को इस बीच नियुक्ति हेतु बाहर भेजा गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां। मार्च 1981 तक ऐसा था।

(ख) आर्डनेंस फैक्टरी अम्बरनाथ—अब 3 अफसर सेवा निवृत हो चुके हैं और। अफसर के स्थानांतरण आदेश जारी हो चुके है।

एम० पी० एफ० अम्बरनाथ — 5 अफसरों के स्थानांतरण आवेश जारी हो चुके है और उनमें से 3 स्थानांतरण पर जा चुके हैं।

आल इंडिया एशोसिएशन आफ डिफेंस एम्पलाइज

4353. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री आल इण्डिया एसोसिएशन आफ डिफेंस

इम्पलाइज के बारे में 1 अप्रैल 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6001 के उत्तर संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मन्त्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक आल इन्डिया एसोसिएशन/फैडरेशन के सदस्यों की कुल संख्या क्या-क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त आल इण्डिया एसोसिएशनों/फैडरेशनों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी नियम/आदेशों/नीति क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अनेक एसोसिएशनों के गत बर्षों से वार्षिक चुनाव नहीं हुए हैं और उनका एक भी सदस्य नहीं है फिर भी उन्हें जे० सी० एम० (तीन) और (दो) में सीट दी गई थी ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) रक्षा प्रतिष्ठानों में सेवारत कर्मचारियों की "फैडरेशन" को मान्यता सिविलियन वार्षिक नेमी आदेश 63/59 के अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार मंजूर की जाती है । अखिल भारतीय "एसोसिएशनों" को पहले मान्यता केन्द्रीय सिविल सेवा (सर्विस एसोसिएशन की मान्यता) नियमावली, 1959, जिसे सिविलियन कार्मिक नेमी आदेश 32/59 के अधीन प्रकाशित किया गया था, के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजूर की जाती थी । उक्त नियम अब लागू नहीं हैं । ऐसोसिएशनों को मान्यता देने के नए नियम अभी बनाए जाने है ।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । यदि ब्यौरे दिए जाए तो सरकार द्वारा अगली कार्रवाई की जा सकती है ।

राजकोट का दिल्ली के साथ विमान सम्पर्क :

4354. **श्री दिग्वजय सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र के 6 हवाई अड्डों का, जिनका बम्बई के साथ संपर्क है, चूकि दिल्ली के साथ सम्पर्क अभी स्थापित किया जाना है ;

(ख) क्या राजकोट का ऐसा सम्पर्क स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या चालू शीत ऋतु की सम सूची में इस रुट पर विमान चलाया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : इन्डियन एयरलाइन्स की 1982-83 की शीतकालीन समय-सारणी में राजकोट को अहमदाबाद के मार्ग से दिल्ली के साथ विमान सेवा द्वारा जोड़ने की योजनाएं हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण

4355. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जितना भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) तदर्थ आगामी वार्षिक योजना में राज्य सरकार को कितनी धनराशि देने का विचार है और पिछली वार्षिक योजना में कितनी धनराशि दी गयी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है ।

(ख) चूंकि चौथी योजना से पर्यटन सेक्टर में सेन्ट्रली-स्पोन्सर्ड स्कीमें समाप्त कर दी गई थीं, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों को कोई धन-राशि आवंटित नहीं की जाती अतः पर्यटन स्कीमें या तो केन्द्रीय सेक्टर में प्रारम्भ की जाती हैं या राज्य सेक्टर में 1981-82 के दौरान हिमाचल प्रदेश में चुनी हुई झीलों पर चलाने के लिए नौकाओं की खरीद के वास्ते 2.62 लाख रुपए और मेले तथा त्योहारों का संवर्धन करने के वास्ते 0.50 लाख रुपए राज्य सरकार को रिलीज किए गए हैं ।

वार्षिक योजना 1982-83 में निर्धारित यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रोंपर सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है । हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिंट प्राप्त हो गया है । धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों को एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा ।

विदेशों से ऋण

4356. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : भारत को विदेशों का (देश-वार) कितना ऋण 31 मार्च, 1982 के दिन देना होगा ;

(ख) : ऐसे ऋण पर कितना ब्याज दिया जाता है ; और

(ग) : ऋण की समय पर वापस अदायगी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 31 मार्च, 1982 तक भारत द्वारा बाहर के देशों/संस्थाओं को देय ऋणों की राशि का पता चालू वित्तीय वर्ष के खातों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद चल सकेगी, लेकिन उस ऋण की राशि जो भारत को बाहर के देशों/संस्थाओं को

31 दिसम्बर, 1981 को देनी थी 14960,49 करोड़ रुपए ओकी गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) : 1981-82 के दौरान सरकारी खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की अनुमानित राशि 281,88 करोड़ रुपए है।

(ग) : भारत सरकार द्वारा बाहर के देशों/संस्थाओं के साथ किए गए ऋण करारों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी अदायगी समय पर उन करारों में की गई व्यवस्था के अनुसार की जाती है।

विवरण

भारत द्वारा बाहरी देशों/संस्थाओं को 31-12-1981 को देय ऋण की राशि का विवरण

क्रम संख्या	देश/संस्था का नाम	31-12-81 को बकाया देनदारी
		(करोड़ रुपए)
1.	आस्ट्रिया	28.44
2.	बेल्जियम	72.00
3.	कनाडा	448.64
4.	डेनमार्क	28.88
5.	जर्मन संघीय गणराज्य	1377.47
6.	फ्रांस	332.81
7.	इटली	15.02
8.	जापान	1045.05
9.	नीदरलैंड	552.08
10.	स्विटजरलैंड	21.47
11.	यूनाइटेडकिंगडम	763.34
12.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2880.33
13.	अन्तरांष्ट्रीय पुनर्निसाण और विकास बैंक	544.90
14.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	490.875
15.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्य ऋण	48.06

1	2	3
16.	एशियाई विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि	17.78
17.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ट्रस्ट निधि	560.90
18.	सयुक्त अरब अमीरात	60.87
19.	आबू धावी निधि	17.22
20.	कुवैत निधि	63.76
21.	सऊदी निधि	70.65
22.	इराक	87.91
23.	ईरान	750.65
24.	ओपेक	39.42
25.	चेकोस्लोवाकिया	22.63
26.	हंगरी	8.29
27.	पोलैंड	4.86
28.	सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	188.31
	जोड़ :	14960.49

सशस्त्र सेवाओं में पुरस्कार विजेताओं को सहायक वित्तीय और अन्य लाभ

4357. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं में विक्टोरिता क्रास, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ए० वी० एस० पी० वी० एस० एस०, अशोक चक्र, शौर्य चक्र आदि जैसे अन्य क्या लाभ दिये जाते हैं ;

(ख) क्या किसी पी० वी० एस० एम० विजेता ने यह शिकायत की है कि महावीर चक्र विजेताओं की तुलना में उनको अपर्याप्त लाभ दिए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) पी० वी० एस० एम०, ए० वी० एस० एस० और विशिष्ट सेवा पुरुस्कारों के प्राप्तकर्त्ताओं को कोई आनुवंगिक वित्तीय या अन्य लाभ नहीं

दिए जाते हैं। शौर्य पुरस्कारों अर्थात विक्टोरिया क्रास, परम वीर चक्र महावीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र के साथ मिलने वाले लाभ का विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। पी० वी० एम० प्राप्तकर्त्ताओं में से एक का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है

(ग] प्रश्न में ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए कोई भी लाभ मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) वित्तीय भत्ते

(1)	विक्टोरिया क्रास	—80 रुपए प्रतिमाह अफसरों और जे० सी० ओ० और समकस के मामले में तथा 40 रुपए प्रति माह अन्य रैंक/एन० सी० (ई) तथा समकक्ष के लिए।
(2)	परमवीर चक्र	100 रुपये प्रतिमाह
(3)	परमवीर चक्र की प्रत्येक बार के साथ	40 रुपये प्रतिमाह
(4)	महावीर चक्र	75 रुपये प्रतिमाह
(5)	महावीर चक्र की प्रत्येक वार के साथ	25 रुपये प्रतिमाह
(6)	वीर चक्र	50 रुपए प्रतिमाह
(7)	वीर चक्र की प्रत्येकबार के साथ	20 रुपये प्रतिमा ह
(8)	अशोक चक्र	90 रुपये प्रतिमाह
(9)	अशोक चक्र की प्रत्येक बार के साथ	35 रुपये प्रतिमाह
(10)	कीर्ति चक्र	65 रुपये प्रतिमाह
(11)	कीर्ति चक्र की प्रत्येक बार के साथ	20 रुपये प्रतिमाह
(12)	शौर्य चक्र	40 रुपये प्रतिमाह
(13)	शौर्य चक्र की प्रत्येक वार के साथ	16 रूपये प्रतिमाह

(ख) राज्य के मूल निवासी या अधिकवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह पूर्वक अदाय किया।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	परमवीर चक्र	महावीर चक्र	वीर चक्र	सेना मैडल	अशोक चक्र	कीर्ति चक्र	शार्य चक्र	विशेष नामोल्लेख	इसके अतिरिक्त वार्षिकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	रू०	
1.	आंध्र प्रदेश	15,000	11.000	5,000	3,000	*12,000	*5,000	*3,500	*2,000	*2 फरवरी, 1977 से
2.	असम	= 10,000	7,500	3,000	3,000	1,500	1,000	700	—	=500रूपये तीस वर्षों के लिए
3.	बिहार	* 15,000	10,000	7,000	—	—	—	—	—	*750 रूपये तीस वर्षों के लिए
4.	चंडीगढ़	= 15,000	11,000	4,500	—	1,500	1,000	700	—	यथोपरि
5.	दिल्ली	10,000	7,500	5,000	3,000	—	3,000	3,00	1,000	
6	गुजरात	* 10,000	7,500	3,000	2,000	10,000	5,000	2,500	1,000	*500 रूपए तीस वर्षों के लिए
7.	हरियाणा (जनवरी 1971 से 2 दिसम्बर 1976 तक)	* 15,000	=11,000	4,500	3,000	12,000	5,000	3,500	—	*750 रूपये तीस वर्षों के लिए =400 रूपए तीस वर्षों के लिए **300 रूपए 30 वर्षों के लिए इसके अलावा निम्नलिखित आर्थिक अनुदान जमौन के बदले में ग्राह्य हैं। ये 1962, 1965 और 1971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										के युद्धों के पुरुस्कार विजेताओं के लिए ग्राह्य हैं। परमवीर चक्र 22,500 रूपये महावीर चक्र 15,000 रूपये वीर चक्र 22,500 रूपये (मरणोपरांत)
	हरियाणा (3 दिसम्बर 1976 से आगे)	*22,500	=15,000	**7.000	3,000	12,000	5,000	,000	2,000	*1,000 रूपए तीन वर्षों के लिए =400 रूपए तीन वर्षों के लिए **300 रूपए तीन वर्षों के लिए भूमि के बदले में निम्नलिखित आर्थिक अनुदान भी दिए जायेगे परमवीर चक्र 1 लाख रूपए महावीर चक्र 50,000 रूपए
8.	हिमालय प्रदेश	*15,000	=11,000	**5,000	3,000	12,000	5,000	3,5000	2,000	*1,000 रूपए तीन वर्षों के लिए (1971 के युद्ध से लागू) =400 रूपए तीस वर्षों के लिए (1971 के युद्ध से लागू) **300 रूपए तीन वर्षों के लिए

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										भूमि के बदले परमवीर चक्र और महावीर चक्र वीर चक्र को क्रमश: 1 लाख रूपए) 15-8 47) और 50,000 रूपए (1-1-60 से)
9.	जम्मू तथा कश्मीर	15,000	11 000	4,500	—	—	—	—	—	
10.	कर्नाटक	*15,000	10,000	5,000	3,000	10,000	5,000	3,000	1,500	*1,200 रूपए तीन वर्षों के लिए
11.	केरल	15,000	10,000	5,000	3,000	7,000	3,500	2,500	1,500	
12.	मध्यप्रदेश	*10,000	7,500	3,000	—	2,000	1,500	1,000	—	*आजीवन 500 रुपए, 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि और 300 वर्ग मीटर तक आवासीय प्लाट।
13.	महाराष्ट्र	*15.000	10,000	5,000	3.000	—	—	—	1,500	*500 रुपए तीन वर्षों के लिए
14.	मेघालय	* 10,000	7,000	3,000	—	1,500	1,000	=700	—	*500 रूपये तीन वर्षों के लिए =1971 के भारत-पाक युद्ध के पुरुस्कार प्रभावक्त्ताओं को।
15.	मिजोरम	* 10,000	7,500	3,000	—	1,500	1,000	= 700	—	*500 रुपए तीन वर्षों के लिए =1971 भारत-पाक युद्ध के पुरुस्कार प्राप्त कर्त्ताओं को।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	नागालैंड	* 10,000	7,500	3,000	500	1,500	1,000	700	300	* 500 रूपए तीन वर्षों के लिए थलसेना अध्यक्ष का प्रशंसा पत्र पाने वालों को 200 रुपये ।
17.	उड़ीसा	* 10,000	**7.500	=3,000	1.500	—	—	—	--	*540 रुपए तीन वर्षों के लिए **420 रूपये 20 वर्षों के लिए
	(यदि मरणोपरांत)	* 7,500	**5,000	=2,000	—	—	—	—	—	=300 रूपये 15 वर्षों के लिए
18.	पंजाब	*22,000	=15,000	—7,000	3,000	12,000	5,000	3,500	2,000	*1,000 रूपये तीन वर्षों के लिए 15 एकड़ जमीन भी या 18,4 से 1 लाख रूपये =400 रूपये तीन वर्षों के लिए और 10 एकड़ जमीन या 1.1.60 से 30,000 रूपये —300 रूपए तीन वर्षों के लिए
19	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	राजस्थान	*10,000	*5,000	*,000	—	*10,000	5,000	*2,000	*000	*25 बीघा सिंचित भूमि भी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	तमिलनाडु	*15,000	10,000	5,000	3,000	—	—	—	2,000	*500 रूपये तीस वर्षों के लिए
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	1,000	
23.	उत्तर प्रदेश	*10,000	7,500	3,000	2,000	9,000	6,000	2,000	1,000	*500 रूपये तीस वर्षों के लिए 15.10.76 से लागू । उनको संतान को इन्टरमीडिएट कक्षा तक सभी फीसों से छूट
24.	पश्चिम बंगाल	10,000 या 600 रुपए प्रतिवर्ष	5,000 या 300 रुपये प्रतिवर्ष	2,500 या 100 रुपये प्रतिवर्ष	—	*8,000	*4,000	*2,000	—	*केवल पश्चिम बंगाल में अधिवासी कर्मिकों के लिए

जो राजस्थान के मूल निवासी या अधिवासी नहीं हैं, किन्तु जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान राजस्थान सीमा पर युद्ध करते हुए पुरुस्कार प्राप्त किए हैं उन्हें निम्नलिखित धनराशि मिलेगी :

परमवीर चक्र	10,000 रुपये +	2,000 रुपये भूमि के एवज में
महावीर चक्र	5,000 रुपये +	—वही—
वीर चक्र	2,000 रुपये +	—वही—

विशेष नामोल्लेख 1,000 रुपये + भूमि के बदले में 1,000 रुपये

25.	सिक्किम	15,000	=7,500	—5,000	—	5,000	—	—	—	*750 रुपए तीस वर्षों के लिए =500 रुपए तीस वर्षों के लिए —300 रुपए तीस वर्षों के लिए

पर्यटन व्यापार के लिए पुरानी आयातित कारें

4358. **श्री जगदीश टाइलर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत पर्यटन व्यापार के लिये पुरानी आयातित यात्री कारें उपलब्ध कराई जायेंगी ताकि वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारी स्थानीय रुप से निर्मित कारें उक्त व्यापार की मांग पूरी नही कर सकेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एम० टी० सी०) से प्राप्त आयातित पुरानी कारों को पर्यटक कार प्रचालकों को आवंटित करने से सम्बन्धित एक स्कीम 1 62 में प्रारम्भ की गई थी। ऐसी पुरानी-एस० टी० सी० कारें जिनमें छः या अधिक सिलेन्डर लगे हुए हों और जिनकी कीमत। लाख रूपए से कम हो, पर्यटक कार प्रचालिकों, भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य पर्यटन विकास निगमों को रिलीज करने के लिए पयंटन विभाग को दे दी जाती हैं।

(ग) देश में बनी कारों का भी पर्यटक टैक्सियों के रुप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तथापि, कुछ पर्यटक हाई-पावर्ड वातानुकूल आयातित कारों का ही प्रयोग करना पसन्द करते हैं।

यूगोस्लाविया के साथ संयुक्त उपक्रम स्थपित करना

4359. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाविया के साथ अर्धपरिष्कृत कोको का उत्पादन और कोको के विकास के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) क्या उपर्युक्त देश ने अपने यहां के लिए शत-प्रतिशत खरीद का प्रबन्ध करने का संकेत दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० सगमा) (क) तथा) (ख) यूगोस्लाविया में क्रोशिया गणराज्य की कार्यकारी परिषद की सदस्य श्रीमती वीरा सोदान ने, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, अन्य बातों के साथ-साथ यूगोस्लाविया द्वारा शत-प्रतिशत खरीद की व्यवस्था में भारत में कोको बटर तथा कोको लिकर के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने में यूगोस्लाविया की रुचि का भी सकेत दिया था।

(ग) जैसे ही युगोस्लाविया सरकार से औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव प्राप्त होगा, सरकार इस पर विचार करेगी।

"भारत का त्यौहार" के लिए प्रचार अभियान

4260. श्री कृष्ण कुमार गोयल :

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि "भारत के त्यौहार" के लिए हमारे प्रचार अभियान की लन्दन में स्थानीय समाचार माध्यमों में भारी समीक्षा हो रही है;

(ख) भारत पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रचार पर अनुमानत: कितना व्यय किया गया है;

(ग) इस कार्य के लिए भारतीय एजेन्सी को चुनने के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या वर्तमान सेवाओं को समाप्त करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं । सरकार को "फैस्टिवल आफ इन्डिया" की प्रचार सम्बन्धी किसी समीक्षा के बारे में जानकारी नहीं है । तथापि सरकार को भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, लन्दन, के विज्ञापन कार्यक्रम पर ब्रिटिश विज्ञापन पत्रिका "दि कम्पेन" में छपी एक समीक्षक की समीक्षात्मक टिप्पणी की जानकारी है । इस ट्रेड मैग्जीन का सर्कुलेशन प्रतिबन्धित है और यह जनता के लिए नहीं है ।

(ख) 1981-82 के दौरान भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, लन्दन, द्वारा सामान्य विज्ञापन पर अनुमानित खर्च लगभग 57,280,00 पाउंड स्टर्लिंग है ।

(ग) एक प्रभावी अभियान प्रस्तुत करने की दृष्टि से यह एक आम प्रैक्टिस है कि स्थानीय विज्ञापन पर अभिकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाए क्योंकि वे मार्केट और मीडिया से बेहतर रूप में परिचित होते हैं । इसी प्रैक्टिस के अनुरूप भारत सरकार पर्यटक कार्यालय भी स्थानीय विज्ञापन अभिकर्ताओं को पर्यटक कार्यालय अभियान के लिए उनके प्रस्तुतीकरणों के आधार पर नियुक्त करते रहे हैं ।

(घ) विज्ञापन अभिकर्ताओं के कार्य-निष्पादन के आधार पर उनकी सेवाओं को जारी रखने के बारे मे समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

राजस्थान में पर्यटन ग्रामों की स्थापना

4361. श्री कृष्ण कुमार गोयल : पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सलाह के अनुसार राजस्थान सरकार ने पर्यटक ग्रामों की स्थापना के लिए कोई सूची भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी हां ।

(ख) चार स्थलों का सुझाव दिया गया है जिसमें पुष्कर, भरतपुर, जैसलमेर और आम (जिला जैसलमेर) में एक-एक स्थल है। प्रस्तावित सुविधाओं में संलग्न टाएलट, लांज, भोजन-सुविधाओं, रसोईघर आदि सहित कुटीरों के रूप में 100 वैड वाला आवास तथा स्थल का विकास शामिल है। अनुमानित लागत 15 लाख रुपए बताई गई है।

दिल्ली छावनी में दुकानों को आगे किराये पर देना

4362. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में दुकानों को आगे किराये पर देने के बारे में 9 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सख्या 3004 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अलाटियों का ब्योरा क्या है जिन्हें अवधिकृत रूप से अपनी दुकानों को आगे किराये पर देते हुए पाया गया है और इन दुकानों को किस तारीख से आगे किराये पर दिया गया था ;

(ख) छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 के खंडों का उल्लंघन करने के लिये इनके इनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षामंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें ब्योरे दिये गये हैं।

(ख) और (ग) छावनी बोर्ड ने सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध निष्कासन की कानूनी कार्यवाही करने का फैसला किया है और कार्रवाई शुरु कर दी गई है। छावनी अधिनियम 1924 की धाराओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और छावनी बोर्ड द्वारा दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	अलाटी का नाम	दुकान नम्बर	अलाटी का नाम	कब्जेदार द्वारा आगे किराये पर दिए जाने की तारीख
1.	श्री हरनाम सिंह	1/159	सर्वश्री वेद प्रकाश विनोद कुमार	इसकी
2.	श्री गुरुबक्स सिंह	1/179	श्री धनी राम	वास्तविक

1	2	3	4	5
3.	श्रीमती विद्यावती	11/19	श्री मैसर्स शाही आटो-मोबाइल्स	तारीख मालूम नहीं है किन्तु इन सभी मामलों में इसकी रिपोर्ट 25.6.1981 को की गई थी।
4.	श्री जय राम	1/160	श्री सुभाष चन्द्र	
5.	श्री राम चन्द्र	1/173	श्री हरचरण सिंह	
6.	श्री वद्री	11/38	श्री बीरेन्द्र सिंह	
7.	श्री बाले राम	1/135-136	श्री सुरिन्दर सिंह राघव, पुत्र श्री महावीर सिंह	

पश्चिम बंगाल में झारग्राम की काजू फैक्टरी का बन्द होना

4363. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

श्री मुकुन्द मंडल :

श्री अजित कुमार साहा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी० सी० आई० ने पुर्वी क्षेत्रों के वितरित किए जाने वाले कच्चे काजू के कोटे को अचानक रोक दिया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके कारण पश्चिम बंगाल की झरिग्राम फेक्ट्री बन्द हो गई है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं: और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्रों के लिए कच्चे काजू की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ताकि फैक्ट्री को पुन: चालू किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अन्तर्गत सी० सी० आई० केवल पात्र वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयोतित कच्चा काजू आबटित कर रहा है · पूर्वी क्षेत्र की कोई भी फैक्ट्री वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में आयातित कच्चे काजू के आबंटन की पात्र नहीं है । सरकार को झारग्राम फैक्ट्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि उन्हें कच्चा काजू का आयात करने की अनुमति दी जाए । कच्चे काजू का आयात 27.4.1981 से असरणोबद्ध कर दिया गया है । निर्यात गृह तथा व्यापार गृह तथा व्यापार ग्रह अब कच्चे काजू का आयात करने तथा आयातित मात्रा का 50 प्रतिशत बास्तविक प्रयोक्ताओं (प्रोसेसिंग एककों) को बेचने के पात्र होंगे ।

बख्तरबन्द गाड़ियों (आर्मड कार) का उत्पादन करने के लिए मेढक में रक्षा कारखाने की स्थापना करना

4364. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेढक में बख्तरबन्द गाड़ियों का उत्पादन करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थान का चयन करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) से (ग) : इस सूचना को सदन में प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

विदेशी ट्रालरों द्वारा आंध्र तट-दूर अवैध रूप से मछली पकड़ा जाना

4365. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ट्रालरों द्वारा आन्ध्र तट दूर अवैध रूप से मत्स्य-ग्रहण किये जाने को रोकने के सम्बन्ध में भारतीय नौसेना और तट-गार्डों की अयोग्यता के क्या कारण हैं ; और

(ख) शिकार करने वाले विदेशी ट्रालरों को पकड़ने के बारे में भारतीय नौसेना द्वारा 1982 में आयोजित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) हमारे समुद्री क्षेत्र में विदेशी ट्रालरों की अवैध रुप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी तट रक्षक संगठन के पास इस समय पर्याप्त संख्या में कार्मिक आदि नहीं है अत: हमारे अनन्य व्यापार क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए समय-समय पर भारतीय नौसेना की सहायता भी ली जाती है पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में नियमित गश्त लगाने के लिए भारतीय नौसेना के जलयान और विमान तैनात किए गये थे और ये 1982 के दौरान तैनात रहेंगे । तट रक्षक संगठन को और गश्ती-पोत, हेलीकाप्टर आदि देकर उसकी मौजूदा शक्ति स्तर में वृद्धि की जा रही है ताकि यह मछली पकड़ने की गतिविधियों को और कारगरता से रोक सके ।

विशाखापत्तनम में हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाना

4366. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम की जनसंख्या तथा उसके औद्योगिक महत्व को देखते हुए वहां के हवाई अड्डे तथा सम्बद्ध सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये वित्तीय आवंटन के रुप में पूरे ब्योरे क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाने के लिये वहां निम्नलिखित निर्माण कार्यों सुविधाओं को करने का प्रस्ताव है ।

	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1. वाबनपथ पर पुनः फर्श बिछाना	92.63
2. नये टर्मिनल भवन का निर्माण	49.64
3. नये कन्ट्रोल टॉवरों और तकनीकी भवन का निर्माण	11.93
4. क्रेश फायर टैंडर	8.00
5. डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर-I	0.20
6. हस्तधारित मेटल डिटेक्टर-2	0.04
7. फायर स्टेशन का निर्माण-1	15.00
8. वासीज (वी० ए० एस० आई० एस०)	5.00
9. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओनीरेंज	15.00
10. दूरी मापक यन्त्र	13.00
11. बी० एच० एफ, एच० एफ० वायु-भू संचार व्यवस्था का सुधार	10.00
	220.74

विश्व बैंक सहायता में से विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्वीकृत धनराशि

4367. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा 1981-82 में विश्व बैंक सहायता में से विभिन्न के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) विश्व बैंक की उस सहायता में से उन क्षेत्रों ने अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) विश्व बैंक समूह की सहायता आमतौर से क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि विशिष्ट परियोजनाएं दिखाई गई हैं जिनके लिए 1981-82 में अब तक सहायता के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गये हैं और उन परियोजनाओं द्वारा प्रयुक्त राशियों भी दिखाई गयी हैं।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	रकम (लाख डालर)	1981-82 के दौरान प्रयुक्त कुल रकम (लाख डालर)
	कृषि क्षेत्र			
1.	महाराष्ट्र कृषि विस्तार	8.5.81	230.0	—
2.	तमिलनाडु कृषि विस्तार	—तदेव—	280.0	—
3.	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार दूसरा दौर	—तदेव—	370.0	—
4.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-II	21.7.81	1250.0	6.94
5.	पश्चिम बंगाल सामाजिक वनपालन	24.2.82	290.0	—
6.	कृषि पुनर्वित और विकास निगम—iv	—तदेव—	3500.0	—
	उर्वरक क्षेत्र			
1.	हाजिरा उर्वरक	28.10.81	4000.0	—
	सिंचाई क्षेत्र			
1.	मध्य प्रदेश मुख्य सिंचाई	24.2.82	2200.0	—
	नगर विकास			
1.	कानपुर नगर विकास	4.2.82	250.0	—
	ऊर्जा क्षेत्र			
1.	दूसरा कोरबा तापीय बिजलीघर	4.2.82	4000.0	—
2.	दूसरा रामगुडम तापीय बिजलीघर	6.1.82	3000.0	—
	औद्योगिक क्षेत्र			
1.	तमिलनाडु अखबारी कागज	23.9.81	1000.0	—
2.	14वां औद्योगिक ऋण और निवेश (गैर-सरकारी ऋण)	8.10.81	1500.0	—

पोलैंड को खाद्य और अन्य विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

4368. **श्रीमती जयंती पटनायक :**

श्री तारिक अनवर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने हमारे देश से खाद्य सामग्री और अन्य विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो पोलैंड को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री और अन्य विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात किए जाने का विचार है ;

(ग) पोलैंड को किन वस्तुओं का निर्यात किए जाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) पोलैण्ड का 1982 में भारत से 130 करोड़ रुपए मूल्य की तेल सहित खली, चाय, रूई, पटसन, अभ्रक चमड़ा, काली मिर्च और चमड़े तथा सूती परिधान, कालीन, हथकरघा की वस्तुएं एवं कुछ इन्जीनियरी उत्पाद जैसी अन्य उपभोक्ता वस्तुएं आयात करने का विचार है। 3 दिसम्बर, 1981 को पोलैंड के साथ हस्ताक्षर किए गए वार्षिक व्यापार सलेख के अधीन हम 1982 में पोलैंड को ये मदें निर्यात करने के लिए सहमत हो गए हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में आरम्भ की गई नई परियोजनाएं

4369. **श्रीमती जयंती पटनायक :**

श्री रासविहारी बहेरा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा उड़ीसा में आरम्भ की जा रही नई परियोजनाएं क्या हैं और उनकी लागत क्या है ;

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा भुवनेश्वर में अपने कलिंग अशोक होटल में विस्तार कब किया जायेगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि पहले ही उपलब्ध की जा चुकी है ;

(ग) भुवनेश्वर में भारतीय पर्यटन विकास निगम का क्षेत्रीय कन्वेंशन हाल कब बनाया जायेगा ; और

(घ) भुवनेश्वर के निकट भारतीय पर्यटन विकास निगम के शेर सफारी पार्क की स्थापना कब की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) आई० टी० डी० सी० का, उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से, उड़ीसा में 2 नई होटल परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव है :-

(1) 134 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पुरी में 50 कमरें वाला 3-स्टार होटल

(2) कोणार्क में बीच काम्पलैक्स स्कीम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

(ख) 1982-83 के दौरान होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर में 36 कमरे की वृद्धि करते हुए होटल के विस्तार का कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग) भुवनेश्वर में फिलहाल आई० टी० डी० सी० द्वारा कोई भी रीजनल कनवेंशन हाल नहीं बनाया जा रहा है। तथापि, होटल कलिंग अशोक की विस्तार स्कीम के अधीन 140 व्यक्तियों की सीटिंग कपैसिटी के दो पार्टी वाले कमरे की परिकल्पना की गई है।

(घ) आई० टी० डी० सी० और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए की कुल लागत पर नन्दनकानन में शेर सफारी पार्क के विकास की स्कीम तैयार की है। जिसमें आई० टी० डी० सी० 15 लाख रुपए का अन्शदान देगा। आई० टी० डी० सी० ने पहले ही इस स्कीम के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को 3 लाख रुपए रिलीज कर दिए है।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विस्तार

4370. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के तत्काल विस्तार की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनको सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) से (घ) फर्श, टर्मीनल तथा रेडियो दिक्चालन सुविधाएं नियमित एयरबस तथा सीमित बोइंग 707 परिचालनों के लिए उपलब्ध हैं। बोइन्ग 707 विमानों के नियमित आधार पर परिचालनों की सुविधा के लिए हवाई अड्डे के और अधिक विकास के कार्य प्रगति पर है।

छठी योजना (1980-85) की अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उपलब्ध करायी गयी/उपलब्ध करायी जाने वाली प्रस्तावित विभिन्न सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है—

1. उपकरण अवतरण प्रणाली (आई० एल० एस) (पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है)
2. दूरी मापक उपस्कर (डी० एम० ई०)

(उपकरण अवतरण प्रणाली के ग्लाइड पथ उपस्कर के साथ सहविन्यास)

(पहले ही उपलब्ध कर दिया गया है)

3. मौजूदा सुविधाओं को बदलने/वृद्धि करने के लिए उच्चावृत्ति और अति उच्चावृत्ति एयर ग्राउंड संचार उपस्कर (उपलब्ध कराए जाने हैं)

4. नये अन्तराष्ट्रीय कांम्प्लेक्स का निर्माण — कार्य प्रगति पर है।

5. नये कन्ट्रोल टावर तथा तकनीकी ब्लाक का निर्माण

6. धावनपथ तथा संबद्ध पटरियों का विस्तार तथा मजबूत करना

7. कन्वेयर बेल्ट की व्यवस्था

8. क्रेश फायर टेंडर-5 अद्द

9. रैपिड इन्टर्वेशन व्हील—1

10. ड्राई कैमिकल पाउडर टेंडर — उपलब्ध करायी जानी हैं।

11. मकैनिकल स्वीपर—1 अदद

12, एक्सरे बैगेज यूनिट—2 अदद

13. डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर—2 अदद

14. हैंड हैल्ड मैटल डिटेक्टर—2 अदद

15. फायर स्टेशनों में परिवर्धन

16. एप्रोच रोड

17. वासीज (वी० ए० एस० आई० एस०)

18. हाई इटेसिटि रन-वे लाइटें

19. एप्रोच लाइटिंग

20. एप्रन लाइटिंग

कोवलम में स्थित भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल को हो रहा नुकसान

4371. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोवलम में स्थित भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल को लगातार नुकसान होता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं : और

(ग) इस नुकसान से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां,

(ख) इन हानियों के प्रमुख कारण सीजनल टूरिस्ट ट्रैफिक की वजह से निम्न आकूपेन्सी निम्न रूम टैरिफ, खाद्य तथा पेयों पर होने वाला ऊंचा खर्च और अन्य ओवर हैड खर्च, मरम्मत रखरखाव और अनुरक्षण सम्बन्धी ऊंची लागत रहे हैं।

(ग) रूम टैरिफ में वृद्धि की गई है, मार्केटिंग प्रयासों को तेज किया गया है और खाद्य लागत मरमम्मत और रखरखाव अनुरक्षण सुविधाओं आदि को नियंत्रित और कम करने के उपाय अपनाये जा रहे हैं।

बिस्कुटों पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने हेतु भारतीय बिस्कुट निर्माता संघ से ज्ञापन

4382. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भारतीय बिस्कुट निर्माता संघ से बिस्कुटों पर उत्पादन शुल्क को समाप्त करने हेतु एक ज्ञापन मिला है, क्योंकि बिस्कुट आम आदमी का भोजन बन गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस उत्पादन शुल्क में छूट देना उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उत्पादन शुल्क को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, हां।

(ख) यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बिस्कुटों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त करने से उपभोक्ता लाभन्वित होंगे अथवा नहीं।

(ग) तथा (घ) इस समय सरकार का बिस्कुटों पर से उत्पादन शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

'यू० एस० एक्जिम बैंक टू इण्याज रेसक्यू 'शीर्षक समाचार'

4373. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1982 में प्रकाशित 'इकनामिक टाइम्स' में 'यू० एस० एक्जिम बैंक द्रे इण्याज रेसक्यू' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धन प्राप्ति के वैकल्पिक साधन ढूंढने के प्रभाव में भारत अमरीमा/एक्सपोर्ट बैंक से संपर्क कर सकता है ;

(ग) क्या एक्जिम बैंक मार्च में जल बोर्ड की अगली बैठक होगी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 25 मिलियन डालर मंजूर करेगा ;

(घ) क्या तीन शर्तें (टाइड) ऋण मंजूर किए जाने हैं जिन पर 8.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज होगा ;

(ङ) क्या एक्जिम बैंक स्रोत ऐसे और अधिक ऋणों के बारे में बातचीत के लिए आशावान है विशेषकर अमरीका से बड़े पूंजी उपकरण खरीदने के लिए भारतीय सरकारी उपक्रम के साथ, यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार की नीति यह है कि जहां कहीं लाभप्रद हो रियायती वित्त सहायता के सभी स्रोतों का उपयोग किया जाए जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिकी निर्यात आयात बैंक भी शामिल है

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 2.5 करोड़ डालर के एक नए ऋण के लिए निर्यात आयात बैंक को औपचारिक रूप से कोई आवेदन पत्र नहीं भेजा है ।

(घ) जी, हां । निर्यात आयात बैंक ने 2.125 करोड़ डालर की निर्यात आयात ऋण सीमा के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक को ऋण देने के लिए हाल में तीन उपऋणों का अनुमोदन किया है जिनकी कुल राशि लगभग 2.09 करोड़ अमेरिकी डालर है, जिसके लिए सितम्बर, 1881 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे । इन ऋणों पर 8.75 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगता है ।

(ङ) सरकार को इस सम्बन्ध में निर्यात आयात बैंक से अधिकारिक रुप से कोई संकेत प्राप्ति नहीं हुआ है ।

"नो टूरिस्ट बुकिंग फार एशियाड यट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

4374. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "नो टूरिस्ट बुकिंग फार एशियाड यट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) विशेषकर निम्नलिखित के लिये जहां तक होटल आवास का सम्बन्ध है किन व्यवस्थाओं के पूरे होने की संभावना है ;

(एक) खिलाड़ी तथा सम्बन्धित व्यक्ति ;

(दो) विदेशी तथा भारतीय दर्शक :

(तीन) कुल दर्शकों की संख्या——विदेशी और भारतीय जो संभवत: एशियाई खेल देखेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी, हां।

(ख) (1) खिलाड़ियों को एशियाई खेल गांव (सिरी फोर्ट क्षेत्र) में और तकनीकी कार्मिकों को शेख सराय गेस्ट हाऊस में ठहराया जाएगा।

(2) विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के यात्रियों को विद्यमान और नए होटलों में और साथ ही कुछ गैस्ट हाऊसों में ठहराया जाएगा। दिल्ली पर्यटन विकास निगम द्वारा पेइन्ग गैस्ट आवास के लिए प्राइवेट गैस्ट हाऊस के प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(3) फिलहाल, इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाना मुश्किल है।

"वूल एक्सपोर्टस कैन एक्सीड़ रुपीज 200 करोड़" (ऊन क: निर्यात 200 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है) शीर्षक समाचार

4375. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1982 के इकानामिक टाइम्स में 'वूल एक्सपोर्टस कैन एक्सीड रुपीज 200 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग का चालू वर्ष का निर्यात लक्ष्य 175 करोड़ रुपये रखा गया है;

(ग) क्या वूल और वूलन गुड्स के सेक्रेटरी के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समर्थन दे तो निर्यात वर्ष आसानी से प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर सकता है;

(च) सेक्रेटरी, डब्ल्यू० डब्ल्यू० ई० पी० सी० द्वारा सुझाये गए आवश्यक समर्थन की विभिन्न मदें कौन-सी हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रत्येक सुझाव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ.) क्या सेक्रेटरी, डब्ल्यू० डब्ल्यू० ई० पी० सी० के अनुसार यदि सरकार ने मांग पूरी की तो आगामी पांच वर्षों में निर्यात 450 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है तथा उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए 175 करोड़ रुपए का लक्ष्य अनन्तिम आधार पर निर्धारित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ.) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के सुझावों में आमतौर पर ऊनी उत्पादकों के निर्यात के लिए और अधिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था है, जिसमें शामिल है : उदार ऋण की व्यवस्था, भाड़ा उपदान, मशीनरी तथा संघटकों का उदार आयात, उत्पादन क्षमता का आधुनिकीकरण तथा विस्तार, मूल्य छूट सीमा के अधीन वेस्टेज मानदंडों की समीक्षा ऊनी निटवियर्स के निर्यात का मार्गीकरण समाप्त करना, प्रमाणीकरण क्रियाविधि आदि को सरल बनाना। निर्यातों को बढ़ाने के लिए ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद सहित ऊनी वस्त्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न हितों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार किया जाता है और समय-समय पर यथावश्यक उचित उपाय किये जाते हैं।

बीमार यूनिटों में फंसे बैंक ऋण

4376. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमार एककों में फंसे बैंक ऋण की राशि के बारे में सूचना एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे बीमार एककों की संख्या और नामों के बारे में ब्योरा क्या है और 31 दिसम्बर, 1981 के अनुसार उनमें कितना बैंक ऋण फंसा हुआ था; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रुग्ण औद्योगिक एककों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर एकत्र की जाती है तथा सरकार को की जाती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास ताजा उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1980 की स्थिति के मुताबिक रुग्ण एककों के रूप में निर्धारित और सूचित 24,550 (बड़े, छोटे और मझौले एककों की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि 1808.66 करोड़ रुपये थी। अलबत्ता, उपलब्ध ताजा अनन्तिम सूचना के अनुसार जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सहायता-क्षेत्र (पोर्टफोलियो) के अन्तर्गत 24,052 रुग्ण एकक थे जिन पर 1905.11 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे।

बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाली सांविधियों के उपबन्धों के अनुसरण में भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती और इसलिए रुग्ण एककों के नामों को बताया नहीं जा सकता।

(ग) सरकार की यह नीति है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं रुग्णता को रोकने और रुग्ण एककों का पुनर्वास करने के बारे में यथासम्भव सभी उपाय करें। रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास के मामले में अन्तर्ग्रस्त कुछ संगठन विषयक व्यवस्थाएं नीचे दी जा रही हैं :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक में एक रुग्ण औद्योगिक उपक्रम कक्ष स्थापित किया गया है ताकि वह रुग्ण इकाई के बारे में सूचना के समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर

सके और सरकार बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों को निपटाने वाले अन्य अभिकरणों के बीच समन्वय का अभिकरण के रूप में भी काम कर सके। यह कक्ष रुग्ण एककों के निर्धारण में बैंकों के कार्य-निष्पादन पर बारीकी से नजर रखता रहा है और उपचार के उपाय करता रहा है। औद्योगिक इकाई में रुग्णता को रोकने की दृष्टि से, इसने इस मामले में बैंकों को उपयुक्त निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के बीच अधिक बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय अंत: संस्थागत समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों को और अधिक सुदृढ़ तथा कारगर बनाने के उपाय किये गए हैं।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और सावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं के बीच निरन्तर आधार पर समन्वय से सम्बद्ध मुद्दों पर विचार करने के लिए एक स्थाई समन्वय समिति गठित की है।

(4) बैंकों के रुग्णता और समस्यामूलक मायलों पर ध्यान देने के लिए भारतीय औद्योगिक बिकास बैंक के पुनर्वास वित्त प्रभाग में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है।

(5) जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उपयोगी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में अर्थक्षमता की सम्भावना वाली रुग्ण इकाइयों पर पूरा ध्यान दिया जाए और उन्हें समय से बैंकों की मदद मिल सके।

सभी राष्ट्रीय बैंक उपर्युक्त नीति और व्यवस्थाओं के अधीन व्याप्त हैं और इनके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।

निर्यात प्रोसेसिंग जोन के रूप में कोचीन

4377. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कांडला और सान्ताक्रुज की भांति कोचीन को निर्यात प्रोसेसिंग जोन घोषित करने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) कोचीन में एक मुक्त व्यापार जोन की स्थापना के लिए केरल सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि नये मुक्त व्यापार जोन स्थापित किये जायें अथवा नहीं। इस प्रश्न पर सरकार द्वारा गठित स्टाक

फोर्स द्वारा विचार किया जा रहा है । आस्क फोर्स की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट मिलने पर सरकार नये मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने सम्बन्धी नीति निर्धारित करेगी ।

केरल में रक्षा उत्पादन यूनिटें

4378. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रक्षा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में यदि कोई रक्षा उत्पादन यूनिटें हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को केरल में एक रक्षा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं; और

(ग) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) केरल में कोई रक्षा उत्पादन यूनिटे नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) रक्षा यूनिटों को किन-किन जगहों पर स्थापित किया जाए इस बारे में निर्णय लेते समय केरल राज्य की पेशकश पर उसके औचित्य के आधार पर विचार किया जाएगा ।

दिल्ली छावनी में घरेलू उद्योग के लिए बिजली के कनैक्शन देना

4379. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में घरेलू उपयोग के लिए बिजली के कनैक्शन देने के बारे में 2 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2906 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उपयोग के लिए एम० ई० एस० द्वारा बिजली के कनैक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और क्या उनसे यह कहा गया था कि बिल न दिये जाने के कारण काटे गए मीटरों के लिए पहले बकाया राशि का भुगतान किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान अलग मीटर कनेक्शनों की मजूरी के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के ब्यौरे विवरण "क" में दिये गए हैं लेकिन एक व्यक्ति को स्थायी बिजली कनेक्शन नामंजूर किया गया है क्योंकि उसके संयुक्त परिवार के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए देय बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया है और इस मामले में कनेक्शन उसके पिता के नाम पर है । बिजली के बकाया बिलों का भुगतान न करने के कारण बिजली की की सप्लाई रोक दी गई है । अब बकाया रकम का भुगतान कर दिया गया है इसलिए एक अलग मीटर की व्यवस्था करने के लिए मंजूरी दे दी गई है ।

विवरण "क"

दिल्ली छावनी में पिछले 2 वर्षों में अलग मीटर कनैक्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण ।

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1.	श्री घासीराम, बिल्डिंग नं० 1/113, सदर बाजार, दिल्ली छावनी।	अलग मीटर मंजूर किया गया।
2.	श्री धर्मपाल भल्ला, 2 सिंह पार्क, (किरबी प्लेस) दिल्ली छावनी।	अलग मीटर मंजूर किया गया।
3.	श्री ओ. पी. शर्मा, क्वार्टर नं० 11/1/11, अस्पताल क्वार्टर, मैकेनिकल ओवरसियर, दिल्ली छावनी।	अलग मीटर मंजूर किया गया।
4.	श्री सुरेश कुमार बहल, 1/206/46, एस० डी० मन्दिर, दिल्ली छावनी।	सम्बन्धित व्यक्ति को आवेदन पत्र वापस किया गया है क्योंकि यह छावनी बोर्ड के माध्यम से नहीं भेजा गया
5.	श्रीमती सुशील कुमार, 1/335, सदर बाजार, दिल्ली छावनी।	अलग मीटर मंजूर किया गया।
6.	श्री बुध प्रकाश, मकान नं० 111/4/43 बी, गली शाम सिंह, शास्त्री बाजार, दिल्ली	अलग मीटर मंजूर किया गया।
7.	श्री केदार नाथ, 1/182, सदर बाजार, दिल्ली छावनी।	सम्बन्धित व्यक्ति को आवेदन पत्र वापस किया है क्योंकि वह छावनी बोर्ड के माध्यम से नहीं भेजा गया।
8.	श्री ओपिन्द्र भगत, 11/32, सदर बाजार, दिल्ली छावनी।	छावनी बोर्ड के माध्यम से भेजने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को आवेदन-पत्र वापस किया गया है क्योंकि वह छावनी बोर्ड के माध्यम से नहीं भेजा गया।
9.	श्री धर्मपाल गर्ग, 1/206/48, सदर बाजार, दिल्ली छावनी।	छावनी बोर्ड के माध्यम से भेजने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को आवेदन-पत्र वापस किया गया है क्योंकि वह छावनी बोर्ड के माध्यम से

नहीं भेजा गया।

10.	श्री मोतीराम, 2/98, सदर बाजार, दिल्ली छावनी।	पहले अलग मीटर मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि इसके के नाम बकाका बिजली बिल रकम की अदायगी नहीं की गई थी। अब बकाया रकम की अदायगी हो जाने पर अलग मीटर मंजूर किया जा चुका है।

बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए हीरे

4380. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्तो गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बयाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर सीमा शुल्क के आसूचना विंग द्वारा फरवरी, 1982 के दौरान करोड़ों रुपये के मूल्य के हीरे पकड़े गए थे;

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं का पूर्ण ब्यौरा क्या है और क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जी, हां। सीमा-शुल्क (निवारक) समाहर्तालय बम्बई की हवाई गुप्त चर्चा एकक के अधिकारियों ने 20-2-1982 को तराशे हुए और पालिश किए हुए लगभग 2980 कैरेट हीरे उस समय पकड़े जब भारत से उनके तस्कर-निर्यात की कोशिश की जा रही थी। इन हीरों का मूल्य लगभग 1.06 करोड़ रुपये था।

इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनको बाद में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबन्द किया गया। इस मामले में ग्रस्त पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

चुरू जिले में राष्ट्रीय बैंकों की ग्रामीण शाखाएं

4381. **श्री घोलत राम सारण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुरू जिले में ग्रामीण शाखाएं हैं और शाखाएं कहाँ कहाँ खुली हुई हैं; तथा उनके लेन.देन का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन गांवों में शाखाएं खोलने का विचार है और शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या सहकारी क्षेत्र और वाणिज्यिक बैंकों के रूप में अग्रिम धन देने वाली दो एजेंसियों के अस्तित्व में होने के कारण दोहरा प्रशासनिक व्यय किया जा रहा है और क्या उनकी ऋण देने की प्रक्रिया तथा ब्याज की दर में कोई समानता नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण देने की एक जैसी पद्धति और ब्याज की एक जैसी दर अपना कर एक ही एजेंसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जमाईन पुजारी) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार चुरू जिले में ग्रामीण स्थानों पर कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों के नाम तथा स्थान नीचे दिये गए हैं :—

केन्द्र का नाम	बैंक का नाम
1. मूमासर	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर
2. सालासर	—तदेव—
3. सैंडवे	—तदेव—
4. सहवा	—तदेव—
5. छापर	बैंक आफ बड़ौदा
6. दतन नगर	—तदेव—
7. बिग्गा	न्यू बैंक आफ इण्डिया
8. चारवान	—तदेव—
9. बूचावास	— तदेव—
10. रोदी	—तदेव—
11. दूदवाकहारा	—तदेव—
12. सांखू	—तदेव—
13. पूनासर	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
14. गोगासर	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण
15. चांदगोठी	—तदेव—
16. सतरा	—तदेव—
17. ददरेवा	—तदेव—
18. दरीबा	—तदेव—
19. गोपालपुरा	—तदेव—
20. अदसार	—तदेव—
21. सिधमुख	बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड

इस समय चुरू जिले में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के पास बैंक कार्यालय खोलने के लिए 14 प्राधिकृतियां मौजूद हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

	केन्द्र के नाम	बैंक का नाम, जिसका कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकृति थी
1.	सादुलपुर-औद्योगिक क्षेत्र (अर्ध-शहरी)	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2.	तारा नगर (अर्ध-शहरी)	बैंक आफ बड़ौदा
3.	भालेरी (ग्रामीण)	सरुघर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4.	लालगढ़	—तदेव—
5.	धीखा (ग्रामीण)	—तदेव—
6.	सरदेर शहर (अर्ध-शहरी)	—तदेव—
7.	सुजानगढ़ (अर्ध-शहरी)	—तदेव —
8.	श्री डूंगरगढ़ (अर्ध-शहरी)	—तदेव—
9.	सोमासर (ग्रामीण)	—तदेव—
10.	घंघू (ग्रामीण)	—तदेव—
11.	सत्यू (ग्रामीण)	—तदेव—
12.	बायन (ग्रामीण)	—तदेव—
13.	सेरुना (ग्रामीण)	—तदेव—
14.	नांगल बदी (ग्रामीण)	—तदेव—

जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न बैंकिंग परिचालनों का कार्य करती है।

(ग) और (घ) कृषि क्षेत्र की उत्तरोत्तर बढ़ती ऋण आवश्यकताओं की देखते हुए, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की नीति ग्रामीण ऋण में बहु-एजेंसी अवधारणा (मल्टी-एजेंसी एप्रोच) को अपनाने की रही हैं जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारिताएं एक-दूसरे की पूरक भूमिकाएं निभाती हैं। जहां तक सुविधाजनक हो, विभिन्न वित्तीय अभिकरणों की ऋण-प्रक्रियाओं तथा ब्याज की दरों में समनुरूपता को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। संस्थागत ऋण तथा परिचालनात्मक कठिनाइयों से संबद्ध परेशानियों पर, जिला परामर्शदात्री समितियों, क्षेत्रीय सलाहकार समितियों आदि की बैठकों में आवधिक रूप से बिचार किया जाता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राकृतिक रबड़ का आयात

4382. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 15 हजार टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के ठेकों को संघ सरकार द्वारा प्राधिकृत रूप से अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन सौदों पर माल आना आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1982-83 में कुल कितने रबड़ का आयात किया जायेगा और इस पर कितना धन व्यय होगा ;

(घ) देश में इतने पर भी कितनी रबड़ की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) : 1982-83 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत क्रमश: लगभग 1,62,000 मे० टन तथा 1,94,000 मे० टन होने का अनुमान है। 1982-83 की मांग सप्लाई स्थिति के प्रारम्भिक मूल्यांकन के आधार पर सरकार ने वास्तविक प्रयोक्ताओं में वितरण के लिये राज्य व्यापार निगम को 30,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मांग-सप्लाई स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी और वास्तविक आयातों को विनयमित किया जायेगा ताकि उत्पादन और आवश्यकता के बीच अन्तराल को पूरा किया जा सके।

निर्यात बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही

4383. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात बढ़ाने का दूसरा प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य व्यापार एजसियों से कहा है कि वे आने वाले वर्षों में अपने काम में काफी सुधार करें ताकि देश का भारी व्यापार घाटा कम हो सके ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियों को निदेश दे दिये गये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य मन्त्रालय ने निगमों से कहा है कि वे अपनी बिक्री लाभ, जन शक्ति और व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी दें ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बार में कितने निगमों ने जानकारी दी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ.) निर्यातों को बढ़ावा देना राज्य व्यापार सगठनों का एक के कार्यों के मुख्य उद्देश्य है। बिक्री, जनशक्ति, व्यय आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रति तिमाही राज्य व्यापार संगठनों के कार्योंके लिए निष्पादन की समीक्षा के लिए एकत्र की जाती हैं। इन बैठकों में समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किया जाता है और अगली तिमाही में निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कार्यवाही करने के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

आयकर विभाग में विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव

4384. **श्री सोमाजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री आयकर विभाग में विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव के बारे में दिनांक 27 नवम्बर, 1981 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 975 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के निपटान हेतु विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के कौन से प्रस्ताव और कब से सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उपयुक्त भाग (क) के सम्बन्ध में आयकर विभाग में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु अब तक कोई निर्णय लिया है, और हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) संगठन और प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आयकर), आयकर विभाग में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कार्य-अध्ययन करता है। निदेशालय ने अनेक ऐसे अध्ययन किए हैं और उनकी सिफारिशों के आधार पर, विभाग को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। जिन अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है, वे नीचे दिये गये हैं :

क्र०सं०	पद की श्रेणी	पदों की संख्या	प्रयोजन
1.	निरीक्षक	921	निरीक्षकों की नई कार्यसूची के परिणामत: विस्तृत कार्य अध्ययन होने तक छुट्टी रिजर्व के रुप में 405 पद और तदर्थ आवश्यकता के लिए 516 पद।
2.	कर सहायक	499	ये पद कर निर्धारण और वसूली कार्य के लिए अपेक्षित हैं।
3.	उच्च श्रेणी लिपिक	768	
4.	अवर श्रेणीलिपिक	470	
5.	आशुलिपिक	445	ये 'छुट्टी रिजर्व' पद हैं।
6.	नोटिस तामील कर्ता	3028	
7.	दफतरी	150	
8.	अन्य समूह 'घ' कर्मचारी		
	स्वीपर	535	
	फराश	228	
	चौकीदार	1256	
9.	मुख्य आयुक्तों, आयकर आयुक्तों और सहायक आयकर आयुक्तों के हाल ही में सृजित पदों के लिए सहायक कर्मचारियों के पदों का सृजन।		

उपयुक्त प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं।

राज्यों द्वारा किये गये ओवरड्राफ्ट

4385. श्री ए० के० राय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा किये गये ओवरड्राफ्टों की 1 जनवरी,1982 को और 1 जनवरी, 1981, 1 जनवरी,1980, 1 जनवरी,1979, 1 जनवरी, 1978, 1 जनवरी. 1977 को क्या स्थिति थी, तथ्यों का ब्योरा क्या है ;

(ख) राज्य सरकारों पर वित्तीय अनुशासन को स्थिति सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रुप से दंड देने के लिए चुना गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य सरकारों की ओवरड्राफ्टों की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) केन्द्र का प्रयास राज्यों को इस बात के लिए सहमत करना रहा है। कि उनके विकासात्मक क्रियाकलापों को गम्भीर रुप से खतरे में डाले बिना उनके ओवर- को धीरे-धीरे समाप्त कर लिया जाए। इस बात को महसूस करते हुए कि राज्य सरकारों से से आशा करना अवास्तविक होगा कि वे अपने ओवरड्राफ्टों को रातों-रात समाप्त कर दें, फिर भी 1982-83 की वार्षिक आयोजना को अन्तिम रुप देने के लिए योजना मन्त्री द्वारा मुख्य मन्त्रियों के साथ किए गए विचार-विमर्श में वर्ष के अन्त में घाटे की कुछ सीमाएं निश्चित की गई थीं। राज्यों ने योजना मन्त्री को उत्साह-वर्द्धक आश्वासन दिये थे कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे कि वर्ष के अन्त में घाटा मान्य सीमाओं के अन्तर्गत रहे।

(ग) जी; नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	अ *					
	31.1.1977	2.1.1978	1.1.1979	1.1.1980	1.1.1981	1.1.1982
1	2	3	4	5	6	7
1. असम	—	—	—	—	—	34.35
2. बिहार	—	5.92	—	—	—	—
3. गुजरात	—	—	—	—	—	10.47

1	2	3	4	5	6	7
4. हरियाणा	—	—	—	—	—	32.09
5. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	1.04
6. कर्नाटक	—	10.40	—	—	—	11.34
7. केरल	—	—	—	—	—	63.14
8. मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	78.34
9. महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	23.24
10. मणिपुर	—	—	—	—	—	31.48
11. मेघालय	—	—	—	—	—	1.33
12. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	0.73
13. पंजाब	6:34	18.32		—	—	102.26
14. राजस्थान	—	—	—	—	76.77	251.15
15. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	10.16
16. उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल	—	30.19	—	31.06	57.83	215.23

अ 1.1.1977 को छुट्टी थी और 2.1.77 को रविवार था।

* 1.1.1988 को रविवार था।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा किए गए साक्षात्कार के आधार पर होने वाली नियुक्तियां

4386. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा आयोजित साक्षात्कारों में कितने व्यक्तियों को उपयुक्त पाया गवा जिनके नाम विभिन्न प्रयोक्ता मन्त्रालयों को नियुक्ति के लिए भेजे गए थे सविस्तार डिसप्लिन-वार तथ्य क्या है ;

(ख) 1 जनवरी, 1962 तक वस्तुत: काम पर ऐसे कितने व्यक्ति लगाए गए और विभिन्न "डिसोप्लिनो" में कितने रिक्त स्थान थे तथा तथ्यों का ब्योरा क्या है ;

(ग) चुने गए परन्तु काम पर न लगाए गए व्यक्तियों में विदेशों में शिक्षित खनन इन्जीनियरों की संख्या क्या है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही हो गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकारी उद्यमों में पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों का साक्षात्कार नहीं करता है।

सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों से है जो अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (या जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मन्डलों में अन्य पूर्णकालिक कार्यपालक/ कार्यकारी निदेशकों को नियुक्ति के लिए सरकार को सलाह देता हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981 के दौरान सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ निदेशक मण्डलों में निदेशकों के 95 पदें के लिए उम्मीदवारों के बारे में विचार किया और उन पर निषुक्ति के लिये 163 नामों की सिफारिश को। इन पदों का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी	54
निदेशक (वित्त)	15
निदेशक (तकनीकी)	17
निदेशक (वाणिज्य/विपणन)	4
निदेशक (कार्मिक)	5

(ख) जिन व्यक्तियों का 1981 में साक्षात्कार किया गया था तथा जो बाद में शीर्ष पदों पर नियुक्त कर दिये गये थे, उनमें से केवल उन अधिकारियों के ही अन्तर्लयन का प्रश्न उठता है, जो सरकारी सेवा से सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे मामलों में इन को यह निर्णय करने के लिये दो/ तीन वर्ष का समय दिया जाता है कि वे जिस उद्यम में तैनात हैं, उसमें स्थायी अन्तर्लयन या अपने मूल संवर्ग में लौट जाना चाहते हैं। उनके अन्तर्लयन का प्रश्न तभी उठेगा, जबकि वे इस निर्धारित अवधि में अपना विकल्प प्रस्तुत कर दें 1.1.1982 को विभिन्न क्षेत्रों में मण्डल स्तरीय पूर्णकालिक निदेशकों के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार थी 20 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 8 वित्त निदेशक, 11 तकनीकी निदेशक, 3 वाणिज्यिक/विपणन निदेशक और 6 धार्मिक निदेशक।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यम चीन मण्डल पद को कार्यसंगत अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये उम्मीदवारों को अर्हता और अनुभव के आधार पर विचार करता है। सरकार, सरकारी उद्यम चयन मण्डल की सिफारिशों पर विधिवत विचार करने के बाद इन नियुक्तियों का निर्णय करती है।

बीमार यूनिटों में फंसी हुई बैंक ऋण की राशि

4387. **श्री ए० के० राय :**
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पटना के समाचार पत्र "दि सर्चलाइट", दिनांक 22 फरवरी,

1982 में प्रकाशित "बीमार एककों में फंसे 1800 करोड़ रु० के बैंक ऋण" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्यम और लघु पैमाने के बीमार एककों के अलग-अलग तथ्यों का ब्योरा क्या है और इन बीमार एककों का राज्य-वार अलग-अलग बन्द बैंक ऋण क्या है ; और

(ग) ढील को रोकने और ऋण वसूली के लिए उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 22 फरवरी, 1982 के 'दी सर्चलाइट' में प्रकाशित "बीमार यूनिटों में फंसी हुई 180 रुपये की बैंक ऋण की राशि "शीर्षक समाचार, सरकार ने देखा है।

(ख) सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक रुग्ण मने गये और सूचित किये गये (बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के एकक)24550 एककों के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिम 1808.66 करोड़ रुपये के थे आंकड़ों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

31-12-80 के अन्त की स्थिति के मुताबिक आंकड़े

	रुग्ण सूचित किए गए एकक	बड़े रुग्ण एकक, जिनमें से प्रत्येक एक करोड़ रु० और अधिक की ऋण सीमाओं का उपभोग कर रहे थे।	छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक	छोटे पैमाने के उद्योगों से भिन्न एकक जो एक करोड़ रुपये से कम की ऋण सीमाओं का उपभोग कर रहे थे
1. एककों की सं०	4,550	409	23149	992
2. बकाया राशि	1808.66 करोड़ रुपये	1324.47 करोड़ रुपये	305.77 करोड़ रुपये	178.4 करोड़ रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक के पास केवल 409 बड़े औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में जो एक करोड़ रुपये और अधिक की ऋण सीमाओं का उपयोग कर रहे थे, आंकड़ो का राज्यवार ब्योरा तत्काल उपलब्ध है और उसे विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार की यह नीति है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं रुग्णता को रोकने और बैंक रुग्ण एककों का पुनर्वास करने के बारे में यथासंभव सभी उपाय करें। तदनुसार, और वित्तीय संस्थाएं किसी औद्योगिक एकक की रुग्णता का पता उसके प्रारंभिक स्तर पर ही लगाने का प्रयास करते हैं और रुग्णता के कारणों और एकक की सम्भाविल अर्थक्षमता का अध्ययन करते

हैं। इस नीति के अनुसरण में, अर्थक्षमता का अध्ययन करते हैं । इस नीति के अनुसरण में, अर्थ क्षम एककों के सम्बन्ध में, प्रत्येक मामले के आधार पर, बैंक पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं.

सहायता किए गये एककों से अपने अग्रिमों की वसूली के लिए बैंक सभी सम्भव प्रयास करते हैं जिसमें निरन्तर अनुवर्ती कार्यवाही करना सावधिक निरीक्षणों की आवृत्ति को बढ़ाना, व्यतिक्रमी उपक्रमों के प्रवर्तकों/मुख्य कार्यपालकों के साथ बार-बार व्यक्तिगत चर्चाएं करना आदि शामिल हैं। अर्थक्षम एककों से भिन्न रुग्ण एककों के मामले में, अपने देयों की वसूली के वास्ते बैंक, अग्रिमों की वापस वसूली, प्रतिभूतियों को लागू करने आदि का सहारा ले सकते हैं।

विवरण

दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार बड़े रुग्ण एककों का राज्यवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघशासित क्षेत्र	एककों की संख्या	बकाया राशि
1. पश्चिम बंगाल	102	324.24
2. महाराष्ट्र	85	323.25
3. कर्नाटक	20	90.30
4. गुजरात	39	106.51
5. तमिलनाडु	31	170.68
6. आंध्र प्रदेश	15	34.90
7. बिहार	12	35.67
8. हरियाणा	5	7.22
9. राजस्थान	4	24.61
10. मध्य प्रदेश	19	27.07
11. उड़ीसा	4	21.73
12. उत्तर प्रदेश	40	93.11
13. केरल	13	44.61
14. पंजाब	1	1.44
15. असम	2	2.67
16. दिल्ली	2	8.29
17. पांडिचेरी	2	4.14
18. गोवा	4	6.03
जोड़:	409	1324.47

चाय निर्यात नीति का पररीक्षण

4388श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय निर्यात नीति का पुनरीक्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं स

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों के टैरिफ में वृद्धि

4389. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले होटलों के टैरिफ में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कमरों के सम्बन्ध में कितनी वृद्धि की गई है ;

(ग) उसका आधार क्या है तो उससे कितना राजस्व प्राप्त होगा ; और

(घ) क्या इसका विदेशी पर्यटकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां । होटल रूम टैरिफ फार्मूले के आधार पर, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले होटलों की दरों (टैरिफ) में प्रस्तावित वृद्धि पर सरकार ने सहमति दी है। होटल रूम टैरिफ फार्मूला पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सभी अनुमोदित होटलों पर लागू होता है ।

(ख) वृद्धि की प्रमात्रा (क्वांटम) अनुबंध 1 के अनुसार है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—3686/82]

(ग) सरकार द्वारा चलाए जाने वाले होटलों की दरों में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जाता है :-

(1) मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों के कारण बढ़ती हुई परिचालन लागतें।

(2) सुधार करने के लिए भविष्य में पूंजी निवेश ।

(3) एक से स्तर के प्राइवेट सेक्टर के होटलों के तुलनात्मक विद्यमान टैरिफ ।

(4) प्रतिस्पर्द्धा की मात्रा ।

टैरिफ में वृद्धि किए जाने से प्रतिवर्ष 127.29 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ।

(घ) दरों में वृद्धि करने से विदेशी पर्यटकों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ने की सभावना नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के सभी तुलनीय होटलों के टैरिफ लगभग वही हैं।

दक्षिण भारत के राज्यों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम

4390. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के राज्यों के लिए एक सार्वजनिक पर्यटक कार्यक्रम बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए एक समान पर्यटक विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्यक्रम बनाने की अलग से कोई योजना नहीं है, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से निर्धारित यात्रा परिपथ राज्य के अन्तर्गत और अन्तर्राज्यीय आधार पर पर्यटक आधारिक संरचना के विकास से संबंधित एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों को संचालित कोच दौरों के द्वारा तेजी प्रदान की जाएगी। ये संचालित कोच दौरे दक्षिण भारत के राज्यों के पर्यटन विकास निगमों द्वारा पहले से ही अर्पित किए जा रहे है। ये दौरे राज्यों के अपने-अपने राज्य से बाहर के पर्यटक केन्द्रों को भी कवर करते हैं।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में, जब विदेशों से 37 मीडिया प्रतिनिधियों को अमंत्रित किया गया था, 'डेस्टिनेशन साउथ इन्डिया प्रोग्राम" भी आयोजित किया था। विदेशी मार्केटों में दक्षिण भारत का संवर्धन करने की दृष्टि से उन्हें दक्षिण भारत के चुने पर्यटन केन्द्रों के एक 10-दिवसीय परिचायक दौरे पर ले जाया गया।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए जो साहित्य प्रकाशित किया है और जिन फिल्मों का निर्माण किया है उनमें राज्य-वार और क्षेत्रीय आधार पर दक्षिण भारत के पर्यटक केन्द्रों को भी कवर किया गया है।

केरल के मलाबार क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए चुने गये नये क्षेत्र

4391. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के मलाबार क्षेत्र में कौन-कौन से नए क्षेत्रों को चालू वर्ष में विकास के लिए चुना गया है ; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और अब तक यदि कोई प्रगति प्राप्त की गई है तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) यद्यपि चालू वर्ष (1981-82) में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत केरल के मलाबार क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए नए क्षेत्रों का चयन किया गया है, तथापि राज्य सरकार के परामर्श से यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर कई केन्द्रों को कवर करते हुए एक लम्बावधि विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। स्कीमों का कार्यान्वयन केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करके एकीकृत तथा अवस्थानुसार ढंग से और पारस्परिक प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के बाद प्रारम्भ किया जाएगा। निर्धारित यात्रा परिपथ ये हैं :-

(1) त्रिवेन्द्रम/ कोवलम/वेल्ली-वर्कला- क्वीलोन-अरनमुल्ला-कोट्टायम-कुमातरकोम-थेकडी-मुन्नार-कोचीन-त्रिवेन्द्रम।

(2) कोचीन-त्रिचुर-गुरूवयूर-चेरथुरुथी-मालमपुज्हा-कोटक्कल-कोजिकोडे-सुलतान्ज बैटरी मन्ननटोडी-कान्हानोरा-एजहमलाई-कोचीन/मंगलोर।

जायफल और लौंग (क्लोव) के आयात पर प्रतिबन्ध

4392. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओ० जी० एल० के अन्तर्गत जायफल और लौंग के आयात के कारण इन वस्तुओं के मूल्य गिर गये हैं और कृषक अपनी दीर्घकालिक फसलों को कुछ अन्य बागानों में बदल रहे हैं ;

(ख) क्या केरल सरकार के अनुरोध और छोटे किसानों से अभ्यावेदनों के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) जायफल तथा लौंग की थोक कीमतों में गिरावट आई है। इन मदों की उदार आयात नीति का अभिप्राय वस्तुत: इनकी उपलब्धता में वृद्धि करना था ताकि अत्यधिक बढ़ने वाली कीमतों पर रोक लगाई जा सके। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नही है कि उन मदों की कीमतें अलाभकारी स्तर तक गिरी है।

(ख) तथा (ग) इन मदों के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया गया था लेकिन इस नीति को उपभोक्ता के हित को देखते हुए बदला नहीं गया। आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी 1982-83 की आयात नीति को तैयार करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

भारतीय कारखानों में एकत्र कोको पावडर

4393. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार के अभाव में कितने टन मानक कोको पावडर भारतीय कारखानों में बेकार पड़ा है ; और

(ख) जबकि अच्छा कोका पावडर हमारे कारखानों में बेकार पड़ा है तो उसे आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) कोको पाउडर का आयात भारतीय व्यापार निगम की मार्फत सरफीबद्ध है । राज्य व्यापार निगम ने कोई आयात नही किए हैं । पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत शायद सीमित आयात किए गए हों लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इनसे घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

नकदी प्रतिपूर्ति समर्थन योजना का जारी रखा जाना

4394. श्री भीकू राम जैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए नकदी प्रतिपूर्ति समर्थन योजना को जारी रखने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का है ; और

(ख) क्या उन विशिष्ट निर्यात आदेशों के ब्यौरे एकत्र किये गये हैं । जिनकी नकद सहायता वापस लिये जाने के कारण पूरा नहीं किया जा सकेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) नकद मुआवजा सहायता की विद्यमान योजना 31.3.82 तक वैध है । इस योजना को 31 मार्च 1982 के बाद जारी रखने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पर्यटन बोर्ड की आलोचना

4395. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 45,000 की अनुमानित लागत पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अपने प्रचार अभियान में ब्रिटिश विज्ञापन क्षेत्रों द्वारा भारतीय पर्यटन बोर्ड की आलोचना के बारे में पता है ; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के अप्रभावी विज्ञापनों को रोकने और इसकी बजाए श्रेष्ठ तथा जीवंत प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, लन्दन के विज्ञापन अभियान के सम्बन्ध में ब्रिटिश विज्ञापन

पत्रिका "दी कम्पेन" में एक ब्रिटिश द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बारे में सरकार को जानकारी है । इस ट्रेड मैगजीन का सर्कुलेशन प्रतिबन्धित है और यह जनता के लिए नहीं हैं । पर्यटन कार्यालय, लदन का विज्ञापन बजट 57,280 पौंड है ।

(ख) सरकार के ध्येयों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । ताकि ब्रिटिश मार्केट में विज्ञापन अभियान को सक्रिय रखना और परिणाम-अभिमुखी बनाना सुनिश्चित किया जा सके । वर्तमान अभियान ने व्यापक अभिरुचि उत्पन्न की हैं जैसा कि 4,000 से अधिक पोस्टल इन्क्वारियों और टेलीफोन पर तथा व्यक्तिगत रूप से की गई पूछताछों की बड़ी संख्या से अन्दाज लगता है ।

सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खाते में राशि का निकाला जाना

4396. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के खाते से अग्रिम धनराशि ऋण लेने सम्बन्धी नियम काफी समय पूर्व बनाए गए हैं,

(ख) क्या आवास की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए ऋण की राशि और लागत का अन्तर कम से कम 40 प्रतिशत रह जाता है जो सरकारी कर्मचारियों को अपने स्रोतों से देनी पड़ती हैं,

(ग) क्या सामान्य भविष्य निधि से लिया गया अग्रिम ऋण, जो किसी व्यक्ति की अपनी धनराशि है जिसे एक मकान अथवा फ्लैट खरीदने के लिए उधार लिया जाता है, वापस करना पड़ता है जिससे अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण को वापस अदा करने के लिए सरकारी कर्मचारी की क्षमता और कम हो जाती है ;

(घ) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मकान/प्लाट/फ्लैट खरीदने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के खाते से लिए गए अग्रिम ऋण की राशि निकालने के रुप में माना जाये चाहे कर्मचारी ने कितने ही वर्ष की सेवा की हो; और

(ड़) क्या इस प्रकार की कार्यवाही से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को विशेष रुप से सेवा में आने वाले उन कर्मचारियों को जिनकी कोई देयताएं नहीं है और सामान्य भविष्य निधि में बचत करने की क्षमता है सामान्य भविष्य निधि में अन्शदान के रुप मे अधिक बचाने को प्रोत्साहन मिलेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । किन्तु परिवर्तन शील अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियमों में उदारीकरण किया गया है ।

(ख) यह अन्तराल, ऋण के रुप में स्वीकार्य भवन निर्माण अग्रिम की राशि, अभिदाता को उसके भविष्य निधि खाते से स्वीकृत अग्रिम/निकासी तथा जिस मकान को सरकार कर्मचारी बनाना चाहता है उसकी लागत पर निर्भर करता है ।

(ग) सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की वापस अदायगी किश्तों में की जानी होती है। इस प्रयोजन के लिए 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् अथवा अधिवार्षिता की तारीख से पूर्व 10 वर्षों के भीतर भविष्य निधि की शेष राशि में से अन्तिम निकासियां, जिनकी वापसी अदायगी नहीं की जानी होती हैं, भी प्राप्त की जा सकती हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वापस अदा न की जाने वाली निकासियों के बारे में जो कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों तक सीमित है, विद्यमान उपबन्ध सभी संगत बातों को ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है।

(ङ) भविष्य निधि में अनेक वर्षों के अन्शदानों से ही कोई कर्मचारी मकान बनाने के लिए पर्याप्त निधियों का संचय कर सकता है। वास्तव में वर्तमान योजना इस उद्देश्य से तैयार की गयी है कि वह इस प्रयोजन के लिए अपनी सेवा के पहले वर्षों में अधिक बचत कर सके।

लाख के उत्पादन में कमी

4397. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान लाख के उत्पादन में कोई कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष वार कितनी कमी हुई है ;

(ग) उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस उद्योग को पुनजीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) गत 5 वर्षों के दौरान स्टिक लाख का अनुमानित वर्षवार उत्पादन इस प्रकार है :

वर्ष	स्टिक लाख का उत्पादन मे.टन में
1977-78	20,899
1978-79	9,119
1979-80	15,253
1980-81	20,483
1981-82(अनन्तिम)	21,465

(ग) लाख की फसल के खराब हो जाने के कारण 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान उत्पादन में गिरावट आई। तथापि, इसके बाद के वर्षों में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(घ) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किये जा रहे संवर्धनात्मक उपायों के अलावा लाख की परत चढ़े यूरिया के उत्पादन, खाद्य पदार्थों को रंगने के माल के रूप में लाख का उपयोग आदि जैसे विभिन्न अनुसन्धान तथा उत्पाद विकास कार्यकलाप आरम्भ किए गए हैं।

सरकार द्वारा किया गया अद्यतन उपाय है लाख के उत्पादन पर 8 प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को हटाना।

भारत में "एयर टैक्सी" प्रणाली :

4398. **जेवियर अराकल :क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारत में "एयर-टैक्सी" प्रणाली स्थापित करने की योजना है; और

(ख) क्या सरकार ने भारत में इस प्रकार की एयर टैक्सी प्रणाली की रोजगार क्षमता तथा विदेशी आय के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं, फिलहाल नहीं ;

(ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

भारत के लिए मिडिल ईस्ट के देशों से यातायात

4399. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 और 1981 में भारत के लिए मिडिल ईस्ट के देशों के कितना यातायात हुआ है ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिडिल ईस्ट के देशों के देशों के यात्री गरीब है और सुशिक्षित नहीं हैं, क्या सरकार का विचार बम्बई या कोचीन या किन्हीं अन्य पत्तनों के लिए विमान किराये पर लेने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (खुर्शीद आलम खान) : (क) पश्चिम एशिया के देशों से और ईरान से 1980 में आए 99,027 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की तुलना में 1981 के दौरान 105,350 पर्यटक भारत आए

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के लिए आवास की कमी

4400. **श्री जेवियर अराकल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के लिए आवास की कमी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच कि वायु सेना के समक्ष अधिकारियों के लिए आवास की भारी समस्या है और उनमें से कुछ अपने परिवारों सहित एक कमरे में रह रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रामन) : (क) जी हां। आवास के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) भारतीय वायु सेना में विवाहित कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था लगभग 56 प्रतिशत है। जिन अफसरों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें या तो किराये के आवास दिलाये गये हैं या जन्हें किराये की प्रतिपूर्ति के आधार पर किराये पर मकान लेने की अनुमति होती है।

विवरण

सेवा	हकदार अधिकारी	सरकारी आवास	कमी	कमी का
थलसेना	46,095	22,295	23, 00	52%
वायु सेना	6,775	3,782	2,993	44%
नौ सेना	2,422	1,322	1,100	45%

बिहार के लिए अलग से बैंक भर्ती बोर्ड

4401. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वित्त मन्त्रालय को प्रस्तावित किया है कि पूर्वी क्षेत्र बैंक भर्ती बोर्ड से गैर संबद्ध कर के बिहार के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी, हां

(ख) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

जीरा और इसबगोल का निर्यात

4402. श्री बिरदा राम फुलवरिया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जीरे और इसबगोल का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जिन्हें इसका निर्यात किया जाता है और सरकार को इससे कितनी आय होती है ;

(ग) सरकार द्वारा 1992-83 में जीरे और इसबगोल का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिनके माध्यम से जीरे और इसबगोल किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) जीरा संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर, सऊदी अरब, मोरक्को, फ्रांस, ब्रिटेन, बंगला देश आदि को निर्यात किया जाता है। एसबगोल संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मन संघीय गणराज्य ब्रिटेन फ्रांस, इटली आदि को निर्यात किया जाता है। 1979-80 में जीरे तथा इसबगोल से निर्यात आय क्रमश: 2121 लाख रु० तथा 914 लाख रु० हुई

(ग) तथा (घ) : इन दोनों मदों के निर्यात की मुक्त रुप से अनुमति है। ये उत्पाद विशेष स्थित प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

कर अपवंचकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

4403. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान कर अपवंचकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायालयों में आयकर अपवंचन के कितने मामले दायर किए गए और इन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ; और

(ग) आयकर अपवंचन में सम्बद्ध पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) : आयकर अपवंचकों से कारगर ढंग से निपटने के लिए, आयकर विभाग ने तीन महीनों, अर्थात नवम्बर, दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, 1982, की नवधि के दौरान 1500 तलाशियां ली और प्रथम दृष्ट्या लगभग 9,18 करोड़ रु० मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी। विभाग ने ऐसे व्यक्यिो के नाम, अपने रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य भी तेज कर दिया है जिनके पास कर लगने योग्य आय/धन है। इसी प्रकार, नवम्बर, 1981 से जनवरी 1982 के दौरान 63 मामलों में कर अपबंचन के कारण न्यायालयों में इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि न्यायालयों द्वारा इन मामलों में कब तक फैसला किए जाने की सम्भावना है।

अम्बाला छावनी मे जी० टी० रोड के समीप की श्रेणी "ग" सेना भूमि का प्रभावशाली व्यक्तियों को लीज पर दिया जाना

4404. **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी में जी० टी० रोड के समस्थित श्रेणी "ग" सेना भूमि के 14 एकड़ के एक टुकड़े को, अम्बाला छावनी बोर्ड के किसी संकल्प के बिना वर्ष

1968 में एक प्रभावशाली व्यक्ति को लीज पर दे दिया गया था ; यदि हां, तो इस सौदे का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या अम्बाला छावनी बोर्ड ने वर्ष 1978 में इस भूमि को अनधिकृत कब्जाधारी से छुड़ाने तथा उससे मुआवजा वसूल करने के सम्बन्ध में दो संकल्प पारित किए थे ; यदि हां, तो उक्त संकल्प में को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) सरकार ने उक्त कब्जाधारी से देय धनराशि की वसूली करने के लिए तथा उपरोक्त भूति छुड़ाने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की है ; और

(घ) इस अधिकृत और गैर कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) :

(क) से (घ) छावनी बोर्ड अम्बाला ने खेती के लिए 17.90 एकड़ जमीन अस्थायी रुप से पट्टे पर देने के लिए आवेदन पत्र मंगाए थे। इन आवेदनों पर 6.4.1968 को हुई बैठक में विचार किया गया और यह प्रस्ताव किया गया कि उपाध्यक्ष और बोर्ड के दो समस्य इनकी जांच करेंगे और छावनी बोर्ड के अध्यक्ष के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसे बोर्ड की ओर से जमीन पट्टे पर देने का अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव में पट्टे की शर्तें निर्धारित नहीं की गई। प्राप्त रिकोर्ड से ऐसा लगता है कि छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ने कर्नल सुजान सिंह (सेवा निवृत्त को 13.81 एकड़ जमीन पट्टे पर देने के लिए 24.5 . 1968 को एक करार किया था यह जमीन 5 साल के लिए दी गई थी। तब से पट्टे का औपचारिक तौर पर नवीकरण नहीं किया गया है।

2. बाद में पट्टे के कागजों की जांच करने पर पता चला कि इसकी एक शर्त में यह व्यवस्था थी कि इसे हर दृष्टि से स्थायी पट्टा माना जाएगा। केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कोई स्थायी पट्टा नहीं दिया जा सकता। अतः छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की कार्रवाई अनियमित थी और उसमें छावनी सम्पत्ति नियम 1925 का उल्लंघन हुआ है।

3. छावनी बोर्ड अम्बाला ने उपर्युक्त जमीन के पुनवर्गीकरण और वहां से कर्नल सुजान सिंह का कब्जा छुड़ाने के लिए 17.3.1978 और 29.8.78 को दो प्रस्ताव पास किए थे। कर्नल सुजान सिंह सम्पदा अधिकारी के सामन पेश नहीं हुए इसलिए एक तरफा कार्रवाई की गई और 29 दिसम्बर 1978 को जमीन खाली करने के आदेश पारित किए गए। पट्टेदार की अपील पर जिला जज, अम्बाला ने मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उसे सम्पदा अधिकारी के पास वापस भेजा। जमीन खाली कराने के लिए नए सिरे से शुरु की गई कार्रवाई चल रही है।

4. भूतपूर्व पट्टेदार से 31.3.1975 तक का किराया 695-50 रुपये सालाना की दर से वसूल किया जा चुका है। बाकी अवधि का किराया सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जे छुड़ाना

अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत शुरु की गई कार्रवाई जो अभी चल रही है, पूरी हो जाने पर और उसके अन्तर्गत आदेश जारी होने पर वसूल कर लिया जाएगा।

5. छावनी बोर्ड के किसी अफसर या सदस्त के विरुद्ध अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

होटलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

4405. **श्री आर० आर० भोले :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय होटल निगम के औद्योगिक सम्बन्धों के प्रबन्धक ने जिसे निगम द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की देख-रेख करने के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, अपने पत्रांक एच० ओ० एल० एस० एक दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 द्वारा भारतीय होटल निगम के चेयरमैन का ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीतियों के सम्बन्ध में सरकारी निदेशों के तथा अनुच्छेद 16 और 46 के उल्लंघन की ओर दिलाया है ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के औद्योगिक सम्बन्ध प्रबंधक ने जिसे प्रबधक वर्ग द्वारा सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था, कापोरेशन की सेवा से त्यागपत्र देने के पश्चात होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के अध्यक्ष को अपने 16 दिसम्बर, 1981 के पत्र द्वारा लिखा कि होटल कारपोरेशन आफ इन्डिया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों के आरक्षण के बारे में सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है।

(ख) होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया का प्रबंधक वर्ग उठाए गए विभिन्न मुद्दों की विस्तृत रूप से समीक्षा कर रहा है तथा इस समीक्षा के आधार पर आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जाएगी।

सिविल एकाउन्ट्स के कर्मचारियों को द्विपक्षीय समझौता बातचीत से इन्कार किया जाना

4406. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिविल एकाउन्ट्स के कर्मचारियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में द्विपक्षीय वार्ता से महानियंत्रक लेखा द्वारा इन्कार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरु करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) अप्रैल, 1977 में संघीय लेखाओं के विभागीयकरण के पूरा होने के बाद सिविल लेखा कर्मचारियों के दो अखिल भारतीय निकायों अर्थात अखिल भारतीय सिविल कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय सिविल लेखा कर्मचारी महासघ को दिसम्बर, 1979 में संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के अन्तर्गत मान्यता दी गई थी ताकि वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद में सिविल लेखा कर्मचारियों की सामान्य समस्याओं का प्रतिनिधित्व किया जा सके । तभी से उनकी मांगों पर वित्त मन्त्रालय की विभागीय परिषद, जिसमे महालेखा नियंत्रक भी सरकारी पक्ष के एक सदस्य हैं, में नियमित रूप से विचार विमर्श और विचार किया जा रहा है । परिषद में बातचीत के अलावा, दो अखिल भारतीय निकायों के प्रतिनिधि विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श के समय समय पर महालेखा नियंत्रक तथा उनके अधिकारियों से भी मिले हैं । इन अखिल भारतीय निकायों को औपचारिक मान्यता देने से पहले भी सिविल लेखा कर्मचारियों के प्रतिनिधि सिविल लेखा कर्मचारियों की समस्याओं की प्रस्तुत करने के लिए महालेखा नियंत्रक और उनके संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते रहे थे । इसलिए लेखाओं के विभागीयकरण के प्रारम्भ से ही सिविल लेखा कर्मचारियों को द्विपक्षीय समझौते की सुविधाओं से कभी भी वंचित नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अखबारी कागज की कमी

4407. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकारी अखबारी कागज के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि करने पर चिन्तित है ;

(ग) 1979 से 1981 की अवधि के दौरान अखबारी कागज के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए अखबारी कागज की मांग का अनुमान 3.60 लाख मी० टन है । ऐसी आशा है कि 1981-82 के दौरान अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन लगभग 55,000 मी० टन रहेगा । बाकी मात्रा के सम्बन्ध में आयात की व्यवस्था भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से की गई है । कुल मिलाकार अखबारी कागज की कोई कमी नहीं है ।

(ख) आयातित अखबारी कागज की रिलीज कीमत में वृद्धि अखबारी कागज की अन्त-

र्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि तथा भारतीय रुपयों के रूप में डालर मूल्य में वृद्धि की वजह से है। घरेलू अखबारी कागज की बिक्री कीमतों में यह वृद्धि उत्पादन के विभिन्न अन्तर्निविष्टों की लागत में वृद्धि को प्रतिसन्तुलित करने के लिए करनी पड़ी।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आयातित अखबारी कागज की रिलीज कीमतें

वर्ष	तिमाही	एच० एस० एस० कीमत रुपये	बफर स्टाक कीमत रुपये
1979	जून/मार्च	3470	3720
	अप्रैल/जून	3620	3880
	जुलाई/सितम्बर	3920	4180
	अक्तूबर/दिसम्बर	4060	4300
	औसत अनुमान	3770	4020
1980	जनवरी/मार्च	4170	4410
	अप्रैल/जून	4270	4510
	जुलाई/सितम्बर	4465	4515
	अक्तूबर/दिसम्बर	4465	4515
	औसत अनुमान	4345	4480
1981	जनवरी/मार्च	4560	4610
	अप्रैल/जून	4945	4995
	जुलाई/सितम्बर	5425	6475
	अक्तूबर/दिसम्बर	5810	5860
	औसत अनुमान	5185	5235

(घ) नेपा अखबारी कागज की बिक्री कीमत

21.4.1979	3200
17.3.1980	3082
1.7.1981	700

लोर ड्रिंक ग्रुप आफ कम्पनीज के लिये जारी किये गये आयात लाइसेंस

4408. **श्री राघनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री जगपाल सिंह कश्यप : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970 के प्रारम्भ में प्यारे ड्रिंक आफ कम्पनीज को, जिन देशों के साथ रुपये में लेन देन होता है, चार आयात लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों को ये लाइसेंस जारी किये गये थे और ये मशीनें कहां लगाई गई थीं और प्रत्येक लाइसेंस का मूल्य क्या है ; और

(ग) वास्तव में ये मशीनें कब और कहां पर लागाई गई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि यह जानकारी बोतल भरने की मशीनों के आयात के सम्बन्ध में मांगी गई है । 1970 तथा 1971 के दौरान मै० पंजाब बीवरेजेज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली, मै० सदर्न बाटलर्स (प्रा०) लि० नई दिल्ली तथा मै० प्योर ड्रिंक्स (बम्बई) प्रा० लि० बम्बई को रुपया भुगतान आधार पर इन मशीनों के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी किये गये थे । इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं । बम्बई स्थित यूनिट के लिए अभिप्रेत मशीन के आयात तथा उसके लगाये जाने वाले वर्ष के बारे में जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी ।

विवरण

रुपया भुगतान के आधार पर बोतल भरने की मशीनों के आयात के लिए जारी किये आयात लाइसेंसों के ब्यौरे ।

क्र० सं०	यूनिट का नाम	स्थान	आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक तथा मूल्य	आयात का वर्ष	क्या लगाई जा चुकी है ।
1.	मै० प्योर ड्रिंक्स (बम्बई) प्रा० लि०	बम्बई	पी/सी.जी./2061685 दिनांक 20-7.1970 5,86,883 रु०	—	—
2.	मै० सदर्न बाटलर्स (प्रा०) लि०	मद्रास	पी/सी.जी./2062392 दिनांक 14,7.1981 6.83,710 रु०	1971-72	यह मशीन कहीं भी काम नहीं कर रही है क्योंकि परीक्षण के तौर पर चलाने के दौरान यह खराब पाई गई इसे खोल दिया गया है ।

1	2	3	4	5	6
					और जिस कम्पनी के पास इसे मरम्मत के लिए भेजा गया था, वहां वह उसी हालत में पड़ी हुई है
3.	मै० पंजाब वीवरेजेज चंडीगढ़	पी/सी.जी/2061319	1970-71		हां
	लि०		दिनांक 14.1-1970		
			5;86,883 रु०		

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के लिये अमरीका की सिंचाई एजेन्सी द्वारा ऋण की स्वीकृत

4409. **श्री दौलत राम सारण** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंन्सी (यू० एस० ए० आई० डी०) ने राजस्थान में मध्यम दर्जे की 19 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 350 लाख डालर के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी है, इनसे कितने एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी, प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी लागत आएगी तथा इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ख) उक्त ऋण पर वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर क्या होगी तथा भुगतान की अवधि और ढंग क्या होगा ;

(ग) क्या उक्त ऋण की मंजूरी देने के अतिरिक्त इस एजेन्सी ने इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देने हेतु 5 लाख डालर का अनुदान देने की घोषणा की है ; और

(घ) उपरोक्त ऋण और अनुदान से संबंधित शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राजस्थान मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 30 जून, 1980 और 15 दिसम्बर, 1980 को कुल 3.5 करोड़ डालर की राशि के दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सहायता से वित्तपोषित की जाने वाली उप-परियोजनाओं की संख्या मूलरूप में 19 थी लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा इसे अस्थाई रूप से घटकर अब इसे 15 कर दिया गया है। इन पन्द्रह परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस ऋण पर पहले दस वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। मूलधन की वापसी अदायगी 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 40 वर्षों में डालरों में की जाएगी।

(ग) जी, हां। वह अनुदान, जिनके लिए अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 21 अगस्त, 1980 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे इन्जीनियरों के प्रशिक्षण तथा कुछ विशेष अध्ययनों के लिए है।

(घ) ऋण की शर्तें भाग (ख) के उत्तर में दी गई हैं। इस अनुदान की वापसी अदायगी नहीं की जाएगी और यह ब्याज से मुक्त है।

विवरण

परियोजना का नाम	खेती योग्य कमान क्षेत्र हेक्टेयरों में	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपए)	समय, जिसमें परियोजना पूरी हो जाने की संभावना है।
नई परियोजनाएं			
1. वस्सी	4,452	7,6	काम शुरू होने की ता० से 5 वर्ष के अन्दर
2. चप्पी	9,449	16.1	
3. विलास	3,269	5,7	
4. सावन भादों	6,962	11,9	
5. गोसुन्दा	10,000	17,0	
	34,232	58,3	
चालू परियोजनाएं			
6. कोठारी	5,123	8,7	जून, 1985
7. भीमसागर	9,986	14,2	
8. पंचाना	9,985	15,5	
9. हरीश्चन्द्र सागर (मोड़)	17,762	10,7	
10. सोम कमला अम्बा	13,870	18,0	
11. सोम कडगर	6.507	10,3	
	63,233	77.4	

1	2	3	4	5
आधुनिकीकरण परियोजनाएं				
12. मेजा और मेजा फीडर नहर		20,722	22,6	काम शुरू होने की तारीख से 7 वर्षों के अन्दर
13. मोरल		22,400	9,0	
14. गुधा		10,730	4,3	
15. जयसमंद		22,680	9,1	
		76,532	45,0	
	कुल जोड़	1,73,997	180,7	

सरकार द्वारा विभिन्न देशों से प्राप्त भुगतान किये जाने वाले ऋण की शेष राशि

4410 **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों से, विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए, भुगतान करने हेतु बाकी कार्यों की कुल शेष राशि कितनी है;

(ख) 1950 से दिसम्बर, 1981 के अन्त तक सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की कुल राशि कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा अभी ऋणों पर भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि कितनी शेष है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों, विश्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वापसी अदायगी योग्य ऋणों की कुल शेष राशि 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार 14960.49 करोड़ रुपए थी।

(ख) सरकारी खाते के ऋणों पर 1961-62 से 31 दिसम्बर, 1981 तक सरकार द्वारा अदा किए गए ब्याज की कुल रकम 3316.21 करोड़ रुपए बैठती है। सरकारी खाते के संबंध में, 1961-62 से पहले की गई ब्याज की अदायगी की सूचना, अलग से उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1951-52 से 1960-61 तक के दौरान ब्याज के रूप में कुल 77.5 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई।

(ग) चूंकि ब्याज समय-समय पर बकाया ऋण पर देय होता है और हमेषा ऋण करारों के उपबन्धों के अनुसार देय तारीखों पर अदा किया जाता है इसलिए ब्याज की ऐसी कोई देय रकम बकाया नहीं है।

होटल मेरिडियन का निर्माण

4411. डा० ए० यू० आजमी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल-मेरिडियन के निर्माण के सम्बन्ध में किसी विदेशी सहयोग अथवा बाहरी देश से ऋण लेने का कोई प्रावधान नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कैसे हुआ कि फ्रांस की एक वित्तीय-संस्था को इस होटल के साथ सम्बद्ध किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड को उनकी होटल परियोजना, जो नई दिल्ली में निर्माणधीन है, के लिए मैसर्स सोसाइटी डेस होटल्स, मेरिडियन, पेरिस के साथ विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है । होटल परियोजना पर खर्च के एक हिस्से के रूप में क्रेडिट ग्लोन्नस सेविदेशी ऋण के लिए उन्हें अलग से अनुमोदन दिया गया है ।

मंत्रालयों/विभागों में अनुभागों का निरीक्षण

4412. श्री हरीश कुमार गंगवार : रक्षा क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एस० टी० एम० द्वारा जारी किए गए कार्यालय कार्य विधि सम्बन्धी टिप्पणों में निरीक्षण के महत्व पर बल दिया गया है और क्या उसमें निरीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों में पालन किया जा रहा है और क्या उनके मन्त्रालयों के सभी अनुभागों का 1981 के दौरान निरीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अन्य बातों में इसे सुनिश्चित करने लिए अनुभागों के निरीक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों को लागू करने के लिए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कि बिना विलम्ब के जारी किए गए सरकारी आदेशों का सभी के द्वारा कार्यान्वयन किया जाए और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लम्बित पड़े कार्य के मामलों की संख्या न्यूनतम रह जाए ; और

(घ) क्या इस बारे में प्राप्त उपलब्धियों सम्बन्धी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) महोदय, कार्यालय कार्यविधि में दी गई टिप्पणियां केवल प्रशिक्षकों की सहायता के लिए हैं और वे सरकारी संघर्ष के स्रोत नहीं हैं तथापि कार्यालय कार्यविधि पुस्तिका में अनुभागों का निरीक्षण करने के बारे में विस्तार से कार्यविधि दी गई है । कार्यालय कार्यविधि पुस्तिका निरीक्षण के बारे में दिए गए अनुदेय का पालन किया जा रहा है । मन्त्रालय के 79 अनुभागों में से 1981 के दौरान 64 अनुभागों का निरीक्षण किया गया था ।

(ख) बाकी बचे अनुभागों का निरीक्षण सम्बन्धित अफसरों के पहले से ही जरूरी कार्यों में व्यक्त होने के कारण नहीं किया जा सका।

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों को इन निरक्षणों को तत्तकाल करने के लिए अलग-अलग अनुभारक दिए गए हैं। विभाग के सम्बन्धित अफसरों को सलाह दी गई है कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा रुके पड़े निरीक्षणों के तत्काल पूरा किया जाये।

(घ) इस सम्बन्ध में प्राप्त की गई कुछ उपलब्धियों की रिपोर्ट विवरण रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

विवरण

(1) 1981 के दौरान दो बार बकाया काम निपटाओ अभियान चलाए गए और इन अभियानों के फलस्वरूप 86 प्रतिशत और 86.8 प्रतिशत रुकी पड़ी आपत्तियां क्रमश: पहले और दूसरे अभियान में निपटाई गई।

(2) 79 अनुभागों का नियन्त्रण का नियमित रुप से निरीक्षण किए जाने के अलावा ओ० एण्ड० एम० यूनिट द्वारा अनेक अनुभागों का अचानक निरीक्षण किया गया।

(3) मन्त्रालय के सभी प्रभाग अध्यक्षों ने भी अपने स्टाफ की हाजिरी के लिए अचानक निरीक्षण किए और इन निरीक्षणों के आधार पर मासिक रिपोर्ट संकलित की गई और उसे अपर/सचिव को प्रस्तुत किया गया।

(4) आदतन देर से आने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए कड़े अनुदेश जारी किए गए हैं।

(5) एक माह से अधिक समय से रुके पड़े मामलों का भी संकलन किया जाता है और अपर सचिव द्वारा हर महीने समीक्षा की जाती है।

पशुओं के चारे में निर्यात

4413. श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981-82 में पशुओं के मिश्रित चारे की 50,000 टन मात्रा के निर्यात का तथा आगे वर्ष 5982-83 में 4 लाख टन मात्रा के निर्यात का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इससे भारतीय बाजार में चारे के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो पहले ही बहुत बढ़े हुए हैं तथा दूध आदि के मूल्य को देखते हुए डेयरी मालिक इतना अधिक मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मिश्रित

पशु तथा कुक्कुत चारे के निर्यात की अनुमति सीमित मात्रा में दी जाती है। 1681-82 में निर्यात के लिए हाल ही में 50.000 मे० टन का कोटा रिलीज किया गया है। 1982-83 में इस मद के सम्बन्ध में निर्यात लक्ष्य 4 लाख मे० टन का है। कोटा घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

सरकारी डिब्बों का निर्यात

4414. **श्री राम अवध** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को रेल के कितने-कितने सवारी डिब्बों माल डिब्बो का निर्यात किया गया ; और

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) ; (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्योरे निम्नलिखित हैं :

लाख रु० में

वर्ष	सवारी डिब्बे			माल डिब्बे		
	मात्रा	देश	मूल्य	मात्रा	देश	मूल्य
1978-79	30	फिलिपाइन्स	362.65	32	उगांडा	73.29
	20	उगाँडा	252.24	14	श्री लंका	36.48
			614.90	66	बंगलादेश	97.47
						207.24
1979-80	50	वियतनाम	500.00	75	उगांडा	183.06
	8	श्री लंका	43.33	16	श्री लंका	41.69
	4	नेपाल	5.33	515	वियतनाम	1091.15
			553.66			1315.90

1	2	3	4	5	6
1980-81	श्री लंका	161.50	143	उगांडा	314.77
			392	वियतनाम	818.20
			135	बंगलादेश	249.86
			20	सीरिया	0.81
		161.50		-	1393.64
	महायोग	1 [illegible]0.06			29[illegible]6.78

अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 4236.84 रु० है ।

सरकारी कार्यों के लिए आयातित कार का प्रयोग करने वाले मन्त्रालयों विभागों क नाम

4415. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यों के लिए आयातित कार का प्रयोग करने वाले केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन मन्त्रालयों द्वारा स्वदेशी कार के स्थान पर आयातित कार प्रयोग करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना मन्त्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध न करने वाले संस्थान

4416. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कृषि क्षेत्र को कौन-कौन से संस्थान ऋण उपलब्ध करते हैं ;

(ख) गत वर्षों के दौरान कृषि वित्त पोषण, के क्षेत्र में इन संस्थानों के योगदान की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या सरकार लघु किसान विकास एजेंसी और फार्मर्स सर्विस सोसाइटी जैसी एजेंसियों के कार्यकरण से संतुष्ट है ; और

(घ) यदि नहीं, तो लघु और सीमान्त किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने

के वास्ते तीन संस्थागत अभिकरण हैं अर्थात् (1) सहकारी बैंक (2) वाणिज्यिक बैंक और (3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान इन सभी अभिकरणों द्वारा जारी किए गये समग्र ऋणों का (सबसे हाल का उपलब्ध) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

ऋण संस्थाएं	असावधिक ऋण		सावधिक ऋण	
	राशि	जारी किए गए कुल ऋणों का प्रतिशत	राशि	जारी किये गए कुल ऋणों का प्रतिशत
1. सहकारी बैंक	1218	70.3	526	45.5
2. वाणिज्यिक बैंक	470	27.2	575	49.7
3. क्षे० ग्रमीण बैंक	44	2.5	56	4.8
	1732	100.0	1157	100.0

(ग) और (घ) लघु कृषक विकास अभिकरण ना कार्य, पहले ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन स्थापित किए गये जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में, शामिल किया जा चुका है । वर्ष 190-81 के दौरान सरन्वित ग्रमीण विकास कार्यक्रम के वास्ते, 1979-80 के 148 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 200 करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण जूटाया गया ।कृषक सेवा समिति के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक मार्गदर्शी अध्ययन (पाइलट स्टडी) किया गया था और उसने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अध्ययन प्रतिवेदन में बतायी गयी कमियों को दूर करने के वास्ते उपाय करें ।

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा भंडारण गोदाम बनाया जाना

4417. **श्री सरज भान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा देश में, राज्य वार, कितने भंडारण गोदाम बनाये गये हैं ;

(ख) लाभार्थियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनका निर्धारित देय हिस्सा दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फरवरी, 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा स्वीकृत भंडारण गोदामों की संख्या 2389 थी जिसमें बैंकों की पुनर्वित्त की 71 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त थी ऐसे गोदामों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं०	राज्य	28-2-82 की स्थिति के मुताबिक स्वीकृत गोदामों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	168
2.	असम	40
3.	बिहार	55
4.	गुजरात	68
5.	हरियाणा	244
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	84
9.	केरल	6
10.	मध्य प्रदेश	122
11.	महाराष्ट्र	135
12.	नागालैंड	3
13.	उड़ीसा	7
14.	पंजाब	285
15.	राजस्थान	161
16.	तमिलनाडु	27
17.	त्रिपुरा	1
18.	उत्तर प्रदेश	369
19.	पश्चिम बंगाल	84
	जोड़ :	2389

(ख),से (घ) कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम, भंडारण गोदामों से सम्बन्धित स्कीमों के सम्बन्ध में बैंकों को केवल पुनर्वित प्रदान करता है और लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के वास्तविक चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

राज्यों में आयकर छापे

4418. श्री चिन्तामणि जैना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सभी व्यक्तियों का ब्योरा क्या है जिनके खिलाफ आरम्भ में चल और अचल सम्पत्ति के ब्यौरों के सम्बंध में आरोप लगाये गए थे और बिहार राज्य में जिला वार उनकी वर्तमान चल तथा अचल सम्पत्ति का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : सम्बन्धित आयकर आयुक्त ने बताया गया है कि उन्हें 68 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप प्राप्त हुए थे। सभी मामलों में जांच चल रही हैं। इससे अधिक ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते क्योंकि ऐसा करने से जाँच की प्रगति में रुकावट आ सकती है।

दिनांक 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8539 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसौदिया) : लोक सभा में 24 अप्रैल, 1981 की अतारांकित प्रश्न संख्या 8539 के लिखित उत्तर में, प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के पैरा (3) में यह कहा गया था कि जिस व्यक्ति अप्रेन्टिस के रुप में कम से कम तीन महीने तक काम किया हो और जो स्वर्ण नियन्त्रण अथवा तस्करी के अपराध में दोषी सिद्ध होने अथवा दण्डित होने के कारण अयोग्य नहीं हुआ हो, वह व्यक्ति स्वर्णकार-प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। उसमें अनजाने से अप्रेन्टिसशिप की अवधि एक वर्ष के बजाय तीन महीने बताये जाने की एक छोटी सी भूल हो गई थी।

इन परिस्थितियों में, मेरा सदन से यह निवेदन है कि उक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के पैरा (3) में भूल सुधार करके उसे निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए :-

"स्वर्णकारों के प्रमाण-पत्र, केवल स्वर्णकारों के परिवार के सदस्यों को ही देने सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वर्णकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है, जिसके पास एक स्वर्णकार बनने की आवश्यक दक्षता हो और जिसने अप्रेंटिन्टस के रुप में किसी प्रमाणित स्वर्णकार के पास कम से कम एक वर्ष कार्यकिया हो और जो स्वर्ण नियन्त्रण अथवा तस्करी के अपराध में दोषी सिद्ध होने अथवा दण्डित होने के कारण अयोग्य नही हुआ हो।"

यह भूल अभी हाल ही में ध्यान में आई जब स्वर्ण-नियन्त्रण (प्रमाण पत्र प्रदान करना) नियम, 1970 की समीक्षा की जा रही थी। इसलिए उत्तर में भूल करने में यह विलम्ब हुआ जिसके लिए खेद है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आज आपने हमें बड़ी शान्ति के साथ सुना, क्योंकि

हमारी बात के आधार बहुत सुदृढ़ थे प्रथम मुझे संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने दें। हम बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संवैधानिक संकट क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी अनुमति लेनी होगी।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं। परन्तु आजकल अपनी ओर आपके ध्यान को आकर्षित करना बहुत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मेरे ध्यान को आकर्षित करने वाले लोग काफी अधिक हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं इस पर एक निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा।

प्रो० के० के तिवारी (बक्सर) : महोदय. मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। परिवर्तन के लिए हम इस ओर से आरम्भ करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : स्थगन प्रस्ताव को सदैव ही प्राथमिकता मिलती है क्या इनका कोई स्थगन प्रस्ताव हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है।

प्रो० मधु दंडवते : उसके सम्बन्ध में हम एक निवेदन करना चाहते हैं। परन्तु मुझे प्रो० कि बात मानने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं व्यवस्था के एक प्रश्न पर निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मेरा प्रश्न बहुत छोटा है। कल सभा में क्या हुआ था जब आधा गुण्डे.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसे हमने कल ही समाप्त कर दिया था।

प्रो० के० के० तिवारी अब समपूर्ण सभा, सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण विश्व...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल निर्णय हो गया था। इसको कल हमने ,निवटा दिया था।

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक राजनैतिक दल द्वारा आयोजित किया गया था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसको कल निबटा दिया गया था उस पर और अधिक चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल चर्चा हो चुकी है ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं कर सका । यह बहुत गम्भीर मामला है । सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी होगी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि कल एक प्रस्ताव था ।

प्रो० के० के० तिवारी : अब यह सम्पूर्ण देश के सामने स्पष्ट है । पूरा विश्व जानता है कि जनता पार्टी ने इसे आयोजित किया था आर० एस० एस० के स्वयं सेवकों को सभा में लाया गया था और उन्होंने यह सब किया था । अतः मैं इस पर माननीय गृह मन्त्री से एक वक्तव्य की मांग करता हूं क्योंकि इसमें संसद की गरिमा सम्मिलित है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मन्त्री को कोई भी काम करने के लिए नहीं कह सकता हूं । मैं कोई भी अनुदेश जारी नहीं करता हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी यह बहुत खतरनाक चीज है

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप सभा में व्यवस्था कायम क्यों नहीं कर सकते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है । मैं गृह मन्त्री को कुछ करने के लिए नहीं कह सकता हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी : भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) सभ्यवादी पार्टी (भारतीय), सभी मिल गए हैं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब आपको अनुमति नहीं देता हूं । मैंने प्रो० दंडवते को अनुमति दी है ।

प्रो० के० के० तिवारी*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी और को अनुमति नहीं देता हूं । मैंने प्रो० दंडवते को अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं किसी की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे वही बात कर रहे हैं । प्रो० दंडवते ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं कल के मामले का उल्लेख नहीं कर रहा हूं मैं आपको केवल एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं । आप इस सभा के सदस्यों के अभिभावक हैं, आपको संविधान की रक्षा करनी है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि असम में एक गम्भीर संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है जिसमें हम सभी प्रभावित हैं···**(व्यवधान)**- श्री तिवारी, मैंने आपको बहुत धैर्य के साथ सुनूगा । वैसा ही धैर्य धारण करें । और फिर भी यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कहिए···**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मैंन किसी को कुछ कहने की अनुमति नही दी है भविष्य के लिए भी यही स्थायी आदेश हैं जब तक मैं किसी सदस्य को प्राधिकृत न करूं और उसे अनुमति दू तक वह बोल नहीं सकता हैं यदि वह अन्यथा बोलता है, तो वह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाए मैंने प्रो० दंडवते को अनुमति दी है ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय मेरा वक्तव्य को कार्यवाही में सम्मिलित क्यों नहीं किया जायगा ? ···**(व्यवधान)** वह कौन सी बात है जो रिकार्ड नहीं की गयी ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने मेरी अनुमति के बिना बोला है वह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यह केवल आपके लिए नहीं है । यह इस सभा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होता है । मेरी अनुमति लिए बिना जो कुछ कहा जाएगा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं आपकी अनुमति के बिना बोला था ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप मेरी अनुमति से बोले थे, वह सब कार्यवाही में सम्मिलिय किया गया है । परन्तु जब आप मेरी अनुमति के बिना बोले थे तो वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया । **(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : (पोन्नानी) : प्रो० मधु दंडवते प्रो० तिवारी के बोलने का का अवसर देने के लिए बैठ गए । अतः प्रो० तिवारी ने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनको बोलने का अवसर देने के लिए बैठ गया था इसलिए उनका कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी थी ।

प्रो एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, में इस मामले के सम्बन्ध में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं मेरे माननीय मित्र ने एक विचार व्यक्त किया है और श्री दंडवते ने इसे मान लिया है जो विचार उन्होंने व्यक्त किया है वह पूरी तरह से संगत है । उन्होंने यहाँ पर विपक्ष के नेताओं में एक से अपील की थी यदि विपक्ष के प्रमुख नेता द्वारा इसे स्वीकार न किया गया ...(व्यवधान) उन्होंने उनसे एक अपील की थी । (व्यवधान) परिणाम चाहे जो भी हो वह अपील कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की ही जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अपील करना चाहते थे तो मेरी अनुमति से भी कर सकते थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनसे सहमत हूं मेरा अनुरोध है कि उनकी अपील कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जाए और उस पर मेरी प्रतिक्रिया, जो मैंने कल व्यक्त की थी, को भी पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि असम में एक बहुत गम्भीर संवैधानिक संकट उठ खडा हुआ है । महोदय, यह स्थिति से भी एक कदम आगे है । वहां पर 126 सदस्यों की विधान सभा है, उसमें 8 स्थान खाली है, प्रभावी संख्या 118 है । सरकार ने ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है गोगोई मंत्रालय ने त्याग पत्र दे दिया है और आज के समाचार पत्रों से यह पता लगता है कि केन्द्रीय मंत्री मन्डल ने राज्य विधान सभा को भंग करने और राष्ट्रपति शासस लागू करने का निर्णय पहले ही ले लिया । (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दें । इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होने दें ।

पहले ही ये शिफारिसें की जा चुकी है कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यवाही की संवैधानिक प्रभाव क्या होंगे ।

इसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी । महोदय, विदेशी नागरिकों के मसले के कारण बहुत से लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सहन में प्रतिनिधि नहीं किया जा रहा है । विधान सभा भंग कर

दिए जाने के बाद नागरिकों का असम विधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा (व्यवधान) विधानसभा भंग होने पर राज्य सभा में भी प्रतिनिधित्व नहीं रहता । और लोकतन्त्र के इस शासन में केन्द्र और राज्य में असम की जनता के लोकप्रिय प्रतिनिधि लोक सभा, राज्य सभा अथवा विधानसभा में नहीं पहुंच पायेंगे (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्यर) : महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कहा है कि कुछ के निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर शेष बहुत से निर्वाचन क्षेत्र··· (व्यवधान) मैं श्री सन्तोष मोहन देव का आदर करता हूं । वे वहां एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं परन्तु हम केवल गुणकता पर आधारित प्रतिनिधित्व ही नहीं चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि वहां प्रतिनिधियों की सख्या अधिक हो ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मत्रालय की मांगों और उद्घोषणा के समय हम इस पर विचार करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : हम इसलिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय मंत्रीमंडल पहले ही इसकी सिफारिश कर चुका है । इसलिए यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और हम इस संकट को टालने के लिए संसद के दबाव का इस्तेमाल करना चाहत हैं । केन्द्रीय मन्त्रीमडल के निर्णय की घोषणा की जा चुकी है । यह किसी राजनैतिक पार्टी का एक विधिवत निर्णय है । यह निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय है । यह निर्णय प्रेस के लिए भेजा जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है ।

प्रो० मधु दडवते : महोदय, यदि आप समय रहत अपना दबाव नहीं डालेंगे और अपनी बात नहीं कहोगे तो असम का सवैधानिक संकट और भी जटिल हो जायेगा । अत: मैं असम के मामले में संविधान को ताक पर रखे जाने का विरोध करता हूं और इसलिए मैंन स्थगन प्रस्ताव पेश किया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इस बारे में कोई स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मन्त्रिसंडल ने (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं

(व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे अपनी बात कहने दीजिए । संविधान में क्या व्यवस्था की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, इसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रीपति हैं ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : राज्यपाल निर्णय नहीं ले सकता । राज्यपाल को पहले यह यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या कोई पार्टी ।

अध्यक्ष महोदय : आपको समय दिया जायेगा । श्री राम विलास पासवान ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यदि सदस्य के बोलने से पूर्व ही आप उन्हें कह दें कि कोई नया मामला चर्चा के लिए नहीं लिया जायेगा तो कोई सदस्य कैसे बोल सकता है । यह आपत्तिजनक है । इस प्रकार तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा (व्यवधान) जब आप उन्हें अनुमति देते हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : यह एक गम्भीर संकट है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री समर मुखर्जी : यह बात अत्यन्त आपत्तिजनक है । आपका रवैया आपत्तिजनक है । आपको घटनाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : मैं इस रवैये पर आपत्ति करता हूं । संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहस का विषय नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : मैं बहस नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा । मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : इसकी अनुमति दी जानी चाहिए । यह हमारा निवेदन है । (व्यवधान) हम यहां किस लिये हैं, यदि आप हमारी बात ही नहीं सुनते ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई नई बात नही है । मैं राम विलास पासवान को बोलने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई नई बात नहीं हैं । मैंने इसे रद्द कर दिया हैं ।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय आप किसी गवर्नर की भांति व्यवहार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह मेरा कार्य है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप ऐसा केसे कर सकते है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समर मुखर्जी : आप एक बार इसकी अनुमति दे चुके हैं, आप कृपया सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : तत्सम्बन्धी नियम यह है। इसे पढ़कर आइए।

श्री समर मुखर्जी : यदि आप अनुमति दें तब ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। हां, श्री राम विलास पासवान। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० श्री सत्यसाधन चक्र.र्ती : महोदय, यह संवैधानिक संकट का एक गम्भीर मामला है···

अध्यक्ष महोदय : चक्रवर्ती जी मैंने आपके विचार सुन कर ही यह कहा है···

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था। अन्यथा आप दिखाइए कि व्याकरण की दृष्टि से मेरा वाक्य पूरा है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रोफेसर हैं मैं एक साधारण ग्रामीण हूं। मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता इतना में स्वीकार करता हूं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, कृपया आप मुझे अपना वाक्य और निवेदन तो पूरा करने दीजिए। मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, तो आइए हम अच्छे मित्र बन कर सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहद देव : (सिल्चर) यदि आप उन्हें अनुमति देते हैं तो आपको चाहिए कि मुझे भी अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम आएगा तो आप से भी बात कर लेंगे अभी आप बैठिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय आपका विषय भी राजनीति शास्त्र था। आप जानते हैं कि हमारा संसदीय लोक तन्त्र पश्चिमी पद्धति पर आधारित है। सुस्थापित परम्परा यह है कि यदि कोई मन्त्रीमन्डल अपना बहुमत खो बैठता है तो संवैधानिक प्रमुख का यह कर्त्तव्य हो जाता कि वह सुनिश्चित करे कि क्या किसी दल (वर्ग) का बहुमत है। यह सिफारिश नहीं कर सकता। मैं इंगलैंड से संबंधित उदाहरण दे सकता हूं आप इसके विषय में जानते हैं। 66 सदस्य हमारा समर्थन कर रहे हैं और उनका बहुमत है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहस का विषय नहीं है समय आने पर आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं हमारे पास पर्याप्त समय होगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, जहां मैं दंडवते जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं वहां यह भी कहता हूं कि इन्होंने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उस पर मैंने भी दिया है। सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह गलत हैं फोर्नर्स आज भी वहां पर है और वहाँ पर फ़ोर्नर्स के इशु पर आप डलेक्शन नहीं करवाने जा रहे हैं और न निकट भविष्य में आपके करवाने की सम्भावना हैं।

अध्यक्ष जी मैंने एक प्रिवलेज का प्रस्ताव दिया है। आज के टाइम्स आफ इन्डिया को मैंने देखा मेंने जो ए० आई० आई० एम० एस० के डाक्टरों के खिलाफ एलीगेंशस लगाये थे उनको डा० टण्डन एग्जिस्टिम डाइरेक्टर ने सपोर्ट किया है। इसलिए मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है कि यह एक मेम्बर के हकों का···

अध्यक्ष महोदय : राम विलासजी मैंने उसे रेफर कर दिया है (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैंने जो एलीगेंशस लगाये थे, हेल्थ मिनिस्टर ने उनको बेसलेस बताया है। उन्होंने कैसे यह कह दिया जबकि डाइरेक्टर मेरे एलीगेंशस को सही बताते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे एलीगेंशस पूरे सही है। स्वास्थ्य मन्त्री फिर यह कह कैसे कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने रेफर कर दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : (दुर्गापुर) महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। असम में प्रभावी संख्या 118 है। अब विपक्षी सदस्यों की संख्या 66 हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई राज्यसभा और विधानसभा भंग करने की शिफारिश कर सकता हूं क्या राज्यपाल उस सिफारिश को स्वीकार कर सकती है क्या केन्द्र सरकार भी उसे स्वीकार कर सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वीकार नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यह गैर संवैधानिक है। शत प्रतिशत गैर संवैधानिक।

श्री निरेन घोष (दमदम) :महोदय असम मन्त्रीमंडल इस धारणा के अन्तर्गत बनाया गया था कि बाद में दल के सदस्यों के समर्थन के बारे में राज्यपाल को संतुष्ठ करना होगा यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या इस सरकार को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं इसे विधानसभा का सामनाकरना पड़ा और इन्होंने स्वयं ही त्याग पत्र दे दिया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा की जायेगी।

श्री निरेन घोष : जब विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में होता है राज्यपाल विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर देता है। यह संसदीय लोकतन्त्र को विड़म्बना है। एक वर्ष से अधिक समय तक असम में चुनाव नहीं होंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री के० टी० कौशलराम (तिरुचेंडुर) : कमजोर वर्ग के लोगों को हत्यांए की जा रही हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है ··· (व्यवधान) एक समाचार छपा है "कन्याकुमारी में हजारों लोग बेघर"

"नागरकॉयल, 18 मार्च सशस्त्र लोगों ने कन्याकुमारी जिले में कई तटवर्ती गाँवों पर हमला किया···"

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कही से पढ़ रहे हैं ?

श्री के० टी० कौशलराम : मैंने इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए है विधान सभा का सत्र चल रहा है और नयायिक जांच के आदेश दे दिए हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नही दी है, मैंने श्री कौसलराम को अनुमति दी है । मैं उनकी बात सुन चुका हूं ।

श्री कौशलराम : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । प्रतिदिन हजारों व्यक्ति कन्याकुमारी आन्दोलन का शिकार हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये ।

***(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है । बस इतना काफी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप लगातार अध्यक्ष के आदेशों की अवज्ञा क्यों कर रहे हैं इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य विधान सभा का सत्र चल रहा है । इस मसले पर सदन में विचार किया जा चुका है ।

घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं । कुछ मामलों में मैं असहाय हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आपकी हरकतों से मैं नियमों से नहीं हट सकता । मैं आपके लिए नियमों से नहीं हट सकता । न ही मैं विपक्ष के लिए ऐसा कर सकता हूं । मुझे नियमानुसार चलना पड़ता है । मैं नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : पोल्लाची जब भी तमिलनाडु में कुछ होता है हम आपको या तो ध्यानाकर्षण अथवा स्थगन प्रस्ताव देते हैं। आप क्या करते हैं ? आप स्पष्टीकरण मांगते है। तब तक तमिलनाडु सरकार जांच आयोग का गठन कर देती है। आप कहते हैं कि मामला न्यायाधीन है। आप हमें बिल्कुल अनुमति नहीं देते। हमारे द्वारा यहां दुबारा मामला उठाने का कोई लाभ नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री सी० पी० दण्डपाणि : आपको ध्यानघर्षण प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करना चाहिए। हम सभी आये, आपसे चर्चा की और मामले को स्पष्ट किया आपने कहा कि आपने तमिलनाडु सरकार से जानकारी मंगवाई हैं। तब तक मुख्यमन्त्री ने जांच के आदेश दे दिए अब आप कहते है कि आपने अनुमति नहीं दी। वह आयोग को निदेश देने वाले हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी स्थिति को महसुस नहीं करते। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सी० पी० दण्डपाणि : आपको ध्यानाकर्षण की गुण-दोष आधार पर जांच करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे रास्ता दिखायें। मेरे पास आ जायें मुझ से चर्चा करें। मैं सुझावों का स्वागत करता हूं और यदि मैं गलती पर हूं, तो में स्वीकार करुंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। मुझे बहुत खेद है। हमने आपसे बहुत बार चर्चा की। कुछ भी नही हुआ। अब तक कोई भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : (जयपुर) हमारे संविधान के अन्तर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चलते रहने की अधिकतम अवधि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत एक वर्ष है — 6 महीने प्रारम्भ में और 9 महीने बाद में। मैं नहीं समझता कि इन परिस्थितियों में आने वाले दो-तीन वर्षों में भी असम में विधान सभा चुनाव नहीं हो सकते। असम के लोगों को विधान सभा लोकसभा और राज्य सभा में उनके प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जायेगा। मैं प्रो० मधु दण्डवते की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मुद्दे पर विशेष रुप से बहस होनी चाहिए।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस : जहां तक नागरकॉयल की घटना का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने पहले ही एक न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है किन्तु यह न्यायिक जांच एक घटना विशेष से सम्बन्धित है। वहां गड़बड़ जारी है और लोगों को परेशान किया जाना जारी है। अतः मामले को इस सदन में उठाया जा सकता है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं असम के सम्बन्ध है। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। यह निश्चित हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि राज्यपाल ने जो रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट को विघटन की उद्घोषणा होने के पूर्व सदन के समक्ष रखा जाए और उस पर विचार हो।

श्री राम अवतार शास्त्री (पटना) : मैं कब से खड़ा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी बारी ही तो बुलाऊंगा। इस तरह से आपकी सेहत और खराब हो जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : आप रिसपांसिबल हैं इसके लिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सो से बात करता हूं मेरी तो होती नहीं हैं आपकी हो जाती है।

श्री रामावतार शास्त्री : असम में वैधानिक संकट पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में गर्वनर का यह फर्ज था कि वहां जो लैफ्ट एण्ड डेमोक्रेटिक फोर्सिस हैं और उनके मोर्चे के जो 66 आदमी हैं, उनको मौका देते। यह बात नहीं की गई। यह अवैधानिक काम किया गया है।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्राग टूल्स लिमिटेड 'सिकन्द्राबाद तथा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1 82-83 की समीक्षा और लेखा परीक्षित लेखे रक्षा मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 के अनुदानों की ब्यौखोर मांगे और रक्षा सेवाऐं प्राक्कलन, 1982-83

रक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं श्री आर० वेंकटरामन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 919क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक,- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3666/82]

(ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड एंजिनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड एंजिनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष

1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सख्या एल० टी० 3667/82]

(2) रक्षा मन्त्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 366/82]

(3) रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1982-83 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3669/82

केन्द्रीय बाजार ऋणों और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में अधिसूचनाएं ।

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय बाजार ऋणों के बारे में दिनांक 15 मार्च, 1982 की अधिसूचना संख्या ए. 4(5)-डब्ल्य एण्ड एम/81 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[(ग्रथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3670/82]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 251 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति दिनांक 15 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें मिश्रित इस्पात की वे मद दी गई हैं, जिन्हें सहायक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 361/82]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 273, जो दिनांक 13 मार्च, 1682 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो जस्ते के डलों पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से उसे छूट देने के बारे में है, यदि जस्ते के उन डलों को जस्ता चूर्ण बनाने में इस्तमाल किया जाता है और इस प्रकार बनाये गये जस्ता चूर्ण को कच्चा जस्ता बनाने मे इस्तेमाल किया जाता है ।

(दो) सा० का० नि० 274, जो दिनांक 13 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वातानुकूलकों, प्रशीतकों और जल-

शीतकों पर, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की अदायगी से पूर्णत: छूट देने के बारे में है, जिनकी आवश्यकता विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी संगठन द्वारा अपने शासकीय इस्तेमाल के लिए है अथवा किसी विशेषधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अपने निजी इस्तेमाल के लिए है।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3672/82[

केन्द्रीय रेशम बोर्ड बम्बई और टैक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन

श्री पी० ए० संगमा (वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3673/82)

(2) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टैक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3624/82)

———

राज्य-सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 82 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा था कोलौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।

(दो) " राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक, 1982, को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 16 मार्च, 1982 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने का निदेश

हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

प्राक्कलन समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंदूर) : मैं विदेश मंत्रालय—पश्चिम एशिया, श्रालका, मलेशिया, बर्मा, इन्डोनेशिया और सिंगापुर में विदेशस्थ भारतीयों के बारे म प्राक्कलन समिति का बीसवां प्रतिवेदन—भाग दो—श्रीलका (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

ग्यारवां प्रतिवेदन

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को लेबी की चीनी के कोटे में वृद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले कि आप गेहूं का प्रश्न लें, में आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे चीनी के बारे में वक्तव्य देने की अनुमति दें।

श्री सतीश अग्रवाल : शूगर का कोटा आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन जयपुर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बढ़ा कर होगा।

श्री सतीश अग्रवाल : जो एलाटमेंट हैं और जो जनवरी का कोटा है वह थी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : सदन को स्मरण होगा कि अतीत में बहुत सारे अवसरों पर 1.4.1978, जबकि कोटे निर्धारित किए गए थे, के बाद से जनसख्या में हुई वृद्धि के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लेवी चीनी के कोटों में वृद्धि करने के बारे में चर्चा होती रही है।

2. इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश अपने लेवी कोटे में वृद्धि करने के लिए बार-बार मांग करते रहे हैं, जैसा कि सदन को विदित ही है कि पिछले दो चीनी वर्षों अर्थात 1979-80 और 1980-81 में चीनी के उत्पादन की स्थिति बहुत ही कठिन रही है और लेवी के पक्ष में भी बहुत कठिन स्थिति होने के कारण इन अनुरोधों को स्वीकार करने की कोई सम्भावना नहीं थी। तथापि, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा कुल मिलाकर जनता ने भी सरकार की कठिनाइयों को समझा है और उन्होंने इस कठिन स्थिति का धैर्यतापूर्वक सामना करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है।

3. पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा संगत और समय पर किए गए उपायों के परिणाम-स्वरूप अब चीनी का प्रत्याशित सभी समय का रिकार्ड उत्पादन होने के रूप में प्रतिफल प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होगें कि इस उत्पादन वर्ष का यह सुखद शगुन है।

4. चीनी का उत्पादन 68 लाख मीटरी टन से भी अधिक होने की प्रत्याशा को दृष्टि में रखते हुए मुझे सदन में यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने पहली, अप्रैल, 1982 से सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 1.3 1981 की जनगणना द्वारा उल्लिखित जनसंख्या के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति की उपलब्धता के आधार पर कोटे सुलभ करने का निर्णय किया है। इससे मासिक आवंटन 2.71 लाख मीटरी टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2.94 लाख मीटरी टन हो जाएगा। मुझे आशा है कि राज्य अपनी वितरण प्रणाली में पर्याप्त रूप से गति लाएगें और देश के सभी कोनों के सभी उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध करेगें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में राशन कार्डधरियों के गेहूं के कोटे को कम करने का कथित निर्णय

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में राशन कार्डधारियों के गेहूं के कोटे को कम करने का कथित निर्णय"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : कृपया इसका उल्लेख करना न भूलें कि दिल्ली के सभी 6 संसद सदस्य राशन में बढ़ोतरी के लिए 3 अथवा 4 बार आपसे मिले हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव रीरेन्द्र सिंह) : केवल 3 अथवा 4 बार ही नहीं काफी बार मिले हैं।

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के राशन कार्डधारियों के गेहूं के तथा कथित कोटे में कमी करने के निर्णय के बारे में सरकारका ध्यान आकर्षित किया गया है ।

2. दिल्ली प्रशासन द्वारा सुलभ की गई सूचनानुसार, वितरण की संशोधित प्रणाली के अधीन जो उपभोक्ता मूलत: गेहूं खाने वाले हैं, उन्हें अतीत में दिए जा रहे 12 किलोग्राम गेहूं और न कि 18 किलोग्राम गेहूं जैसा कि समाचार प्रकाशित हुआ है, की बजाय अब 10 किलोग्राम गेहूं प्राप्त होगा । बफर स्टाक और खुले बाजार में गेहूं की समूची उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया गया है । दिल्ली प्रशासन द्वारा 2 किलोग्राम की हानि को अतिरिक्त । किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम परिणामी आटा जारी कर पूरा किया जा रहा है । कुल मिलाकर गेहूं, चावल और आटा का प्रति यूनिट समूचा आवंटन 20 किलोग्राम प्रति मास के स्तर, जैसा कि पहले था, पर बराबर बनाए रखा जा रहा है, जो कि समस्त देश में सबसे अधिक है ।

3. जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिल्ली के संघ शासित प्रदेश के गेहूं के मासिक आवंटन को अगस्त, 1980 के मास के 25 हजार मीटरी टन से बढ़कर दिसम्बर, 1980 में 30 हजार मीटरी टन और जनवरी, 1981 में 40 हजार मीटनी टन कर दिया गया था । तब से आवंटन के इस स्तर को नियमित रूप से बनाए रखा जा रहा है ।

श्री नारायण चौबे : गेहूं की मात्रा में दिल्ली में भी कमी कर दी गई है ...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : भरपूर फसल वाले वर्ष में भी ।

श्री नारायण चौबे : समाचार पत्रों में बताया गया है कि यह मात्रा 12 किलोग्राम से घटकर 9 किलोग्राम किया गया हैं, परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि 12½ किलोग्राम से 10 किलोग्राम किया गया है, जबकि हम दावा कर रहे है कि इस वर्ष उत्पादन कर्तिमान स्तर का होगा । क्या इससे सरकार की इस क्षेत्र में विफलता का पता नहीं लगता ?

कुछ तथ्य इस प्रकार हैं । सरकार दावा करती है कि उत्पादन बहुत अधिक हुआ है । वास्तव में उत्पादन में वृद्धि हुई है । सूखे के वर्ष 1979 से पहले सरकार यह दावा कर रही थी कि खाद्य के मामले में सब कुछ ठीक ठाक है । इस सम्बन्ध में बंगला की काण्ड 'चेलार नाम पद्मालोचन' (अन्धे राजकुमार को भी पद्मालोचन कहा जाता है कि उसके चरितार्त होती है । वस्तुत: 1970 में उत्पादन 870.6 लाख टन था जो 1971 में बढ़कर 948.7 लाख टन हो गया था । 1971 से 1981 तक के वर्षों में निश्चित रूप से कुछ वृद्धि हुई थी । यह औसतन 2.4 प्रतिशत के लगभग थी । 1970 में 870 लाख टन से बढ़कर उत्पादन 1971 में 940 लाख टन हो गया था और 1981 में यह 1146.3 लाख टन था हमारे देश में जनसंख्या में कुल औसत वृद्धि 2.4 प्रतिशत की दर से हो रही है जबकि खाद्य उत्पादन में हो रही कुल वृद्धि 2 प्रतिशत

से भी कम है। हमारी जनसंख्या की वृद्धि की दर 2.4 प्रतिशत है दूसरी ओर खाद्य उत्पादन में कुल मिलाकर हुई वृद्धि 2 प्रतिशत से भी कम हैं।

वर्ष 1971 में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन थी, 1980 में यह 386.0 ग्राम थी और 1981 में यह 420.4 ग्राम थी। दालों के मामले में तो यह वृद्धि और भी रही। 1971 में दाल का प्रति व्यक्ति उत्पादन 51.3 ग्राम था ; 1980 में यह 30.9 ग्राम था और 1981 में यह 9.1 ग्राम था। इस दृष्टि से सत्तर वाले दशक में जो हरित क्रान्ति आई थी वह अब अतीत की वस्तु मात्र रह गई है। विकास हुआ है परन्तु केवल सीमित दायरे में विकास केवल उस क्षेत्र में अधिक हुआ है जहां समृद्ध लोग विकास कार्य में भारी पूंजी लगाते है। अतः पूरे देश में जो अधिक उच्च स्तर का विकास हो रहा था, वह अब रुक गया है। यह सीमित दायरे में क्यों हो रहा है। मेरे विचार से आजकल सरकार कृषि सुधारों भूमि सुधारों के प्रति उदासीन है। पूंजी के मामले में आप गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करते जा रहे हैं। और पूंजी केवल कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। भूमि सुधारों के बारे में इस सरकार ने जो सिद्धान्त निश्चित किये थे अब उनकी उपेक्षा की जा रही है। उत्पादन कम है और इसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। वर्ष 1971-72 की तुलना में प्रतिशतता की दृष्टि से वृद्धि अधिक नहीं है।

वृद्धि चाहे जितनी हो—हमारे देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है परन्तु आपकी क्रय-तंत्र विफल हो गया है। आपका गेहूं की खरीद का लक्ष्य 95 लाख टन था जबकि आपने वास्तव में 65 लाख टन गेहूं खरीदा और लक्ष्य से 30 लाख टन कम रहा। इसका कारण यह है कि आप भारतीय किसानों को लाभ प्रद मूल्य देने में विफल रहे या आपने उन्हें लाभप्रद मूल्य देने से इनकार किया। भारतीय किसानों के लिए आपने 130 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रखा जबकि आप अमरीका और आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं के लिए कलकत्ता और बम्बई के पत्तनों पर 194 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आपने भारतीय किसानों के लिए एक मूल्य निर्धारित किया है जबकि अमरीका और आस्ट्रेलिया के किसानों के लिए गेहूं का मूल्य 194 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जो राज सहायता आप पहले भारतीय किसानों को दे रहे थे, अब आप उसे नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर आप अब अमरीका और आस्ट्रेलिया के किसानों राज सहायता दे रहे हैं जो ओपधी-मिश्रित अनाज यहां भेज रहे हैं और हमारे लिए यहां बिमारियां भेजी जा रही हैं। यह आपने ही कहा है। आम नगरीय लोगों के लिए अनाज के मामले में आपको राजसहायता जारी रखनी चाहिए। यह निस्सदेह सत्य है कि राज-सहायता का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता है। नगरीय क्षेत्रों में यह पूंजीपतियों को दी जाती है। यदि आप खाद्यान्न के लिए राजसहायता नहीं देते हैं तो खाद्य संकट पैदा हो जायेगा परिणामतः जीवन निर्वाह बढ़ेगा और आपको अधिक मंहगाई भत्ता देना पड़ेगा। इस प्रकार देश में राजसहायता पूंजीपतियों को मिल रही है। अब राशन में कटौती कर दी गई है। दिल्ली में राशन की दुकानों की हालत क्या है ? याद रखिये कि दिल्ली राजधानी है कई अवसरों पर हम दिल्ली स्थित राशन दुकानों की हालत के बारे में इस सम्मानित सभा में चर्चा की जा चुकी है। मैं अपने राज्य के बारे में अवश्य जानता हूं जहां हालत बहुत ही खराब है। पश्चिम बंगाल में

हमें गत वर्ष में एम० आर० शाप्स के लिए गेहूं नहीं मिला है। अब यह स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई है, हालांकि दिल्ली चारों ओर से गेहूं उत्पादक राज्यों से घिरी हुई है।

महोदय, माननीय मन्त्री का कहना है कि गेहूं की कटौती को उन्होंने अतिरिक्त चावल और आटा देकर पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री को यह पता होगा कि लोग आटा लेना नहीं चाहते। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि आप आटा सप्लाई कर सकते हैं तो गेहूं क्यों सप्लाई नहीं कर सकते ? अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात पर बिचार किया जाये कि क्या आटे के स्थान पर गेहूं दिया जा सकता है अथवा नहीं ((व्यवधान) जहां तक चावल का सम्बन्ध है, कामरेड गीता मुखर्जी ने यह शिकायत की है कि संसद भवन के समीप स्थित राशन की दुकानों पर भी चावल उपलब्ध नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री आयें और मेरे साथ मध्यान्ह भोजन करें, ताकि उन्हें मालूम हो जाये कि किस प्रकार का चावल सप्लाई किया जा रहा है।

राव वीरेन्द्र सिंह : यदि आप चाहते हैं तो मैं अवश्य आऊंगा।

श्री नारायण चौबे : राशन दुकानों की हालत बहुत ही असंतोषजनक है। आपको अपने घर और राशन की दुकानों के बीच गेहूं, चीनी आदि लेने के लिए 3 या 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं कभी गेहूं उपलब्ध होता है तो कभी चीनी और कभी दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं होती। यहां तक कि निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को भी एक ही समय राशन की सभी वस्तुए नहीं मिल पाती हैं। अधिकांश वस्तुओं के लिए आपसे कहा जाता है कि आप फिर आइयेगा। जब आप दुबारा राशन दुकानों पर जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि माल फिर खत्म हो गया है।

इसके अतिरिक्त एक और भी बहुत खराब बात हो रही है राशन कार्डों की संख्या 1979 की तुलना में बहुत बढ़ गई है। इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करनी होगी कि क्या एम० आर० शाप्स के स्तर पर कोई गड़बड़ी हो रही है या नहीं।

महोदय मुझे एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम "नया 20 सूत्री कार्यक्रम" है। इस नये 20 सूत्री कार्यक्रम में मैं आपका ध्यान 17 वें कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह "ओम ह्रींकि स्वाहा" जैसी कोई चीज है। आप हमेशा ऐसी ही बातें बार-बार करते है। 17 वें कार्यक्रम में आपने यह दावा किया है कि आजकल खाद्यान्न, लेवी की चीनी मिट्टी का तेल, खाद्य तेल और नियंत्रित कपड़ा ये सभी वस्तुएं उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। यह सच नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल राज्य से आता हूं। वहां हमें मोटा कपड़ा सरकारी विभाग से प्राप्त होता है न कि एम० आर० शाप्स से। इसलिए सरकार द्वारा किया गया यह दावा गलत है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिल्ली में गेहूं के कोटे में की गई कटौती को समाप्त करेगी अथवा नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आटे के स्थान पर अच्छी किस्म का गेहूं दिया जायेगा अथवा नहीं ? दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि 1979-80

और 1981 में कितने-कितने अनाज सरकारी खरीद की गई ? और आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है ? इस वर्ष आप किसानों को क्या वसूली मूल्य देने जा रहे हैं ताकि इस वर्ष गेहूं की खरीद लक्ष्य से पिछड़ न जाये। यदि गेहूं की खरीद लक्ष्य से पिछड़ जायेगी तो गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं जबकि आपने चार प्रश्न पूछ डाले।

श्री नारायण चौबे : आप इसे (क), (ख), (ग), (घ) मान सकते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उत्पादन में वृद्धि के लिए आप भूमि सुधारों सम्बन्धी नीति को पुनः लागू करने जा रहे हैं अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भूमि सम्बन्धी सुधारों की नीति को लागू करने के प्रति आप गम्भीर हैं या नहीं ? क्या आप कृषकों को भूमि देने जा रहे हैं या नहीं और अन्त में मै यह जानना चाहूंगा कि क्या आप सरकारी वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप इस तरह से सामान्य भाषण देने लगते हैं तो आप मुख्य मुद्दों से हट जाते हैं। आप एक साधारण भाषण दे जाते है और मुख्य बातों को भूल जाते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो दिल्ली में कार्डधारियों को मिलने वाले गेहूं के कोटे के बारे में है। इस संबंध में अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री नारायण चौबे : सबसे पहली बात मैंने इसी सम्बन्ध में कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां वही महत्वपूर्ण है।

श्री नारायण चौबे : परन्तु हम इतना सब कुछ कहे बिना इस सम्बन्ध में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि उत्पादों के मूल्यों का प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता।

श्री नारायण चौबे : यह सब कुछ सरकारी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मुख्य मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित सखकर सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : गेहूं के कोटे में कटौती की गई है इससे ही अपने आप में यह स्पष्ट हो जाता है कि हम गेहूं की सप्लाई के सम्बन्ध में सरकारी वितरण व्यवस्था की आलोचना करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य जो भी बोलता है वह जनता, संसद सदस्यों और प्रेस दीर्घा में बैठे लोगों को यह प्रदर्शित करना चाहता हैं कि सम्बन्धित विषय का उसे पूर्ण ज्ञान है। मैं भी इस बात की प्रशंसा करता हूं। परन्तु दिक्कत यह है कि ऐसा करते समय आप मुख्य मुद्दों से दूर हट जाते हैं। अब आप मुख्य बात पर आइए और प्रश्न पूछिये।

श्री नारायण चौबे : अब मैं भूल गया हूं कि मैं क्या कह रहा था। मुझे दुबारा वह बात याद करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं।

श्री नारायण चौबे : समुचित वितरण के लिए सरकार के पास पर्याप्त भण्डार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह बात अच्छी कही है।

श्री नारायण चौबे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सम्पूर्ण थोक व्यापार को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका असर जन साधारण पर नहीं पड़ेगा बल्कि बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप थोक व्यापार को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री उत्तर दे सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने कई बातें उठाई हैं जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं है। अतः उत्तर देता हुआ मैं उनकी उपेक्षा करूंगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिल्ली के बारे में है और यह भी गेहूं के वितरण और कोटे के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य को इन्हीं बातों के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए थे। उन्होंने तो कई एक ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं। जिनका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। इनमें कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं सक्षेप में दूंगा। मेरे विचार से वह दिल्ली की अपेक्षा पश्चिम बंगाल के बारे में अधिक ही चिन्तित हैं।

श्री नारायण चौबे : जी नहीं, मैं दिल्ली के बारे में उतना ही चिन्तित हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल और वहां पर भूमि सुधारों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने यह बात भी कही है कि किसानों को कितना मूल्य दिया जाना चाहिए। मानों वह कृषि मन्त्री की अपेक्षा किसानों के कल्याण के प्रति अधिक चिन्तित हैं। **(व्यवधान)** दिल्ली में राशन के बारे में तो आपने अभी थोड़ा बहुत कहा है। आप सभा में ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं जिनका सम्बन्ध इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बिल्कुल नहीं है ? इससे यह पता चलता है कि आप उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रति कितने गम्भीर हैं जो आपने रखा है। महोदय, जो व्यक्ति अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता उसे खाद्य उत्पादन में हुई वृद्धि का पता कैसे चलेगा ? उसके अनुसार तो उत्पादन में वृद्धि हुई ही नहीं है।

श्री नारायण चौबे : मैंने यह तो कहा ही नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : न्यूनाधिक रूप से आपने यही कहा है। 1979-80 में जब दूसरी सरकार ने सत्ता छोड़ी थी, तो उत्पादन 1097 लाख टन था।

एक माननीय सदस्य : वह सरकार हमारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकार आपकी है या नहीं इसके बारे में आप चिन्ता न करें।

राव बीरेन्द्र सिंह : 2 वर्ष में ही हमने उत्पादन बढ़ाकर 1340 लाख टन कर दिया हैं जिसकी हम इस साल आशा कर रहे हैं। इस साल हम आशा कर रहे हैं। कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होगा। भगवान करे, फसल को किसी की नजर न लगे।

हम दिल्ली के साथ विशिष्ट व्यवहार पहले ही कर रहे हैं। बात यह नहीं है कि सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है वही दिल्ली के मामलों में रुचि लेते हैं। दिल्ली से हमारे दल के 6 संसद सदस्य हैं वे समय-समय पर मेरे स्तर पर और दिल्ली प्रशासन की विभिन्न समितियों के स्तर पर, उपराज्यपाल तथा अन्य व्यक्तियों के साथ इन समस्याओं पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। हर बार हमने यह अनुभव किया है कि देश की राजधानी दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के मामले में कुछ वास्तविक कठिनाई हैं। अतः हम पहले ही दिल्ली प्रशासन और दिल्ली के लोगों की उदारतापूर्वक सहायता कर रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, दिल्ली में कलकत्ता की तरह से सांविधिक राशन व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्य को यह मालूम होगा। कलकत्ता में आप कोई भी वस्तु बाजार से नहीं खरीद सकते हैं और आप की सभी जरूरतें सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं और उन वस्तुओं को भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को सप्लाई करती है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह आपका कर्त्तव्य है।

श्री नारायण सिंह चौबे : पश्चिम बंगाल भारत से बाहर नहीं है, हम केन्द्र स्थित सरकार को केन्द्रीय सरकार के रूप में मानते हैं न कि कांग्रेस (आई) की सरकार के रूप में···

राव बीरेन्द्र सिंह : पश्चिमी बंगाल के लिए जो कुछ किया जा रहा है, कम से कम आपको उसकी प्रशसा करनी चाहिए।

पश्चिम बगाल को प्रति मास साठ हजार टन गेहूं दिया जा रहा है और यह मात्रा किसी भी एक राज्य को किये गए आवंटन से ज्यादा है। 60,000 टन के अलावा प्रति मास 130 हजार टन चावल भी पश्चिम बंगाल को दिया जा रहा है। आपको मालूम हैं कि सभी खाद्यान्नों पर राज-सहायता दी जाती है। केवल गेहूं पर ही 38 रुपये प्रति क्विन्टल की राज-सहायता दी जाती है। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में आपके पास स्टाक नहीं है। इस समय पश्चिम बंगाल नें एक लाख टन से अधिक का भंडार हैं और हम प्रत्येक मास पश्चिम को 2/1/2 लाख टन खाद्यान्न भेज रहे हैं। अब आप पश्चिम बंगाल को दिए गए गेहूं तथा चावल पर भारत सरकार द्वारा वहन दी जा रही राज-सहायता का हिसाब लगा सकते हैं।

इस समय देश में प्रति व्यक्ति आवंटन दिल्ली में सबसे अधिक है। दिल्ली केवल नगर है एक सघ राज्य-क्षेत्र है। पिछली जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या केवल 62 लाख है, जबकि राशन कार्डों के अनुसार इसकी जन संख्या लगभग 72 लाख बैठती है। इस तरह हम न केवल 62 लाख लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि 10 लाख अतिरिक्त लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं। हमने दिल्ली प्रशासन को अनेक बार परामर्श दिया है कि वह जाली राशन कार्डों को समाप्त करें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जनगणना विभाग और नागरिक पूर्ति विभाग भी आपके नियंत्रण में है।

राव वीरेन्द्र सिंह : लेकिन ये लोग आप जैसे व्यक्तियों से परामर्श लेते हैं। उन्हें मालूम है कि राशन कार्डों को कैसे बचाया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : ये लोग गरीब मजदूर हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय, प्रति व्यक्ति 20 किलोग्राम खाद्यान्न एक व्यक्ति की खपत से अधिक है। अनाजों की खपत का राष्ट्रीय औसत 12 कि० ग्रा० है। यह खपत शारीरिक श्रम करने वाले वास्तविक मजदूरों के लिए है, शहरों में रहने वाले व्यक्तियों से इतना खाना खाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वे इतना खा भी नहीं सकते। यह प्रान्तीय सशस्त्र वाहिनियों तथा सशस्त्र सेनाओं के जवानों को प्रति व्यक्ति प्रति मास 15 किलोग्राम दिए जाने वाले र शन की मात्रा से भी अधिक है। यदि दिल्ली प्रशासन गेहूं की सप्लाई 1 किलोग्राम कम कर दी है...

श्री रामावतार शास्त्री : दो किलोग्राम।

राव वीरेन्द्र सिंह : एक किलोग्राम की प्रतिपूर्ति परिणामी...द्वारा कर दी गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : चोकर।

राव वीरेन्द्र सिंह : वह चोकर नहीं है। आटा और चोकर में बहुत फर्क है।

दिल्ली प्रशासन और आटा मिलों के बीच एक व्यवस्था है। आटा मिलों से सभी आटा दिल्ली प्रशासन द्वारा ले लिया जाता है। मैदा ओ सूजी पर कानूनी नियंत्रण है और आटा का भी उपयोग किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों द्वारा पसन्द नहीं किया जाता। कतिपय लोगों से हमें अनुरोध प्राप्त हुआ था कि गेहूं के स्थान पर आटे की सप्लाई की जाएगी।

जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आवंटन सबसे अधिक है। यदि आप इसकी तुलना कलकत्ता से भी करें, जहां कानूनी राशनिंग है और दिल्ली की 62 लाख की जनसंख्या की तुलना में कलकत्ते को जन संख्या 90 लाख है, तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति 17 कि० ग्रा० ही अनाज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है ? इसके बाद, यदि आप इसकी तुलना बम्बई से करेंगे, जो दिल्ली के समान एक गेहूं-भोक्ता शहर है और एक महानगर है और दिल्ली की 62 लाख की जनसंख्या की तुलना में बम्बई की जनसंख्या 80 लाख है, तो आपको मालूम होगा कि बम्बई को 80 लाख जनसंख्या के लिए केवल 22,000 टन गेंहूं की सप्लाई की गई जबकि दिल्ली को इसकी 62 लाख जनसंख्या के लिए 40,000 टन गेंहूं मिल रहा है। कौन कह सकता है कि इसकी सप्लाई पर्याप्त नहीं है और इसे कम कर दिया गया है ? यदि आप इसकी तुलना चण्डीगढ़ से करेंगे, जो एक राजधानी शहर है और तीन राज्यों की राजधानियां हैं और यह एक छोटा संघ शासित क्षेत्र है, दिल्ली से बहुत छोटा, तो आपको मालूम होठा चण्डीगढ़ को इसकी 5 लाख की जनसंख्या के

लिए केवल 1,080 टन ही मिल रहा है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि दिल्ली के समान ही चण्डीगढ़ भी चारों तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बीच में स्थित है और बाहर से गेहूं जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दिल्ली में अभी भी गैहूं के व्यापार पर लेवी की प्रणाली है। कोई भी व्यापारी, जो दिल्ली से बाहर गेहूं भेजता है, 50 प्रतिशत गेहूं लेवी के रूप मे देता है। इसका अभिप्राय: यह है कि दिल्ली से गेहूं अन्य स्थानों को भेजा जा रहा है।

अब आप मूल्यों की तुलना में। यदि आप बम्बई के बारे में सोचेंगे जहां दिल्ली की प्रति मास 11 कि० ग्रा० की तुलना में केवल 3 कि० ग्रा० गैहूं दिया जा रहा है, बम्बई के खुले बाजार में गेहूं का मूल्य 227 रु० प्रति क्विंटल है और दिल्ली में खुले बाजार में 178 रुपए प्रति क्विंटल है। दिल्ली को अन्य सुविधाएं भी मिल रही है। ये सुविधाएं परम्परागत रूप से मिल रही हैं। इसलिए हमने इसे वापस नहीं लिया है।

दिल्ली में केवल राशन कार्डधारियों को 1.49 रुपये प्रति किलो के भाव से गेहूं दिया जा है। यह मूल्य देश में किसी भी जगह सप्लाई किये जान वाले गेहूं के मूल्य से कम है और आप जानते हैं ऐसा क्यो है, क्योंकि दिल्ली के लिए एक विशेष व्यवस्था द्वारा डिपोधारियों को सीधे डिलेवरी की प्रणाली हैं— भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार अर्थात् दिल्ली प्रशासन के माध्यम से गेहूं सप्लाई नहीं करता अत: निर्गम मूल्य 1.45 रुपये पर अधिक अतिरिक्त व्यय नहीं आता।

पश्चिम बंगाल में भी हमने बस सीधी डिलीवरी प्रणाली को अपनाया है। भारतीय खाद्य निगम सीधे डिपोधारियों को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार न हमसे अनुरोध नहीं किया है और कहा कि हम स्वयं इस काम को करें। वे इस काम को करने में असमर्थ हैं।...(व्यवधान)

आप अपनी खाद्य सप्लाई के काम को करने में असमर्थ नहीं हैं। भारत सरकार की एजेंसी अर्थात् भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल में आपके सभी डिपोधारियों को खाद्यान्न सप्लाई कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम और भारत सरकार को इस व्यवस्था अर्थात् भारतीय खाद्य निगम के गोदामो से डिपोधारियों को सप्लाई करने के लिए भी खर्च का वहन करना पड़ रहा है। एक बड़ी प्रशासनिक प्रणाली होनी चाहिए दिल्ली में प्रत्येक क्षेत्रों में बहुत सारे गोदाम, जहां से 200 से 300 तक डिपोधारी अपना आबंटन ले सकें, स्थापित करने होगे। यह एक भी खर्च है जिससे बचा जा सकता है, किन्तु हम दिल्ली को विशेष छूट देना चाहते हैं।

इसलिए, इस ध्यानाकर्षण द्वारा जिसे माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि वे दिल्ली के लोगों को कोई सेवा नही कर रहे हैं। वे इससे कुछ राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप राशन में कमी नहीं करेंगे।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम अभी करना नहीं चाहते हैं। इस सरकार द्वारा यही किया जा रहा है; शासन पक्ष के सदस्य विपक्ष के सदस्यों की तुलना में दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए अधिक उत्सुक हैं···(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : यह गलत है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि पश्चिम बंगाल से माननीय सदस्य ने दिल्ली के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा शुरू कर दी। आप उनके भाषण या रिकार्ड देख सकते हैं। उन्होंने दिल्ली की अपेक्षा पश्चिम बंगाल के बारे में अधिक चर्चा की है। (**व्यवधान**)

मैं उन अन्य विशेष सुविधाओं के बारे में उल्लेख करना नहीं चाहता जो दिल्ली को केन्द्र सरकार से मिल रही हैं, क्योंकि उससे अन्य राज्यों के बीच कटुता पैदा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सूरजभान।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी आदरणीय राव वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि दिल्ली के 6 एम० पीज बराबर मिलते रहते हैं, तो क्या उनके मश्विरे से यह राशन की कटौती हुई है। अगर ऐसा हुआ है, तो उनको यह मुबारक हो।

राव वीरेन्द्र सिंह : उनके मश्चिरे से तो यह कायम है।

श्री सूरज भान : यह तो कटौती हुई है।

श्री मीकू राम जैन (चांदनी चौक) : 20 किलो दिल्ली में मिलता है और जगहों पर इससे कम है और किसी जगह इतना नहीं मिलता।

श्री सूरज भान : मैं बता रहा हूं। मंत्री जी ने दो रीजन्स दिये हैं। एक तो इन्होंने यह कहा है कि 10 किलो अब दिया गया है और पहले यह 12 किलो था और अखबार वालों ने जो 18 किलो छापा है, वह गलत है। यह इन्होंने अपने ब्यान में कहा है। मैं समझता हूं कि अखबार वालों ने जो 18 किलो लिखा है, वह भी गलत लिखा है। यह 20 किलो था। कब 20 किलो था, यह मैं राव साहब को बता रहा हूं। जब जनवरी 1977 में आप हटे थे, तो 12 किलो पर यूनिट देते थे लेकिन जनता पार्टी ने आते ही 1-1-1978 से इसको 20 किलो कर दिया था। तो यह जो अखबार वालों ने 18 किलो लिखा है, वह 18 किलो नहीं था और उसको भी आप गलत कह रहे हैं।···(**व्यवधान**) मैं तथ्यों के बारे में बोल रहा हूं। आप उन्हें खण्डन करने दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : ये गलत-बयानी कर रहे हैं।

श्री सूरज भान : अगर गलत है, तो मिनिस्टर साहब रिपयूट कर देंगे। आप तो अभी मिनिस्टर नहीं बने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मन्त्री महोदय को देना है। आपको उत्तर नहीं देना है।

श्री भीकुराम जैन : मैं उनके द्वारा दी जा रही गलत सूचना का केवल प्रतिपाद कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको मन्त्री महोदय में इतना विश्वास नहीं है ? वे इस बात पर गौर करेंगे।

श्री सूरज भान : दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि अगस्त 1980 में दिल्ली का कोटा 25 हजार टन था और उसके बाद दिसम्बर 1980 में 30 हजार टन कर दिया और अब 40 हजार टन की फिगर्स आप बताते है। लेकिन कुछ फिगर्स आदरणीय राव ने छिपा लिये है। जनता रिजीम में यह कोटा 4 हजार टन था जिसको कि आपने घटा कर 20 हजार टन कर दिया था। फिर आपने 30 हजार टन किया और अब जबकि आबादी बढ़ गयी है तो आपने उसे 40 हजार टन कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कोटा कम दिया है तो इसका शुरुआत जनता सरकार द्वारा किया गया था, तब उनकी गलती नहीं मान सकते हैं।

श्री सूरजभान : उन्होंने इसे कम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। फिर भी दिल्ली विशेष स्थिति में है।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी राव साहब ने कहा कि दिल्ली में बोगस राशन कार्ड हैं। उन्होंने माना है कि दस लाख यूनिट बोगस राशन कार्ड के हैं। क्या यह सच नहीं है, पुराने लेफ्टीनेंट गवर्नर जिनका कि में नाम नहीं लेना चाहता, ने एलान किया था कि जो आदमी भी राशन कार्ड बनवाना चाहे वह बिना किसी तस्दीक के बनवा सकता है और उस का राशन कार्ड तीन दिन में बन जाएगा ? क्या यह सच नहीं है कि जो राशन कार्ड बोगस हैं वे डिपो होल्डर्स उन बोगस राशन कार्डस के नाम पर, जब उनके पास व्हीट आता है ड्रा कर लेते हैं और उसे ब्लेक में बेच देते हैं। जेन्युन कार्डधारियों को वे कह देते हैं कि गेहूं खत्म हो गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : ये तो वही डिपो होल्डर्स होंगे जिनको आपने लाइसेंस दिये थे।

श्री सूरजभान : आप उनको केंसिल कीजिए।

मैं आपकी भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए आप से कहता हूं कि जो बोगस राशन कार्ड है नार्मल्ली डिपो होल्डर्स उनके नाम पर पहले व्हीट दर्ज कर लेते हैं और जैन्नयु कार्ड होल्डर को उनका कोटा नहीं मिलता। आप इस सब कि चेकिंग कीजिए। आप इसकी चेकिंग कीजिए। आप अगर चेकिंग करेंगे तो पायेंगे कि जिन राशन कार्डों के नाम पर पहले उन्होंने व्हीट का कोटा दर्ज किया हुआ है। आपको ऐसा 90 परसेंट मामलों में मिलेगा। आप चेकिंग करा कर इस धांधली को आसानी से दूर कर सकते हैं। यह आसान तरीका है।

दूसरे गेहूं की पैदावार में कमी आने के कारण आपको अमेरिका से भी गेहूं इम्पोर्ट करना

पड़ा । दिल्ली में आबादी भी बढ़ गई है । इसलिए आपने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, 28 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमे यह कहा गया था कि मैदा और सूजी में बहुत ब्लैक मार्किटिंग हो रही है, हम पहली फरवरी से मिलों से सारा डिस्ट्रियब्युशन टेक ओवर करेंगे । लेकिन 28,29 और 30 जनवरी के बीच मे बहुत सी ऐसी चीजें सामने आ गयीं, न जाने ब्लैक मार्किटिंग खत्म हो गया, या मिल-मालिकों से कोई सौदेबाजी हो गयी कि 28 जनवरी को इशु किया गया नोटिफिकेशन 30 जनवरी को रजंक्ट हो गया टिलफर दर आर्डर । आपने फिर मिल-मालिकों को चीजें बेचने की इजाजत दे दी । मे जानना चाहता हूं कि उन से क्या सौदेबाजी हुई कि 28 को इशु किया गया नोटिफिकेशन 30 को विदड्रा कर लिया गया गया टिल फरदर आर्डर जबकि आपको वह डिस्ट्रियब्युशन उनसे लेना चाहिए था ?

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार कंट्रोल रेट पर यहां के मिल अनिर्नर्स को व्हीट देती है और जो फिगर्स मेरे पास हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप उन्हें कंट्रोल रेट पर गेहूं देते हैं और कंट्रोल रेट मार्किट रेट से बहुत कम है तो उनसे कंट्रोल रेट पर आटा क्यों नहीं लेत आपको लाजमी तौर पर उनसे कंट्रोल रेट पर आटा लेना चाहिए और पब्लिक को राशन में देना चाहिए । आप राशन में पब्लिक को गन्दा और निकम्मा आटा देते हैं । जब आप उनको कंट्रोल रेट पर गेहूं देते हैं तो उनसे कंट्रोल रेट पर आटा लीजिए और उसे कंज्युमर्स को दें । बेहतर तो यह होगा कि आप कंज्युमर्स को आटे के बजाए गेहूं दें। इसका आप प्रबध की जिए और महरवानी करके यह बताइये कि 28 जनवरी वाला नोटिफिकेशन क्यों विदड्रा कर लिया गया ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय सदस्य श्री सूरजभान द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर ध्यान दूंगा । मुख्य मुद्दा यह है कि दिल्ली में गेहूं की कोई कमी नहीं है, और 20 कि०ग्रा० सप्लाई की जाती थी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। लेकिन लोगों द्वारा उतना गेहूं लेना पसन्द नहीं करते । यह भी सच है । वे मार्केट से लेना चाहते हैं । वे गेहूं की बेहतर किस्म को ज्यादा पसन्द करते हैं । इसलिए, दिल्ली में जो राशन तय किया गया है वह एक परिवार के लिए पर्याप्त है ।

मैं माननीय सदस्य से पूर्णत. सहमत हूं मैंने कहा भी है— कि दिल्ली में काफी संख्यों में जाली राशन कार्ड हैं, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए । यह यह काम दिल्ली प्रशासन का है । हम उन्हें परामर्श दे रहे हैं, यह बहुत ही नाजुक मामला है । राशन कार्ड जारी किए गए हैं । नये राशन कार्ड जारी करने के लिए भी दबाव डाले जा रहे हैं पुनः यह मांग भी की जा रही है कि प्रत्येक दिन बाहर से काफी लोग दिल्ली में आ रहे हैं ; दिल्ली की जनसंख्या भी बदल रही है क्योंकि यह एक बड़ा नगर है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रशासन निगम और महानगर परिषद पर काफी समय तक उनके दल, जनसघ का राज्य रहा अधिकतर डिपो के मालिकों को माननीय सदस्य और उनका दल जानता होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कहने का अर्थ है कि उन्होंने कुछ डिपो मालिकों की सिफारिश भी की होंगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं उनसे प्रार्थना करता कि वे इस सम्बन्ध में हमारी सहायता करें और हमें उन लोगों की सूची दें जिनकी जांच की जानी चाहिए। हम उन दुकानों पर छापा मारने को तैयार हैं और अतिरिक्त राशन कार्डों को समाप्त करना चाहते हैं। मैं उनसे वायदा करता हूं कि यह सब गुप्त रहेगा। मैं उनसे यह जानकारी प्राप्त करने की प्रतीक्षा में रहूंगा।

श्री सूरजभान : नोटिफिकेशन का बताइये।

राव बीरेन्द्र सिंह : नोटिफिकेशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे दिल्ली प्रशासन से पता करना होगा। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि रिजल्टेंट आटे के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना वापस ली गई है। इस प्रकार का सभी आटा उचित दर दुकानों से बेचा जाता है। जिसका मूल्य 1.40 पैसे है। यह जानकारी दिल्ली प्रशासन ने दी है।

श्री सूरजभान : 28 जनवरी को जो नोटीफिकेशन हुआ वह 30 जनवरी को विथड्रा हुआ या नहीं ?

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : अब वह विथड्रा हुआ या नहीं, लेकिन प्रेजेन्ट पोजीशन मैंने आपको बता दी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री, जी जो कि सिविल सप्लाई के लिए भी जिम्मेदार हैं, ने कुछ आंकड़ें देकर सदन को संतुष्ट करना चाहा। आपने जोड़ बांकी करके आंकड़े दिए हैं कि इतना गेहूं, इतना चावल, इतना रिजल्टेंट आटा और इस प्रकार 20 किलोग्राम प्रति यूनिट संतुलित आहार दिया जाता है और तर्क यह दिया कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले अधिक दिया जाता है।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आपने गेहूं के स्थान पर चावल सब्स्टीट्यूट किया है, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर-भारत में, खासकर दिल्ली में जो आम उपभोक्ता है, उसको गेहूं का आटा और गेहूं से बनी हुई चीजों को खाने की आदत है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह मैंने नेशनल एवरेज बताया है।

श्री कृष्णा कुमार गोयल : बारह किलो उस मजदूर के लिए जो सुबह से निकल कर दिन भर पत्थर तोड़ता है और रात को घर आता है, काफी नहीं है, इससे उसका पेट नहीं भर सकता है। एक परिवार बारह किलों गेहूं लेकर दोनों जून अपना पेट भर नहीं सकता है। वह नमक मिर्च से रोटी खाता है। दाल वह नहीं खा सकता है, साग नहीं खा सकता है। चावल के के लिए दाल साग ज्यादा चाहिये। गेहूं जो लेना चाहता है वह उसको पूरा मिलना चाहिये। इसलिए हम चाहते हैं कि राशन आप गेहूं का बढ़ाएं। बारह किलो से कुछ नहीं होगा। जनता के समय में क्या हुआ इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। एक अहम और गम्भीर प्रश्न आज हमारे

सामने है। देश की राजधानी में आपकी नाक के नीचे —अन्य प्रान्तों की बात में नहीं कर रहा हूं —जहां केन्द्र का शासन है, आज लगभग दस ग्यारह लाख यूनिट बोगस हो इतने ज्यादा शर्म और लज्जा की बात और क्या हो सकती है। इसका नुकसान किन का होता है ? जो बेचारे वाजिब आदमी है, जिनको राशन मिलना चाहिये, उनको नहीं मिलता है। अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि कुछ ही कार्डधारियों को राशन मिल पाता है और वह खत्म हो जाता है और दूसरों को बाहर जाकर लेना पड़ता है। बोगस कार्ड के ऊपर ड्रा कर लिया जाता है और वह ब्लैक में चला जाता है। इस वास्ते इस की गम्भीरता के साथ जांच होनी चाहिये, बोगस राशन कार्ड कैंसल होने चाहिये।

विडम्बना की एक और बात है। मेरी इस बात को मैं चाहता हूं कि आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं। जितनी थी अनआथोराइज्ड कालोनीज है उन में लाखों लोग दिल्ली के अन्दर ऐसे रह रहे हैं, लाखों मजदूर मजबूरी में रह रहे हैं और आज तक उनका एक भी राशन कार्ड नहीं बना है और वे कंट्रोल का गेहूं नहीं ले सकते हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिये बोगस राशन कार्ड्ज की आपको गम्भीरता से जांच करवानी चाहिये और जिन को राशन कार्ड चाहिये। जो वाजिब लोग हैं और जिनको राशन कार्ड चाहिये, उनको राशन कार्ड दिया जाना चाहिये। चावल जो आपने दिया है, वह देकर आपने ठीक नहीं किया है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रिजल्टेंट आटा लॉ में प्रोहिबिटिड नहीं है ? जनता पीरियड से मैं तुलना नहीं करना चाहता। गम्भीर चर्चा आए तो ऐसा होना भी नहीं चाहिये लेकिन रिजल्टेंट आटे को आपने इसमें जोड़ दिया है। क्या यह ठीक है ? यह भूसा नहीं है इसको मैं मानता हूं। लेकिन रिजल्टेंट आटा वह आटा है जिसमें से मैदा निकाला जा चुका है, सूजी निकाली जा चुकी है और जिसमें पोषक तत्व बाकी नहीं रह गये हैं। क्या फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत यह अपराध नहीं है ? एक्ट मेरे पास है। एडल्ट्रेशन की परिभाषा दी हुई है सैक्शन 2 की सब क्लाज डी में इसको आप एनेलिन करवाइये। आटे की रूल्ज में डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि उसमें मोयस्चर वगैरह कितना होना चाहिये। इसको आप देखें। आज सरकारी आदेश के द्वारा राशन की पूर्ति के लिये जो दे रहे हैं यह एक अपराध है फूड ऐडलटरेशन ऐक्ट के तहत भगवान के लिये इस आटे का बन्द कर दीजिये और इसके बजाय औसतन तौर पर कम से कम दिल्ली के नागरिक के लिये 16 किलोग्राम प्रति यूनिट दीजिए एक माननीय सदस्य ने फ्लाअर मिल्स के बारे में कहा, दिल्ली में 11 मिल्स हैं जिनको हर महीने आप 30,40 हजार टन गेहूं कंट्रोल प्राइस पर देते हैं यह मैदा और सूजी कितने घरों में काम आती है ? सब हलवाइयों के यहां जाती है और कंट्रोल की दुकान पर न मैदा और न सूजी मिलती है। बोरी की बोरी हलवाई के यहां जाती। क्या आप वाच्य नहीं करेंगे कि 50 परसेंट होल मिल आटा, जिसमें से सूजी और मैदा न निकाली गई हो, कंट्रोल प्राइस पर दिल्ली में फेयर प्राइस शॉप्स पर मिले ? होल मिल आटा को प्राइस फिक्स करके प्रति यूनिट यहां दिया जाय।

उपाध्यक्ष जी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नमस्कार तो नहीं कर रहे हैं। सीमेंट के अन्दर जिस समय पूरा कंट्रोल था ...

राव बीरेन्द्र सिंह : आटे में सीमेंट क्यों मिला रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे सीमेंट के बारे में नहीं बता सकेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं कह रहा हूं कि जो मालिक थे जिस समय कंट्रोल था । फैक्ट्रियों को इन्कोनामिक बनाने के लिये केवल 5 रू० प्रति बोरी वह मांग रहे थे । 30 रू० प्रति बोरी भाव था । उनकी मांग थी कि हमें 35 रू० प्रति बोरी कर दी जाय । आज सरकार की घोषणा के बाद 3 में से 2 बोरी कंट्रोल पर जा रही है 74 रू० में और एक बोरी जा रही है लगभग 67 रु० में । इन तीनों बोरियों की कीमत जोड़ कर अगर औसत निकालें तो एक बोरी पर 47 रु० सीमेंट के मालिक को मिल रहे हैं । इसका मतलब यह हुआ कि सीमेंट की बोरी पर जितना वह मांगते थे 35 रु० फी बोरी, उसके मुकाबले में 12 रु० प्रति बोरी आज उसको ज्यादा मिल रहा है । इसको आप कैसे जस्टीफाइ करेंगे ? क्या यह पूंजीपतियों के हाथ में खिलवाड़ नहीं है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सवाल वह है कि 12 रु० अधिक प्रति बोरी उनको मिल रहा है और ऐसे ही ऐडिबिल आयल में हो गया। मुझे लग रहा है कि कहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गुडबाई तो नहीं कर रहे हैं ।

अन्त में मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो 10 लाख बोगस यूनिट्स के राशन कार्डस हैं उनकी मंत्री जी जांच कराकर कड़ी सजा देंगे ? और जो वाजिब लोग हैं झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं और जिनके कार्ड नहीं बने हैं, जिनके कि बनने चाहिये, उनके राशन कार्ड बनायेंगे और रिजल्टेंट आटा तथा चावल को हटा करके, क्योंकि उत्तर भारत के लोग गेहूं खाते हैं चावल नहीं, गरीब मजदूर की जरुरत को देखकर 12 किला की जगह पर कम से कम 15 या 16 किलोग्राम गेहूं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस दोहरी नीति से काले धन में वृद्धि नहीं होगी अतः यह नीति अच्छी है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इससे काला धन बढ़ेगा । यह बेहतर होगा कि आप इस विषय पर चर्चा की अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न मंत्री महोदय से करें । मैं तो आपकी केवल मदद करना चाह रहा था ।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्लोर मिलों से कम से 50 परसेंट होल मीलल आटे का प्रोडक्शन लेकर क्या कंट्रोल पाइप फिक्स करके वह दिल्ली के लोगों को बंटवायेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : श्री कृष्ण कुमार गोयल की आटे की बात के लिये तो मैं यही कह सकता हूं कि रिजल्टेन्ट आटा देना न अपराध है, न फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में कोई खराब चीज है । बहुत-सी

स्टेटस के अन्दर यह बंट रहा है, लोग इसको लेते हैं, न इसे पीसना पड़ता है और न इसके ऊपर और खर्चा करना पड़ता है।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं और भी एग्जामिन करा लूंगा, लेकिन यह जांच हो चुकी है कि यह भी एक पोष्टिक चीज है।

एक माननीय सदस्य : पोष्टिक है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हां बिल्कुल। आप खाकर देखिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान का कोई भूखा आदमी यह कहता तो अलग बात थी लेकिन हरियाणा वाले कह रहे हैं, कि पौष्टिक है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अभी आधे घन्टे तक बोल रहे हैं, रिजल्टेन्ट आटा खाकर दो घटें तक बोल सकेंगा। यह कोई बुरी चीज नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने राशन कार्ड के मुताल्लिक कही है मैंने खुद माना है कि राशन-कार्ड के मुताबिक दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब साफ है कि बोगस राशन कार्ड हैं। उनकी छान-बीन होनी चाहिये, श्री गोयल की इस बात से मैं सहमत हूं। दिल्ली प्रशासन को हम कह रहे हैं, झुग्गी-झोपड़ी ...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दिल्ली प्रशासन का चुनाव करा दीजिये, इससे सब झगड़ा मिट जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : उससे आटे की बात हल हो जायेगी ?

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या आप चुनाव के लिये काल अटैंशन मोशन लाये है ? सन 1978 से लेकर 1980 तक झुग्गी-झोपड़ी वालों को कोई राशन-कार्ड नही दिया गया, उसके लिये वह भाई जिम्मेदार हैं।

श्री सूरज भान : पहले जरूरत नहीं पड़ती थी।

राव बीरेन्द्र : सन् 1980 में जब यह सरकार बनी तो उसके बाद हमने झुग्गी-झोपड़ी वालों को राशन कार्ड दिलवाने शुरू किये, उन गरीब लोगों को जो आ रहे थे। लेकिन हमारी पालिसी यह रही कि अगर नित नये लोग रोज आ गये, और उनको राशन-कार्ड देने पड़ेगे तो उसके मुताबिक बोगस-कार्ड ज्यादा बनेंगे। फिलहाल दिल्ली प्रशासन ऐसा कर रहा है कि 1981 से पहले जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में आबाद थे, उनको नये राशन कार्ड दिये जा रहे हैं। जहां हम यह चाहते है कि जो लोग वंछित रह गये, जिनको यह नहीं मिले, उनका हक है कि राशन कार्ड उनको भी मिले, लेकिन यह चीज बहुत देखभाल के बाद होनी चाहिये

और कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। सीमेंट की बात में नहीं कह सकता, यह मेरा महकमा नहीं है।

श्री कृष्णा कुमार गोयल : फ्लोर मिलों के लिये जो आपने कहा, मेरा सजैश्चन है कि क्या मैदा और सूजी आप कट्रोल से हटा देंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : फ्लोर मिलों को गेहूं इस बात को मद्देनजर रखकर दिया जाता है कि मैदा और सूजी की भी पब्लिक को जरुरत है। रिजल्टेंट आटे की कीमत अगर हम तय करें तो मैदा और सूजी की कीमत वह बढ़ा सकते हैं। अगर मैदा व सूजी की कीमत थोड़ी ऊंची हो तो रिजल्टेंट आटा सस्ता बिक सकता है। दिल्ली में रिजल्टेंट आटा सारा सरकार को दे दिया जाता है और वह राशन की दुकानों के जरिये बहुत सस्ती कीमत पर बेचती है। यह कीमत 1 रुपये 49 पैसे किलो है। यह इतनी सस्ती कीमत है कि उसको हर गरीब आदमी लेना चाहता है। मैं पहले कह चुका हूं कि यह 20 किलो···

(व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : अगर मिलें होलमील आटा बिना मैदा व सूजी निकाले बनाना शुरू कर दें उनको तो फायदा है लेकिन फिर मैदा व सूजी कहां से आयेगी ? हमको सूजी भी चाहिये ना।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं को बिल्कुल दिल्ली तक सीमित रखूंगा। लेकिन हमारी यह शिकायत जरूर है कि सरकार ने बिहार में गेहूं के कोटे को कम कर दिया है, जिसका मैं विरोध करता हूं। सरकार कहती है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो गेहूं के कोटे में कमी की गई है, उसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार उसको कमजोर करना चाहती है।

अब सुनिए दिल्ली की बात। 1980 से पहले जिस राशन कार्ड पर 'आर' अर्थात राइस (चावल) लिखा रहता था, उस पर 7 किलो गेहूं और 13 किलो चावल लेने का अधिकार था, लेकिन अगर कोई ग्राहक चाहता था कि वह 20 किलो गेहूं ले ले, तो उसको दिया जाता था।

राव वीरेन्द्र सिंह : लेकिन वह ब्लैक में चला जाता था।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बता रहा हूं कि क्या स्थिति थी। व्हीट अर्थात गेहूं के कार्ड पर दिया जाता था 18 किलो गेहूं और दो किलो चावल, लेकिन अगर कोई चाहता था, तो 20 किलो गेहूं ले सकता था।

1980 के बाद क्या स्थिति हो गई ? जिस व्यक्ति के पास राइस वाला राशन कार्ड था, उसे 4 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अगर कोई चाहता था, तो उसे 20 किलो चावल दे दिया जाता था। गेहूं वाले राशन कार्ड पर 12 किलो गेहूं और 8 किलो चावल

दिया जाता था और अगर कोई चाहता था, तो उसे 20 किलो चावल दे दिया जाता था।

अब क्या पोजीशन हो गई है ? मैं आपके सामने तुलनात्मक आंकड़े रख रहा हूं । अब जो आंकड़े मैं रख रहा हूं, उन्हें मैं खाद्य और संभरण विभाग के कमिश्नर के सुर्कुलर से क्वोट कर रहा हूं, जो दिल्ली प्रशासन के गजेट में छप चुका है।

राव बीरेन्द्र सिंह : तो वे ठीक ही होंगे मैं क्या जवाब दूं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बता रहा हूं कि अब क्या स्थिति कर दी गई है।

चावल वाले राशन कार्ड पर 3 किलो गेहूं, 16 किलो चावल और 1 किलो रिजल्टेंट आटा, जिसको मैं चोकर कहता हूं, वह आदमी के लिए नहीं है, जानवर के लिए हो सकता है, हम लोग जानवरों को चोकर खिलाते हैं। गेहूं वाले राशन कार्ड पर 10 किलो आटा, 9 किलो चावल और 1 किलो रिजल्टेंट आटा। लेकिन इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

एक्सप्लेनेशन 1 इस प्रकार है :—

"गेहूं के बदले में रिजल्टेंट आटा लेने की अनुमति होगी, परन्तु रिजल्टेंट आटे के बदले में लेने की नहीं।"

अर्थात रिजल्टेंट आटे के बदले गेहूं नहीं मिलेगा, लेकिन गेहूं के बदल रिजल्टेंट आटा मिलेगा।

एक्सप्लेनेशन 2 यह है :—

"रिजल्टेंट आटे और गेहूं के बदले में चावल लेने की अनुमति होगी, परन्तु चावल के बदले में गेहूं अथवा रिजल्टेंट आटा लेने की अनुमति नही होंगी।"

यह कैसा अन्याय है ? इसका मतलब है कि सरकार के पास गेहूं का स्टाक कम है। अगर ऐसा है, तो मन्त्री महोदय बताएं कि हमारा गेहूं का स्टाक कम है। अगर नहीं हुआ, तो यह कमी करने का क्या औचित्य है ? मुझे कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता। मन्त्री महोदय ने अपने बयान में कहा है "बफर स्टाक और खुले बाजार में गेहूं की समूची उपलब्यता को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया गया है।" मैं जानना चाहता हूं कि जब पूरा गेहूं दिया जाता था, तब बफर स्टाक की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। इसी तरह चावल के बफर स्टाक की क्या स्थिति है ? तब पता चलेगा कि प्रोक्युरमेंट के बावजूद सरकार का बफर स्टाक पतला होता जा रहा है, यानी उसमें कमी आती जा रही है। इसलिए आप यह जरूर बतायें कि गेहूं और चावल के सम्बन्ध में आपके बफर-स्टाक की स्थिति क्या है ? आप दिल्ली के लोगों को बाजार पर निर्भर करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के निवासी अधिकतर गेहूं खाने वाले हैं, बहुत कम लोग ही चावल खाते हैं लेकिन आप उनको जबर्दस्ती चावल खिलाना चाहते है। आप जानते हैं कि बाजार में 200 से 225 रुपए क्वींटल के भाव पर गेहूं बिक रहा है। आपकी राशन की दूकान पर गेहूं एक रुपए 49 पैसे किलो बिकता है। राशन और बाजार के भाव में जो अन्तर है

क्या उतना पैसा खर्च करने की स्थिति में दिल्ली के लोग हैं। आप जानते ही हैं कि कौन लोग राशन कार्ड से सामान खरीदते हैं। गरीब लोग, झुग्गी-झोपड़ी वाले, मध्यम वर्ग के लोग आपकी राशन की दूकानों पर ही निर्भर करते हैं। एक ओर तो आपकी सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को उनके प्राविडेन्ट फंड में जमा करते हैं और दूसरी ओर बढ़े हुए दाम पर बाजार से गेहूं खरीदने के लिए भी उनको मजबूर करते हैं। क्या खुले बाजार से गेहूं खरीदने की स्थिति में वे लोग हैं ? नहीं हैं। वे 1 रुपए 49 पैसे किलो पर गेहूं लेना चाहते हैं लेकिन आपने कोटा कम कर दिया तो आपकी यह बात समझ में नहीं आती है...

उपाध्यक्ष महोदय : वह उतनी राशि सामान्य भविष्य नीधि से निकाल सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे नहीं पता कि वह उस राशि को कब निकाल सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे निकाल सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : परन्तु अभी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक वर्ष बाद

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके बफर स्टाक की स्थिति क्या है ? इसके बाद ही पता लग सकेगा कि दिल्ली की 62 लाख जनता के साथ आपने जो बर्ताव किया है वह कहां तक गलत है या सही।

फिर आपने कहा है—जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिल्ली संघ शासित प्रदेश के गेहूं के मासिक आवंटन को अगस्त, 1980 के मास के 25,000 मी० टन को बढ़ाकर दिसम्बर, 1980 में 30,000 मी० टन और जनवरी, 1981 में 40,000 मी० टन कर दिया गया।

जब आपने गेहूं की मात्रा बढ़ा दी फिर 16 मार्च से गेहूं के राशन में कमी करने की क्या जरूरत थी ? जब आपने गेहूं बढ़ा दिया फिर कोर्ड-होल्डर्स को गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं ? इसका कोई कारण तो जरूर होगा। मैं जानना चाहता हूं वह क्या कारण है ?

इसके अलावा अखबारों में जैसी खबर छपी है कहीं वैसी ही बात तो नहीं है कि आप मुद्रा-कोष से पांच हजार करोड़ का जो ऋण ले रहे हैं, उसी का भूत आपके सिर पर चढ़ कर बोल रहा हो ? कहीं दबाव में आकर तो नहीं आप ऐसा कर रहे हैं ? यह खबर अखबार में निकली है।

राव बीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी, आपका तसव्वुर बहुत दूर तक जाता है।

श्री रामावतार शास्त्री : इसके अलावा मन्त्री जी ने कहा है कि झुग्गी-झोपड़ी वालों को उन्होंने कार्ड दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा दिल्ली में रहने वाले झुग्गी-झोपड़ी वालों की टोटल संख्या कितनी है, उनमें से कितने लोगों को आपने कार्ड दिए हैं और कितने लोग बाकी हैं तथा उनके सम्बन्ध में आप क्या करना चाहते है ? एसे बहुत से लोग जिनके पास कार्ड नहीं हैं, हमारे पास

आकार कहते हैं कि दस्तखत कर दीजिए। हम जानते नहीं कि वे सही आदमी हैं या गलत, इसलिए हम उनसे माफी मांग लेते हैं। किसी-किसी मामले में वे बहुत जिद करते हैं तो जबर्दस्ती दस्तखत करने पड़ जाते हैं। बहरहाल कुछ गलत राशन-कार्ड चल रहे हैं। जब स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में भी बोगस लोग आ गए थे तो इसमें भी बोगस आ गए। ऐसे बोगस कार्डस को समाप्त करने में हम आपका साथ देंगे लेकिन वास्तव में जिनके पास कार्ड नहीं है उनको आप कार्ड दीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने पूछा कि अगर झुग्गी-झोपड़ी वाले सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं तो उनकी वास्तव में संख्या कितनी है और उनको आपने कितने राशन कार्ड दिए हैं ?

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी आप राशन की दूकानों से गेहूं, चावल, सूजी, मैदा, चीनी, रिजल्टेन्ट आटा, पाम-आयल और रेपसीड-आयल देते हैं लेकिन राशन दुकानदारों ने मुझे बताया है कि तेल बहुत कम मात्रा में देते हैं, इसलिए सब लोगों को तेल नहीं मिल पाता है। राव साहब मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। रैप-सीड आयल और पाम आयल बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि तमाम लोगों को नहीं मिल पाता है। लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, नौकरी छोड़कर सामान लेने के लिए जाते हैं फिर भी उनको संतोष नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई तरकीब सोची है कि सब लोगों को तेल मिल जाए ? लोग तेल भी खाते है, मेरे जैसे तो हैं नहीं कि उबली हुई खाते हों। आप राशन में सात चीजें दे रहे है और इसके अलावा जो आवश्यक चीजें हमारे जीवन से सम्बन्धित हैं, उनको भी जोड़ने के लिए आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि दस-बारह आइटम इसमें और जोड़े, जैसे साबुन है, चाय है कपड़ा है, इत्यादि। करोसिन तो आप देते ही हैं, लेकिन और भी आवश्यक चीजें हो सकती हैं, तो जीवन से सम्बन्धित है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी विरोध कर रहे हैं। गेहूं का कोटा उनको पूरा दीजिए, जैसे पहले था कि 20 किलो गेहूं ले लें या चावल ले लें। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा है और अखबारों में भी पढ़ा है, सी० पी० आई० सी० पी० पाई (एम), लोकदल, के लोगों ने कहा हैं और आपकी नीति का विरोध किया है कि कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। 16 मार्च से पहले जितनी उनको मीकदार में चीजें मिलती थीं, गेहूं या चावल, ये सारी चीजें मिलती रहें। इन सब बातों पर पुनर्विचार करके अपने को पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, शास्त्री जी ने पहली बात तो यह कही कि गेहूं का स्टाक हमारे पास काफी न होने की वजह से हमने ये पाबन्दियां रखी है और कुछ कमी है, एलोकेशन में। इस बात से मुझे इन्कार नहीं है, हम तो यह हमेशा कहते रहे है कि गेहूं के मामले में हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम जितना स्टेट्स कहें उतना स्टेट्स को दे दें, हमें स्टाक भी रखना पडता है। 15 मिलियन टन से 20 मिलियन टन फूडग्रेन का स्टाक रखते है। जिसमें पालिसी के मुताबिक आधा गेहूं और आधा चावल हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जब सूखा पड़ा तो काफी गेहूं की पैदावार घट गई और उसके बाद गेहूं का स्टाक की काफी

निकल गया। फूड-फार-वर्क कार्यक्रम और स्पेशल फूड फार-वर्क प्रोग्राम सारे देश के अन्दर चलाया गया और स्टेट्स का कोटा भी बढ़ाया गया। जिस की वजह से होते-होते अब काफी हमारे पास चावल की निसबत गेहूं का स्टॉक कम है। इसमें फर्क पड़ गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : पहले उलटा था।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा कि आपने पूछा है, पहली फरवरी 1980 को चावल का बफर स्टाक 80 लाख टन से कुछ ऊपर और गेहू 43 लाख टन के लगभग रह गया। फिर इस साल फरवरी में चावल का स्टाक 64 लाख 22 हजार टन गेहूं का स्टाक 48 लाख 2 हजार टन था। यह स्टाक कम हो गया है, गेहूं 48 लाख टन से ऊपर हो गया है, और चावल 64 लाख टन रह गया है, यह फिगर इस साल फरवरी की है। कहने का मतलब है कि गेहूं की मात्रा कम हो गई है।

अनाज को तकसीम करने की नीति सारे देश के लिए बनाई जाती है, खाली दिल्ली के हिसाब से नहीं चल सकते। जिस हिसाब से हमें दिल्ली को देना होगा, उसी तरह से बम्बई की मांग बढ़ेगी, कलकत्ता साउथ की स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स की मांए बढ़ेगी फिर भी जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है मैं तफसील में बता चुका हूं कि दिल्ली के साथ ज्यादा से ज्यादा रियायत भारत सरकार करती है। मैंने अभी गेंहू और दूसरी चीजों के लिए बतलाया था। चीनी का एलोकेशन भी दिल्ली के लिए चीनी का वितरण हम मौजूदा पापुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं, जबकि दूसरी जगह ऐसा नही है, वहां 1978 की पापुलेशन के हिसाब से है। दूसरी जगहों पर चीनी का राशन, मेरा मतलब है लेवी चीनी का राशन 425 ग्राम है जबकि दिल्ली में 1000 ग्राम है, यानी 1 किलो है, जो घट कर 900 ग्राम या 950 ग्राम दिल्ली में दी जा रही है। जितनी राशन की शुगर दिल्ली में दी जा रही हैं देश भर में कहीं नहीं दी जाती। अनाज का जितना राशन दिल्ली में हैं देश भर में नहीं हैं। दिल्ली मंडियों के अन्दर भी गेहूं हमेशा मिलता है, स्टेचूटरी राशन नही है।

श्री रामावतार शास्त्री : दाम ज्यादा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : दाम के मामले में आपकी राय कुछ और है और मेरी राय कुछ और है। ओपन मार्केट में गेहूं का दाम घटता और बढ़ता रहता है। फसल आयेगी तो शायद लोग राशन की दुकानों से ही न लें।

दूसरी चीजों के लिए भी दिल्ली में खास सुविधा है। पाम-आयल, रेपसीड आयल, दिल्ली के अन्दर राशन की दुकानों से तकसीम किया जाता है। दिल्ली में वनस्पति की कीमत भी काफी नीचे रखी जाती है। मिलें भी अपना माल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सप्लाई करती हैं जो हर महीने कोआपरेटिव स्टोर्स, राशन शाप्त और सुपर बाजार के जरिये बेचा जाता है। दिल्ली के अन्दर जितनी सहूलियतें मिलती हैं उतनी देश में शायद ही किसी शहर में मिलती हों। दिल्ली को जितना इम्पोटेड आयल चाहिए उस की जरुरत के मुताबिक एलोकेशन करते हैं। भारत सरकार की तरफ से दिल्ली के लिए एलोकेशन में कमी नहीं है। कहीं पर

नहीं मिलता है, तो जब तक मुझे पता न लगे कि कौन सी दुकान पर कौन सी चीज नहीं मिल रही है, मैं कैसे उस की जॉच कराऊंगा। आप मुझे बतलाइए तो मैं फौरन जांच कराऊंगा। आप मुझे बतलाईये तो मैं फौरन कराऊंगा...

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बतलाऊंगा। आप ने झग्गी झोपड़ियों के बारे में कुछ नहीं

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेपसीड आयल आप कह रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रहा है, पिछले माह से नहीं मिल रहा है। आप का डिपार्टमेन्ट है आप पता लगवा सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग भी पता लगायेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मैंने आप को बीच में इन्टरप्ट किया था। आप के यहां यहां दो विभाग है- एक जनगणना विभाग है और दूसरा आपूर्ति विभाग का अलग है। आपूर्ति विभाग कहता है 70 लाख यूनिट्स के करीब हैं जब कि जनगणना विभाग कहता है कि 61 लाख है। आप लोग शायद यह मान कर चल रहे है कि जो जनगणना विभाग जो कहता है वह सही है और शायद इसी लिए कटौती की जा रही है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा-आज आज भी इस दिल्ली नगरी में जो लोग टेम्परेरी बेसिज पर काम कर रहे हैं, जिनके सम्बन्ध में शायद नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि टैम्परेरीकाइस को रेगुलराइज न किया जाय, रिन्यूअल न किया जाय। यदि आप पता लगायेंगे कि ये कौन लोग हैं तो आप को मालूम होगा कि ये सब-के-सब मजदूर लोग हैं जो दिल्ली में आकर काम कर रहे है, एशियन गेम्ज की कन्स्ट्रक्शन में लगे हुए है जिनके पास कोई लिखने-पढ़ने वाला नही होता है- उनके कार्डस का रिन्यूअल आप की तरफ से रोक दिया गया है। सिर्फ जमुनापार की फिगर्स को आप देखेंगे तो जमना-पार में 2 करोड़ से ज्यादा किलोग्राम आप को देना चाहिए।

वहां उस का 50 परसेन्ट भी नहीं मिल रहा है।

मैं आप का ध्यान 30-11-81 के अनस्टार्ड क्वेश्चन नं० 1355 की तरफ खींचना चाहता हूं। इस प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि जहां जनवरी 1980 में, दिल्ली को 74.7 हजार टन एजोट करते थे, वहां अक्तूबर 1980 मे कम हो कर वह 57.7 लाख टन पर रह गया। यह फीगर आप के 3 प्रश्न के जवाब में है। तो इसका मतलब यह है कि 74 लाख टन से घटाकर इसको आप के जो राशन कार्डधारी हैं उनको कभी आप अधिक देते है और कभी कम देते हैं, यहबात हमारी समझ में नहीं आती है ऐसा क्यो किया जाता है।

अभी शास्त्री जी ने एक बात चोकर के सम्बन्ध में कही। हिन्दी वाले जबाब को मैं देख रहा था, तो उस में इस आटे का नाम परिणामी आटा है और अंग्रेजी में उस को आप रिजल्टेंट आटा कहते हैं। अब यह परिणामी आटा या रिजल्टेंट आटा क्या होता हैं। आटा जो है वह आटा हो सकता है या खराब आटा सकता है यह रिजल्टेंट या परिणामी क्या है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैदा और सूजी, निकालने के बाद जो बचता है, उस को परिणामी आटा कहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : असल में इसको चोकर बोलना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी, चोकर और चीज होती है।

श्री राम विलास पासवान : एक दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे जैसा आदमी इस चीज को समझने में असमर्थ है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास स्टाक की कमी नहीं है और दूसरी तरफ तरफ आप लोगों को खाने को पूरा अनाज नहीं दे रहे हैं। आप कृषि मन्त्री भी हैं और आपका पता होना कि आज किसान तबाह हो रहा है। कभी यह कहा जाता है कि स्टाक नहीं है। कि आज होर्डिंग हो रहा है। में यह चार्ज लगा रहा हूं और आप अपने डिपार्टमेंट से इस बात की जांच करवाइए कि किसान के पास से जो गेहूं या चावल आता है, वह बढ़िया किस्म का आता है और वह बढ़िया आटा, बढ़िया गेहूं और बढ़िया चावल मार्केट में बिक जाता है लेकिन जो आपका कन्ज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उस को खराब माल दिया जाता है। बढ़िया माल या तो बाजार मे जाकर बिक जाता है या फिर होर्ड हो जाता है और जो खाने वाला उपभोक्ता है, उसको खराब किस्म का मिल मिलता है। तो वहाँ भी बंग-लिंग होती है और इस चीज की जांच आप को करवानी चाहिए।

जैसा मैंने पहला कहा है, आप जो फीगर है, उसमें आपने कबूल किया है कि आपने भारी मात्रा में कटौती की है और खाली एक जगह पर आपने कटौती नहीं की है बल्कि स्टेट्स के कोटे में भी कटौती की है और मे सिर्फ एक ही उदाहरण आप को दूंगा। बिहार को जहाँ जनवरी में 68.8 खाख टन गेहूं आपने दिया था वहां अक्तूबर में घट कर वह 42.8 लाख टन हो गया इतनी बड़ी कटौती आपने करनी थी। दिल्ली में अभी वर्तमान पोजीशन है उसके मुताबिक लगभग 50 परसेंट की कटौती आपने कर दी। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि यह बात हमारी समझ में नही आ रही है कि एक तरफ तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक तरफ विदेशों से लाखो टन अनाज आ रहा है और दूसरी तरफ लोगों को खान के लिए अनाज नहीं मिल रहा है लोगों खाने के रूप मे आप चोकर खिला रहे हैं और ऐसी चीजें खिला रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं यह जो मैलप्रैक्टिस हो रही है इस तरफ मैं सरकार का ध्यान खीचना चाहूंगा और जब वह जबाव दे, तो इन प्रश्नों का उत्तर भी वह दें।

एक दूसरी चीज की तरफ मे माननीय मन्त्री जी का ध्यान खीचना चाहूंगा। इन्होंने फूड फार वर्क प्रोग्राम का जिक्र किया और यह कहा कि इस प्रोग्राम के तहत हमको स्टेट्स को अनाज देना पड़ता है। जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सी स्टेट्स में फूड फार वर्क का प्रोग्राम बन्द कर दिया गया है, इसलिए कि आप के पास अनाज नही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह सवाल किया जाता है कि लोगों को क्यों नहीं खिला रहे हो, तो कह दिया जाता है कि फूड फार वर्क में अनाज दे रहे हैं और जब यह कहा जाता है कि फूड आफर वर्क के लिए अनाज क्यों नही दिया जाता है, तो यह कह दिया जाता है कि हम लोगों को खिला रहे हैं। परिणाम यह है कि न तो लोगों को खान को मिल रहा है और न फूड फार वर्क में ही अनाज दिया जा रहा है : तो फिर यह जा कहां रहा है ? ऐसा लगता है कि इस देश में कहीं न कहीं होर्डिंग हो रही है, कहीं न कहीं जमाखोरी हो रही है और इसका पता लगाना सरकार का काम है।

आई० एम० एफ० के सम्बन्ध में अभी साथियों ने कहा कि आई० एम० एफ० ने लोन जो दिया है उनके अनुसार सबसीडी कम किया गया है और उसी का यह रिजल्ट निकल रहा है। भले ही यह बात टाप लेवल पर हो लेकिन मैं समझता हूं कि मन्त्री जी भी टाप लेवल पर है और जो टाप लेवल पर फैसला होता होगा वह उनकी नालिज में होगा। क्या आप आई० एम० के कहने इग्नोर कर सकते है ? इसको देखना होगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि देश के लिए पैदावार जरूरी है। सभी चीजों की तह में, जड़ में यह चीज आ जाती है। आपने ठीक बताया कि आपके पास सामान कम है। जब सामान कम होता जाएगा तो कटौती होती जाएगी। जब आपको किसान पैदावार करके गल्ला देगा तब आप भी बांटियेगा। किसान आपको अधिक पैदावार करके तब ही देगा जबकि आप उसे उसकी उपज का उचित मूल्य दीजिएगा। जब आप उसको उचित मूल्य दीजिएगा तो वह भी आपको पैदावार कर के देगा। हम यहां बहुत से तर्क-वितर्क में जा रहे हैं कि इतना चावल लो, इतना गेहूं लो यह लो वह लो क्या इससे सारी समस्या का निदान हो सकता है ?

आप यह बताइए कि दूरगामी उपायों के रूप में प्रोडक्शन साइड में आपका क्या कार्यक्रम है और यह जो माल प्रेक्टिस और बनावटी गड़बड़ी, कृत्रिम कमी पैदा हो रही है इनको दूर करने के लिये आप क्या तुरन्त कदम उठाने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : राम विलास जी को समझना तो बड़ा मुश्किल है। इनके लिए तो मुझे कई वर्ष और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते। मैंने इतनी बात कही थी कि अकाल के टाइम पर व्हीट का स्टाक कम हो गया था। ये समझ रहे हैं कि फूड फार वर्क में स्टाक कम हुआ था। पीछे सारा हण्ड्रेड परसेंट खर्चा भारत सरकार बर्दाश्त करती थी और यह 14 मीलियन टन से ऊपर पहले कभी नहीं था। सन् 80 के अन्दर, 81 के अन्दर यह डिस्ट्रियब्यूशन ड्योढ़ा हो गया। उस वक्त भी हमारे स्टाक कम हुए। आज भी फूड फार वर्क प्रोग्राम जो है वह नेशनल रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम कहलाता है। आपको यह प्रोग्राम मालूम नहीं, वह बन्द नहीं हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : बिलकुल गलत है। यह बताइए कि किस स्टेट में वह चल रहा है ? (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : हम स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, बलाक में चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि पहले सारा अनाज दिया जाता था अब अब प्रति वर्कर एक के० जी० दिया जाता है। (व्यवधान) आप आखें बन्द करके जो हो रहा है। उससे इन्कार क्यों करते हैं यह प्रोग्राम सब जगह चल रहा है और नेशनल रूरल एम्प्लाएमेंट प्रोग्राम के अन्दर एक वर्कर को एक के० जी० दिया जा रहा है

श्री माथूराम मिर्धा : (नागोर) आपने बताया कि एक किलोग्राम खाद्यान्न सप्लाई करने का उपबन्ध है। आप यही तो कह रहे हैं है

राव बीरेन्द्र सिंह : सदन के सामने मैंने यही वक्तव्य दिया है और मैं इस पर कायम हूं तथा यह सच है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कथन बिल्कुल सही है परन्तु फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि क्या वे लोग किसी भी स्थान पर एक किलोग्राम खाद्यान्न सप्लाई कर पहे हैं । मेरा कहना है कि वे ऐसा नहीं कर रहे । हम आपसे केवल आपने जो कुछ कहा है उसकी जाँच करने का अनुरोध ही कर सकते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमन, हमने राज्यों को स्पष्ट कह दिया है कि वे कम-से-कम एक किलोग्राम के हिसाब से खाद्यान्न उठाएं जिससे गरीबों को कम-से-कम अपनी रोज की आवश्यकता के कुछ खाद्यान्न मिल सके । परन्तु मैं जानता हू कि कुछ राज्यों ने हमसे अनुरोध किया है कि खाद्यमन्न देने के बजाय उन्हें वस्तुएं खरीदने और मजदूरी देने के लिए नकद राशि दी जाये ।

परन्तु इस सम्बन्ध में हम बहुत ही दृढ़ हैं । हमने कहा है कि वस्तुएं खरीदने के लिए एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत नकद राशि दी जायेगी नकद राशि दो-तिहाई मजदूरी के रूप में तथा एक-तिहाई मजदूरी के रुप में तथा एक-तिहाई खाद्यान्न के रूप में दी जाएगी जाकि एक किलोग्राम होगी । यह प्रति कर्मचारी तीन किलोग्राम होनी चाहिए । इसमें 50-50 प्रतिशत भाग राज्य और केन्द्र दोनों का होगा । यदि कोई राज्य खाद्यान्न नहीं उठता है तो हम प्रत्येक राज्य को खाद्यान्न के स्थान पर राशि ही देंगे । पहले भी 6 महीने तक ऐसा किया जा चुका है । फिर जैसा कि मुझे याद है तीसरी तिमाही में प्रत्येक राज्य को यह आदेश जारी किए गए कि उन्हें एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत कितना खाद्यान्न मिलना चाहिए तथा कितना उन्हें वस्तु और मजदूरी के रूप मे दिया जाना चाहिए । यह आदेश बहुत समय पहले जारी किए गए थे । यदि राज्यों ने खाद्यान्न नहीं उठाया है तो वह कोई ऐसा कारण होगा जिसका मुझे अभी पता लगाना है, तथापि हमारी ओर से खाद्यान्न का नियतन कर दिया गया था । श्री पासवान ने कहा ने कहा है कि कर्मचारियों को जारी किए गए अस्थायी राशन कार्डों का दिल्ली में नवीकरण नहीं किया गया है । यह कहना गलत है । किसी राशन कार्ड का नवीकरण करने से मना नहीं किया गया हैं । कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा है तथा जिसके पास अस्थायी राशन कार्ड है उसके राशन कार्ड का नवीकरण किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष शिकायत है तो बस उसे मेरी जानकारी में ला सकते हैं । मैं उन्हें आश्वाशन देता हू कि यही हमारी नीति पर दिल्ली प्रशाशन चल रहा है और समस्याओं को हल कर रहा है तथा उन्हें जो भी कहानिमा सुनाई जाती हैं उनको सत्य मानकर नहीं चलना चाहिए । क्योंकि ये कहानियां सुनाई जाती है उनको सत्य मानकर नहीं चलना चाहिए । क्योंकि ये कहानियां उन स्वार्थी लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं जिनकी आखे दिल्ली के आगामी चुनावों पर लगी हैं ।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है जितनी हमारे पास चिट्ठिया आया करेंगी सब आपके पास भेज दिया करेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम लोग तो आपकी सेवा के लिए ही यहां बैठे हैं । हम लोगों की

आवश्यकता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। विशेषकर दिल्ली में कुछ आवश्यक वस्तुओं को राशन की दुकानों द्वारा वितरण किए जाने के लिए शामिल किया गया है। कुछ अन्य राज्यों में जैसा कि शास्त्रीजी ने सुझाव दिया, बड़ी संख्या में वस्तुओं को सार्वजनिक व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल किया गया है। देश में इस व्यवस्था का विस्तार होता जा रहा है। यह घट नहीं रही है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा। पिछले दो वर्षों में उचित दर दुकानों की संख्या देश में बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है। 60 हजार से भी अधिक नई उचित दर दुकानें खोली गई है। उनमें 80 प्रतिशत भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल नगरों की ओर ही ध्यान दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 3. म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात 3 बजे पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा का कार्य

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री भीष्म नारायणसिंह अपना वक्तव्य दें।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से में यह सूचित करता हूं कि 22 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) वर्ष 1982-83 के लिए बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्रालयों के नियन्त्रण में अनुदानों की माँगों पर और मतदान :

(क) गृह मन्त्रालय

(ख) रक्षा मन्त्रालय

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय

(2) राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गयी दिनांक 17 मार्च, 1982 की उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

(3) वर्ष 1982-83 के लिए केरल बजट पर सामान्य चर्चा।

(4) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) वर्ष 1982-83 के लिए लेखानुदानों की मांगें (केरल)।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल)।

श्री हरिकेश बहादूर: (गोरखपुर) श्रीमन् देश की राजधानी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लूटमार और डकैती रोजाना की बात हो गई है। लोगों की हत्या की जा रही हैं। छात्राओं को गुन्डे छेड़ते हैं। माता-पिताओं के लिए अब अपनी पुत्रियों को दिल्ली के विभिन्न कालेजों में अध्ययन के लिए भेजना एक गम्भीर चिन्ता का विषय हो गया है। भारत की राजधानी में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। सरकार और उसका प्रशासन इस ओर से सर्वथा उदासीन है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को विशेषकर छात्राओं को दिल्ली में बडी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है है कि अगले सप्ताह सदन में इस विषय पर चर्चा की जाए।

दुग्ध क्रांति एक और दो परियोजनाओं को सरकार द्वारा सफलता पूर्वक लागू करने में सरकार असफल रहने और इसको विशेषकर उत्तर प्रदेश में विभिन्न डेरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में असन्तुलित रूप से लागू किया गया है।

इस सम्बन्ध मे मैं हाल ही में लखनऊ में 7-8 जनवरी, 1982 को हुई डेरी सहकारी सम्मेलन की कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस अवसर पर दुग्ध क्रांति, वास्तविकता अथवा मृग-मरिचिका" शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी फैडरेशन द्वारा निकाली गई स्मारिका के अन्तर्गत प्रकाशित विस्तृत लेख की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। गलत नीतियों और कार्यक्रमों के कारण एक राज्य के धन को दूसरे राज्यों में भेजा गया है। सरकार राज्यों की इन समस्याओं को हल करने में कारगर कार्यवाही करने में असफल रही है। और केन्द्र इस सम्बन्ध में पूरी तरह से असफल रहा है। इस विषय पर सभा में अगले सप्ताह चर्चा की जानी चाहिए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में संसदीय कार्य मन्त्री जिस समय आगामी सप्ताह के लिए आने वाले विषयों की चर्चा कर रहेथे, मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित विषय उसमें जोड़ दिये जायें :

1. कोटा स्थित राजस्थान अणु बिजलीघर की पहली ईकाई लगभग एक वर्ष के लिए बन्द रहेगी। राजस्थान के मुख्यमन्त्री के इस बयान से किसान वर्ग में भारी असंतोष एवं घबराहट है। किसानों का अगले वर्ष का भविष्य संकट में दिखाई देता है। ऐसी संकट की जानकारी राज्य सरकार द्वारा किसानों को नहीं दी गई है।

यदि बिजलीघर की पहली ईकाई में बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है तो किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस ईकाई के बदले राज्य सरकार अन्य कौन सी प्रबन्ध कर रही है ? राजस्थान के किसानों को अवगत कराया जाये। अन्यथा राजस्थान के किसानों में घोर असंतोष उभरेगा। इस ईकाई को बन्द करने के मुख्य क्या कारण हैं ?

2. नशाबन्दी हो, चाहे अफीम का, गांजा व चरस का हो, किसी भी प्रकार का नश मानव जीवन के लिये बहुत बुरा है। नशीली सभी वस्तुओं का पुर्ण रूप से निषेध हो। ऐसा विध सरकार की तरफ से लोक-सभा में लाया जाना चाहिये। सरकार करने के तुल्य होगा। हमा

देश की परम्परा तथा संस्कृति के अनुकुल होगा। नशबन्दी नहीं करने से सरकार को थोड़ा लाभ होता है, लेकिन देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। सैकड़ों व हजारों मौतें अनायास होती हैं, गरीबी के लिए यह अभिशाप है। जीवन-मूल्यों को कुछ लाभ के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। देश में महान व्यक्तियों ने समय-समय पर आन्दोलन भी किये हैं। मेरी मांग है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक बिल अगले सप्ताह लोक-सभा में लाये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्ड अगले सप्ताह के कार्यों की सूची में सम्मिलित किये जायें :

केन्द्र सरकार का केरल तथा असम में संवैधानिक संकट के बारे में दृष्टिकोण अत्यन्त आलोक तांत्रिक है।

केरल में कांग्रेस आई की सरकार को कुछ समय तक बने रहना दिया गया हालांकि उसे निर्वाचनों का परिणाम विश्वास नहीं प्रति था और न विधान सभा का समर्थन था परन्तु अध्यक्ष के निर्णायक मत के आधार पर ही उसे पदासीन रखा गया। शासक मिली जुली सरकार के एक सदस्य द्वारा ही अपना समर्थन वापस लिये जाने पर ही सरकार गिर गई और गैर कांग्रेस आई दलों द्वारा पेश किए गए विकल्प की शक्ति का मूल्यांकन किये बिना ही विधान सभा उस समय निर्धारित कर दी गई जब राज्य सभा के लिये चुनाव अधि सूचित किये जा चुके थे। अब केरल पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है। यह अत्यन्त अत्येकतान्त्रिक है

संघ मन्त्रिमंडल ने असम उसी रास्ते का सुझाव दिया है। असम विधान सभा में गैर कांग्रेस आई दल, जिन्होंने स्थायी तथा सक्षम मन्त्रालय के गठन का आश्वासन दिया है, अधिक अच्छी स्थिति में है। परन्तु असम विधान सभा में अपनी शक्ति का समर्थन करने के लिए उनको अवसर नहीं दिया जाता। सामान्य अनुसूचो के अनुसार उनको भी राज्य सभा के चुनाव में भाग लेने से वंचित किया गया है। उन विशेष स्थितियों में जिनमें असम की अधिकतर सीटें अभी तक भरी नहीं गई है विधान सभा का भंग किया जाना और राज्य सभा चुनावों को रोकने का अर्थ होगा केन्द्र तथा राज्य स्तर पर असम का शासन प्रतिनिधियों के बिना चलाया जाना।

ये महत्वपूर्ण विषय है और इन पर अगले सप्ताह सभा में चर्चा होनी चाहिए.

श्री चितबसु (बारसांठ) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित दो विषय अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित किये जाने चाहिए।

पहल तारापुर परमाणु संयन्त्र के लिए अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई न किए जाने के बारे में है।

तारापुर परमाणु संयंत्र की सांक्ष्म के लिए ही नहीं अपितु उसे लगातार चालू रखने के लिए कुछ अतिरिक्त पुर्जों की तत्काल आवश्यकता है।

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने ऐसा कहा जाता है इन अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों के लिए निर्यात की अनुमति के लिए अमरीकी प्रशासन को लाइसेंसों के लिए आवेदन दिया।

परन्तु बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद अमरीका के विदेश विभाग तथा परमाणु विनियम आयोग द्वारा डेढ़ वर्ष अधिक समय से इसकी अनुमति नहीं जा रही है।

यह ध्यान देने की बात है कि जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी का परमाणु बिजली डिविजन, जिसने तारापुर के रिचक्टरों का निर्माण किया था, अमरीकी कम्पनी है। यह भी याद रखा जाए कि संयन्त्र मे कोई भी दुर्घटना ऐसे अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई न किये जाने के कारण होगी

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने 22 अक्तूबर 1981 को सुरक्षा की दृष्टि से इन अतिरिक्त पुर्जों के महत्व पर बल दिया था।

इन सब बातों से उक्त पुर्जों की तत्काल सप्लाई की आवश्यकता का पता चलता हैं।

समझौते के अनुसार संवन्धित युरेनियम की डिलीवरी न किये जाने के अतिरिक्त लाइसेंस देने में बिलम्ब से पता चलता कि अमरीकी प्रकाशन का रवैया कितना और सहयोगी है जो कि एक प्रकार से राजनैतिक रूप से बाहें मोडने के समान है।

इस विषय पर, जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, चर्चा की आवश्यकता है।

दूसरा नियम जिसे मैं सभा में अगले सप्ताह चर्चा में सम्मिलित करना चाहता हूं वह है आदिलाबाद में दुर्भिक्ष की स्थिति"। आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के आदिवासी क्षेत्र (आदिलाबाद का वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत है। एक गंभीर सूखे से गिस रहा है। खरीफ तथा रबी दोनों फसलें बुरी तरह से खराब हो गई हैं। कपास तथा ढर की दाल की फसलें कीड़ों द्वारा प्रभावित हुई हैं। कपास का सामान्य उत्पादन जब है 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ परन्तु इस वर्ष कोई भी किसान एक क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक फसल नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्वार की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है।

सामान्य परिस्थितयों के अधीन भी अदिलाबाद में आदिवासियों का जीवन बहुत शोचनीय है। बनों के आरक्षण तथा संरक्षण के कारण उनका अपनी जमीनों तक पहुंचने और बनों के उत्पाद प्राप्त करने जिन्हें वे परम्परागत रूप से बिना रुकावट प्राप्त करते रहे हैं का रास्ता बन्द हो गया है जिन जमीनों को वे परम्परागत रूप से जोतते रहे हैं। आज न वे केवल थोड़ी तनख्वाह पर बी डी पत्तों तथा टिम्बर के ठेकेदारों के लिए काम करते हैं परन्तु वे उनको जलाने की लकड़ी इकठी करने और हल बनाने के लिए लकड़ी काटने आदि के कारण जुर्माने अदा करने पडते हैं तथा वन अधिकारियों द्वारा अनेक प्रकार से पैदा की जाने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जमीदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है जिसमे से अधिकतर के अदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। और अब दुर्भिस ने उनकी कठिनाई बढ़ रही है।

अन्न की कमी के कारण अदिवासी वर्षों के मौसम के दौरान जंगली अनाज तथा गर्मी के दौरान जंगली फूल खा रहे है सर्दी के दौरान ने जंगली बैल खा रहे है। जो प्रायः बकरियों द्वारा खाये जाते हैं।

अनाज की तो यह स्थिति है और पानी के लिए उनको मीलों तक चलना पड़ता है। एक भी ऐसी झोंपड़ी नहीं जहां पर गर्मी के दौरान पानी मिल सके।

मैं सरकार से इस मामले पर विवरण की मांग करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं 19 मार्च की पुनरीक्षित कार्यसूची की मदसंख्या 9 के क्रम में 22 मार्च से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्न विषय शामिल करने का निवेदन करना चाहता हूं :

1. डा० कार्ल टेलर से दिलचस्पी क्यों ?

भारत से खदेड़े गए तथाकथित अमरीकी विशेषज्ञ डा० कार्ल टेलर का गुप्त रूप से भारत आना और इन्डियन कांसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आई० सी० एम० आर०) की 27 जनवरी 1982 की एक बैठक में भाग लेना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस ढंग से डा० टेलर को इस बैठक में आमंत्रित किया गया और उसे गुप्त रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती गई, वह खेदजनक है।

यदि पांचवी लोकसभा की लोक लेखा समिति की 167 वीं रिपोर्ट देखी जाए तो यह पता लग जायेगा कि यह टेलर महाशय कौन हैं ? उसमें लिखा है कि डा० टेलर द्वारा संचालित परियोजनाएं इस देश तथा पड़ोसी देशों के हितों के खिलाफ हैं। विदेशी सरकार रसायनिक, बैक्टीरियाई, बायलोजिकल युद्ध की तकनीक विकसित करने में भूमिका के बारे में जांच कराने के लिए आयोग गठित करने का सुझाव दिया गया है। इनमें कार्ल टेलर की परियोजनायें शामिल हैं।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आई० सी० एम० आर० की 27 जनवरी की बैठक में डा० टेलर को गुप्त ढंग से आमंत्रित किए जाने के बारे में जांच कराने के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया जाना चाहिए।

2. शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को तोड़ना।

भारत को आजाद कराने में देश के हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वे सभी अपनी भरी तरुणाई में अपना सब कुछ छोड़ कर देश के काम आए। यह सच है कि आज उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया। इन वीर शहीदों की स्मृति बनाए रखने के लिए देश के कर्णधारों ने बहुत कम काम किया है। आज उन अमर शहीदों की स्मृति को बनाए रखने के लिए जो कुछ लोग लोग हुए हैं, उसे भी मिटाने, तोड़ने तथा बर्बाद करने का काम आज बखूबी किया जारहा है और सरकार अकर्ण्य होकर देखरही है। पिछले साल इलाहाबाद में शहीदे आजम चन्द्र शेखर आजाद की समाधि तोड़ दी गई थी। यह काम आजाद भारत के माथे पर एक कलंक के सिवा कुछ नहीं था। अभी पिछले दिनों पिलानी (राजस्थान में अमर शहीद भगत सिंह प्रतिमा तोड़ दी गई है। ध्यान रहे प्रतिमा तोड़ दी गई है। ध्यान रहे प्रतिमा के पास ही थाना था। देशद्रोही मूर्ति को तोड़ते रहे और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। यह मूर्ति सन्

1980 में स्थापित की गई थीं और इसका अनावरण विख्यात क्रांतिकारी एवं लेखक श्री मनमथ नाथ गुप्त ने किया था ।

आजाद की समाधि के बाद भगत सिंह की मूर्ति का तोड़ा जाना इस बात का सबूत है कि देश में कानून-व्यवस्था का राज है ही नहीं । यह एक ऐसा कार्य हुआ है जो लाख प्रयासों के बाद भी इस राष्ट्रीय अपमान को थी नही सकता । प्रशासन का निकम्मापन इस घटया से उजागर होता है ।

अपराधियों को सख्त सजा देने की जरूरत है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल वही पढ़ सकते हो जो कुछ आपने अध्यक्ष महोदय को लिख कर दिया है और अध्यक्ष महोदय ने मंजूर किया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : हो हां

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह वही तो ठीक है । ...

श्री रामावतार शास्त्री : शुरु किया गया जो कुछ मुझे दिया गया वही मैं पढ़ रहा हूं

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार का नाम लिए बिना । आप केवल यह कह सकते है कि सम्बद्ध अधिकारी"

श्री रामवतार शास्त्री : क्यों ? आप इसे पहिले मंजूर कर चुके हैं । मैंने इसे पढ़ लिया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री रामावतार शास्त्री से बात कर रहा हूं । मुझे बहुत बड़ी बात न बनायें । आप नहीं जानते कि हमारे बीच क्या बात हुई है । आप कृपवा बैठ जायें । मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा ।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तानु में सम्मिलित नही किया जाये में इसकी अनुमति नहीं दे रहा ।

*(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले हो आपको बता चुका हूं यही तो दिक्कत है । वह आपके और हमारे बीच हुई बातचीत को नहीं जानते ।

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न दो विषयों को सम्मिलित किया गया ।

*कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया ।

1. राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि एक तरफ राज्य सरकार पर 340 करोड़ रुपये का ओवर-ड्राफ्ट है एवं दूसरी तरफ प्रदेश के पश्चिमी भाग जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली इत्यादि जिलों में 4 वर्ष से पड़े भयंकर अकाल के बावजूद भी अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से मजदूरी के अभाव में लोगों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। पशुओं को चारा व लोगों के लिए पीने के पानी का भयंकर संकट हो गया है। बिजली के अभाव में कृषि व 6 महीने से 100 प्रतिशत बिजली की कटौती के कारण उद्योगों के नष्ट हो जाने के व राजस्थान से पलायन कर जाने के हालात बन गये हैं। इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष अनुदान की राशि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पुनः सुदृढ़ करने हेतु देने संबधी चर्चा करने की आवश्यकता है।

2. जोधपुर जिला संचार व यातायात व्यवस्था में पिछड़ता जा रहा है। टेलीफोन व डाक-सेवायें अस्तव्यस्त हैं एवं जितना इन सेवाओं का प्रसार इस संभाग में होना चाहिए नहीं हो पाया है। राजस्थान के इस दूसरे सबसे बड़े जिले का सम्पर्क अन्य जगहों से पूरी तरह कटा हुआ होने से पर्यटन व औद्योगिक रूप से विकास अवरुद्ध है, क्योंकि संचार के अलावा रेलों का पूरी तरह अभाव है। इसलिये में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर संभाग की संचार व रेल यातायात की व्यवस्था की चिन्ताजनक हालत पर चर्चा अगले सप्ताह की संसद की कार्यसूची में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्न विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिये सम्मिलित किया जाय।

1. **विनोद और विमल कपड़ा मिलों को सरकार अधिग्रहीत करें** : मध्य प्रदेश मे उज्जैन स्थित दो कपड़ा मिलें विनोद तथा विमल मिल्स विगत कई महीनों से बन्द है। सरकारी घोषणा के अनुसार उक्त मिलें 15 मार्च, 1982 तक चालू की जानी थी, किन्तु मिलें अब भी बन्द हैं। इन मिलों के बन्द होने के कारण इनमें काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा उनके आश्रित परिवार के 50 हजार से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हुए हैं। इतना ही नहीं उज्जैन के कपड़ा बाजार का व्यवसाय जो प्रमुखतः इन जिलों के उत्पादनों पर निर्भर था, इन मिलों के उत्पादनों पर निर्भर था, इन मिलों के बन्द हो जाने के कारण कपड़ा व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। अतः उक्त मिलों को बिना मजदूरों का अहित किये सरकार तत्काल अधिग्रहीत कर चलाये। जिससे उज्जैन के हजारों बेरोजगार मजदूरों, उनके परिवारों को राहत मिले तथा साथ ही उज्जैन का प्रभावित कपड़ा व्यवसाय फिर से सुस्थिति में आ सके।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत कार्यसूची में निम्न दो विषयों का समावेश करवाना चाहता हूं—

1. उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में वनों के अन्धाधुन्ध कटान के फलस्वरूप भयकर पेयजल संकट व्याप्त हो गया है। भूगर्भित स्रोत सूख गये हैं. अतः सर्दियों से पानी लिफ्ट करके गांवों में पहुंचाने में पर्याप्त खर्च आता है जिसे पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश सरकार असमर्थ है। अतः

केन्द्र सरकार की विशेष सहायता आवश्यक है। इस विषय पर सदन में विचार किया जाना आवश्यक है।

2. उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े जनपदो के औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के अध्ययनार्थ केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल बनाया गया था जिसने कई जनपदों का भ्रमण भी किया है। उस दल की रिपोर्ट पर भी सदन में चर्चा आवश्यक है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अगले सप्ताह कार्य के बारे में दो अनुरोध करना चाहता हूं।

दिल्ली में तुर्कमान गेट कालोनी में टेनमेंटस के आवंटन में अनुचित तथा असाधारण विलम्ब हो रहा है जिसके कारण वहां के मूल निवासियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और वे अपने "ट्रांसिट" स्थानों पर अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे है। इस स्थिति के कारण तुर्कमान गेट के निवासियों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। उनकी कठिनाइयों को बढ़ाने के दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार तीन-चार परिवार में लोगों की संख्या को ध्यान में रखे बिना एक ही फ्लैट का आवंटन करने का निर्णय किया है। कालोनी पिछले 2 वर्षों से खाली पड़ी है और टेनमेन्टस खराब हो रहे हैं उनमें बार-बार मरम्मतों, सफेदी तथा रख-रखाव पर भारी खर्चा हो रहा है। इस बारे में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। सभा को इस मामले पर अगले वर्ष चर्चा करनी चाहिए।

दिल्ली में ऐतिहासिक आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कालेज की स्थिति आज दयापूर्ण है। कालेज को, जिसकी स्थापना स्वर्गीय अजमल खां द्वारा आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में उच्च शिक्षा देने तथा अनुसंधान के लिए की गई थी, दिल्ली विधान सभा के एक अधिनियम के द्वारा 1952 में सरकारी नियंत्रण में लिया गया परन्तु बोर्ड और उसके बाद प्रशासकों की नियुक्ति के बावजूद कालेज को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। अपेक्षित कर्मचारियों की एक तिहाई संख्या के साथ, दूसरी फूटी इमारतों, उपेक्षित ग्रन्थालय तथा चिकित्सीय पौधों से विहीन बगीचों के साथ कालेज सम्पूर्ण विनाश का दुख भरा चित्र है। निरन्तर मांग की जा रही हैं कि केन्द्र सरकार कालेज को अपने नियंत्रण में ले। संस्था के प्रभावी कार्यकरण तथा उसके पिछले उच्च स्थान तक पहुंचने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

सभा की अगले सप्ताह की कार्यवाही में इस वि य पर चर्चा को भी सम्मिलित किया जाये।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए मूल्यवान सुझावों के लिए उनके प्रति आभारी हूं। मैं इस पर विचार करूंगा और यदि मैं इसे जरूरी समझूंगा तो मैं इन बातों को कार्य मन्त्रणा समिति के सामने रखूंगा।

श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : कम से कम दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़खानी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आज के समाचार-पत्रों में आपने देखा है कि

दिल्ली में चार महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया और यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है ।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में एक कमी है । मेरी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए ।

श्री नीरेन घोष : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जसम के बारे में, हालांकि अनेक बातें हो चुकी हैं, परन्तु एक अभूतपूर्व बात हुई है । जब गोगोई मंत्रालय का गठन किया गया था, राज्यपाल ने कहा था···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी नियम का उल्लंघन किया है ?

श्री नीरेन घोष : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं । आप की व्यवस्था का प्रश्न क्या है ।

श्री नीरेन घोष : जब गोगोई मंत्रालय का गठन हुआ था तो राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने देश के हित में ऐसा किया है । कोई बहुमत प्रदर्शित नहीं किया गया । यह नहीं कहा गया कि वे सहमत थे और फिर···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न समझ लिया है । मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं । आप इतना बड़ा भाषण क्यों देते हैं ? कृपया बैठ जायें ।

श्री नीरेन घोष । कृपया मुझे बोलने दें । उच्चतम न्यायालय का विचार है कि अब कालेज का गठन कर दिया जाये तो उसे किसी प्रकार से अव्यस्थित नहीं किया जा सकता । न्यायालय भी उसमें दखल नहीं दे सकता । अत: न राज्यपाल और न राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में विधान सभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है । यह एक प्रतिष्ठित संसदीय परम्परा है । निपक्ष को 66 विधायकों के सदन में से बहुमत का समर्थन प्राप्त था । उनको बुलाया जाना चाहिए तथा शक्ति परीक्षण किया जाना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । विधान सभा को भंग कर दिया गया । कोई नही जानता तथा इस प्रकार का कोई संकेत भी नहीं है कि क्या चुनाव होगा अथवा नहीं । यह गैर-कानूनी अवैध है और यह अधिनायकवाद की ओर आगे कदम है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अनुच्छेद 350(3) देखें :

> "इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन समक्ष रखी जायेगी तथा जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो महीने की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित नहीं हो जाती तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।"

यह ठीक है ।

इसलिये वह संवैधानिक कार्य ही कर रहे है··· (व्यवधान)

कृपया सुनिये। दिनांक 18 मार्च 1982 की असम सरकार की रिपोर्ट की प्रति प्रकाशित कर दी गई है ?

)व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा। अब श्री लास्कर आरम्भ करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली में निर्वाचनों को और स्थगित करने का राष्ट्रपति का आदेश तथा आसाम राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा तथा आदेश आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या का० आ० 140 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 31 के अन्तर्गत जारी किया गया दिनांक 8 मार्च, 1982 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, और जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबन्धों को 21 मार्च, 1982 से 6 महीनों की और अवधि के लिए निलम्बित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 3676/82]

(2) (एक) असम राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 19 मार्च, 1982 की अधिघोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 19 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 256 (अ) में प्रकाशित हुई है।

(दो) उपर्युक्त अधिघोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये दिनांक 19 मार्च, 1982 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 257 (अ) प्रकाशित हुआ है।

(3) असम के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दिनांक 18 मार्च, 1982 की रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3677/82]

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। यह सब मेरी बिना अनुमति के किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न कीजिये। अब हम कार्यवाही की अगली मद गैर सरकारी सदस्यों का कार्य के सम्बन्ध में विचार-मिवर्श करेंगे। हर बात की एक सीमी होती है

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकाकी सदस्यों के कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करें। यही तरीका है। यह कोई तरीका नहीं है। इस मामले में हम सदन की कार्यवाही नहीं कर सकते।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब ही डूंगर सिंह :

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय वे जो कुछ भी कहें उसे रिकार्ड न कीजिये। कोई सीमा होती है।

गेर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री डूंगर सिंह (हमीरपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 17 मार्च 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये अड़तीसवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 17 मार्च 1982 को सभा में प्रस्तुल किये गये अड़तीसवे प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कोई बात रिकार्ड न कीजिये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही पुनः स्थापना के लिये विधेयक श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 335 का संशोधन)

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : (अकालापुरम) : मैं प्रस्तात करता हूं कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ·

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायगा। अब श्री हरीश रावत। (व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : एक सीमा होती है। इस मामले में सुबह से एक घंटा लग गया । आप फिर इसे उठा रहे हैं । एक मिनट खोने का अर्थ है 4800 रु० का घाटा होना। यह गरीबों का धन है मैं ऐसा नही होने दूंगा।

———

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक

(धारा 2 आदि का संशोधन)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित रखने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

———

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नि:शुल्क विधिक सेवा विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 5 मार्च, 1982 को श्री एड्आरडो फेलोरो द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार विचार करेंगे, अर्थात

"कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री गिरधारी लाल व्यास : (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास खड़े हैं । मैं किसी और को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फ्री लीगल सर्विसिज बिल प्रस्तुत किया गया है इसका मै समर्थन करता हूं ।

इसका मुख्य ध्येय यह है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों ऐसे लोगों को फ्री लीगल एड दें जो कि गरीब हैं और गरीबी की सतह से नीचे है । उन लोगों की ऐसी हालत नहीं है कि वे अपना मुकदमा लड़ सकें । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि यह बिल बहुत आवश्यक है, इसके बिना गरीब लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती । कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 339 ए (1) में भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि: |

39—क—

"समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि व्यवस्था इस प्रकार काम करके कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह विशिष्ठत: यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निरयोगता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जायें, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य प्रकार से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगी ।"

तो इस प्रकार का जो यह प्रावधान इस बिल द्वारा किया गया है इससे गरीब लोगों को मुकदमो में ठीक प्रकार सहायता मिल सकेगी ।

आज देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबों की सतह से नीचे है । आज न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है । इसलिए इस प्रकार के प्रावधान की नितांत आवश्यक है । सरकार ने पहले भी इस प्रकार की सहायता सुप्रीम-कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एस० डी० ओ० के कोर्ट में उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई । आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील पैरवी के लिए 5-5 हजार रुपए लेते हैं। गरीब आदमी यह फीस नहीं चुका सकता, सरकार की तरफ से जिन वकीलों की व्यवस्था होती है, वे अनुभवी होते हैं, जिससे वे मुकदमा हार जाते हैं । तजुरबेकार वकीलों की सलाह गरीब आदमी को प्राप्त नहीं हो पाती ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि हर स्तर पर गरीब लोगों के मामलों को अच्छे वकीलों के सुपुर्द किया जाय, जिससे मुकदमों की सही पैरवी हो सके।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां राजस्थान में जागीरदारी प्रथा थी, जिसे राजस्थान सरकार ने समाप्त कर दिया और उनकी जमीनों को उन कास्तकारों के नाम कर दिया जिनका काफी समय से कब्जा था और वे उस पर खेती करते थे। पर उन जागीरदारों ने तरह-तरह के मुकदमे करके और अफसरों से मिलकर उन लोगों का कब्जा नहीं होने दिया और उनको जमीनों से निष्कासित करवा दिया। इसलिए गरीब आदमी के लिए यह सहायता अत्यंत आवश्यक है। गरीबों को जो कानून अधिकार दिए गए हैं, उनका सही तरह से वह उपयोग कर सके, इसलिए उनको इस प्रकार की सहायता नितांत आवश्यक है।

लैण्ड रिफार्म के तहत बडे बड़े जमीदारों की जमींनें ली गई हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे बडे-बड़े जमीदार हैं, जिन्होंने गलत नामों पर गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है। सीलिंग से बचने के लिए। मगर उसके बाद भी जो जमीन सरकार के पास आयी और गरीबों में बांटी उस पर गरीब आदमी काबिज नहीं हो जाता क्योंकि लाठी, बन्दूक और तलवार की ताकत बड़े जमींद रों के पास है और वह लोग कानूनी दांव पेच चलाकर उन जमीनों पर गरीबों का काबिज नहीं रखने देते ओर बेदखल करने का प्रयास करते हैं। गरीब आदमी बड़े लोगों से मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए यह व्यवस्था जरूरी है कि उनको फ्री एड मिले और प्रीसाइडिंग अफसर भी ऐसे होने चाहिए जो इन लोगों की सहायता इस कानून के तहत कर सकें। तभी उनका भला हो सकता है और जो आशायें उनको सरकार की तरफ से हैं वह पूरी हो सकती हैं।

इसी तरह से मजदूरों के मामले हैं, लैंडलैस लेबर के मामले है जिनकी सहायता करना भी जरूरी है। बोडड लेबर के सम्बन्ध में भी कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। लैंडलैस लेबर फार्म लेबर, माइनर्स और इंडस्ट्रियल लेबरसंके सम्बन्ध में कई तरह के मुकदमे आते हैं जिनके जरिये पैसे वाले लोग उन लोगों पर अत्याचार करते हैं। उन अत्याचारों से बचने के लिए बहुत बड़ी कानूनी सहायता उनको मिल सके इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्डास्ट्रियल लेबर तो ट्रेड यूनियन के जरिये सुरक्षित हो रहा है, मगर जो अनआर्गनाइज्ड लेबर है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो लेबर डिपार्टमेंट है वह भी उनकी सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि पैसे वालों का ही पक्ष करता है। गरीब लोगों के पक्ष में लेबर डिपार्टमेंट को पैरवी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता परिमाणतः गरीब को न्याय नहीं मिलता है। इन चीजों को रोकने के लिए बड़े प्रयास की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में इस प्रश्न को 1975 में 20 पोइन्ट प्रोग्राम तहत लिया था, आज भी यह प्रश्न हाथ में लिया गया है। मगर इसकी और ज्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसलिए इस व्यवस्था को जितना ज्यादा मजबूत किया जाएगा उतनी अच्छे तरीके से व्यवस्था हो पायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वकीलों में भी गरीबों के मामले अपने हाथ में लेने में दिलचस्पी नहीं होती है। वह पैसे वालों की पैरवी करते हैं। सरकार की तरफ से 50, 100 रुपए किसी मुकदमे में तय कर दिये जाते हैं तो उस केस को कोई बड़ा वकील नहीं लेता। छोटे छोटे वकीलों को लगा दिया जाता है जिनको कानून की पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए गरीब आदमी पिट रहा है। अत: लीगल एड के जरिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट लोगों की उनको सहायता मिल सके।

हमने यह भी कोशिश की कि जहां बड़ी-बड़ी अदालतों में गरीब लोगों को न्याय न मिले वहां उनको न्याय पंचायतों के जरिये न्याय दिलाया जाय मगर वहां भी बड़े-बड़े पैसे वाले लोग ही सरपंच, और पंच चुन कर आ जाते हैं, बड़े लैंड होल्डर्स के प्रतिनिधि चुन कर आ जाते हैं। जिसके कारण गरीब लोगों को वहां भी राहत नहीं मिलती।

न्याय पंचायतें मुकर्रर होने पर उनमें ऐसे आदमी चैयरमैन होने चाहिए जिनकी दिलचस्पी गरीब आदमी को न्याय दिलाने में हो, तभी गरीबों को न्याय मिल सकता है। अगर उनमें भी गांव के बड़े लैंड होल्डर्स या बड़े जमींदार आ जाते हैं, तो वहां पर भी उनको न्याय नहीं मिलेगा। इन पंचायतों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छोटे-छोटे मामले वहीं पर निपटाये जा सके और लोगों को राहत मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

सरकार ने जगह-जगह हरिजनों पर होने वाले अन्याय के लिए अलग-अलग अदालतें मुकर्रर की हैं, मगर उनमें होता क्या है ? यह अदालतें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकर्रर होती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेबल पर हरिजनों को आने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि यह कोर्टस भी मोबाइल होनी चाहिए। जहां भी हरिजनों के साथ अन्याय हो, वहां पर यह मोबाइल कोर्ट जाकर उनको न्याय दिला सके। जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, आपको हरिजनों के साथ अन्याय हो, वहां पर यह मोबाइल कोर्ट जाकर उनको न्याय दिला सकें जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, आपको हरिजनों से सहानुभूति है, आप शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को सहायता दिलाने जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें आने वाली हर्डल्स को हम दूर नहीं करेंगे यह सारी व्यवस्था ठीक नहीं हो पायेगी।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लीगल एड के लिए जितना पैसा मुकर्रर किया गया है, वह बहुत थोड़ा है उसमें तो एक स्टेट का काम भी नहीं चल सकता है। हमारे मन्त्री जी यहां विराजमान हैं, मेरा निवेदन है कि इसके लिए ज्यादा पैसा मुकर्रर करके ऐसी व्यवस्था करायें जिससे इन गरीबों को लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री टी० नागर रत्नम (श्री पेरुम्बुदूर) :श्री एडुआरडो फेलीरो द्वारा प्रस्तावित विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं। कि उन्होंने मुझे अपने देश में गरीब लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा के इस गैर सरकारी सदस्य के विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश में 30 करोड़ व्यक्ति गरीबी की

रेखा के नीचे है। 30 करोड़ व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के दुस्तर कार्य है। इसके लिए आधारभूत ढांचे की आवश्यकता होगी। यह कार्य केन्द्रीय सरकार, बार ऐसोशियेशनों, बार काउन्सिल और कानून व्यवसाय में लगे व्यक्तियों, सामाजिक कार्य कर्त्ताओं और जनता के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार 31.12.1981 को 22,664 मुकदमे नियमित सुनाई के लिए लम्बित थे। इनमें से 16,789 मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं। विभिन्न उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में, ध्यान देने पर पता चलता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1,4,5,893 मुकदमे अनिर्णित पड़े है जिनमें से 1,00,867 मुकदमें एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 49,761 मामले अनिर्णीत हैं जिनमें से 26,031 को एक वर्ष से अधिक हो गया है। तमिलनाडु में उच्च न्यायालय में 70,796 मुकदमे अनिर्णीत पड़े हैं और जिनमें से 49,950 मुकदमे एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित है। देश भर के सभी उच्च न्यायालयों में कुल मिला-7,79,192 मुकदमें अनिर्णीत पड़े है जितमें से एक वर्ष से अधिक समय से 5,19,935 मुकदमे लम्बित है।

दिसम्बर 1981 के अन्त तक उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए तथा विविध मामले सम्बन्धित 60,260 मुकदमें थे।

हमारे संविधान में एक आदर्श··· रखा गया है, वह है समानता। किन्तु यह भी सर्वाविदित है कि लोगों में बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है थोड़े ही प्रतिशत लोगों की पर्याप्त आय है और बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, उनमे से भी अधिकतर लोग जीवन-यादन स्तर से भी नीचे हैं। धन के वितरण में भारी असमानता है। धन का बहुत बड़ा भाग बहुत से वर्ग के लोगों के हाथों में सीमित है। प्रशासन तथा न्याय के क्षेत्र में, इस आर्थिक असमानता का 'समता' पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। सिद्धांतरूप में कानून और न्याय की आंखों में सभी बराबर हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि आर्थिक असमानता के कारण न्याय कमजोर वर्ग के लोगों से दूर हो गया है। कानून उतना जटिल हो गया है और न्यायालय की प्रक्रिया इतनी तकनीकी है कि बिना वकील की सहायता के बहुत ही कम मुकदमे वाजों को अपना मामला न्यायलय के समक्ष रखना संभव हो सकेगा। स्वाभाविक रूप से उसे अपेक्षित फीस देनी पड़ेगी। हमारे देश मे कितने लोग फीस देकर वकीलों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं? मुकदमा लड़ने वाले को उस स्थान से जहां उसका घर है जिस स्थान पर न्यायालय स्थित है तक यात्रा करने तथा गवाहों को न्यायालय तक लाने के लिये भी धन व्यय करना पड़ता है।

अमरीका में, दोषी व्यक्ति को अपराधिक जांच में अपने बचाव के लिए काउन्सेल द्वारा सहायता प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार है, अमरीकी संविधान मे छठा संशोधन द्वारा जिसकी गारंटी दी गई है।

कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता दिये जाने के महत्व के बारे हमारे देश में हाल में ही ध्यान दिया गया है। राज्य के लिये नीति निदेशक तत्व में हमारे संविधान के भाग 4 मे 1976 मे परिच्छेद 39—क प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है :-

39—क समान न्याय तटा निशुल्क कानूनी सहायता।"'

हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य (ए० आई० आर० 1979 उच्चतम न्यायालय द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों का कानून सहायता दिये जाने के 1369) के मामले में उच्चतम न्यायालय महत्व पर बल दिया। उच्चत मन्यायालत का प्रेक्षण था :- जो पृष्ठ 1373 पर है।

"हमारे विचार से गरीबों को कानूनी प्रक्रिया का लाभ पहुंचाना, उन्हें अन्याय से बचाना तथा उन्हें संवैधानिक और वैधानिक अधिकार सुलभ कराना तब तक संभव नहीं हैं, जब तक कि उन्हें निशुल्क कानूनी सेवा दिये जाने का राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सेवा कार्यक्रम तैयार नहीं किया जाता।

(श्री हरिनाथ मिश्रा पीठासीन हुए)

हमारे संविधान के परिच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले को छोड़कर जिसमें कानून द्वारा ऐसी प्रक्रिया प्रतिष्ठापित न की गई हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्ति गत स्वतंत्रता से बंचित नहीं किया जाएगा।

मैं सदन को ध्यान दिलान चाहता हूं कि तमिलनाडु मुकदमा चलाये बिना लोगों को हिरासत में लिये जाने का एक अध्यादेश दो या ढाई महीने पूर्व लागू किया गया है। इस अध्यादेश के अधीन, तब से मुकदमा छलाये बिना ही अनेकों निदोष और गरीब व्यक्ति हिसारत में लिये गये हैं। केन्द्र सरकार ने सब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। यहां तक कि विरोधी दल से बदला लेने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अलग से एक अध्यादेश लागू किया और विधान सभा से पारित करबा कर उसे कानून बना दिया है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु सरकार विशेषकर एम० जी० आर० से स्पष्टीकरण मांगा जाये क्योंकि वह उस काले कानून के जरिये गरीब लोगों से बदला लेना चाहते हैं।

विधेयक में यह प्रस्ताव दिया गया है हर अनुसूचित जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। मैं कहना चाहूंगा कि सभी निर्धन लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। जिस किसी ने भी अपराध किया हो अथवा वह किसी अपराधिक अथवा शिविल न्यायालय में जाने को बाध्य हुआ हो उसे कानूनी सहायता के लिए तथा न्यायालय मुद्रक अदा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अत: इस विधेयक से लोग किसी समुदाय विरोध के लिए दो मत नहीं होने चाहिए। अच्छा जो कि इसमें कोई अपसीमा जैसे 5000 रुपये निश्चित कर दीजिए। यह भी तो हो सकता है कि अनुसूचित जाति को कोई व्यक्ति धनवान हो और वह कोई जमीदार हो उन लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। अपना मकान रखने वाले तथा आर्थिक दृष्टि के सुदृढ़ लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए यदि वे अनुसूचित जातियों के ही क्यों न हों। क्योंकि हम देश में बहुत से लोग निर्धनता से नीचे का जीवन बिता रहे हैं आप कह सकते हैं कि 5000 रुपये अथवा उसके कम आय वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये।

इस तरह का कोई प्रावधान संव्यधा अथवा किसी विधेयक में ही कर देना ही काफी

नहीं है । इस प्रयोजन के लिए कोई समिति भी नियुक्त की जानी चाहिए तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए । विधि मन्त्री इस बात को इस लिए सरलता से न ले लें क्योंकि यह गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक है ।

देश के अधिकांश लोग बहुत निर्धन हैं तथा त्रस्त हैं । कुछ धनवान व्यक्ति बिना बात ही उन्हें न्यायालयों में घसीट ले जाते हैं। यदि आक्राता एक धनवान व्यक्ति हो तो वह सर्वोत्तम कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है । वह एक निर्धन व्यक्ति के विरूद्ध मामला शुरू कर देता है जो न तो वकील की फीस दे सकता और न ही न्यायालय का शुल्क तथा पुलिस थाने भी नहीं जा सकता अत: स्थिति यह है कि स्वाधीनता प्राप्त के 35 वर्ष बाद भी, निर्धन लोग हमारे द्वारा पारित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों का लाभ नहीं उठा सकते पा रहे क्योंकि व न्यायालय का आश्रय लेने तथा वहां से अपना अधिकार पाने के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते ।

इसलिए तो मैं कहता हूं कि सरकार निर्धन लोगों को सहायता करें । यदि सरकार को इस प्रयोजन के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए । राज्य सरकारों को भी कहा जाये के वे इस के लिए निधियों का नियतन करें । प्रत्येक जिले में कानूनी सहायता सेल खोले जाय । हर गरीब व्यक्ति को हम कार्यालय से कानून सहायता प्राप्त करने से हमें मिलना चाहिए । अत मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता है जो गत कई दर्शकों के बिना हल हुए चली आ रही है हमारा विचार इसकी ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित करना है ।

श्री चित्त बसु : : सिद्धान्तत: तो यह बात ठीक है

श्री जगन्नाथ राव : विधेय प्रस्तुत करने वाले अपने माननीय मित्र के प्रति सम्पूर्ण सम्मान सहित मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत आगे तक की बात नहीं करता । इस विधेयक को पारित करके हम उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पायेंगे जो इस में निहित है इस समय कानूनी सहायता के लिए स्वेत दो प्रावधान है-एक दीवानी कानून में है और दूसरा फौजदारी कानून के अन्तर्गत है जिनमें गरीब व्यक्ति को कानूनी सहायता मिल सकती है । आदेश संख्या 33 नियम । के अधीन एक दीवानी दावे में जहां उसे निर्धन समझा गया है जिसे सरकारी तौर से निर्धन व्यक्ति की तरह माना जाता है, उसे न्यायालय शुल्क से मुक्त रखा जाता है और धारा 302 के अधीन फौजदारी के मामलों में जहाँ वह अपनी रक्षा के लिए कोई वकील करने में समर्थ नहीं होता है सरकार उसे वकील की सहायता देती है । यही दो प्रावधान हैं जिनके अधीन कोई गरीब व्यक्ति सरकार से सहायता ले सकता है । परन्तु समय आ चुका है जबकि गरीब आदमी की पूरी देखभाल होनी चाहिए । अब अनुच्छेद 9 के संविधान के भाग-चार में निदेशक सिद्धान्तों में जोड़ा गया है हमें एक निदेशक सिद्धान्त बना लिए जाने पर सरकार को यह दायित्व है कि वह उसे प्रभावी केन्द्र अन्यथा निदेशक सिद्धान्त का कोई अर्थ नहीं इसलिये

तो पर वे संशोधन में अनुच्छेद 39 क जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई है। अत: केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही मामलों में तथा अन्य बातों में भी निर्धन लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने की योजना तैयार करें। मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं।

हमारे पास विख्यात न्यायधीशों-न्यायधीश भगवती तथा न्यायधीश कृष्ण अय्यर के दो प्रतिवेदन है। प्रतिवेदनों की तो कमी नहीं आवश्यकता तो कुछ करने की इच्छा की है। मैं समझता हूं एक के अनुसार उन्हें क्रियन्नित करना चाहती है परन्तु राज्य सरकारें शायद इससे सहयोग नहीं कर रही हैं, (व्यवधान) ठीक है मैं राज्य सरकारों को बधाई देता हूं कि वे इस मामले में आगे आ रही हैं परन्तु पता नहीं क्यों कोई योजना नी तैयार की गई है, क्यों कोई राज्य सरकार नियमों को कानूनी सहायता देने की योजना तैयार नही कर पाये-(व्यवधान) अत: यह राज्य सरकार चाहती हैं और शेष सरकार चाहती है तो मैं नहीं जानता कि इस मामले में और आगे विलम्ब क्यों हो रहा है।

महोदय, इन गरीब लोगों को नही मालूम कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। अशिक्षित गरीब तथा अभावग्रस्त होने के कारण वे नहीं जानते कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करें और न ही वे दूसरों द्वारा हड़पे गये अपने अधिकारों की रक्षा ही कर सकते हैं। यहां तक कि गावों में तो ऐसे लोगों को जीवन तथा स्वतन्त्रता ही खतरे में हैं। अनुच्छेद में जीवन क्या स्वतन्त्रता दोनोंही आधारभूत अधिकार हैं परन्तु वे उनकी रक्षा नहीं कर सकता इस विधेयक में ऐसाकोईप्रविधान नही किया गया है। अब उसे निदेशक सिद्धान्त बना दिया गया है और अब छटी योजना मे ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास की बात कही गई है इसको भी ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के आर्थिक विकास का एक अंग माना जाना चाहिए। जब तक आप इस कार्य को को आर्थिक विकास का एक अंग नहीं मानते, तब तक मामले में कोई तेजी नहीं आयेगी और परिकल्पित आर्थिक विकास से वे लाभ नहीं मिल सकेंगे जो उन्हें देने का प्रावधान किया गया हैं उदाहरणार्थ जहां भूमिहीनों को फालतू भूमि दी गई हैं- श्री व्यास ने उसका जिक्र किया है और यदि वह व्यक्ति भूमि का कब्जा लेने जाता है तो उसे या तो उस भू-स्वामी का या उसके मुजाहरे का सामना करना पड़ता है जिनके पास पहले वह भूमि थी। यदि हिंसा भी हो जाये तो भी उसे ही नुक्सान होता है और उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए इस कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक विकास कार्यक्रम के एक अंग के रुप में जाना चाहे ताकि एक ऐसी सोची समझी योजना बन सके जिन राज्य सरकारें पूरी इमानदारी के साथ क्रियान्वित कर सकें।

यदि आप प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की ओर देखें तो आप पायेंगे कि चौथा सूत्र भूमि की अधिकतम सीमा, भूमि के वितरण तथा भूमि पर कब्जा देने में सभी कानूनी अड़चनों को हटाये जाने पर जोर किया गया है इसलिए यदि यह प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रमका एक अंग है तो इस को इनिलम्ब क्रियाओं करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : क्या आप यह समझते है कि गरीबी स्वयं में एक ऐसा रोग है जिसके दो पहलु है ?

श्री जगन्नाथ राव : अब आप इसे असहाय कहिये। वह केवल गरीब तथा असहाय ही नहीं अशिक्षित भी है। उसे नहीं मालूम कि उसके अधिकार क्या है तथा इनका अतिक्रमण होने पर कैसे उनकी रक्षा की जाये। क्या यह सरकार का कल्याणकारी राज्य का कर्त्तव्य नहीं कि उसकी रक्षा को आये।

सभापति महोदय : राव साहब मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं था कि सरकार को उसकी रक्षा के लिये आगे नहीं आना चाहिये। मैं तो यह कह रहा था कि निर्धनता के इतने सारे पहलु हैं —

श्री जगन्नाथ राव : इसीलिये तो हमें कहीं न कहीं कोई सीमा रेखा खीचनी चाहिये हम यह नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता करनी चायिये। हमें ऐसी कोई सीमा रेखा बनानी चाहिये कि कौन सा वर्ग निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का पात्र है जो मर्जी सीमा रेखा रख लें मैं उस पर आपत्ति नहीं करूंगा। परन्तु यह तो मैं नहीं कहूंगा कि हर व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता मिले।

इस विधेकक में प्रस्तुकर्त्ता ने उन व्यक्तियों को वर्गीकृत किया है जिन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिले। केवल न्यायालयों में ही नहीं अर्द्ध-न्यायालय निकायों पचायतों तथा बोर्डों में भी मेरे विचार से यह प्रावधिान काफी नहीं हैं। वे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे अतः मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह तत्सम्बन्धी योजना का सुझाव देते हुए एक व्यापक विधेयक पेश करे। वह सरकार की योजना को क्रियान्वित करने के लिये एक तंत्र का भी गठन करे। योजना द्वारा यदि जरुरत होनों, अधिवक्ता अधिनियम में भी संशोधन किया जाय ताकि हर वकील इस तरह के दो-तीन मामले हर वर्ष ले और वह बिना शुल्क अपने मुवक्किल के लिये काम करे इन सभी बातों पर विचार किया जाना है। अन्यथा इस विधेयक को ही पारित कर देने से वे प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे जिसके लिये माननीय सदस्य अपना विधेयक लाये हैं। परन्तु यह विचार बहुत अच्छा है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : आप सरकार को बता रहे है। मैं चाहता हूं सरकार कुछ करे।

श्री जगनाथ राव : जी हां, इसलिये मैं विधि मंत्री से आशा करता हूं कि वह यह आश्वासन दे कि वह यथाशीघ्र एक विधेयक लायेंगे तथा एकतन्त्र स्थापित करेंगे और वह विवरण भी प्रस्तुत करेंगे कि न केवल दीवानी अथवा फौजदारी के मामलों में बाहंक राजस्व क्या अन्य मामलों में भी जहां कहीं थी आवश्यक होगा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जायेगी।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कि राज्य सरकारों को हर खण्ड-मुख्यालय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अदालतें स्थापित करनी चाहिये ताकि अदालती कार्यवाहियों में कम से कम खर्च पड़े गरीब आदमी के लिये यह बड़ा कठिन है कि वह 30-40 मील दूर स्थित निकटतम न्यायालयों

में जाये । अत: आप हर खण्ड मुख्यालय में एक अदालत खोलें जिसके पास दीवानी तथा फौजदारी के मामले तय करने की शक्तियां हों ताकि अदालती कार्यवाहियों पर अधिक खर्च से बचा जा सके । ऐसे व्यक्ति तैनात किये जायें जिसके पास दस्तावेजों के प्रारुप तैयार करने तथा अदालतों के बाहर ही झगड़े निपटा लेने का अनुभव हो । अत: यह सब बातें किसी व्यापक विधेयक द्वारा ही संभव है और सरकार को इसके लिये एक योजना तैयार करनी चाहिये ।

मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले में सहानुभूति रखती है और वह शीघ्र ही कुछ करेगी । मैं चाहूंगा कि वह इसे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत ले ।

श्री चतु बसु (बरासाट) : महोदय, मैं इस विधेयक के मूल सिद्धान्त का समर्थन करता हूं । जिसे मेरे माननीय मित्र श्री फेलोरी ने प्रस्तुत किया है ।

तथापि आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कि उनके विधेयक के कतिपय प्रावधान न केवल स्तरीय नहीं हैं बल्कि मेरे बिचार से पर्याप्त रूप में प्रगतिशील अथवा पर्याप्त रूप से वांछनीय भी नहीं है । कुछ प्रावधानों का तो मैं विरोध भी करना चाहता हूं परन्तु, आमतौर से, इस विधेयक का आशय प्रशसनीय है इनकी प्रशंसा करने से पूर्व मैं सभा में से सचिव कर देना चाहता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है अपने निर्धनों को कानूनी सहायता देने के मूल सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । इस बात पर हमारा कोई विवाद नहीं है । परन्तु मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार ने वस्तुत: इसे समझा ही नहीं है या फिर शायद इस मूल विचार की भावना की उपेक्षा भी की है ।

सभापति महोदय : परन्तु मेरे विचार से आप मानेंगे कि सरकार ने इस भावना को समझने की कोशिश की है ।

श्री चित्तु बसु : मैंने यह बात इसलिए कही है कि सरकार ने निर्धनों को कानूनी सहायता देने के विचार को तो मान लिया है । परन्तु मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह इसे क्रियान्वित करने के कार्य में भी ईमानदार है मुझे क्षोभ है कि मैं इस बात पर आपको प्रसन्न नहीं कर सकता ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । क्या यह पश्चिम बंगाल अथवा केरल में सन्तोषजनक ढंग से क्रियान्वित हो गया है ?

श्री चित्तु बसु : वे करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री के० मायातेवर : परन्तु वह भी असफल रहे हैं ।

श्री चित्तु बसु : आप इसे समझे कि वे वहां क्या कर रहे हैं । यहां प्रश्न पश्चिम बंगाल या उस या इस सरकार का नहीं है । अत: वह इस बात पर क्रोधित न हों ।

सभापति महोदय : वस्तुत: मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप क्रोध न करें । आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें ।

श्री चित्तु बसु : अब हम निःशुल्क कानूनी सहायता की विचारधारा का विश्लेषण करने का प्रयास करें। एक कहावत है न्याय में विलंब का अर्थ है न्याय न दिया जाना परन्तु जो न्याय महंगा पड़े वह भी न दिये जाने के बराबर ही है मै चाहता हूं कि सरकार तथ्य को समझे। मेरे विचार से इस विधेयक के प्रस्तुत कर्त्ता इस बात समझते हैं तथा स्वीकार करते हैं।

सभापति महोदय : एक मिनट रुकिए। इस विधेयक के लिए निर्धारित समय के अनुसार इसका समय 4. 5 बजे समाप्त हो जाएगा। लेकिन विभिन्न दलों के कितने ही ऐसे माननीय सदस्यों के नाम मेरे पास हैं, जो इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। अब यह पूर्णतः सदन की मर्जी पर निर्भर करता है। वार-विवाद को अब यही समाप्त कर दिया जाय अथवा इसके लिए समय को बढ़ा दिया जाए?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ऐसे अनेक माननीय सदस्य हैं, जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि समय को इतना ही बढ़ाया जाए, जिससे कि अगले विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता, श्री पी० रामगोपाल नायडू को विचारार्थ अपना विधेयक प्रस्तुत करने का समय मिल जाए। उनके लिए पांच मिनट छोड़ दिए जाने चाहिए।

सभापति महोदय : हर बात उस सहयोग पर निर्भर करती है जो पीठासीन अधिकारी को माननीय सदस्यों से प्राप्त होता है। यह बिल्कुल ठीक-ठीक निश्चित होना चाहिए कि वाद-विवाद का समय कितना बढ़ाया जाए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : एक-डेढ़ घन्टा यह समझते हुए बढ़ा दिया जाना चाहिए कि श्री पी० रामगोपाल नायडू को विचारार्थ अपना विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कुछ मिनट यानि कि पांच मिनट का समय दे दिया जाय।

सभापति महोदय : क्या सदन यह चाहता है कि समयावधि एक-डेढ़ घन्टा बड़ा दिया जाए ?

माननीय सदस्य गण : जी हां।

समापति महोदय : अतः समयावधि एक-डेढ़ बढ़ा दी जाती है।

श्री चित्तु बसु : जैसा कि मैं कह रहा था, मूल समस्याओं के बारे में आपस में एक समय होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया था, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि मँहगा न्याय, न्याय न होने के बराबर है। यही मूल मन्त्र है।

वस्तुतः न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने इस बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था।

"मंहगी कानूनी पद्धति ने आम आदमी को अदालत में न्याय का अधिकार प्राप्त करने से रोक दिया है।"

यहां मंहगाई का प्रश्न है। कानूनी सहायता के आशय को स्पष्ट करते हुए आगे वे कहते हैं।

"इस शताब्दि के पहले अर्ध-भाग ने भारत को स्वतन्त्र कराया है। दूसरे अर्ध भाग में भारतियों को स्वतन्त्र कराया जाना चाहिए।"

मैं उनका हवाला केवल इसलिए दे रहा हूं कि कानूनी सहायता की धारणा के पीछे विचार क्या है। यह केवल इतना ही नहीं है कि कुछ धनराशि मंजूर कर दी जाए अथवा कुछ सहायता प्रदान कर दी जाए। कानूनी सहायता एक सामाजिक पहलू है। इसके आगे वे कहते हैं।

"भारत सरकार के कानूनी सहायता कार्यक्रम की व्याख्या दान शीलता की कार्यवाही के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

मैंने यहां यह उद्धारण इस बात को सिद्ध करने के लिए दिया है कि न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती का दृष्टिकोण निश्चित रूप से यह था कि कानूनी सहायता को केवल दान शीलता की कार्यवाही के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। हमारा वह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यह तो एक सामाजिक उत्तरदायित्व है।

अत: जब तक सरकार यह स्वीकार नहीं करती है कि कानूनी सहायता की धारणा का यही मूल मन्त्र है, मेरा विचार है कि जब तक कोई भी लाभकारी योजना नहीं बन सकती और न ही कार्यान्वित हो सकती है।

मैं आपका ध्यान कानूनी सहायता देने सम्बन्धी योजना लागू करने के क्षेत्र और किन-किन लोगों को इसका लाभ दिया जाना है, की ओर भी दिलाना चाहता हूं। न्याय मूर्ति कृष्ण आयर ने इस बारे में कुछ टिप्पणियां की है :

"कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यापक योजना में श्रमिक विवादों में श्रमिक वर्ग के लिए, कृषि सम्बन्धी विवादों में किसानों के लिए, साम्प्रदायिक विवादों में अल्प-संख्यकों के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, बन्दियों के लिए, धार्मिक और राजनीतिक असन्तुष्टों आदि के लिए कानूनी सहायता देना सम्मिलित किया जाना चाहिए।"

अत: न्यायमूर्ति कृष्ण आयर ने इस योजना के क्षेत्र और सम्भावना को भी इंगित किया है और इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने "जस्टिस एण्ड बियॉन्ड" नामक अपनी पुस्तक में किया था। यह राज्य की जिम्मेदारी है। मेरा तात्पर्य राज्य सरकार से नहीं है। कानूनी सहायता देने का राज्य का अपना कुछ उत्तरदायित्व है।

मैं राज्य नीति के उन निदेशात्मक सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे दिये गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का यहाँ जिक्र करना चाहता हूं जिनका हमारे संविधान में उल्लेख है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने गरीब लोगों के लिए कानूनी सहाया प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी के बारे में अपना मत व्यक्त किया था।

इस सन्दर्भ में मैं उच्चतम न्यायालय के उस मामले में दिये गए निर्णय का हवाला देता हूं; जो खत्री और अन्य व्यक्तियों बनाम बिहार राज्य से सम्बन्धित था और जिसमें यह बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि बिहार राज्य और प्रशासनिक असमर्थता का तर्क देकर अपनी उन संवैधानिक जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता—कृपया नोट करें, "संवैधानिक जिम्मेदारियां"—जो गरीब अभियुक्त के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित हैं। अब प्रश्न वित्तीय अथवा प्रशासनिक असमर्थता का है। यदि राज्य सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन अथवा प्रशासनिक उपकरण मौजूद नहीं भी हों, तो भी उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कहता है कि राज्य वित्तीय क्षमता और प्रशासनिक मशीनरी की असमर्थता का तर्क देकर गरीब अभियुक्त के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री चित्त बसु : अतः इस धारणा को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। मैं एक-दो उदाहरण दे सकता हूं। व्यय की ओर ध्यान दीजिए और देखिए कि इसके लिए कितनी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1978-79 के बजट में इसके लिए एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान था। वर्ष 1979-80 के लिए भी लगभग 1 लाख रुपये की ही राशि का प्रावधान था। वर्ष 1980-81 में करीब 25 लाख का प्रावधान था। वर्ष 1981-82 में 50 लाख रुपये की राशि का प्रावधान था और जहां तक मुझे जानकारी है, दिनांक 31 जुलाई, 1981 तक केवल 1,02,518 लाख की आंशिक राशि ही खर्च की गई है। अत्याधिक अल्प धनराशि ही उपलब्ध कराई गई है। क्यों? इस धारणा को स्वीकार कर लिया गया है। राज्यों की जिम्मेदारियों का, न केवल संविधान के माध्यम से अपितु उच्चतम न्यायालय के माध्यम से भी पता चल गया है। लेकिन सरकार ने इसे कार्यान्वित करने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए है। खर्च के मामले में भी, आपको यह देखकर चौंक जाएंगे···

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री चित्त बसु : मैं समाप्त कर रहा हूं। जो धनराशि खर्च भी की गई है, वह वकीलों को मानदेय का भुगतान करने पर ही खर्च की गई है तथा संस्थापन पर किसी भी अन्य कार्य से अधिक धनराशि खर्च की गई है। अतः मेरा तो यही तर्क है कि सरकार इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए कोई उचित उपाय नहीं कर रही है।

मैं केवल दो सुझाव देना चाहता हूं। भगवती समिति ने 12 सूत्री योजना तैयार की है; एक 12 सूत्री योजना थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस 12 सूत्री योजना की जांच की है: उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस और विशेष उपाय किये गए है। यह योजना न्यायमूर्ति भगवती ने तैयार की है, जिसकी कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

अन्त में मेरा सुझाव यह है कि पूरे देश में पंचायत स्तर पर न्याय-संचायतों की स्थापना

की जानी चाहिए। हमें इन मामलों, छोटे-छोटे मामलों का निपटारा करने के लिए पंचायत प्रशासन की मदद लेनी चाहिए और न्याय प्रणाली सम्बन्धी कुछ सुधार किए जाने चाहिए। मेरे पास कुछ ऐसे मामले हैं, लेकिन समय की कमी से कारण मैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता। कुछ न्यायिक सुधार भी किए जाने आवश्यक हैं। तब ही आप गरीब लोगों के लिए कानूनी सहायता देने सम्बन्धी विस्तृत योजना तैयार कर सकेंगे। अन्यथा यह मात्र एक झाँसा-पट्टी ही होगी; अभी तक यह एक झाँसा-पट्टी है और भविष्य में भी यह झाँसा-पट्टी ही सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

आचार्य जे० बी० कृपलानी का निधन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मुझे बड़े दुःख के साथ आपको और सदन को यह सूचना देनी पड़ रही है कि देश के वयोवृद्ध और बड़े सम्मानीय नेता आदरणीय आचार्य जे० बी० कृपलानी जी का निधन अहमदाबाद में हो गया है। इस वजह से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस शोक की घड़ी में सदन की कार्रवाई आप स्थगित कर दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

कुछ माननीय सदस्य : हम इससे सहमत हैं।

सभापति महोदय : कार्रवाई स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों से दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

(उसके बाद सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए)

सभापति महोदय : सभा अब सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1982 को 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1982/1 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक : आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।